त्रयोदश माला, खंड 18, अंक 19

शुक्रवार, 17 अगस्त, 2001

26 श्रावण, 1923 (शक)

NOT TO BE ISSUED
NOT TO BE ISSUED
FOR REFERENCE ONLY

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(तेरहवी लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 52
Date 12/6/2002

(खण्ड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)

अंक 19, शुक्रवार, 17 अगस्त, 2001/26 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 365	2-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 366 से 380	28-55
अतारांकित प्रश्न संख्या 3794 से 3974 .	55-305
सभा पटल पर रखे गए पत्र	305-316
कार्य मंत्रणा समिति	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	317
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) अखिल भारत पेट्रोलियम व्यापारी संघ द्वारा घोषित पेट्रोलियम उत्पादों का 'कोई खरीद नहीं–कोई बिक्री नहीं' अभियान	
श्री राम नाईक	317-318
(दो) पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल में जमुई स्टेशन पर मुजफ्फरपुर–सियालदाह यात्री रेलगाड़ी की मालगाड़ी के डिब्बों के साथ हुई टक्कर	
श्री नीतीश कुमार	397-398
सभा का कार्य .	319-322
रक्षा मंत्रालय में विशेष सलाहकारों की भूमिका के बारे में	325-328
ग में मछुआरों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में	328-330
बिहार के लिए आर्थिक पैकेज के बारे में	330-333
महाराष्ट्र में प्री-मेडिकल परीक्षा के लिए कम्प्यूटर में उत्तरों को गलत फीड किए जाने के बारे में	341-343
ऊर्जा संरक्षण विधेयक	352-396
विचार करने के लिए प्रस्ताव	352
श्री बसुदेव आचार्य . . .	352-356

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य से पूछा था।

विषय		कॉलम
	श्री टी. एम. सेल्वागनपति	356-358
	श्री पवन कुमार बंसल	358-361
	श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	361-364
	श्री सुरेश प्रभु	364-369
खंड 2 से 46 और 1		370-396
पारित करने के लिए प्रस्ताव		396
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प		396
(एक)	लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन का आबंटन–वापस लिया गया	398-412
	श्री अरूण शौरी	399-408
	श्री रामानन्द सिंह	408-412
(दो)	मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के निर्णय की समीक्षा–विचाराधीन	412-448
	श्री सुनील खां	413-419
	श्री खारबेल स्वाइं	420-425
	श्री अधीर चौधरी	425-428
	श्री अनादि साहू	428-433
	श्री वरकला राधाकृष्णन	433-437
	प्रो. रासासिंह रावत	437-442
	श्री जे. एस. बराड़	442-446
	श्री हरीभाऊ शंकर महाले	446-447
	श्री लक्ष्मण सेठ	447-448
आधे घंटे की चर्चा		
जनजातियों का कल्याण		448-460
	श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	448-452
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	452-453
	प्रो. रासासिंह रावत	453-454
	श्री जुएल उराम	454-459

लोक सभा

शुक्रवार, 17 अगस्त, 2001/26 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे इस सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी, श्री रामपाल उपाध्याय के निधन की दुखद सूचना देनी है। श्री रामपाल उपाध्याय 1998 और 1999 के दौरान बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक योग्य संसदविद् श्री उपाध्याय 1998–99 के दौरान वाणिज्य संबंधी समिति तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

इससे पहले श्री उपाध्याय 1980 से 1998 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। राज्य सरकार में उन्होंने 1980 में उपमंत्री; 1981 में राज्य मंत्री और 1985 में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1980 और 1985 के बीच राजस्थान विधान सभा की प्राक्कलन समिति और विशेषाधिकार समिति के सभापति के रूप में कार्य किया।

पेशे से कृषक, श्री उपाध्याय पंचायती राज एवं सहकारिता आन्दोलनों से जुड़े रहे। एक जाने–माने सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री उपाध्याय ने अस्पृश्यता दूर करने, वित्तीय शोषण से गरीबों को छुटकारा दिलाने तथा गरीबों के उत्थान के लिए अथक रूप से कार्य किया।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री उपाध्याय ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने कई लेख और कविताएं लिखी तथा वह साहित्यिक गतिविधियों में भी निरन्तर संलग्न रहे।

श्री रामपाल उपाध्याय का निधन 11 अगस्त, 2001 को अजमेर, राजस्थान में 66 वर्ष की आयु में हृदयाघात के पश्चात हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में यह सभा भी मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खडे रहे।)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

ऋण वसूली अधिकरण

+

***361. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**

श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण वसूली अधिकरणों के समक्ष निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों के संबंध में कोई न्यूनतम धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी न्यूनतम धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या अधिकरणों के धन संबंधी अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों के निपटान हेतु सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त व्यवस्था के अंतर्गत कितनी धनराशि वसूल की गई है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है?

विवरण

(क) से (ङ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार, 10 लाख रु. या इससे अधिक की राशि वाले मामले ऋण वसूली अधिकरणों में दायर किए जाने हैं। ऋण वसूली अधिकरणों द्वारा दिनांक 31.3.1999, 31.3.2000 और 31.3.2001 तक वसूल की गई राशि क्रमशः 646.26 करोड़ रु., 1398.40 करोड़ रु. और 2583.32 करोड़ रु. थी।

जो मामले अधिकरणों के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, उनके निपटान के लिए निम्नलिखित और उपाय किए गये हैं:–

(i) विशेष रूप से लघु क्षेत्र की अनुपयोज्य आस्तियों सहित अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के निपटान के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निपटान सलाहकार समितियों का गठन। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार निपटान सलाहकार समितियों के जरिए अनुपयोज्य अस्तियों की वसूली 668.37 करोड़ रु. की थी।

(ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 5 लाख रु. तक की राशि वाली अनुपयोज्य अस्तियों के निपटान के लिए लोक अदालतों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय बैंक संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2001 तक लोक अदालत तंत्र के तहत 84.69 करोड़ रु. की राशि वसूल की गई है।

(iii) एक बारगी उपाय के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों के निपटान के लिए जुलाई, 2000 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकाधिकारहीन एवं अभेद मूलक मार्गनिर्देश अपनाना। ये मार्गनिर्देश 30 जून, 2001 तक ही लागू थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.5.2001 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इन मार्गनिर्देशों के तहत 1914 करोड़ रु. की राशि वसूल कर ली है।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, देश में बैंक और वित्तीय संस्थाएं देश के विकास के लिए ऋण देती हैं चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो। इन्हीं संस्थाओं की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उस लोन की रिकवरी वक्त पर हो, आज देश में हालात ऐसे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसैट्स दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, लगभग 80 हजार करोड़ रुपए के नान परफोरमिंग एसैट, जो लोगों ने कर्ज लिया, वह धन वापस नहीं हुआ है जिसमें से लगभग 63 हजार करोड़ रुपए बैंक के हैं और लगभग 17 हजार करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों के है। इस धन की रिकवरी के लिए डैट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अब तक देश में कितने डी.आर.टी. बनाए गए हैं, इनमें कितने केस भेजे गए, उनमें से कितने निपटाए गए और निपटाए गए केसों की कुल धनराशि कितनी है?

अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष लगभग 4 हजार करोड़ की रिकवरी की गई है। यदि इसी रीति–नीति से रिकवरी होती रही, तो बकाया धन बहुत जल्दी वापस आ सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर बकाया रुपए की रिकवरी के प्रयास करेगी ताकि जो बकाया रुपया है उसकी वसूली हो सके तथा उसका इस्तेमाल जरूरतमंद लोग कर सकें?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : स्पीकर सर, कुल मिलाकर 22 डैट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में काम शुरू हो गया है। वित्त मंत्री जी ने जैसी बजट भाषण में घोषणा की थी, उसके अनुसार नए डी.आर.टी. का चयन हो चुका है और वे नवंबर मास से कार्य करना शुरू कर देंगे। अभी तक डी.आर.टी. और लोक अदालत के माध्यम से जो कार्रवाई हुई है, उसमें 63 हजार एकाउंट गए थे और 115 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि इन्वाल्व थी जिसमें से एक्चुअली प्रत्यक्ष रूप से 28 हजार 174 एकाउंट सैटल हुए उसमें रिकवरी 84.69 करोड़ रुपए की हुई। डी.आर.टी. में 47.677 केसेस रैफर हुए और जिसका ब्याज मिलाकर एमाउंट 88.54 करोड़ रुपए है जिसमें से एक्चुअल जो सैटल हुआ है वह 14.462 करोड़ रुपए है और जिसकी रिकवरी हुई है वह 25.83 करोड़ रुपए है और अब तक आर.बी.आई. एवं डी.आर. टी, सब मिलाकर 5 लाख 27 हजार 119 एकाउंट सैटल हुए हैं जिनके माध्यम से 1914 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

जैसा माननीय सदस्य ने टोटल एमाउंट एन.पी.ए. का बताया वह ठीक है। लगभग 53 हजार एमाउंट बैंकों का है और लगभग 17 हजार करोड़ रुपए फायनेंशल इंस्टीटचूशन्स का है। कहेंगे तो मैं प्रायर्टी और नान प्रायर्टी सैक्टर का एन. पी. ए. का एग्जैक्ट फिगर्स दे दूंगा। डी. आर. टी. के कानून में लिखा हुआ है कि छः महीने में केस डिस्पोज आफ होना चाहिए, लेकिन वह छः महीने में डिस्पोज आफ नहीं होता है। इसलिए कानून में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। डी. आर. टी. के अध्यक्ष श्री अग्रवाल की अध्यक्षता में हमने एक समिति गठित की है। उसकी 2 जुलाई को मीटिंग भी हुई है। उनकी परफोरमेंस ठीक हो और जो हाई वैल्यूड एकाउंट हैं, वे जल्दी से जल्दी तय हों यह प्रयास जारी है। अभी तक डी.आर.टी. की कुछ कमियां हैं जैसे स्पेस की कमी, या स्टाफ की कमी है, वह भी दूर की जा रही है। 22 डी.आर.टी. ने काम शुरू कर दिया है और शेष नवंबर में काम शुरू कर देंगे।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, पहली सप्लीमेंट्री

का जवाब थोड़ा ढंग से नहीं आया। जो बातें मैंने पूछीं, वे नहीं बताई गईं।

मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री यह है कि दिनोंदिन एन.पी.ए. बढ़ता जा रहा है। इसके कुछ कारण हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. सुशील कुमार इन्दौरा, उचित उत्तर प्राप्त करने के लिए एक उचित अनुपूरक प्रश्न का होना आवश्यक है।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : सर, यह प्रापर सप्लीमेंट्री है। एन.पी.ए. दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक यूनिट लगाने के लिए यदि कोई लोन लेता है, उसमें से कुछ धन वह यूनिट में लगाता है और कुछ धन में से वह निजी खर्च कर लेता है। इस प्रकार से यूनिट को खस्ता हाल में दिखाकर, उसको बीमार दिखाकर, उसको कमजोर दिखाकर यह बता देता है कि वह यूनिट चल नहीं पाई। दूसरा कारण यह है कि अफसरों की मिलीभगत के कारण, किसी दूसरे बैंक से उसी चीज के लिए फिर लोन ले लिया जो फिर नान–परफॉर्मिंग एसैट बन जाता है। तीसरा कारण सीक्रेट एक्ट है, जिससे यह नहीं बताया जाता कि किसी दूसरे बैंक से लोन लिया गया है या नहीं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से नान–परफॉरमिंग एसैट दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है। अभी मंत्री जी ने टोटल एन.पी.ए. लगभग 82,000 करोड़ रुपए बताया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आप संबंधित अधिकारीगण को इसके लिए जवाबदेह बनाएंगे या नहीं? क्या इसमें लोन देने के काम में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा जिससे पूरी जानकारी सबके सामने आ सके और पता चल सके कि धांधली कहां हो रही है क्योंकि छोटी–छोटी अल्प बचत योजनाओं से पैसा इकट्ठा करके, बड़े–बडे उद्योगपति या पूंजीपति उसका फायदा उठा रहे हैं, उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या सरकार इस काम में पारदर्शिता लाकर अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह बनाएगी? यदि हां, तो मंत्री जी बताएं कि उनके पास ऐसा क्या प्रोग्राम है और यदि नहीं तो क्यों नहीं सरकार उन्हें जवाबदेह बनाना चाहती?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : बैंकों द्वारा समय–समय पर जो ऋण दिया जाता है, यह बात सही है कि उसमें कभी देर हो जाती है, कभी समय पर ऋण मिल जाता है, लेकिन उसकी कई वजह हैं– कभी आवश्यक कागजात पूरे नहीं होते हैं जो वे कराना चाहते हैं, कभी अप्रैजल प्रोजैक्ट में परिवर्तन हो जाता है, कभी टैक्नोलौजी में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण देर हो जाती है। लेकिन ऐसे कामों के लिए बैंक के सी. एम.डी. और अन्य लोगों की तीन बार मीटिंग हो चुकी है, यह काम उनके जिम्मे डाला गया है ताकि वे खुद उसकी देखभाल करें। ऋण वसूली के लिए, जैसा मैंने कहा, खाली डी.आर.टी. ही नहीं है, बैंक लोक अदालतों के माध्यम से खुद रिकवरी भी करते हैं। वैसे ही सैटलमैंट कमेटी भी बनाई गई है, वह भी करती है और बोर्ड की तरफ से भी वसूली की जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी इसके परसैंटेज में कमी आई है लेकिन जब ऋण का आउटस्टैंडिंग बढ़ जाता है तो मैं मानता हूं कि एन.पी.ए. भी बढ़ जाता है।...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : मैंने मनी डाइवर्शन के बारे में जो बात पूछी है, वह बताएं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मनी डाइवर्शन की बात आपकी ठीक है। लेकिन हरेक प्रोजैक्ट के लिए मौनीटरिंग की व्यवस्था होती है, लोकल लैवल पर भी मौनीटरिंग होती है, और जब हमें जानकारी मिलती है तब ही हम उसमें दखल करते हैं। हमने सभी बैंकों को सख्ती से कहा है कि मनी डाइवर्शन नहीं होना चाहिए, साइफनिंग भी नहीं होनी चाहिए। यदि होती है तो उस पर भी हम एक्शन लेते हैं मैंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा था कि यदि कहीं ऐसी साइफनिंग होती है तो पन्द्रह दिन, एक महीने के अंदर ब्रांच मैनेजर इस सब की जानकारी बोर्ड के नोटिस में लाएगा। उस सम्बन्ध में एक–दो दिन में उनको सर्कुलर भी चला जाएगा।

लेकिन आपने जो बड़े घरानों की बात कही है, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अभी दस लाख रुपये तक के ऋण के हमारे पास कुल 95,72,439 एकाउन्ट्स हैं जिनमें कुल एमाउंट पन्द्रह हजार करोड़ रुपये इन्वौल्व हैं। एक करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक जिनमें राशि इन्वौल्व है ऐसे कुल एकाउंट 4640 हैं, जिनमें कुल राशि 8970 करोड़ रुपये इन्वाल्व है। सब मिला कर पांच करोड रुपये से अधिक राशि वाले 96,04,673 एकाउंट्स हैं जिनमें इन्वौल्व राशि लगभग 32,107 करोड़ रुपये बनती है। पांच करोड़ रुपए से पचास करोड़ रुपये तक की राशि जिनमें इन्वौल्व है, ऐसे एकाउंट 2006 हैं जिनमें कुल राशि 17,697 करोड़ रुपये बनती है। पचास करोड़ रुपये से ऊपर की राशि के 47 एकाउंट्स हैं और उनमें इन्वौल्व राशि 3490 करोड़ रुपए है। हमने ऐसी क्लासीफिकेशन की है और इस आधार पर हाई वैल्यू एकाउंट्स हम ज्यादा से ज्यादा निपटाना चाहते हैं।

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, गांवों के गरीब आदमी और किसान के ऊपर यदि थोड़ा भी कर्जा होता है तो उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 14 दिन तक उसको तहसील की जेल में रहना पड़ता है और जब वह घर पर होता है तो आये दिन उसे ऋण की वजह से परेशानी होती है। तीन वर्षों की वसूली का जो लेखा–जोखा मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह उत्साहजनक नहीं है। यह बात सही है कि 80 हजार करोड़ रुपये के लगभग नॉन परफोरमिंग असैट्स हैं। मुझे यह लगता है कि जो लोग तिकड़मबाज हैं, जो बैंक से ऋण लेते हैं और बैंक को चूना लगाना भलीभांति जानते हैं, जैसे केतन पारिख की 10 फर्में हैं, हर्षद मेहता की 15 फर्में है।, वे किसी बैंक से किसी नाम से ऋण ले लेते हैं और किसी दूसरे बैंक से दूसरे नाम से ऋण ले लेते हैं, यह बहुत गम्भीर मामला है। ट्रिब्यूनल जिस तरह से वादों का निपटारा कर रहे हैं, वह उत्साहजनक नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल मंत्री जी से करना चाहूंगा कि जो डिफाल्टर्स हैं, क्या उन डिफाल्टर्स की सूची सरकार प्रकाशित करने का इरादा रखती है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : डिफाल्टर्स की सूची तो सरकार भी रखती है, हर एक बैंक भी रखता है और आर.बी. आई. भी रखता है। जहां तक आपने अलग–अलग जगह से कर्जे लेने में आपत्ति की बात कही है तो इसके लिए इन्फोरमेशन ब्यूरो अभी एस्टेब्लिश किया है, उसका काम जब शुरू हो जायेगा, तब इसमें फर्क पड़ेगा। अभी भी सभी बैंकों के माध्यम से जब कोई ऋण लेने जाता है, तो उसे बाकी बैंकों से भी नो डयूज सर्टिफिकेट देना पडता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि छोटे किसान की जब बात आती है, छोटे कर्जदार की बात आती है तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। एस. बी. आई. ने कहा है कि छोटे कर्जदारों में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और उस हिसाब से पांच लाख के नीचे पूरे केसेज लोक अदालत को जा रहे हैं। 10 लाख रुपये तक के केसेज भी हम लोक अदालत को देना चाहते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है और सुप्रीम कोर्ट की नेशनल एथॉरिटी को भी लिखा है। इसके कारण सिविल सूट्स भी चलते रहते हैं। लेकिन बैंक को हमने यह जरूर कहा है कि विलफुल डिफाल्टर्स के ऊपर सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा छोटे ऋण वाले काश्तकार और टाइनी और कॉटेज इंडस्ट्रीज वालों को इससे तकलीफ न हो जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या सरकार का विचार चूककर्त्ताओं के नाम प्रकाशित करने का है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : ऐसे सभी मामलों में मुकदमें दर्ज होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके नाम प्रकाशित किए जाते हैं। मार्च, 2001 तक पूरी किताब छपी हुई है और उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रकाश परांजपे : अनेक प्रयासों के बावजूद भी ऋण की वसूली सरकार की आशाओं के अनुरुप नहीं है। आयकर वसूल करने के लिए सरकार द्वारा हर दो साल बाद स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना की घोषणा की जाती है और लोगों को कहा जाता है कि वे अपने काले धन को सफेद धन में परिवर्तित कर ले और सरकार इससे कर की वसूली करती है। इसी प्रकार क्या सरकार का इरादा ऋणी लोगों को यह कहने का है कि वे नकदी, सोना, चांदी अथवा भूमि किसी भी रूप में, अपने ऋण की अदायगी करें? यदि वे इस रूप में अपनी राशि का भुगतान करते हैं, तो आयकर विभाग उनसे पूछताछ नहीं करेगा कि उन्हें यह आस्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं। परिणामस्वरूप वसूली और भी शीघ्र हो सकेगी। इस संबंध में मैंने तीन माह पूर्व वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था। दुर्भाग्यवश मुझे इसकी पावती तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः क्या आप ऋण वसूल करने के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना की तर्ज पर कोई योजना बनाएंगे? कर्जदार किसी भी रूप में अपना ऋण चुकाने दें। मेरा शत प्रतिशत मानना है कि यदि आयकर विभाग उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगा तो अस्सी प्रतिशत ऋण छः महीने में ही वसूल हो जाएगा। क्या सरकार कर्ज की त्वरित वसूली हेतु इसी पद्धति पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय इसका उत्तर है जी नहीं। हम गैर–निष्पादनकारी आस्तियों की पुनः अदायगी में काले धन के उपयोग को प्रोत्साहन नहीं देंगे।

श्री प्रकाश परांजपे : स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना की क्या स्थिति है?

श्री यशवन्त सिन्हा : स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना मेरी योजना नहीं थी। इसे 1997–98 में आरंभ किया गया था और इसी वर्ष बंद कर दिया गया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, गैर निष्पादनकारी आस्तियों की समस्या का उतना समाधान नहीं हो पाया जितनी कि सरकार और राष्ट्र को उम्मीद थी और उसके बारे में

मीडिया और इस सभा में विभिन्न वर्गों द्वारा काफी चिन्ता व्यक्त की गई है।

इन सभी बातों के मद्देनजर क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि बैंकिंग अधिकारियों ने गत दो वर्षों के दौरान नियमित घरानों में से उन अनुप्रयोज्य आस्ति इकाई धारकों को, जिन्हें बैंकों को 100 करोड़ रुपए से 500 करोड़ तक की बकाया राशि की अदायगी करनी है, ऋण वसूली अधिकरण से राहत दिलाने के लिए उनकी ऋण अदायगी की शर्तों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्निधारण कर दिया है। क्या मंत्री महोदय विशिष्ट रूप से हमें यह बताएंगे कि निगमित घरानों और इकाईयों को किसी नई इकाई अथवा परियोजनाओं के वास्ते पिछली देनदारी चुकता करने तक कोई नया ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करने हेतु कोई खाता नहीं खोला जाएगा?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति यह है कि यदि कोई चूककर्त्ता अथवा अनुपयोज्य आपूर्ति (एन पी ए) की ओर से ऋण की मांग की जाती है, तो उसे कोई भी नया ऋण नहीं दिया जाएगा और उस कंपनी अथवा व्यक्ति के नाम से कोई नया खाता नहीं खोला जाएगा। मैं अपने मित्र को एन.पी.ए. और निगमित क्षेत्र के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। बैंकिंग प्रणाली में पुनर्गठन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, चाहें कोई छोटा बैंक हो या बड़ा। अतः यदि कोई इकाई आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और यदि वे पुनर्गठन चाहते हैं और पुनः अदायगी को आश्वस्त किया जाता है, तो स्वाभाविक है कि उसे सभी स्तरों पर पुनर्गठित किया जाता है न कि केवल निगमित क्षेत्र के लिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मेरा प्रश्न भिन्न था। यदि निगमित क्षेत्र में किसी व्यक्तिगत मामले में 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि की देयता है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने उनके ऋणों की अदायगी की शर्तों को पुनः पुनर्निधारित किया हैं इस मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बड़े बडे व्यापारिक घरानों को हर बार ऋणों की शर्तों का पुनः निर्धारण करने की अनुमति दे दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, हमें 100 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक बकाया धनराशि के किसी मामले की कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य 100 करोड़ रुपये और इससे अधिक धनराशि के किसी मामले के संबंध में पुनर्गठन संबंधी कोई जानकारी चाहते है, तो हम वह जानकारी उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था, बात यह है कि ऋणों का पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है। अतः जो भी पात्र होंगे, चाहें उसमें 100 करोड रुपए अथवा इससे कम धनराशि के ही मामले क्यों न हों, हम उन्हें पुनर्गठन करने से मना नहीं कर सकते।

श्री किरीट सोमैया : क्या सरकार न केवल बैंकों बल्कि अन्य संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली की वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट है? ऐसा इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि बैंकों की धनराशि 53,000 करोड़ रुपए और वित्तीय संस्थाओं जिनमें आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई,. आई.सी.आई.सी.आई. शामिल हैं, की धनराशि 25,000 करोड़ रुपए शामिल है। इसके साथ साथ गैर बैंककारी कंपनियों की अनुपयोज्य आस्तियां लगभग 5000 करोड़ रुपए और यू.टी.आई. तथा अन्य म्यूचल फंड की राशि 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। कुल मिलाकर यह राशि 93,000 करोड़ रुपए है। निसंदेह, यह केवल दो वर्षों तक सीमित नहीं है, यह 20 वर्षों की भी हो सकती है। अतः क्या सरकार का विचार कतिपय मूलभूत उपाय करने का है?

[हिन्दी]

इसके साथ–साथ दासमुंशी जी ने जो सवाल पूछा था, मैं उसे अलग ढंग से रखना चाहूंगा। मामला यह भी दो वर्षों का नहीं बल्कि अनेक वर्षों का है। एक कम्पनी लोन लेती है दूसरी ग्रुप कम्पनी में पैसा ट्रांसफर करती है। इसे धन का 'साइफनिंग' कहा जाता है। उस संबंध में इन सब कम्पनीज का इंवैस्टीगेशन करके ऐसा हुआ होगा, तो उनकी सब ग्रुप कम्पनीज के सभी मैनेजमेंट को सस्पेंड करने का सरकार क्या कोई प्रावधान करेगी?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सदस्य से सहमत हूं कि अनुपयोज्य आस्तियों में वृद्धि हो रही है, भले यह वृद्धि काफी तीव्र गति से न हो रही हो। लेकिन यह एक पुरानी बीमारी है। व्यवस्था इसकी आदि हो चुकी है, भले ही आपेटर हो या बैंक। इसके साथ–साथ यदि ध न का 'साइफनिंग' होता है और यदि इकाईयां रूग्ण हो जाती हैं, तो हम उन्हें ऋण नहीं देते। सरकार की नीति इस प्रकार की है। यदि ग्रुप आफ कम्पनीज हों, और अलाभकारी इकाईयां कार्यरत्त हों तो हम उनका वित्तपोषण नहीं करते। लेकिन यदि

लाभकारी इकाईयां भलिभांति कार्य कर रही होती हैं, तो हम उनका वित्तपोषण करते हैं और कभी कभार हम दो कम्पनियों को साथ मिला देते हैं और हम अलाभकारी इकाई के स्थान पर लाभकारी इकाई से ऋण की वसूली करते हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सौमैया : साइफनिंग करके दूसरी ग्रुप कम्पनीज के खिलाफ सरकार क्या एक्शन ले रही है?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, हम कानून में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत 'साइफनिंग' की स्थिति होने पर हम संपत्ति की कुर्क कर सकेंगे, भले ही वह संपत्ति चल हो अथवा अचल। वह उसे बेच नहीं सकेगा। सरकार इस संशोधन पर विचार कर रही है और इसे शीघ्र ही संसद के समक्ष लाया जाएगा।

श्री के. येरननायडू : महोदय, एक बारगी निपटान के लिए 30 जून, 2001 तक का समय दिया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय बैंकों ने अभेद मूलक और स्वनिर्णयरतर दिशानिर्देशों को अपनाते हुए 1,914 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली है बहुत से लोग तिथियों के संबंध में हमारे पास आ रहे हैं जहां तक अनुपयोज्य आस्तियों के मामलों में और अधिक वसूली का प्रश्न है यदि सरकार तिथि को इस वर्ष के अंत तक बढ़ाने पर तैयार हो, तो वे धन की अदायगी करने को तैयार है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, जून का महीना तो बीत चुका है और इस समय अगस्त का महीना चल रहा है। वसूली के लिए अंतिम निपटान की तिथि सितम्बर महीने के अंत तक है। ऋण प्राप्तकर्त्ताओं और बैंकों द्वारा एक प्रस्ताव पहले से ही प्रस्तुत किया जा चुका है लेकिन सरकार के समक्ष तिथि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं हो सकती। कोई अंतिम समय–सीमा होनी चाहिए और वह अंतिम समय–सीमा पहले से ही समाप्त हो चुकी है।

पाकिस्तान के वस्त्र निर्माताओं द्वारा वस्त्र निर्माण मशीनरी का आयात

*362. **डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आल पाकिस्तान टेक्सटाईल मिल्स, एसोसिएशन' ने भारत से वस्त्र निर्माण मशीनरी का आयात किए जाने के लिए रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान के वस्त्र निर्माताओं द्वारा भारत से उक्त मशीनरी को निर्बाध रुप से आयात करने की अनुमति दिए जाने हेतु इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) संबंधी करार पर हस्ताक्षरकर्त्ता के रुप में भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक–दूसरे को परम–मित्र राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। भारत ने पाकिस्तान को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा पहले ही प्रदान कर दिया है किन्तु पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। भारत ने परम मित्र राष्ट्र की दर्जे से संबंधित मुद्दे को पूर्व में कई अवसरों पर उठाया है किन्तु इससे पाकिस्तान की ओर से कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिला है। पाकिस्तान द्वारा भारत में किए जाने वाले आयात पाकिस्तान द्वारा प्रकाशित में निर्दिष्ट मदों तक सीमित होते हैं। वर्ष 2001–2002 के दौरान भारत से आयात योग्य मदों की सूची में वस्त्र निर्माण मशीनरी को शामिल नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला (नेल्लोर) : महोदय, लिखित उत्तर से यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने अभी तक भारत को परममित्र राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या हाल ही में हुई आगरा शिखर वार्ता में परम मित्र राष्ट्र के मुददे पर कोई चर्चा हुई थी और विश्व व्यापार संबंधी बातचीत के मददे नज़र क्या भारत का यूरोपीय संघ और अन्य विकसित राष्ट्रों का मुकाबला करने के उद्देश्य से वस्त्र निर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारत से मशीनरी को आयात करने की अनुमति देकर एक तंत्र गठित करने के लिए पाकिस्तान को सहमत करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पाकिस्तान भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन्स के रूप में नहीं रखता है। भारत की ओर से यह घोषणा की हुई है हम मानते

भी हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से 600 आईटम्स लिस्टेड किये गये हैं जिन पर हमारा ट्रेड होता है। जहां तक आगरा समिट में इन बातों का जिक्र माननीय सदस्या ने किया है, यह समिट था और उसमें ज्यादातर बातें दो नेताओं के बीच में हुई हैं। उनकी तरफ से वाणिज्य मंत्री इस डेलीगेशन में नहीं आये थे। हालांकि हमारी तरफ से हमारे वाणिज्य मंत्री भी उस डेलीगेशन में मौजूद थे। जहां तक ऑल पाकिस्तान टैक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स का सवाल है, उन लोगों की इच्छा है कि भारत से यह मशीनरी इम्पोर्ट की जाये और इस तरह की सलाह उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को दी है।

डा. राजेवश्म्मा वुककला : मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या संयुक्त भारत–पाक पैनल द्वारा विकसित राष्ट्रों द्वारा अपने उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण पैदा हुई समस्याओं से निपटने के लिए कोई तंत्र विकसित किए जाने का प्रस्ताव है और यदि है। तो पाकिस्तान के साथ हमारे पारस्परिक सहयोग के द्वारा यूरोपीय संघ के रूख के खिलाफ क्या तौर तरीके बनाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष जी, इस तरह की कोई बात अभी नहीं है लेकिन एक संस्था सार्क हमारे साथ है जिसे हम सब लोग 'साफ्टा' के नाम से जानते हैं और 'साफ्टा का मतलब ही था कि हम इस इलाके में जहां सार्क के सारे देश हैं, उनमें डयूटी फ्री काम करें और कोई टैक्स न लगाएं लेकिन वह काम अभी अधूरा है। तीन चक्र बैठक हो चुकी हैं। चौथे चक्र की 'साफ्टा' की बैठक अभी सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में होने वाली है। डेट तय की गई है और हमें उम्मीद है कि वहां से इस बात की कोई गुंजाइश निकलेगी।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह एक सुस्थापित तथ्य है कि वस्त्र उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन में 17 प्रतिशत योगदान है और निर्यात आमदनी में इसका योगदान 37 प्रतिशत है। लेकिन 1991 से यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में भयंकर गिरावट आई है। अभी तक, 441 कताई मिलें और एकीकृत मिलें और 74600 करघे (लूम) बन्द हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे 465 मिलें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंप दी गई हैं। इस उद्योग में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए सत्यम समिति गठित की गई थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, प्रश्न वस्त्र मशीनरी के आयात के संबंध में हैं।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : सत्यम समिति ने 27.65 प्रतिशत सीमा शुल्क को घटाकर 16.45 प्रतिशत करने, उत्पाद शुल्क को समाप्त करने और विश्व व्यापार संगठन प्रतिबद्धताओं से जुड़ी शुल्क बाध्यताओं में विलम्ब करने का प्रस्ताव किया था।

क्या सरकार इस उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए किसी संदर्शी योजना पर विचार कर रही है अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का कोई सीधा संबंध हमारे प्रश्न से नहीं है। यदि यह प्रश्न माननीय सदस्य ने माननीय वित्त मंत्री से पूछा होता तो वे ज्यादा अच्छे तरीके से वह जवाब देते।

[अनुवाद]

रेशम के निर्यात में गिरावट

\+

*363. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** :

श्री आर. एस. पाटिल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छः माह के दौरान रेशम के निर्यात में भारी गिरावट आई है क्योंकि रेशम का व्यापार चीन और नए व्यापार करने वाले देशों–इण्डोनेशिया और वियतनाम के साथ किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेशम निर्यातकों को "डयूटी इंटाइटलमेंट पास बुक" (डी.ई.पी.बी.) का लाभ न दिए जाने के कारण भारतीय रेशम का निर्यात गैर–प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख)

दिसम्बर 2000 से मई 2001 तक की गत छः माह की अवधि जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान, रेशम के निर्यातों का मूल्य पिछले वर्ष की इसी अवधि में रहे 994.34 करोड़ रुपए के मूल्य की तुलना में 1187.61 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस प्रकार ये आंकड़े इस अवधि में 19.4% की वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। तथापि, इस वर्ष अप्रैल और मई में निर्यातों में कुछ गिरावट देखी गई है। जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 357 करोड़ रुपए के निर्यातों की तुलना में कुल 307 करोड़ रुपए के हुए हैं।

(ग) और (घ) इस बात को सोचने का कोई कारण नहीं है कि भारतीय रेशम के निर्यात गैर–प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) के अंतर्गत प्राप्तव्य लाभ वापस नहीं लिए गए हैं। तथापि, प्रविष्टि संख्या 89/74, 75, 76 के तहत 6 नवम्बर, 2000 तक के लाभों की समीक्षा की गई है, जिनमें रेशमी वस्त्र, मेड अप्स और फैब्रिक्स शामिल है। वस्त्रों से संबंधित प्रविष्टि संख्या 89/74, के बारे में दिनांक 1/1/2001 से और सिल्क मेड अप्स और सिल्क फैब्रिक्स से संबंधित क्रमशः प्रविष्टि संख्या 89/75 और 89/76 के बारे में दिनांक 2/3/2001 से लाभों को मूल्य संबंधी अधिकतम सीमा के अंतर्गत रखा गया है।

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि कर्नाटक में 86 प्रतिशत से अधिक रेशम उत्पादन होता है। उत्तर में यह कहा गया है कि रेशम निर्यात घट रहा है। हालांकि रेशम की गुणवत्ता बहुत ऊंचे दर्जे की है। लेकिन फिर भी निर्यात घट रहा है। क्या सरकार की निर्यात नीति में कोई कमी है। अथवा यह रेशम निर्यातकों के निराशाजनक कार्य निष्पादन के कारण है? अब तक चीन, इन्डोनेशिया और अन्य देशों से रेशम का आयात कर रहे हैं। सरकार भारत के रेशम उत्पादकों की सहायता नहीं कर रही है। रेशम उत्पादकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि आयात आदेश पर रोक लगाई जाए ताकि भारत में उत्पादित रेशम की सही कीमत मिल सके। मैं सरकार से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारत से रेशम के निर्यात को बढ़ावा देने के और अधिक प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य को पता है कि सारी दुनियां के व्यापार में थोड़ी रिसैशन है और उसी के चलते हमारे भी एक्सपोर्ट में इस मायने में कमी हुई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिल्क के एक्सपोर्ट में भविष्य में कोई कमी आने वाली है। जिस तरीके से हमारी ग्रोथ है और अगर उस ग्रोथ का पैमाना देखा जाये तो हमें लगता है कि हम सही तरीके से उन कामों को कर पाएंगे। जहां तक चाइना का सवाल है, हमें नहीं लगता कि चाइना के चलते हमारे सिल्क एक्सपोर्ट में कोई कमी किसी तरीके से आ रही है।

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार के मार्गदर्शन में रेशम निर्यात को झटका लगा है। यहां तक कि भारत में रेशम उद्योग को बढावा देने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करने में विश्व बैंक भी हिचकिचा रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनका मंत्रालय विश्व रेशम व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है। क्या उनका मंत्रालय रेशम धागे, रेशम वस्त्र और अन्य रेशम सामग्री की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई खास और वैज्ञानिक कदम उठा रही है। इस सरकार का रेशम निर्यातकों को क्या विशेष लाभ देने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य को मालूम है कि हम डयूटी एनटाइटिलमेंट पासबुक इस काम के लिए रखे हुए हैं जिससे सिल्क एक्सपोर्टर्स को काफी फायदा होता है। बीच में एक–डेढ़ महीने के लिए उसमें थोड़ा सा व्यवधान हुआ था।

छः नवम्बर से एक जनवरी तक के लिए, उसके बाद यह सुविधा फिर से मुहैया करा दी गई है, अब किसी तरह की कोई कमी इसमें नहीं दीखती है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई खास सुझाव है, तो हमारा विभाग निश्चित रूप से उन पर विचार करेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, जब निर्यात का सवाल आता है, तो कहा गया है कि चाइना के कारण निर्यात पर असर नहीं पडा है। मंत्री जी से मेरा सीधा प्रश्न है, क्या रेशम अनुसंधान केन्द्र के लिए सरकार या विश्व बैंक की तरफ से जो सहायता आती है, वह नाकाफी है? जब कभी गुणवत्ता की बात आती है, जब गांव का किसान या उसका पैदा करने वाला व्यक्ति उस गुणवत्ता को बनाए रखेगा...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री गड्डे राम मोहन जो अन्तिम पंक्ति में बैठे हैं, यदि आप समाचारपत्र पढ़ना चाहते हैं तो आप पुस्तकालय में बैठकर पढ़ सकते हैं नाकि सदन में बैठकर। आपको सदन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। आप समाचार पत्र पुस्तकालय में बैठकर पढ़ सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : महोदय, मैं कह रहा था कि अनुसंधान के नाम पर जो किसान गुणवत्ता को सावधानी के बतौर बनाए रखता है, उसके लिए सरकार की तरफ कोई मदद नहीं है और विश्व बैंक से ऋण में भी कमी आई है। दूसरी बात, निर्यातक को लाभ पहुंचाने की बात मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन यह अलग वर्ग होता है। यह उत्पादन वाला वर्ग नहीं होता है। अनुसंधान केन्द्र का लाभ रेशम उत्पादक किसान को मिलता है और उसकी गुणवत्ता ठीक है, तो निश्चित रूप से निर्यातक को लाभ मिलेगा। महानगरों में जो निर्यात करने वाली एजेंसियां हैं, उनको लाभ पहुंचाना बिल्कुल एक अलग बात है। मैं दोनों बातों के बारे में मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, सरकार या विश्व बैंक से जो सहायता मिलती है, क्या वह किसान को मिलेगी और निर्यातक, जो पूरी तरह से उत्पादनकर्ता नहीं है, उनकी योजनाओं पर भी सरकार विशेष ध्यान देगी?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया है, सिल्क विभाग मिनिस्ट्री आफ टैक्सटाइल्स का हिस्सा है, उसने कई उपाय इसके लिए कर रखे हैं और इन उपायों में एक उपाय यह भी है कि किस तरीके से सिल्क के उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसीलिए कई अनुसंधान केन्द्र खोले गए हैं, जिसके चलते इसमें बढ़ोत्तरी भी हुई है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को भी मैं मिनिस्ट्री आफ टैक्सटाइल को जरूर अग्रसारित करूंगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया यह उत्तर सर्वथा गलत है कि रेशम निर्यातकों की समस्याओं को 6 नवम्बर तक हल कर लिया गया था। असल में समस्याएं तो 6 नवम्बर से शुरू हुई थीं। राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि:–

> "सामान्यतयः सरकार का कढ़े हुए रेशमी सिले सिलाए वस्त्रों, रेशमी कपडों और अन्य रेशम की सामग्री के बारे में डी.ई.पी.वी. को अनुमति देने का कोई विचार नहीं था।"

जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, यह सही है कि ड्यूटी एनटाइलमेन्ट पास बुक स्कीम" (डी.ई.पी.बी) हमारे निर्यातकों को काफी हद तक सहायता कर रही है। इसी के परिणामस्वरूप हमारा रेशम, निर्यात 2000 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। लेकिन इस योजना को बन्द करने से इसमें काफी गिरावट आई है। हमारी निर्यात आमदनी घटकर 40,000 करोड़ रुपए तक आ गई है। इस वर्ष 7 जुलाई को एक बैठक हुई थी इस उच्चस्तरीय बैठक में सभी संबंधित विभागों के सचिवों ने भाग लिया था। रेशम निर्यात एजेन्सी के सभी सदस्य भी वहां उपस्थित थे। इसमें डी.ई.पी.वी. योजना को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया। परन्तु इस संबंध में अभी तक कोई आदेश या परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

अत एव मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार विमान पत्तनों पर तैनात सभी फील्ड ऑफीसर्स को डी. ई.पी.बी. की योजना का लाभ रेशम निर्यातकों को देने के बारे में कोई आदेश जारी करेगी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरी बात को गलत समझा है। मैंने यह नहीं कहा कि छः नवम्बर को सोर्टआउट किया है। छः नवम्बर से एक जनवरी, 2001 तक डिपार्टमेंट आफ रैवेन्यु ने इस स्कीम को विदड्रा किया था, जिसके चलते यह परेशानी बढ़ी। लेकिन जनवरी, 2001 में इसको फिर से पुनर्स्थापित कर दिया है। जहां तक दूसरी बात का सवाल है, हम इस बारे में वित्त मंत्री जी से जिक्र हमेशा कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुझाव दिया है कि एयरपोर्ट में इस तरह की डायरेक्शन जाए, ताकि वहां एक्सपोर्ट्स को किसी तरह की परेशानी न हो। हम यह काम कर रहे हैं और मुझे यकीन है, यह काम बहुत जल्द होगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : कर्नाटक में रेशम हजारों लोगों की रोजी रोटी का मुख्य साधन है। विशेष रूप से ऐसे समय जब हम नई विश्व व्यापार संगठन प्रणाली और वैश्वीकरण के चलते प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि सरकार इस देशी उद्योग के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है। एक तरफ तो, वियतनाम, चीन और अन्य देशों से बड़ी मात्रा में रेशम बाजार में आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ हमारे पास सस्ती मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक हैं विशेषज्ञता है और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के डिजाइन बनाने वाले हैं तो मूल्य वर्धित रेशम, सिले सिलाए वस्त्रों और अन्य सामग्री से प्रोत्साहन वापस ले लिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार जो नियम समूचे रेशम पर लागू कर रही है वही डी.ई.पी.बी- योजना के अन्तर्गत इन सामानों पर लागू क्यों नहीं किए जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री भी यहां मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर लघु इकाइयां, जिनमें सिले सिलाए वस्त्र और मूल्य वर्धित समान तैयार किए जाते हैं, महिलाओं द्वारा चलाई जा रही हैं।

अतएव मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि सरकार जो प्रोत्साहन रेशम को दे रही है वही प्रोत्साहन रेशम

से बने सिले सिलाए वस्त्रों और कम मूल्क वर्धित सामानों पर क्यों नहीं दे रही है ताकि ज्यादा मात्रा में रेशम के सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया जा सके और वह भी ऐसी स्थिति में जब मूल्य वर्धित सामानसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा सामान्य रेशम के क्षेत्र में है।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : मार्ग्रेट आल्वा जी का पहला सवाल यह था कि हम बाहर से क्यों रॉ–सिल्क लेते हैं। हमारी उत्पादन क्षमता करीबन 16 हजार टन के आस–पास है, जब कि हमारी जरूरत करीबन 22–23 हजार टन के आस–पास है। इसलिए जितनी डिमांड है उस कारण से इम्पोर्ट करते हैं। दूसरा आपने वेल्यू एडेड स्कीम के बारे में कहा। आपकी बात से हमारा विभाग सहमत है। इसके लिए हमने माननीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को कहा है और मुझे यकीन है, जैसे मैंने प्रारम्भ में कहा कि हम बहुत जल्दी इसका रास्ता ढूंढ निकालेंगे।... *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दो अलग–अलग सरकारें हैं। दोनों अगल–बगल बैठे हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री इस मामले में निर्णय क्यों नहीं कर सके हैं? दोनों सदन में मौजूद हैं। *(व्यवधान)* आप मूल्य वर्धित सामान के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। जिनसे रोजगार के इतने अवसर मिल रहे हैं। *(व्यवधान)* रोजगार के असली अवसर लघु क्षेत्र में हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने कहा कि जल्दी रास्ता ढूंढेंगे।

[अनुवाद]

बीमा दावों का निपटान

*364. **डा. अशोक पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा कम्पनियों ने दावों के शीघ्र निपटान के लिए "ओम्बड्समैन" योजना के अलावा किसी मंच (फोरम) का भी गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मंच द्वारा कब तक अपना कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डा. अशोक पटेल : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया है कि ओम्बड्समैन योजना के अलावा किसी अन्य फोरम का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक एक वर्ष में कितनी संख्या में बीमा दावों का निपटान किया गया और बीमा दावों के निपटान में विलम्ब को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 1998 में ओम्बड्समैन शुरू हुआ। इसके माध्यम से जो काम हुआ है वह अमाउंट 22,703 है, टोटल अमाउंट 34,155 है। ओम्बड्समैन के अलावा बाकी फोरम पहले से चल रहे हैं। कंज्यूमर ग्रिवेंसेस रिड्रेसल सेल है, इसके तहत भी हो जाता है, लेकिन बाकी फोरम जितने एक्टिव होने चाहिए उतने नहीं हैं। इसके कारण विलम्ब हो रहा है। एलआईसी का एक लाख 63 हजार का सेटलमेंट होना अभी बाकी है। सबसे ज्यादा जीआईसी का 11 लाख से भी ऊपर है। सरकार के माध्यम से सब को कह दिया है कि हम इस बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं। हम जल्दी से जल्दी इन्हें निपटाएंगे। करीब चार लाख से ज्यादा केसेस अदालत में हैं। उनके जो सेंटर्स हैं, वहां जाकर इंस्पेक्शन करके काम करने की कोशिश हो रही है। हमारी यह भी कोशिश रही है कि जो इंस्पेक्शन जगह–जगह हो रहे हैं और वहां जो बड़े अधिकारी जा रहे हैं वे खुद ही कुछ केसेस अनुभव के माध्यम से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिले।

डा. अशोक पटेल : सर बीमा, दावों को निपटाने के लिए इस समय कुल विलम्बित दावों की संख्या कितनी है तथा उनके कब तक निपटने की संभावना है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : एल.आई.सी. का जो क्लेम है वह 1.43 लाख है और जी.आई.सी. का 11.16 लाख

है। यह तो 1995–1996 में 7 लाख 55 हजार था। अभी कुछ कम हुआ है जो पहले 1.67 लाख से 1.43 लाख हुआ है। लेकिन एल.आई.सी. का तो हर साल बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है कि जल्दी निपटारे के लिए अगर कोई मैकेनिज्म हो सकता है तो करेंगे लेकिन लोक–अदालतें इसमें सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। लोक अदालत में 1999–2000 तक 1740 केसेज में हम लोगों को सफलता मिली है और उसमें 431 करोड़ रुपये का उन्हें मुआवजा मिला है। अभी तक 12 हजार लोक अदालतें हुई हैं जिसमें 4 लाख 74 हजार केसेज सैटल हुए हैं और जिनमें मुआवजा 1000 या 900 से लेकर 40 करोड़ तक मिला है।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र को खोला जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा निगमों की अनेक खराबियों में से एक खराबी यह है कि इनमें दावों के निपटान में अत्यधिक समय लगता है। अब एक ओमबडसमेन की नियुक्ति की गई है। मंत्री महोदय द्वारा क्षेत्र के ब्यौरे के बारे में जो कुछ बताया गया है, वह विस्मयकारी है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि बकाया मामलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या सरकार मोटर वाहन दुर्घटनाओं के दावों के निपटान के लिए और कोर्ट स्थापित करने पर विचार करेगी? बकाया मामलों में मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों की संख्या अधिक है क्या सरकार मोटर वाहन दुर्घटना में दावों के शीघ्र निपटान के लिए और न्यायालय शुरू करने पर विचार करेगी।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि मोटर वाहन दुर्घटनाओं के मामलों का निपटारा करने वाली सम्पूर्ण बीमा व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। जब पूर्व बीमा और तीसरी पार्टी बीमा थी तो मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों की संख्या न्यूनतम थी। तदुपरान्त न्यायालयों ने निर्णय लिया तीसरी पार्टी को भी पूरा बीमा किया जाए। अतः बीमा मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है मामलों की संख्या के बारे में विवेकपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इसका लाभ उठाया जा सकता है। हमारी सम्पूर्ण परिस्थितियों पर नज़र है और हम मामलों के शीघ्र और सुव्यवस्थित निपटान के लिए एक प्रणाली विकसित करने का प्रयास करेंगे।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : दुर्घटना मामलों संबंधी विवादों के निपटान के संबंध में मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि ये मामले गत दस से बीस साल से लम्बित हैं क्या सरकार का लोक अदालत स्थापित करने का विचार है? लोक अदालतों में मामलों का शीघ्र निपटान होता है। इसके द्वारा दोनों पार्टियों को एक साथ बैठकर विचार विमर्श करने का अवसर मिलता है। न्यायालय भी इस दिशा में सहायता करने का इच्छुक है। क्या बकाया मामलों के शीघ्र निपटान की कोई योजना है ताकि साधारण बीमा निजी कम्पनियों के साथ स्पर्धा कर सके?

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : निजी क्षेत्र में निजी बीमा कम्पनियों का भी प्रवेश हो सकता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारी बीमा निगम जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियां पूरी तरह आश्वस्त हैं। उनका तंत्र काफी सक्रिय है हर दिन नई योजनाएं आ रही हैं। इसमें कोई भय की बात नहीं है। मैं सभा और माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि दावों का निपटान शीघ्र होना चाहिए हम भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यदि इस अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है तो हम ये संशोधन करने के लिए तैयार हैं।

श्री पी.एच. पांडियन : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या दस वर्ष पुराना वाहन का बीमा हो सकता है। यह मुद्दा दावाकर्त्ताओं और बीमा कम्पनियों के बीच विचार का विषय बना हुआ है। बीमा कम्पनी बीमा पॉलिसी करते समय वाहन का निरीक्षण नहीं करती है। एक व्यक्ति जिसका वाहन ठीक ठाक हालत में है वह भी सम्पूर्ण क्षति के लिए कुल प्रीमियम का भुगतान करके बीमा कराता है।

क्या वाहन के खरीद की अवधि के अनुसार वर्ष दर वर्ष माडल के आधार पर बीमा पालिसी करते समय कोई कानूनी प्रतिबन्ध है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं समझता हूं कि बीमा वाहन के खरीद की अवधि के आधार पर किया जाता है, मूल्यह्रास तो सदैव होता है। दस वर्ष पुराने वाहन के लिए नए वाहन के रूप में बीमा पॉलिसी नहीं दी जा सकती है।

श्री पी. एच. पांडियन : 'प्रीमियम वाहन की सम्पूर्ण क्षति के लिए लिया जाता है? क्या यह आपको स्वीकार है? आपने यह स्वीकार किया है और इसलिए यह विवाद है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : प्रीमियम उतना ही दिया जाता है। जितनी धनराशि के लिए वाहन का बीमा किया जाता है, इससे ज्यादा के लिए नहीं।

राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता

*365. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि'

(क) क्या केन्द्र सरकार केन्द्रीय योजना सहायता में वृद्धि करने और ऋण तथा सहायता–अनुदान के अनुपात को पुनर्निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या राज्यों की योजना को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता ने ऋण धनराशि के अत्यधिक बोझ के कारण सहायता के अपने स्वरूप को खो दिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा योजना, सहायता और ऋण के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक राज्य द्वारा ऋण की कितनी राशि का पुनर्भुगतान किया गया है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सकल बजटीय सहायता योजना वर्ष 2000–01 (बजट अनुमान) में 36,824 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2001–02 (बजट अनुमान) में 40,644 करोड़ रुपए कर दी है। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए अनुदान सहायता और ऋण का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान, 10 प्रतिशत ऋण तथा अन्य राज्यों के लिए 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण के रूप में होना जारी रखा गया है।

(ख) जी, नहीं। योजना सहायता मुख्यतः पूंजी निर्माण में निवेश हेतु होती है जिस पर लाभांश की अपेक्षा की जा सकती है।

(ग) और (घ) विवरण निम्नलिखित तालिका में उपलब्ध है:–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	केन्द्रीय सहायता			ऋण का पुनर्भुगतान
	ऋण	अनुदान	कुल	
1998–99	806.96	362.80	1169.76	120.16
1999–2000	805.77	345.66	1151.43	150.92
2000–2001	706.94	482.95	1189.89	183.61

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि केन्द्रीय ऋण का ब्याज भुगतान करने के कारण और केन्द्रीय योजना सहायता में ऋण अनुपात अधिक होने के कारण राज्य भारी दबाव में है। राज्यों को 70 प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं दिया जाता है। गाडगिल और मुखर्जी फार्मूले में जनसंख्या नियंत्रण, प्रति व्यक्ति आय, राजकीय कोष, महिला साक्षरता के साथ–साथ क्षेत्रफल को भी जोड़ा गया है। भारतवर्ष के नक्शे में यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल इस समय सबसे बड़ा है। इसका 60 परसैंट क्षेत्र मरू स्थल है और वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं। मेरा निवेदन है कि क्या राजस्थान सरकार को और अधिक सहायता ऋण और अनुदान के रूप में गाडगिल और मुखर्जी फार्मूले के तहत देने पर विचार हो रहा है? यदि हां तो कब तक करेंगे और यदि नहीं तो क्यों नहीं करेंगे?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि राज्य सरकारों की वित्तीय हालत अत्यन्त गम्भीर है और वह इस समय काफी नाजुक हालत में पहुंच चुकी है। इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि केन्द्र सरकार से उनको अधिक ऋण मिलने लगा है या हम राज्यों की इसमें सहायता करते हैं। इसमें कोई बदलाव आया है तो इसका मुख्य कारण जग जाहिर है और वह यह है कि पांचवे वित्त आयोग का भार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर भी पड़ा है। राज्य सरकारों को उसने बरबाद कर दिया है। इसलिए यदि आप आंकड़ों को देखेंगे तो पांएगे कि ऑन करैंट रेवेन्यू जो राज्य सरकारों का होता है वह कई गुना माइनस हो गया है। जब पांचवे वेतन आयोग का भार राज्य सरकारों के ऊपर पड़ा और जहां तक गाड़गिल फामूले का सवाल है, उस

पर नेशनल डेवलपमैंट काउंसिल की मीटिंग में बहुत चर्चा करने के बाद कुछ चीजें तय हुई। उन पर एक राष्ट्रीय सहमति है। योजना आयोग की तरफ से केन्द्रीय सहायता की जो राशि राज्य सरकारों के लिए जो मुकर्रर की जाती है, वह गाडगिल और मुखर्जी फार्मूले के तहत की जाती है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और न ही किसी प्रकार के दबाव में उसे किया जाता है, न ही किया जा सकता है। अभी हम ऐसा मानते हैं कि इसमें तत्काल किसी परिवर्तन की संभावना नहीं है क्योंकि जब तक नेशनल डेवलपमैंट काउंसिल में अन्य वे राज्य जिन में पिछड़े और ज्यादा उन्नत राज्य भी हैं, सब की सहमति नहीं होगी, तब तक गाडगिल और मुखर्जी फार्मूले में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपने मुझे जो उत्तर दिया उसमें 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के आंकड़े दिए हैं। 1998–99 में 806.96 करोड रुपए और 2000–2001 में 706.94 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई। इससे स्पष्ट है कि आपने राज्य सरकार को ऋण इस साल कम दिया। राजस्थान में तीसरी या चौथी बार अकाल पडा है। वहां पानी का अभाव बहुत है। सम्पूर्ण देश की जो नदियां हैं उसका एक परसैंट पानी राजस्थान को प्राप्त होता है। इस कारण वहां अकाल पड़ता है। आपने जो राशि कम दी है, उसके बारे में क्या आप पुनर्विचार करेंगे? राजस्थान सरकार को और अधिक ऋण मिल सके, क्या इस सम्बन्ध में विचार होगा?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि जो वार्षिक योजना का आकार तय होता है वह राज्य सरकार और प्लानिंग कमीशन के बीच में काफी विस्तृत चर्चा के बाद तय किया जाता है। माननीय सदस्य बार–बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्या हम राजस्थान सरकार को आगे और अधिक ऋण उपलब्ध करायेंगे। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि कई बार राज्य स्वयं ही ऋण के अनुपात को बढ़ाने से पीछे हटते हैं, क्योंकि अगर ऋण के अनुपात को बढ़ाया जाएगा तो आने वाले वर्षों में उनका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा और उससे उनकी माली हालत और खराब होगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि वर्ष 1998–1999 की तुलना में 2000–2001 में राजस्थान के ऋण का क्या हुआ है। इसमें आप पायेंगे कि जो ग्रान्ट है वह बढ़ी है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने राजस्थान सरकार से निपटने की समस्या पर क्या कदम उठाये हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : दासमुन्शी साहब, प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपको पहले से सचेत कर देता हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं स्वयं उस पर आ रहा हूं, मेरा प्रश्न से हटने का कोई इरादा नहीं है। जो ग्रान्ट 362 करोड़ थी, वह दूसरे साल 482 करोड़ रुपये हो गई है। टोटल अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बढ़त हुई है। लेकिन जहां तक सुखाड का प्रश्न है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के पास एक दूसरी योजना है जो 11वें फाइनेन्स कमीशन के द्वारा निर्धारित है, जिसके तहत हम राज्यों को मदद करते हैं, जब भी उन पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है। राजस्थान में इस साल और पिछले साल जो सूखा पड़ा है, उस पर हम राजस्थान सरकार से निरन्तर सम्पर्क में रहे हैं और राजस्थान सरकार की हमने भरपूर मदद की है। जहां तक सूखे का सवाल है, उसमें हमने नेशनल कैलामिटी कन्टीनजेन्सी फंड से राशि उपलब्ध कराई है, संसाधन उपलब्ध कराये हैं। इसके अलावा सरकारी गोदामों में जो अन्न है, वह भी सूखा प्रभावित राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है ताकि वे काम के बदले अनाज कार्यक्रम कर सकें। इन सारे कामों के चलते काफी राहत राजस्थान को पहुंचाई गई है। अब तो वर्षा हो गई है और उससे इस साल राजस्थान की खेती में आमूलचूल परिवर्तन होगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के तहत बिहार सरकार को जो ऋण मिलना चाहिए था, क्या वह शत–प्रतिशत बिहार सरकार को मिला है या नहीं। दूसरा बाढ़ और सुखाड़ के सवाल पर आपने ऋण देने का प्रावधान रखा है, जैसा कि अभी आपने राजस्थान के बारे में बताया। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बिहार के अधिकतर जिले सुखाड़ और बाढ़ से प्रभावित हैं। क्या आपकी बिहार सरकार को इस बारे में ऋण देने की कोई योजना है। यदि है, तो कितनी धनराशि देने की आपकी योजना है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से ऋण के सवाल पर किसी सहायता की कोई योजना बनाई है या नहीं, या इस बारे में आपसे बातचीत की है या नहीं। यदि बिहार सरकार को ऋण नहीं दिया गया तो किस आधार पर नहीं दिया गया। क्योंकि बार–बार कहा जाता है कि बिहार सरकार को कोई ऋण देने का प्रावधान आज तक नहीं किया गया है। इसलिए बिहार की बाढ और सुखाड़ पर क्या

केन्द्र सरकार की कोई योजना है, चूंकि बिहार के आधे से अधिक जिले सुखाड़ की स्थिति में हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव, यह शून्यकाल नहीं है, आप प्रश्न पूछिये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सर, इसीलिए मैं दो बातें पूछना चाहता हूं कि गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के तहत बिहार के बारे में क्या केन्द्र सरकार की कोई योजना है तथा बाढ़ और सुखाड़ के प्रश्न पर जो ऋण उपलब्ध कराने का सवाल है, उस पर बिहार के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राज्य सरकार ने आपसे किसी योजना के प्रावधान की मांग की है या नहीं, आप इस पर क्या करने जा रहे हैं, मैं यही जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा प्रश्न है।

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मूलतः राजस्थान के बारे में था और मैंने उसका उत्तर देते हुए यह कहा कि योजना आयोग गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के तहत सारे राज्यों की समान प्रकार से मदद करता है। उसमें किसी प्रकार के भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जाती है और बिहार में भी उसी तरह की मदद की गई है। जब योजना आयोग के साथ बैठकर बिहार सरकार अपनी योजना की चर्चा करती है तो उसमें योजना का जो आकार तय होता है उसके अनुसार सैन्ट्रल असिस्टैन्स का डिवोल्यूशन होता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

जहां तक बाढ़ और सूखे का प्रश्न है, यह कृषि मंत्रालय का विषय है लेकिन मैं जानकारी के आधार पर इतना कह सकता हूं कि उसकी जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया यह है कि किसी भी राज्य में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो राज्य सरकार को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को अवगत कराना पड़ता है, अपनी मांग रखनी होती है और मांग के बाद केन्द्र से पदाधिकारियों का एक दल जाता है। वह जाकर मौके पर मुआयना करता है। मुआयना करने के बाद वह अपनी अनुशंसा करता है कि कितनी मदद की आवश्यकता है और चूंकि यह विषय कृषि मंत्रालय से संबंधित है, मैं इसका तत्काल उत्तर देने में असमर्थ हूं कि बिहार सरकार ने कृषि मंत्रालय के साथ हाल के सूके या बाढ के लिए संपर्क स्थापित किया है या नहीं।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय आँकड़े ठीक नहीं दे रहे है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में जो कमेटी गई थी उसका मापदंड ठीक नहीं होता है। पहले साल में हमने 132 करोड़ रुपये मांगे थे, आपने 21 करोड़ रुपये दिये। दूसरे साल हमने 960 करोड़ रुपये मांगे थे, आपने 150 करोड़ रुपये दिये। ... *(व्यवधान)* हमने 2360 करोड़ रुपये मांगे तो आपने केवल 175 करोड़ रुपये दिये। अनाज जरूर आपने दिया मगर बिल्कुल सड़ा हुआ अनाज दिया, यह मैं मानता हूँ। मैं कहूंगा कि पश्चिम राजस्थान में जो इंदिरा गाँधी नहर है, उसमें आपने सहायता बंद कर दी है। मेरा सवाल है कि पश्चिम राजस्थान के लिए क्या आप अलग से सहायता देंगे या नहीं?

श्री यशवन्त सिन्हा : पश्चिम और पूर्व राजस्थान की बात राजस्थान सरकार के अंदर की बात है। केन्द्र सरकार सारे राज्य को एक रूप से देखती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप उनके पास लिखित उत्तर भेज सकते हैं क्योंकि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बिना सेंसर किए कार्यक्रमों का प्रसारण

***366. श्री तूफानी सरोज :**

श्रीमती कांति सिह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियां भारतीय प्रसारण नियामक कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपलिंकिंग के माध्यम से देश के बाहर से भारत में बिना सेंसर किए गए अपने कार्यक्रमों का प्रसारण कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इससे देश को राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ रही है;

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितने राजस्व की हानि हुई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) देश के बाहर से अपलिंक किए जाने वाले विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को देश में केबल टेलीविजन नेटवर्कों के माध्यम से प्रसारित करते समय केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अन्तर्गत बनाए नियमों के अधीन निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता का पालन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में, किसी उल्लंघन के मामलें में प्राधिकृत अधिकारियों अर्थात् जिलाधिकारी/उप–जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी होती है। इसके अलावा, उपग्रह चैनल/कार्यक्रम द्वारा निर्धारित संहिता का उल्लंघन करने पर केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 20(3) के अन्तर्गत ऐसे चैनलों/कार्यक्रमों को विनियमित करने या केबल आपरेटरों द्वारा उनके प्रसारण को निषिद्ध करने हेतु इन्हें अधिसूचित कर सकती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क

*367. **श्री के. मुरलीधरन :**

श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के आयात पर लगाए जा रहे आयात शुल्क की विद्यमान दर क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार सभी खाद्य तेलों पर लगने वाले आयात शुल्क को 300% की अनुमत्य दर तक बढ़ाए जाने की कोई योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आयात निर्यात नीति में नारियल, कोपरा और नारियल तेल का स्थान संवेदनशील आयात वस्तुओं के रूप में रखे जाने हेतु कोई आवश्यक कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) खाद्य श्रेणी के वनस्पति तेलों (अशोध्य) के मामले में मौजूदा शुल्क दर ढांचा

क्र.सं.	विवरण	मूल सीमा शुल्क
1.	सोयाबीन तेल	45%
2.	पॉम ऑयल	75%
3.	मूंगफली तेल	75%
4.	सनफ्लावर/सफ्लावर	75%
5.	नारियल तेल	75%
6.	रेपसीड ऑयल	75%
7.	कोल्जा अथवा सरसों का तेल	75%
8.	अन्य तेल	75%

खाद्य श्रेणी के वनस्पति तेलों (शोधित) के मामले में मौजूदा शुल्क दर ढांचा

क्र.सं.	विवरण	मूल सीमा शुल्क	विशेष अतिरिक्त शुल्क	कुल शुल्क
1.	सोयाबीन तेल	45%	4%	50.8%
2.	आर.बी.डी. पामोलीन	85%	4%	92.4%
3.	पॉम ऑयल	85%	4%	92.4%
4.	मूंगफली तेल	85%	4%	92.4%
5.	सनफ्लावर/सफ्लावर	85%	4%	92.4%
6.	नारियल तेल	85%	4%	92.4%
7.	रेपसीड ऑयल	75%	4%	78%
8.	कोल्जा या सरसों का तेल	75%	4%	78%
9.	अन्य तेल	85%	4%	92.4%

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) नारियल और नारियल तेल को उन 300

संवदेनशील मदों की सूची में शामिल किया गया है, जिनके आयातों पर वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर–मंत्रालयीय समिति द्वारा मासिक आधार पर निगरानी रखी जाती है। मात्रात्मक प्रतिबन्धों को हटाने के बाद, खोपरा और नारियल तेल के आयात को राज्य व्यापार व्यवस्था के अधीन रखा गया है। जिसे राज्य व्यापार निगम द्वारा संचालित किया जाएगा।

तैयार माल पर शुल्क की देनदारी

*368. **डा. मन्दा जगन्नाथ :**

श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक कंपनियां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के वर्तमान उपबन्धों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड ने तैयार माल पर शुल्क की देनदारी के संबंध में मारूति उद्योग लिमिटेड जैसे कंपनियों को नोटिस जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) तैयार माल पर लगने वाले शुल्क की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जब शुल्क अपवंचन के मामलों का पता चलता है, तब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच–पड़ताल के बाद कथित रूप से अपवंचित शुल्क की मांग करके अर्थदण्ड आदि लगाकर उपयुक्त मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। वर्ष 2001–2002 (30 जून, 2001 तक) के संबंध में मारूति उद्योग लिमिटेड जैसी कंपनियों के खिलाफ प्रमुख मामलों (जिनमें 10 करोड़ रुपये से अधिक उत्पाद शुल्क की राशि का कथित अपवंचन अंतर्ग्रस्त होता है) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) जहां जांच–पडताल से यह पता चला कि कम्पनियों द्वारा कथित रुप से सही शुल्क दायित्वों को पूरा नहीं किया गया, उन मामलों में सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अनुसार तैयार माल पर शुल्क की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने, न्यायनिर्णयन और वसूली कार्यवाहियां आरंभ करने जैसे आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

विवरण

वर्ष 2001–2002 (30 जून, 2001) तक के दौरान उन मुख्य मामलों की सूची, जिनमें 10 करोड़ रुपये और इससे अधिक उत्पाद शुल्क का कथित रूप से अपवंचन किया गया है।

क्र. सं.	कंपनियों के नाम	कथित अपवंचन की राशि करोड रुपयों में	उल्लंघन का स्वरूप
1	2	3	4
1.	टेल्को पिम्परी, पुणे	17.44	न्यून मूल्यांकन
2.	गुजरात गार्डियन लि. अंकलेश्वर	13.70	न्यून मूल्यांकन
3.	निटको बंगलौर	121.64	चोरी–छिपे माल हटाना
4.	जिंदल वीजानगर स्टील लि.	12.84	न्यून मूल्यांकन
5.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि.	40.51	धारा ॥ डी का उल्लंघन
6.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.	24.71	धारा ॥ डी का उल्लंघन
7.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.	22.01	धारा ॥ डी का उल्लंघन
8.	इण्डियन टोबेको लि.	10.18	नियम ए डी (2) के अंतर्गत शुल्क का भुगतान।

1	2	3	4
9.	एम.आर.पी.एल.	18.6	नियम 57 सीसी के अंतर्गत शुल्क का भुगतान न करना।
10.	आई. ओ. सी. लि. वडोदरा	398.99	शुल्क का अल्पोदग्रहण
11.	इंडो गल्फ कारपोरेशन लि.	47.22	शुल्क का भुगतान किए बिना माल की निकासी की गई
12.	एस्सार स्टील लि.	24.55	57क, 57च, ॥ क (i), ॥ क ख, ॥ क, ग
13.	मारूति उद्योग लि. दिल्ली	200.36	मॉडवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना।
14.	जै.सी.टी. लि.	13.85	मॉडवेट क्रैडिट का गलत लाभ उठाना
15.	कुमार कोट्स, हैदराबाद	10.29	निर्यात दायित्व को पूरा न करना
16.	अताश इंडस्ट्रीज, मुंबई	37.00	निर्यातोन्मुखी एककों द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहना
17.	आई.ओ.सी.लि.	63.99	निर्यात नियमों का उल्लंघन
18.	हनील इरा टैक्सटाइल लि.	14.01	कारखाने में प्रयुक्त भट्ठी तेल पर शुल्क
	जोड	1091.89	

वेतन से सीधे कटौती करने वाली बचत योजना

*369. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत संगठन ने पेरॉल बचत योजना नामक एक नई बचत योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाए जाने हेतु राष्ट्रीय बचत संगठन की विभिन्न योजनाओं की ब्याज दरों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू बचतों में वृद्धि किए जाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय, अल्प बचतों पर ब्याज दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अल्प बचत योजनाओं पर अभी भी निवेशकों का विश्वास बना हुआ है क्योंकि इनमें नकदी, उपलब्धता, कर–प्रोत्साहन और अन्तर्निहित सरकारी गारंटी के लाभों सहित इन स्कीमों की जोखिम प्रतिपल समीकरण निवेशकों के अनुकूल है।

(घ) सरकार द्वारा आकर्षक आय, कर–प्रोत्साहन, सरल नकदी, उपलब्धता और प्रचार अभियानों के माध्यम से जानकारी सुनिश्चित करके अल्प बचतों के जरिये संसाधन जुटाने में वृद्धि करने के लिए समय–समय पर कदम उठाए जाते हैं। घरेलू बचतों को बढ़ाने का प्रयास, बचत करने की क्षमता और इच्छा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है।

औद्योगिक विकास

*370. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान औद्योगिक विकास दर गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी कम रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में महीने–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक विकास दर में कमी के रूझान के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इस कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) वर्ष 2001–2002 के दौरान औद्योगिक विकास दर में सुधार लाने में ये कदम किस सीमा तक सहायक होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान औद्योगिक विकास दर, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई 6.1 प्रतिशत की तुलना में, 2.1 प्रतिशत रही है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन की विकास दर के माहवार ब्यौरे नीचे दर्शाये गये हैं:

माह	2000–2001	2001–2002
अप्रैल	6.5	3.3
मई	6.0	1.9
जून	5.9	1.5
अप्रैल–जून	6.1	2.1

(ग) औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

* सामान्य निवेश का वातावरण में मंदी का होना।
* संयुक्त राज्य अमेरिका एवं विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी का होना।
* पिछले दो वर्षों के दौरान अपेक्षाकृत कम कृषि का उत्पादन होने से समग्र मांग में कमी आना।
* स्टॉक मार्किट के खराब कार्य–निष्पादन से उपभोक्ताओं और कारोबारियों के विश्वास में कमी आ जाना।
* अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबधित बाधाओं का जारी रहना तथा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को आकृष्ट करने में विफलता।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल शुरू किये हैं। इन उपायों को सामान्यतः भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने तथा विशेष रूप से समग्र मांग में वृद्धि करने, अवसंरचनात्मक आधार में सुधार करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन, श्रम में लोच लाने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लक्षित किया गया है। हाल ही में शुरू की गई कुछ नीतिगत पहले संक्षेप में नीचे दी गई है:–

* कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल सीमा शुल्क घटा दिया गया है।
* उत्पाद शुल्क को सेनवेट की एक दर और विशेष उत्पाद शुल्क (एस.ई.डी.) की एकदर के साथ युक्तिसंगत बना दिया है।
* वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू. एफ.एस.) के अधीन बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गयी है।
* लघु बचतों पर ब्याज दर कम कर दी गई है।
* चालू बजटीय आबंटनों के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है।
* उद्योग के संचालन माहौल में सुधार लाने हेतु उपयुक्त वैधानिक परिवर्तन करने के भी प्रस्ताव किए गए हैं।
* भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी बढ़ाने और ऋण की लागत को कम करने के लिए नकद आशला अनुपात और बैंक दर में कमी कर दी है।
* अवसंरचना संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्युत, सड़कों, दूर संचार एवं पत्तनों में सुधार लाने के लिए अनेक प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।
* नई निर्यात–आयात नीति ने घरेलू उत्पादकों की तुलना में आयातों को समान अवसर प्रदान करने का सुनिश्चय करने का ध्यान रखा गया है।

इन सभी उपायों से औद्योगिक उत्पादन में सुधार लाने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बशर्ते कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन में सकारात्मक विकास दर प्राप्त हो सके और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार हो।

[हिन्दी]

पाटनरोधी जांच

***371. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**

श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाटनरोधी जांचों की संख्या में भारत का विश्व में चौथा स्थान है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए पाटनरोधी मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की अनुशंसा वाले मामलों की संख्या कितनी है और वे देश और वस्तुएं कौन–कौन सी हैं जिनके संबंध में अनुशंसाएं की गई हैं;

(घ) निर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने वाले मामलों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या अनेक देशों ने भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर आपत्ति की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त आपत्तियों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योगों को किस सीमा तक संरक्षण दिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। 1 जुलाई 1999–30 जून, 2000 की अवधि के लिए डब्ल्यू टी ओ की रिपोर्ट, 2001 के अनुसार प्रभावी पाटनरोधी उपायों के संबंध में भारत का स्थान अमरीका, यूरोपीय समुदाय और दक्षिण अफ्रीका के बाद चौथा है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए पाटनरोधी मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	जांच शुरूआत	संस्तुत प्रारंभिक निष्कर्ष	संस्तुत अंतिम निष्कर्ष
1999–2000	19	22	15
2000–2001	27	24	17

* पूर्ववर्ती वर्षों में शुरु किए गए मामले भी शामिल हैं।

(ग) 1992 से 88 मामलों में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है। 68 उत्पादों के बारे में पाटनरोधी जांच की गई है जिसमें 37 देश शामिल हैं। शामिल देश हैं ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, अमरीका, जापान, चीन जनवादी गणराज्य, रुस, कजाकिस्तान, जर्मनी, थाईलैण्ड, डेनमार्क, कनाडा, इण्डोनेशिया, स्पेन, इटली, बेल्जियम, आस्ट्रिया, फ्रांस, ताईवान, मलेशिया, उक्रेन, पुर्तगाल, रोमानिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, मैसिडोनिया, यूरोपीय संघ, चैक गणराज्य, हांगकांग, सिंगापुर, द. अरब, ईरान, पोलैण्ड, यू.के., हंगरी, यूएई और नेपाल।

शामिल उत्पाद हैं – पीवीसी रेजिन, बस्फोनेल ए, पोटेशियम परमैंग्नेट, आइसोबुटाइल बेंजीन, 3, 4, 5 ट्रीमेथोक्सी बेंजाल्डीहाइड, थिओफिटलीन एण्ड कैफीन, एक्रिलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़, सोडियम फैरोसाइनाइड, डेड ब्रंट मैग्नेसाइट, लो कार्बन फैरो क्रोम, 8–हाइड्रोक्सी क्वीनोलीन, एक्रिलिक फाइबर्स, कैटालिस्ट, न्यूजप्रिंट, प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड, ग्रेफाइड इलैक्ट्रोड्स, विटामिन–सी, मैग्नेशियम, मेट–कोक, पालिस्ट्रीन, हॉट रॉल्ड कॉयल्स, लोवास्टेटिन, आर्थो कलोरो बेन्जाल्डिहाइड, कैल्शियम कार्बाइड, फ्यूज्ड मैग्नेशिया, पी टर्ट बुटाइल केटाकोल, सिट्रीक एसिड, औद्योगिक सिलाई मशीन की सुईयां, एथीलीन प्रापीलीन डिएन रबड़, स्टेरीन बुटाडीन रबड़, हार्ड फेराइट रिंग मैग्नेट्स पाली ट्रेटा फ्लूरो एथीलीन, पालिस्टर स्टेपल फाइबर, नाइलोन, टायर कोर्ड फेब्रिक, थर्मल सिंसेटिव पेपर, सोडियम साइनाइड, बेरियम कार्बोनेट, सीमलैस टयूब, आप्टिकल फाइबर, सोडा एश, मेट्रोनिडाजोल, ओक्सो एल्कोहल, एनीलीन, बीएण्ड डब्ल्यू फोटोग्राफिक पेपर, सोडियम नाइट्रेट, थैलिक एनहाइड्राइड, हाइड्रोक्साइल, एमिन सल्फेट, ट्रिमेथोप्रिम, पालिस्टर फिल्म, कास्टिक सोडा, फैरो सिलिकोन, सीमलैस ग्रेड अलाय आदि, स्टोनिटयम कार्बोनेट, ड्राइसैल बैटरीज, फास्फोरिक एसिड पैरासिटामोल, स्पोर्ट शूज, सोडियम हाइड्रोसल्फाइट, लीड एसिड बैटरीज, कोलाइन, क्लोराइड, जिंक आम्साइड, एनाल्जीन, हाई स्टेरीन

कोपोलिमर रबड़, पार्शियली ओरिएन्टेड यार्न, सफेद सीमेंट, फेक्सामाइन, विटामिन, एडी 3 और 2 मिथाइल (5) नाइट्रो इमिडेजोल।

(घ) 1992 से 81 उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

(ङ) किसी देश द्वारा न तो कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज की गई है और न ही डब्ल्यू टी ओ के अंतर्गत विवाद निपटान तंत्र को कोई मामला भेजा गया है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

(ज) जब अनुचित व्यापार के तरीके अपनाए जाते हैं तो उपचारात्मक उपाय के रुप में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाते हैं। अतः घरेलू उद्योग को प्रदत्त संरक्षण का मूल्यांकन करना और उसकी मात्रा का आकलन न करना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोन

*372. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने की सरकार की योजना आरंभ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्थापित विशेष आर्थिक जोनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जोनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को आकर्षित करने हेतु नवीनतम अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ-साथ वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराये गये हैं;

(घ) ये जोन निर्यात प्रसंस्करण जोनों से किस सीमा तक भिन्न हैं;

(ङ) क्या उक्त विशेष आर्थिक जोनों के कारण विदेशी निवेश पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) मार्च, 2000 में घोषित निर्यात आयात नीति (1997-2002) में सरकार ने देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड) स्थापित करने हेतु एक नीति लागू की है। इस नीति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार को कोई नया एसईजैड स्थापित नहीं करना है। तथापि इस योजना में सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्रों में अथवा राज्य सरकारों द्वारा एसईजेड स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को भी विशेष क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है।

उपरोक्त नीति के अनुसरण में सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), कांडला और सूरत (गुजरात) में स्थित चार निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को 1.11.2000 से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र में पोजिटरा (गुजरात) में और राज्य सरकारों द्वारा द्रोणागिरि (महाराष्ट्र), नांगुनेरी (तमिलनाडु), कुल्पी (पश्चिम बंगाल), पाराद्वीप तथा गोपालपुर (उड़ीसा), भदोही, कानपुर और ग्रेटर नौएडा (उ. प्र.), काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश), इंदौर (मध्य प्रदेश) तथा हासन (कर्नाटक) में उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सिद्धांत रुप में स्वीकृति दे दी गई है। ये जोन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) एसईजेड में कला अवस्थापना की दशा में विकास हेतु दी गई सुविधाओं और प्रोत्साहनों में शामिल हैं-एसईजेड के विकास के लिए अपेक्षित समान के लिए रियायती सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में से छूट तथा आयकर अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत हकदारियां। एसईजेड की इकाइयों को दी गई सुविधाएं और प्रोत्साहन ये हैं-पूंजीगत समान, कच्चा माल, उपयोज्य वस्तुओं आदि के आयात/घरेलू खरीद पर सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क में छूट, केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति, विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ईईएफसी खाते में 100% विदेशी मुद्रा प्राप्तियों को बनाए रखने की सुविधा और सरल क्रियाविधियां।

(घ) ईपीजेड और एसईजेड के बीच प्रमुख अन्तर में ये बाते हैं-

(i) ईपीजैड के मामले के विपरीत इसमें किसी न्यूनतम निर्यात निष्पादन अथवा निवल विदेशी मुद्रा अर्जन की आवश्यकता नहीं है। (ii) पूर्ण शुल्क का भुगतान करने पर घरेलू बिक्रियों की सुविधा जबकि ईपीजेड इकाइयों के लिए यह 50% है। (iii) ईईएफसी खाते में 100% निर्यात आय रखने की सुविधा जो ईपीजेड के लिए 70% तक है, (iv) सरलीकृत सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्रियाविधि।

(ङ) और (च) एसईजेड योजना के कारण विदेशी निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं है क्योंकि नए समेकित एसईजेड कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरणों में है।

सीमेंट उत्पादन मे कमी

*373. **श्री विनय कुमार सोशके :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उत्पादकों ने मूल्य वृद्धि को औचित्यपूर्ण बताने के लिए जुलाई, 2001 से उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत तक की और कमी है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में इस 'मांडुलित' कमी के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, जो उत्पादन संघ बनाकर और प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार व्यवहारों के माध्यम से बाजार में हेर–फेर करते हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) * सीमेंट उद्योग वर्ष 1989 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

* सरकार सीमेंट के उत्पादन और मूल्यों पर नियंत्रण अथवा विनियमन नहीं करती है।

* मांग तथा आपूति संबंधी बाजार तंत्र उत्पादन व मूल्यों के स्तर को निर्धारित करते हैं।

* सीमेंट का उत्पादन मानसून अवधि में अर्थात् जुलाई से सितम्बर तक की अवधि के दौरान कम किए जाने की प्रवृत्ति है क्योंकि उक्त अवधि में मांग कम रहती है। वर्ष 1997–98 से जुलाई, 2001–02 की अवधि के दौरान सीमेंट उत्पादन के तिमाही आंकड़े नीचे दर्शाये गये हैं:–

मिलियन टन में

गास	उत्पादन				
	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02
अप्रैल–जून	18.97	19.93	24.46	25.47	26.36
जुलाई–सितम्बर	16.87	17..75	20.93	21.56	7.36 (जुलाई)
अक्तूबर–दिसंबर	19.33	20.18	22.53	22.62	–
जनवरी–मार्च	21.57	23.81	26.29	25.87	–
जोड़	76.74	81.67	94.21	93.52	–

* ऊपर दिये गये आंकड़ों से प्रतीत होता है कि मानसून सत्र में सीमेंट उत्पादन में कमी आई है, जो बाद में मांग में वृद्धि होने से बढ़ा है।

* उत्पादन में मौसमी अन्तराल एक सामान्य बात है, जिसका सीमेंट उत्पादकों द्वारा जानबूझकर सीमेंट उत्पादन किये जाने से संबंधित कोई क्रियाकलाप सिद्ध नहीं होता है। वास्तव में, प्रत्येक वर्ष सीमेंट का वार्षिक उत्पादन बढ़ा है, केवल वर्ष 2001–02 में (0.73%) की सीमांतिक कमी को छोड़कर।

* बाजार में सीमेंट की कमी होने से संबंधित कोई सूचना नहीं मिली है।

* दिसंबर, 2000 और जनवरी, 2001 महीनों के दौरान सीमेंट के, मूल्यों की तुलना में जुलाई, 2001 महीने में सीमेंट के मूल्यों में गिरावट आई है, जिसे संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। यहां तक कि अगस्त मास के पहले पखवाड़े में भी मूल्य या तो स्थित रहे हैं अथवा सीमांतिक कमी आई है।

(ख) एम.आर.टी.पी. के पास कोई विशिष्ट शिकायत नहीं है, जिसमें कि सीमेंट विनिर्माताओं द्वारा उत्पादक–संघ का गठन करके उत्पादन में 10% से 15% तक "मोडूलेटेड" कटौती करने संबंधी सुझाव दिया गया है।

(ग) सरकार ने घरेलू मूल्यों को स्थिर करने के उद्देश्य से सीमेंट का आयात शुल्क 35% से घटाकर 25% कर दिया है। तथापि, यदि आवश्यकता पड़ी तो सरकार इस संबंध में जनहित में उपचारात्मक उपाय करने में कोई संकोच नहीं करेगी।

विवरण															
	दिसंबर 2000	जन. 2001	फर. 01	मार्च, 01	अप्रैल, 01	4–मई, 01	28–जून, 01	31.7.2001	दिस. 2000/ जन.2001 में मूल्य		13 अगस्त, 01	दिसम्बर/जनवरी के मूल्य से 13.8.01 को की गयी कमी		दिसम्बर/जनवरी की तुलना 13.8.01 को मूल्य में % कमी	
	न्यून. अधि.	न्यून. अधि.	न्यून. अधि.	न्यून. अधि.	न्यून. अधि.	न्यून. अधि.	न्यून. अधि.	न्यून. अधि.	न्यून. अधि.	दिनांक	न्यून. अधि.	न्यून	अधि.	न्यून	अधि.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उत्तरी क्षेत्र															
दिल्ली	133–156	149–155	140–152	140–146	140–152	143–145	124–126	142–144	152–156	8.12.00	140–42	12	14	7.89	8.97
करनाल	152–155	152–155	146–155	143–151	146–155	149–151	135–137	148–150	152–155	8.12.00	146–148	6	7	3.95	4.51
चंडीगढ़	136–160	158–165	159–165	154–161	154–165	163–165	148–150	156–158	163–165	19.1.01	156–158	7	7	4.29	4.24
जयपुर	121–145	143–145	136–145	135–141	135–150	148–150	115–117	131–133	143–145	8.12.00	131–133	12	12	8.39	8.28
रोहतक	132–150	145–150	145–150	142–147	143–150	146–148	125–127	143–145	148–150	8.12.00	141–143	7	7	4.73	4.67
भटिंडा	134–160	163–165	158–165	154–163	154–164	161–163	140–142	155–158	163–165	5.1.01	156–158	7	7	4.29	4.24
लुधियाना	138–165	168–170	164–170	156–166	158–170	165–168	151–153	155–157	168–170	5.1.01	155–157	13	13	7.74	7.65
जम्मू	185–192	195–200	192–200	192–200	192–198	190–195	190–192	190–192	195–200	5.1.01	190–192	5	8	2.56	4.00
शिमला	150–163	165–170	165–170	165–170	165–170	165–170	160–165	165–168	165–170	5.1.01	155–168	0	2	0	1.18
पूर्वी क्षेत्र															
कलकत्ता	124–170	160–165	155–165	153–163	152–158	152–157	132–137	142–147	160–170	29.12.00	142–147	18	23	11.25	13.53
पटना	120–170	130–160	131–160	131–160	135–165	140–160	135–151	410–156	140–170	29.12.00	140–156	0	14	0.00	8.24
भुवनेश्वर	128–160	147–161	147–161	145–162	145–162	145–160	130–137	125–140	158–161	29.12.00	128–137	30	24	18.99	14.91
गुवाहटी	160–184	182–184	180–184	182–184	182–184	182–184	182–184	182–184	182–184	8.12.00	182–184	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
मुजफ्फरपुर	132–173	131–163	132–153	131–163	135–168	140–162	135–154	135–158	152–173	29.12.00	135–158	17	15	11.18	8.67
सिलचर															
पश्चिमी क्षेत्र															
मुंबई	160–180	181–185	180–185	178–185	170–185	170–185	170–175	175–180	180–185	5.1.01	175–180	5	5	2.77	2.70
अहमदाबाद	1125–165	155–165	156–163	151–161	150–157	150–155	152–157	152–157	163–165	5.1.01	152–157	11	8	6.75	4.85
नागपुर	137–158	153–160	154–160	152–157	148–155	146–150	128–135	144–148	157–160	19.1.01	144–148	13	12	8.28	7.50
पुणे	150–168	166–174	169–174	165–174	158–168	158–161	128–132	155–159	169–174	19.1.01	155–160	14	14	8.28	8.05
राजकोट	124–160	158–163	156–163	150–161	150–157	150–155	152–157	152–157	160–163	12.1.01	152–157	8	6	5.00	3.68
बडोदा	125–162	158–165	156–163	150–161	150–157	150–155	152–157	152–157	158–165	5.1.01	152–157	6	8	3.80	4.85
सूरत	125–165	158–163	157–163	150–162	150–157	150–155	152–157	152–157	161–162	22.12.00	152–157	9	8	5.59	4.84
दक्षिणी क्षेत्र															
चेन्नई	170–190	175–190	170–190	165–185	165–180	160–180	155–165	160–170	175–190	29.12.00	160–170	15	20	8.57	10.52
तिरुअनन्तपुरम	180–195	185–198	181–198	178–194	178–192	175–192	180–190	180–190	185–198	19.1.01	180–190	5	8	2.70	4.04
बंगलोर	160–175	160–180	157–180	153–173	160–172	158–170	160–170	160–170	165–180	19.1.01	160–170	5	10	3.03	5.56
हैदराबाद	145–160	146–160	145–160	135–156	135–150	135–148	150–160	150–160	150–160	19.1.01	150–160	0	0	0	0
कालीकट	180–195	180–195	178–195	173–191	173–188	173–186	180–190	180–190	180–195	22.12.00	180–190	0	5	0	256
विशाखापट्नम	160–170	155–170	150–170	145–182	148–158	142–150	155–165	155–165	165–170	8.12.00	155–165	10	5	6.06	2.94
गोवा	133–150	148–165	160–165	152–165	152–155	150–155	150–155(*)	145–150	160–165	26.1.01	145–150	15	15	9.38	9.09
केन्द्रीय क्षेत्र															
लखनऊ	130–150	142–155	142–155	142–150	146–154	150–152	135–145	142–148	152–155	26.1.01	142–148	10	7	6.58	4.52
मेरठ	130–155	145–152	140–152	140–148	145–148	145–148	135–140	140–142	150–155	28.1.01	142–145	8	10	5.33	6.45
फैजाबाद	115–150	138–152	148–152	143–151	146–150	148–150	135–145	140–145	148–152	26.1.01	138–142	10	10	6.76	6.58
बरेली	130–150	145–152	141–150	141–148	141–150	145–150	135–140	140–145	145–152	5.1.01	136–142	9	10	6.21	6.58
भोपाल	115–180	153–160	148–158	145–158	145–152	140–145	130–140	132–142	153–160	5.1.01	35–140	18	20	11.76	12.50

(*) की स्थिति के अनुसार 15.6.01

प्रमुख खपत केन्द्रों में अगस्त के प्रथम सप्ताह में मूल्य स्थिर रहे हैं।

सिनेमा को समवर्ती सूची में रखा जाना

374. **मोहम्मद शहाबुद्दीन :**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 2001 में आयोजित राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में हुई सहमति के अनुसार सिनेमा को भारत के संविधान की राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाए जाने के मुद्दे पर सर्वसम्मति प्राप्त करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो की गई सिफारिशों और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन सिफारिशों को राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है;

(च) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं; और

(छ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (छ) 'सिनेमा' विषय को समवर्ती सूची में शामिल करने संबंधी प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ विचार किया गया है। तथापि, इस मामले में कोई सहमति नहीं हो सकी है। दिनांक 21.1.2001 को नई दिल्ली में हुए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सूचना एवं चलचित्रिकी मंत्रियों के 24वें सम्मेलन में इस मामले पर चर्चा हुई थी। उनकी सिफारिशों के अनुसरण में, फिल्मों सहित मनोरंजन क्षेत्र के विकास हेतु सूचना और प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें नौ राज्यों के सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री शामिल किए गए हैं जिसमें मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित अन्य मुद्दों के साथ–साथ इस विषय पर भी विचार किया जाएगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है।

इस मंत्रालय के दिनांक 14.2.2001 के आदेश सं. 103/1/2001 द्वारा गठित समिति का गठन निम्न प्रकार से है:–

(1) केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अध्यक्ष

(2) केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री–उपाध्यक्ष

(3) सूचना और जन सम्पर्क मंत्री, असम सरकार

(4) सूचना और जन सम्पर्क मंत्री, गुजरात सरकार

(5) सूचना और जन सम्पर्क मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार

(6) सूचना और जन सम्पर्क मंत्री, झारखण्ड सरकार

(7) सूचना और जन सम्पर्क मंत्री, कर्नाटक सरकार

(8) सूचना और जन सम्पर्क मंत्री, महाराष्ट्र सरकार

(9) सूचना और जन सम्पर्क मंत्री, मिजोरम सरकार

(10) सूचना और जन सम्पर्क मंत्री, राजस्थान सरकार

(11) सूचना और जन सम्पर्क मंत्री, तमिलनाडु सरकार

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:–

(1) केन्द्र तथा राज्यों, दोनों के लिए एक नीतिगत ढांचे का सुझाव देना जो मनोरंजन क्षेत्र के विकास में सहायक हो।

(2) मनोरंजन क्षेत्र के बदलते/उभरते परिदृश्य के कारण वैधानिक तथा विनियामक ढांचे में परिवर्तन के सुझाव देना।

(3) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ शिक्षा, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर निर्माण सुविधाओं के बारे में अतिरिक्त आधारभूत आवश्यकताओं का पता लगाना।

(4) निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।

(5) सिनेमा को वित्त उपलब्ध कराने के तरीकों का पता लगाना।

(6) कराधान प्रणाली की समीक्षा करना तथा ऐसे परिवर्तन सुझाना जो और अधिक राजस्व अर्जित करने में सहायक हों और साथ ही मनोरंजन क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हों।

(7) मनोरंजन क्षेत्र की क्षमताओं का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इससे जुडे या आनुषंगिक अन्य मुद्दे।

विपणन और निर्यात लागत में कमी लाने हेतु राज सहायता

*375. **श्री जी.एम. बनातवाला : क्या वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं और कृषि तथा अन्य उत्पादों के विपणन और निर्यात की लागत में कमी लाए जाने की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या संचालन और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उक्त नियात लागतों में कमी करने हेतु और अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन एवं माल भाड़े की लागत में कमी लाए जाने हेतु विश्व व्यापार संगठन के अनुरुप राज–सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) हालांकि कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार (एओए) के अन्तर्गत निर्यात राजसहायता प्रतिबंधित है, तथापि कृषि संबंधी करार के लागू होने के समय पर राज सहायता प्रदान करने वाले देशों के लिए 1986–1990 के आधार स्तर से छः वर्ष की अवधि मे मूल्य के रुप में 36% की दर से तथा मात्रा के रूप में 21% की दर से कटौती संबंधी वचनबद्धताएं करनी अपेक्षित हैं तथापि विकासशील देशों के मामले में कटौती संबंधी वचनबद्धताएं दस वर्ष की अवधि में मूल्य के रुप में 24% तथा मात्रा के रुप में 14% की है। और विकासशील देशों के लिए क्रिया'न्वयन अवधि के दौरान हैंडलिंग, उन्नयन तथा अन्य प्रसंस्करण लागत सहित कृषि उत्पादों के विपणन निर्यात लागत को कम करने और निर्यात पोतलदानों पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं भाड़े तथा अंतर्देशीय परिवहन भाड़ा प्रभारों की लागतों को कम करने के लिए निर्यात राज सहायता के संबंध में कोई कटौती संबंधी वचनबद्धता अपेक्षित नहीं है। जहां तक कृषि संबंधी करार में शामिल न होने वाली वस्तुओं का संबंध है, राजसहायता एवं प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार में प्रति व्यक्ति 1000/– अमरीकी डालर से कम वार्षिक जीएनपी उत्पाद वाले विकासशील देशों के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के जोखिम के बिना 3% तक निर्यात राजसहायता प्रदान करने की अनुमति है।

भारत में कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछेक विनिर्दिष्ट कृषि मदों के निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय भाड़े की लागत में कमी लाने के लिए कुछ राजसहायता प्राप्त करते हैं।

कृषि उत्पादों के विपणन निर्यातों की लागत में कमी लाने के लिए डब्ल्यू टी ओ से सुसंगत सहायता की व्यवस्था कृषि–निर्यात क्षेत्र संबंधी योजना तथा बाजार पहुंच संबंधी प्रोत्साहन योजना की गई है।

दक्षिणी राज्यों को आपूर्त किए गए गेहूं के मूल्यों में कमी

*376. **श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से दक्षिणी राज्यों की गेहूं मिल वालों को आपूर्ति किए जाने वाले गेहूं के मूल्य में कमी किए जाने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने दक्षिणी राज्यों के अनुरोध को मान लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। दक्षिणी राज्यों के गेहूं मिल–मालिकों के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले गेहूं के मूल्यों में कमी करने के लिए कर्नाटक रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, तमिलनाडु रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, कनफेडेरेशन आफ रोलर फ्लोर मिल्स आफ सदन स्टेटस, चैन्नई और केरल रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। गेहूं की खुली बिक्री की दरें भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे जा रहे गेहूं की आंचलिक आर्थिक लागत और रखरखाव लागत, दर घटकों और ढुलाई प्रभारों आदि जैसे संगत घटकों को हिसाब में लेकर अंचल–वार निर्धारित की जाती है। दक्षिणी अंचल के संबंध में ये दरें सामान्यतया अन्य

अंचलों के लिए लागू दरों की तुलना में परिवहन प्रभारों के कारण अधिक होती हैं।

[हिन्दी]

चीनी का निर्यात

*377. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व में चीनी की बढ़ती हुई मांग और चीनी का निर्यात करने वाले अन्य देशों में चीनी उत्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए चीनी के निर्यात को बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का बेहतर समन्वय हेतु निर्यातक देशों के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न निर्यातक देशों के लिए इस वर्ष चीनी का निर्यात मूल्य कितना निर्धारित किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) सरकार ने चीनी के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) निर्यात के प्रयोजन की चीनी को लेवी दायित्व से छूट दी गई है। यह छूट 30.9.2001 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी बाद में हो, उपलब्ध है।

(ii) वाणिज्यिक निर्यात के लिए निर्यात की गई मात्रा को अग्रिम मुक्त बिक्री की निर्मुक्ति समझा जाए जिसे निर्मुक्ति की तारीख से 12 महीने की अवधि के पश्चात समायोजित किया जाए।

(iii) निर्यातित चीनी की पोत पर्यन्त निःशुल्क कीमत की 5 प्रतिशत की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गयी है।

(iv) चीनी के निर्यात के संबंध में मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया है। चीनी के निर्यात के प्रयोजनार्थ कृषिगत और संसाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के पास पंजीकरण की अपेक्षा को भी 1.4.2001 से समाप्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि चीनी का निर्यात पूर्णतया मुक्त है और चीनी के निर्यात मूल्य गुणवत्ता तथा चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जैसे कुछ घटकों पर निर्भर करते हैं।

(घ) सरकार किसी भी देश के लिए चीनी का निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं करती है।

[अनुवाद]

ट्रिप्स के क्षेत्राधिकार से दवाओं को बाहर रखना

*378. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एड्स की दवाओं को ट्रिप्स और गैट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में एड्स की दवाओं और अन्य जीवनरक्षक दवाओं को ट्रिप्स के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने हेतु कोई पहल की है;

(ग) क्या ट्रिप्स के नवीन प्रावधान–पेटेंट के कारण एड्स की दवाओं के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) ट्रिप्स के अनुपालन में अन्य देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित एड्स की दवाओं का मूल्य कितना है और इन्हीं दवाओं का भारत में मूल्य कितना है; और

(च) इस संबंध में उनके मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मिलकर क्या समन्वयकारी प्रयास शुरू किए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) डब्ल्यूटीओ की बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) की परिषद के दिनांक 20 जून, 2001 को आयोजित विशेष सत्र में भारत ने 46 अन्य विकासशील देशों के साथ "ट्रिप्स एवं लोक स्वास्थ्य" पर एक संयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इस संयुक्त दस्तावेज में मांग की गई है कि डब्ल्यूटीओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रिप्स करार से अपनी खुद

की लोक स्वास्थ्य नीतियाँ तैयार करने और दवाओं के लिए सामर्थ्य योग्य पहुंच उपलब्ध करने हेतु उपाय अपनाने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्यों का अधिकार कम न हो। ट्रिप्स करार की व्यवस्था में और अधिक लोचशीलता तथा स्पष्टता की मांग की गई है ताकि आवश्यक दवाओं और जीवन रक्षक औषधियों के लिए सामर्थ्य योग्य पहुंच उपलब्ध कराने की विकासशील देशों की लोक स्वास्थ्य संबंधी चिन्ताओं का ध्यान रखा जा सके।" "कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं" के निवारण के एक भाग के रूप में भारत ने अन्य समान विचारों वाले देशों के समूहों के साथ डब्ल्यूटीओ में पहले इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि ट्रिप्स करार के अनुच्छेद 27.3 (ख) के तहत पेटेन्टनीयता के अपवादों की सूची में विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक औषधियों की सूची को भी शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (च) मौजूदा भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1970 और उसमें किए गए संशोधनों में भारत में फार्मास्यूटिकल उत्पादों तथा दवाओं के लिए केवल पेटेन्ट प्रक्रिया का प्रावधान है और ट्रिप्स के तहत भारत द्वारा फर्मास्युटिकल उत्पादों तथा दवाओं के लिए उत्पाद पेटेन्ट उपलब्ध करने का दायित्व केवल 1.1.2005 से प्रभावी होगा। ट्रिप्स करार में दवाओं की कीमतों का सीधे विनियमन करने हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है यद्यपि इसमें कुछेक परिस्थितयों में अनिवार्य लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है। इस समय भारत में एड्स की दवाओं की कीमतें सामान्यतः अन्य देशों में इन दवाओं की कीमतों से कम है। तथापि, सरकार द्वारा भारत में एड्स की दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखी जा रही है और यदि अपेक्षित हुआ तो पेटेन्ट अधिनियम 1970 के प्रावधानों तथा औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के तहत उचित उपाय किए जा सकते हैं। इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ नियमित रूप से समन्वय रखा जा रहा है।

पूंजी का बहिर्वाह

*379. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में स्थितियां अनुकूल न होने के कारण देश में पूंजी का बहिर्वाह हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन निधियों को वापस देश में लाने के लिए कोई माफी (एमनेस्टी) योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत, वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान क्रमशः 8.6 बिलियन अमरीकी डालर, 10.8 बिलियन अमरीकी डालर और 7.5 बिलियन अमरीकी डालर की अच्छी पूंजी प्राप्त हुई। पूंजी की ऐसी आमद भारत में उपयुक्त रूप से सुदृढ़ आर्थिक विकास एवं ठोस आर्थिक नीतियों के कारण ही हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अंत्योदय योजना

*380. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** :

श्री अनंत गुढे :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जुलाई, 2001 के जनसत्ता में अंत्योदय योजना के बारे में छपे समाचार की ओर आकृष्ठ किया गया है;

(ख) अंत्योदय योजना की विफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अंत्योदय योजना को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह कहना सच नहीं है कि अंत्योदय अन्न योजना विफल हो गई है। संदर्भाधीन समाचार में ऐसे किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें उचित दर दुकान मालिक द्वारा अंत्योदय अन्न योजना के खाद्यान्नों को ऊंचे मूल्यों पर बेचा गया हो अथवा अंत्योदय परिवारों के राशन कार्ड अपने पास रख लिए गए हों।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वसूली, भंडारण और भारतीय खाद्य

निगम के नामित गोदामों तक इनकी ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को इनका वितरण करने, राशन कार्ड जारी करने, उचित दर दुकानें खोलने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे सामाजिक लेखापरीक्षा उपाय के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष रूप से उचित दर दुकान स्तर पर पर्यवेक्षण और मानीटरिंग के कार्य में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करें। आशा है कि निम्नतम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने से यह प्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।

[अनुवाद]

सिंचाई टैंकों का आधुनिकीकरण

3794. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में 4,554 पंचायत राज लघु सिंचाई टैंकों के आधुनिकीकरण हेतु अपनी सहायता प्रदान करने का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नाबार्ड प्रस्तावित परियोजना के लिए अपनी सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो नाबार्ड ने अपनी सहायता किस सीमा तक दी;

(घ) प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत कितने टैंकों का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन्हें कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में लगभग 5000 पंचायत राज लघु सिंचाई टैंकों के आधुनिकीकरण के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत 100 करोड़ रु. के ऋण की मांग की है।

(ख) नाबार्ड उन परियोजनाओं की स्वीकृति पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिनमें प्रस्तावित निर्माण कार्य रख–रखाव प्रकृति के न हों और जिनमें सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता हो।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय अध्ययन करने के बाद इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया है। राज्य सरकार से कहा गया है कि खेती के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने के लिए प्रारंभ में छोटे–छोटे टैंकों को ही लगाएं।

(घ) नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि राज्य सरकार ने अब तक कुल 408.71 लाख रु. के परिव्यय वाले ऐसे 12 प्रस्ताव भेजे हैं। अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने के बाद इन परियोजनाओं का आगे और मूल्यांकन किया जाएगा।

(ङ) एक बार स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में आशा की जाती है कि स्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ही उन्हें पूरा कर लिया जाएगा।

एफ. सी. आई. द्वारा आटा मिलों के लिए गेहूं की व्यवस्था

3795. श्रीमती रेनु कुमारी :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ.सी.आई. आटा मिल–मालिकों को राज सहायता प्राप्त दरों पर गेहूं उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक एफ.सी.आई. द्वारा आटा मिल–मालिकों को उपलब्ध कराए गए गेहूं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी योजना के अंतर्गत राज सहायता प्राप्त दरों पर गेहूं को उपलब्ध कराया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) भारतीय खाद्य निगम समूचे देश में राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं की खुले बाजार में बिक्री योजना चलाता है। जोन–वार निर्धारित मूल्यों पर इस योजना के अधीन गेहूं की खरीदारी करने के लिए रोलर फ्लोर मिले भी पात्र हैं।

(ख) पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान रोलर फ्लोर मिलों सहित सभी पार्टियों द्वारा उठाई गई गेहूं की मात्रा निम्नानुसार है:–

2000–2001 2.93 लाख टन (अनंतिम)

2000–2002 2.66 लाख टन (अनंतिम)

(ग) और (घ) फिलहाल, कोई अन्य योजना नहीं चल रही है।

[हिन्दी]

एल.आई.सी. के नए शाखा कार्यालय

3796. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषकर बिहार में जीवन बीमा निगम की स्थान–वार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या सरकार के विचाराधीन विभिन्न राज्यों में एलआईसी की ओर अधिक शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सभी शाखाएं खोल दी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन कार्यालयों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में 2048 (दो हजार अड़तालीस) शाखा कार्यालय कार्य कर रहे हैं। इनमें से 101 (एक सौ एक) शाखा कार्यालय बिहार में स्थित हैं। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस समय नए शाखा कार्यालय खोलने के लिए निगम के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एल.आई.सी. के शाखा कार्यालयों का राज्य–वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2
हरियाणा	36
हिमाचल प्रदेश	23
जम्मू और कश्मीर	17
पंजाब	59
चण्डीगढ़ (सं.रा.क्षे.)	10
राजस्थान	110
दिल्ली (सं.रा.क्षे.)	65
उत्तर प्रदेश	247
मध्य प्रदेश	140
पश्चिम बंगाल	138
उड़ीसा	56
असम	50
बिहार	101
मेघालय	1
अण्डमान (सं.रा.क्षे)	1
सिक्किम	1
अरुणाचल प्रदेश	2
मिजोरम	1
मणिपुर	4
त्रिपुरा	4
नागालैंड	4
आन्ध्र प्रदेश	176
कर्नाटक	138
केरल	85
तमिलनाडु	173
पांण्डिचेरी (सं.रा.क्षे)	3
महाराष्ट्र	250

1	2
गोआ	11
गुजरात	141
दादर, नागर हवेली और दमन	1
जोड़	2048

[अनुवाद]

बर्न्स स्टैन्डर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड का पुनरुद्धार

3797. श्री सुनील खां :

श्री विकास चौधरी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की सवारी डिब्बा विनिर्माता इकाइयों को रेल मंत्रालय द्वारा कम क्रय आदेश दिए जाने के कारण घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण है;

(ग) सवारी डिब्बों के विनिर्माताओं को और अधिक खरीद देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं,

(घ) क्या बर्नस् स्टेन्डर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड की वैगन इंजीनियरिंग यूनिटें हाल ही में बी.आई.एफ.आर. द्वारा दिए जा रहे पुनरूद्धार पैकेज के बाद भी फिर से संकट का सामना कर रही है; और

(ङ) बर्न्स स्टेन्डर्ड वैगन की हावड़ा और बर्नपुर यूनिटों द्वारा सामना किये जा रहे संकट को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। वैगन क्रयादेशों तथा उनके मूल्यों में कमी के कारण हानि हुई है। बीबीयूएनएल की सहायिकाओं नामतः बीएससीएल, जेसप, ब्रेथवेट तथा बीडब्ल्यूईएल जो सरकारी क्षेत्र की 4 प्रमुख वैगन निर्माणकारी कंपनियां हैं, ने वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–2001 में सामूहिक रूप से क्रमशः 136.43 करोड़ रुपये, 128.32 करोड़ रुपये, 52.74 करोड़ रुपये, 104.17 करोड़ रुपये तथा 84.49 करोड़ रुपये (अनंतिम) की हानि उठाई है। बकाया वैगन क्रयादेशों और रेलवे द्वारा वैगन निर्माताओं को निःशुल्क आपूर्ति मद के रूप में आपूर्ति की जाने वाली विनिर्दिष्ट कॉर्टन स्टील (Corten Steel) के स्थान पर माइल्ड स्टील (Mild Steel) का प्रयोग करने के संबंध में सतर्कता नियंत्रणों के कारण, रेलवे क्रयादेश देने में असमर्थ रही है।

(ग) मामले को रेल मंत्रालय के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निर्यात बाजार और विविधिकरण की संभावनाओं का सक्रिय रूप से पता लगाने का परामर्श दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) बी.आई.एफ.आर. ने दिनांक 23.02.2001 को हुई सुनवाई में कंपनी के निष्पादन की समीक्षा की और एक संशोधित पैकेज तैयार करने का निदेश दिया।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क में रियायत

***3798. श्री पी. आर. खूंटे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित मदों के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत सुविधा उन अन्य उत्पादकों को भी दी जाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसी ब्रांड की मदों का उत्पाद कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) लघु उद्योग इकाईयों द्वारा विनिर्मित विनिर्दिष्ट प्रकार के माल के लिए, कुछेक शर्तों के साथ, उत्पाद शुल्क छूट उपलब्ध है। तथापि, किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम वाले माल के लिए छूट की अनुमति नहीं है, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जब ऐसा ब्रांड नाम वाला माल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित लघु उद्योग इकाईयों द्वारा विनिर्मित किया गया हो। लघु उद्योग

इकाईयों से भिन्न इकाईयों को इस तरह की किसी छूट की अनुमति नहीं है। लघु उद्योग इकाइयों में उत्पादन को प्रोत्साहन देने की नीति रही है और वह भी तब जब ऐसी इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हों।

औद्योगिक मंदी

3799. श्री जय प्रकाश : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग जगत धीरे–धीरे मंदी की ओर जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मंदी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार यह भी महसूस करती है कि वर्तमान औद्योगिक मंदी को दूर करने के लिए घरेलू मांग में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सी.आई.आई. ने भी इस संबंध में सरकार को कतिपय सुझाव दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी. नहीं। मंदी को, सकल घरेलू उत्पाद में दो क्रमिक तिमाहियों के नकारात्मक विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद और उद्योग की त्रैमासिक विकास दरें यह संकेत देती हैं कि अर्थव्यवस्था में धीमापन आ रहा है न कि मंदी।

	अक्तूबर–दिसंबर, 2000–01 (तीसरी तिमाही)	जनवरी–मार्च, 2000–01 (चौथा तिमाही)
सकल घरेलू उत्पाद	5.0	3.8
उद्योग	5.9	3.3

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उद्योग में धीमेपन को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले ही कदम उठाने शुरू कर दिये हैं। इनका लक्ष्य सामान्यतया भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार तथा विशेषकर समग्र मांग में वृद्धि, अवसंरचनात्मक आधार में सुधार, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, श्रम में नम्यता की शुरूआत तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाहों का प्रोत्साहन करना है।

(ङ) और (च) औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सी. आई. आई. ने निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया है:

* द्वितीय चरण के सुधारों की गति बढ़ाना;
* बजट (2001–02) में की गई नीतिगत घोषणाओं का तीव्र क्रियान्वयन।
* ग्रामीण क्षेत्र के पुनरुत्थान की प्रक्रिया तेज करने के लिए विशिष्ट कार्य।
* मंत्रालयों/विभागों के लिए बजट के अंतर्गत आबंटित निधियों का शीघ्रता से उपयोग।
* अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन।

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा

3800. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने उन सभी इकाईयों की वार्षिक लेखा परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है जो एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये अथवा इससे भी अधिक का भुगतान उत्पाद शुल्क के रूप में कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क का भुगतान करने वाली इकाईयों की लेखा परीक्षा के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां। बोर्ड ने सितम्बर, 2000 में इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि वे इकाईयां जो एक वित्तीय वर्ष में चालू खाते से एक करोड़ रुपये और उससे अधिक शुल्क अदा कर रही हैं उनकी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में लागू "ई. ए.–2000" नामक लेखा परीक्षा की आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अनिवार्य रूप से लेखा–परीक्षा की जायेगी।

(ग) सरकार ने वर्ष 1999 में लेखा–परीक्षा को युक्तिसंगत बनाने के उपाय किये थे जिनके तहत आधुनिक लेखा–परीक्षा तकनीकों और पद्धतियों का उपयोग करके नई लेखा परीक्षा पद्धति (ई. ए.–2000) को तैयार किया गया था। इस तरह की लेखा परीक्षा करने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को पूरे भारत में इस प्रयोजन के लिए व्यापक रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। वैज्ञानिक रुप से तैयार किया गया लेखा परीक्षा मैनुअल, मानक लेखा परीक्षा कार्यक्रम और कार्यकारी कागजात ई.ए.–2000 की प्रमुख विशेषताएं हैं।

(घ) जारी अनुदेशों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये और उससे अधिक किन्तु 1 करोड़ रुपये से कम शुल्क अदा करने वाली इकाइयों की लेखा–परीक्षा दो वर्ष में एक बार की जायेगी। तथापि, निर्धारिती की प्रोफाइल और जोखिम कारकों पर आधारित जोखिम निर्धारण पद्धति का उपयोग करके प्रथम वर्ष में लेखा–परीक्षा की जाने वाली इकाईयों की पहचान के लिए चयन की पद्धति को लागू किया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सलाहकार समिति

3801. प्रो. ए. के. प्रेमाजम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि'

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति तैयार किए जाने में सलाह देने हेतु उनकी अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सलाहकार समिति पुनर्गठित की है;

(ख) क्या भारतीय वस्तुओं की बाजार तक की पहुंच में वृद्धि करने हेतु रणनीतियों की अनुशंसा करने तथा विश्व परिदृश्य में हो रहे विभिन्न परिवर्तनों की जटिलताओं का विश्लेषण करने के लिए भी पैनल को प्राधिकृत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने वाणिज्य विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के संकल्प सं. 1/9/98–टीपीडी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। यह समिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति तैयार करने में सरकार को सलाह देती है। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं–डब्ल्यू टी ओ में चल रही वार्ताओं पर विचार–विमर्श करना और उनके लिए निविष्टियां प्रदान करना, विभिन्न देशों द्वारा भारतीय वस्तुओं के विरुद्ध लगाए जा रहे गैर–टैरिफ अवरोधों की जांच करना तथा उन्हें हटाने के लिए कार्रवाई करना, भारतीय वस्तुओं के लिए संवर्धित बाजार पहुंच हेतु कार्य नीतियों की सिफारिश करना, समुचित नीतिगत परिवर्तनों की सिफारिश करने की दृष्टि से विश्व परिदृश्य में हो रहे विभिन्न परिवर्तनों के प्रभाव का विश्लेषण करना, इत्यादि।

पुनर्गठित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सलाहकार समिति, की एक बैठक 12 जून, 2001 को हुई थी। समिति ने विभिन्न सुझाव दिए थे, जिनमें बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंध पहलुओं के करार (ट्रिप्स) की व्यापक समीक्षा करने की मांग शामिल थी ताकि विकासशील देशों को आवश्यक लोचशीलता तथा घरेलू नीति संबंधी विकल्प प्रदान किए जा सकें। समिति ने विकासशील देशों द्वारा उठाए गए क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों के शीघ्र निपटान हेतु जोर देने की भी सिफारिश की। क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों के निपटान से भारतीय वस्तुओं, विशेषकर कृषि तथा वस्त्रों के लिए बाजार पहुंच के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि ऊरुग्वे दौर के करारों का आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और खासकर कृषि तथा लघु उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु अध्ययन करवाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

राजस्थान में राजगढ़ दूरदर्शन केन्द्र का कार्य न करना

3802. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के राजगढ़ में स्थित एल. पी. टी. (कम शक्ति वाला टी.वी. प्रसारण केन्द्र) ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र में कोई भी प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस केन्द्र में एक प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारी को कब तक तैनात किया जायेगा ताकि राजगढ़ के लोग इस केन्द्र से लाभान्वित हो सके?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने बताया है कि राजस्थान के चुरू जिले के राजगढ़ में स्थित अल्प शक्ति ट्रान्समीटर तथा राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में स्थित अति अल्प शक्ति ट्रान्समीटर सामान्यतया संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) चुरू जिले के राजगढ़ स्थित अल्प शक्ति ट्रान्समीटर पर दो कर्मचारी तैनात हैं। अलवर जिले के राजगढ़ में स्थित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर एक स्वचालित ट्रांसमीटर है और वहां किसी कर्मचारी को तैनात करने का कोई विचार नहीं है।

[अनुवाद]

कॉफी बोर्ड कैफेटेरिया

3803. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने कॉफी बोर्ड कैफेटेरिया कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने कैफेटेरिया घाटे में चल रहे हैं;

(ग) इस संबंध में कॉफी बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या उनका पुनरूद्धार करने का कोई कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) देश में प्रचालनरत 11 भारतीय कॉफी गृहों में से केवल एक कॉफी गृह को 2000–01 के दौरान प्रचालनात्मक घाटा हुआ था।

(ग) से (ङ) कॉफी बोर्ड द्वारा समय–समय पर कॉफी गृहों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है और प्रचालनात्मक घाटे को कम करने/उससे बचने के लिए, जहां आवश्यक होता है, बेची जाने वाली मदों की कीमतों में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है।

पुनर्निर्माण कोष

3804. डा. वी. सरोजा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पुनर्निर्माण कोष की स्थापना के संबंध में मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त कोष की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गेहूं की खरीद

3805. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000–2001 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा का ब्यौरा क्या है,

(ख) वर्ष 2000 के दौरान राज्य में गेहूं की खरीद के लिए कितने केन्द्र खोले गए;

(ग) क्या राज्य में और अधिक केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) रबी विपणन मौसम 2000–2001 के दौरान हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम ने 4. 12 लाख टन गेहूं की वसूली की है।

(ख) 2000–2001 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा गेहूं की वसूली करने हेतु कुल 380 क्रय केन्द्र खोले गए थे। इनमें से 43 क्रय केन्द्र केवल भारतीय खाद्य निगम द्वारा चलाए गए थे और 34 क्रय केन्द्र राज्य सरकार/इसकी एजेंसियों के साथ संयुक्त रुप से चलाए गए थे। राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों ने 303 क्रय केन्द्र चलाए थे।

(ग) से (ङ) प्रत्येक रबी विपणन मौसम शुरू होने से पूर्व राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए भारतीय खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोले जाते हैं, ताकि किसानों को मजबूरन बिक्री और असुविधा से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क

3806. श्री सईदुज्जमा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उपभोक्ता वस्तुओं पर विशेषकर ट्माटो केचअपस्, पेय आदि प्रसंस्कृत खाद्यों पर उत्पाद शुल्क को पर्याप्त रूप से घटाया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं को इस संबंध में कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिनेरी एन. रामचन्द्रन): (क) बजट के बाद, उपभोक्ता वस्तुओं विशेष रुप से ट्माटो केचअपस्, पेय पदार्थों आदि जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर लागू उत्पाद शुल्क ढांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

अंत्योदय अन्न योजना

3807. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में अंत्योदय अन्न योजना को राज–सहायता के साथ कार्यान्वित करने हेतु एक योजना को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित और राज–सहायता के अंश की अनुमति दिए जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?;

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 25 दिसम्बर, 2000 को घोषित की गई अन्त्योदय अन्न योजना में एक करोड़ निर्धनतम परिवारों का पता लगाने तथा उन्हें उच्च राजसहायता प्राप्त दरों पर 2/– रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूं तथा 3/– रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल, प्रतिमाह प्रति परिवार 25 कि.ग्रा. की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने की परिकल्पना की गई थी।

अन्त्योदय परिवारों की नितान्त निर्धन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुझाव दिया है कि गेहूँ के लिए 2–/ रुपये प्रति कि.ग्रा. तथा चावल के लिए 3–/ रुपये प्रति कि.ग्रा. के खुदरा मूल्य को बनाए रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। पहचान करने के कार्य को पूरा किया जाने तथा लाभान्वित परिवारों को विशिष्ट राशन–कार्ड जारी करने के बाद, अभी तक इस योजना को 15 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में लागू किया गया है।

(ख) अनन्त्योदय अन्न योजना को संशोधित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार योजना के क्रियान्वयन पर 2221 करोड़ रुपये की वार्षिक राजसहायता वहन करेगी। अनन्त्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन पर राजसहायता का राज्यवार हिस्सा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों को प्रति माह 25 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से अंत्योदय परिवारों के लिए आबंटन करने में राज्यवार अंतर्ग्रस्त राजसहायता बताने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य में निर्धनतम परिवार (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का 15.33%) (अंत्योदय)	अंत्योदय परिवारों को 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर पर खाद्यान्नों का मासिक आबंटन (हजार टन में)	खाद्यान्नों के मासिक आबंटन का वर्तमान अनुपात के अनुसार चावल और गेहूं में विभाजन		अंतर्ग्रस्त मासिक राजसहायता	अंतर्ग्रस्त वार्षिक राजसहायता
				चावल	गेहूं		
				(हजार टन में)		(रुपये करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	622800	15.570	15.570	0.000	12.923	155.077
2.	अरुणाचल प्रदेश	15100	0.378	0.343	0.034	0.036	3.677
3.	असम	281500	7.038	7.038	0.000	5.841	70.094
4.	बिहार	1000000	25.000	10.000	15.000	17.750	213.000
5.	छत्तीसगढ़	287400	7.185	7.185	0.000	5.964	71.563
6.	दिल्ली	62600	1.565	0.000	1.565	0.986	11.831
7.	गोवा	7300	0.183	0.125	0.058	0.140	1.679
8.	गुजरात	325000	8.125	3.250	4.875	5.769	69.225
9.	हरियाणा	120900	3.023	0.000	3.023	1.904	22.850
10.	हिमाचल प्रदेश	78700	1.968	1.181	0.787	1.476	17.712
11.	जम्मू और कश्मीर	112900	2.823	2.147	0.676	2.207	26.490
12.	झारखंड	366500	9.163	3.665	5.498	6.505	78.065
13.	कर्नाटक	479700	11.993	9.594	2.399	9.474	113.689
14.	केरल	238200	5.955	5.955	0.000	4.943	59.312
15.	मध्य प्रदेश	632400	15.810	4.760	11.050	10.912	130.947
16.	महाराष्ट्र	1001700	25.043	8.765	16.278	17.530	210.361

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मणिपुर	25500	0.638	0.638	0.000	0.529	6.350
18.	मेघालय	28100	0.703	0.703	0.000	0.583	6.997
19.	मिजोरम	10500	0.263	0.263	0.000	0.218	2.615
20.	नागालैण्ड	18900	0.473	0.379	0.094	0.373	4.482
21.	उडीसा	505500	12.638	12.638	0.000	10.489	125.870
22.	पंजाब	71700	1.793	0.000	1.793	1.130	13.555
23.	राजस्थान	372600	9.315	0.107	9.208	5.890	70.679
24.	सिक्किम	6700	0.168	0.168	0.000	0.139	1.668
25.	तमिलनाडु	745500	18.638	18.638	0.000	15.469	185.630
26.	त्रिपुरा	45200	1.130	1.130	0.000	0.938	11.255
27.	उत्तराखंड	76300	1.908	1.243	0.664	1.450	17.405
28.	उत्तर प्रदेश	1637100	40.928	12.886	28.042	28.361	340.337
29.	पश्चिम बंगाल	793900	19.848	9.581	10.267	14.420	173.041
30.	अंडमान और निकोबार	4300	0.108	0.073	0.035	0.083	0.995
31.	चंडीगढ़	3500	0.088	0.010	0.078	0.057	0.685
32.	दादर और नागर हवेली	2800	0.070	0.050	0.020	0.054	0.649
33.	दमन और द्वीव	600	0.015	0.010	0.005	0.011	0.137
34.	लक्षद्वीप	400	0.010	0.010	0.000	0.008	0.100
35.	पांडिचेरी	12800	0.320	0.320	0.000	0.266	3.187
	जोड़	9994600	249.865	138.421	111.446	185.101	2221.208

खाद्यान्नों की आवाजाही

3808. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी चावल की आवक प्राप्त करने के लिये गोदामों पर दबाव कम करने हेतु सामान्य आवाजाही के अतिरिक्त 3 लाख टन सेला चावल की अतिरिक्त मात्रा को वहां से हटाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश के अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश में भंडारण सुविधाओं की भारी समस्या का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा चावल की एक राज्य से दूसरे राज्य में सुगम आवाजाही हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि भारतीय खाद्य निगम के भडारण बोझ को कम किया जा सके?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने मई, 2001 में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि वह भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दे कि वह सामान्य संचलन के अलावा प्रति माह 3 लाख टन सेला चावल की अतिरिक्त मात्रा को संचलन आंध्र प्रदेश से करे, ताकि आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त किए जा रहे लेवी चावल के लिए गोदामों में स्थान के दबाव को कम किया जा सके, लेकिन यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका। आंध्र प्रदेश को यह स्पष्ट किया था कि भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता के संतृप्त हो जाने के कारण विभिन्न वसूली राज्यों से संचलन का वांछित स्तर बनाए रखने में अत्यंत कठिनाई महसूस कर रहा है, लेकिन यह प्रयास किया जाएगा कि वसूली और संचलन इष्टतम हो। अनेक बाधाओं के बावजूद अप्रैल–जून, 2001 के दौरान आंध्र प्रदेश से प्रति माह लगभग 2.97 लाख टन चावल बाहर भेजा गया था जबकि 2000–2001 के दौरान प्रति माह 2.39 लाख टन और 1999–2000 के दौरान 2.36 लाख टन मात्रा बाहर भेजी गई थी।

(ग) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम अधिकांश खाद्यान्न वसूली राज्यों की तरह आंध्र प्रदेश में भंडारण सुविधाओं की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। चावल के लिए अतिरिक्त भंडारण स्थान सृजित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को आंध्र प्रदेश में सात वर्ष की गारंटी के आधार पर राज्य सरकार के माध्यम से लगभग 15 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने की अनुमति दी गई है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के स्टाक से खाद्यान्नों के उठान और संचलन में सुधार करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना आदि जैसी विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन करने के अलावा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का आबंटन 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया है। गरीबी रेखा से ऊपर के लिए खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य भी कम किए गए हैं।

निर्यात बढ़ाने के लिए परामर्शदाताओं की सेवा लेना

3809. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हमारे घरेलू उद्योगों के निर्यात को बढ़ाने के विचार से विदेश स्थित उद्योगों का अध्ययन करने के लिए परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अध्ययन हेतु किन देशों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) अध्ययन हेतु किन क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) सरकार द्वारा वैश्वीकरण के पश्चात् निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई; और

(च) यह निर्यात को बढ़ावा देने में किस सीमा तक सहायक होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) चूंकि निर्यात संवर्धन सरकार का एक सतत प्रयास है, इसलिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर अध्ययन कराए जाते हैं ताकि निर्यात संभाव्यता का पता लगाया जा सके और अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाया जा सके। ऐसे अध्ययनों के क्षेत्र में निर्यात संभाव्यता वाले विभिन्न मद–क्षेत्र तथा विभिन्न देश शामिल हैं।

(ङ) और (च) निर्यात वृद्धि में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं– विकेन्द्रीकरण के द्वारा सौदों की लागत में कमी करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण तथा एक्जिम नीति में वर्णित विभिन्न अन्न उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों के जरिए, थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान करके भी नियातों को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। निर्यातों में और वृद्धि करने के लिए विशेष आर्थिक ज़ोनों की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त, नई एक्जिम नीति 2001–2002 में बताए गए उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं–कृषिजन्य निर्यातों का संवर्धन, बाजार पहुंच कार्रवाई, व्यवसाय–सह–व्यापार सुविधा केन्द्र तथा व्यापार प्रवेशद्वार की स्थापना करना, अग्रिम लाइसैंस योजना को सुदृढ़ बनाना इत्यादि।

बी.आई.एफ.आर.

3810. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि'

(क) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने सरकार के बीआईएफआर को समाप्त करने के हालिया कदम का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा क्या प्रमुख आपत्तियां की गई; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को विशेष टैरिफ व्यवस्था

3811. श्री के. पी. सिंह देव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी आई आई (भारतीय उद्योग परिसंघ) ने भारत सरकार को पाकिस्तान को विशेष टैरिफ व्यवस्था का प्रस्ताव करने का सुझाव दिया है ताकि दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक संबंध कायम हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर भारतीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अधीनस्थ आर्थिक सेवा बनाने के लिए 5वें वेतन आयोग की सिफारिश

3812. डा. चरणदास महंत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अधीनस्थ आर्थिक सेवा बनाने की पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गए;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसमें तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) प्रस्तावित अधीनस्थ आर्थिक सेवा के कब से कार्य करने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बैंकों से ऋण

3813. श्री रघुनाथ झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रू

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने करोड़ों रुपए मूल्य के शेयर बैंकों के पास बंधक रखकर नये ऋण जुटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन ऋणों पर बैंकों द्वारा क्या ब्याज दर वसूल की जानी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) ने सूचित किया है कि नकदीकरण के मुद्दे का हल निकालते समय यूटीआई द्वारा विचारित विकल्पों में से एक विकल्प सहवर्ती के रूप में शेयरों को गिरवी रखकर बैंको से ऋण प्राप्त करना है। नकदीकरण की आवश्यकता यह विषय है जो यूएस–64 के अन्तर्गत यूनिट धारकों को प्रस्तावित सीमित पुनर्खरीद सुविधा के परिप्रेक्ष्य में सामने आया है। यूटीआई ने अभी कोई ऋण नहीं लिया है।

(ग) यूटीआई के अनुसार बैंकों ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों से कम पर ऋण देने का प्रस्ताव किया है।

दूरदर्शन मैट्रो चैनल

3814. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में टेलीविजन सेट दूरदर्शन का मेट्रो चैनल नहीं पकड़ते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) वर्तमान में, मुम्बई और नागपुर स्थित उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर और अम्बाजोगई और भंडारा स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर महाराष्ट्र में मैट्रो चैनल सेवा को रिले कर रहे हैं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र के हिस्से इन ट्रांसमीटरों द्वारा कवर किए जाते है और इन ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्रों में रहने वाले दूरदर्शन के दर्शक मैट्रो चैनल कार्यक्रम को देख सकेंगे।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में मैट्रो चैनल कवरेज के विस्तार के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। राज्य में डी डी मैट्रो चैनल कवरेज का और विस्तार करने के लिए औरंगाबाद और पुणे में दो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और अकोला, अमरावती, धूले, कोल्हापुर मालेगांव, नांदेड़, नासिक, सांगली और शोलापुर में 9 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है।

विदेशों में सम्पन्न व्यापार मेलों में भारत व्यापार संवर्धन संगठन की भागीदारी

3815. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विदेशों में सम्पन्न उन व्यापार मेलों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने भारतीय सहभागिता आयोजित की;

(ख) उक्त भागीदारी के दौरान किए गए व्यवसाय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मेलों के दौरान शुरू की गई अनेक व्यापारिक वार्ताओं से अपेक्षित स्तर तक क्रयादेश प्राप्त नहीं हो सके हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान आयोजित मेलों तथा इससे किए गए व्यवसाय के ब्यौरे (जैसाकि भागीदारों द्वारा सूचना दी गई है) क्रमशः विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) मेले के दौरान शुरू की गई व्यापार वार्ता पर क्रेताओं के साथ संबंधित भागीदारी द्वारा सीधे ही अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। मेले के समाप्त होने के बाद भी भारतीय भागीदारों और उनके विदेशी व्यावसायक सम्पर्क सूत्रों की व्यावसायक वार्ताएं लम्बे समय तक चलती रहती हैं। इस प्रकार की वार्ताओं के परिणाम आईटीपीओ को सूचित नहीं किए जाते हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	नाम, स्थान तथा आयोजन की तारीख	किया गया व्यवसाय (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	हनोवर फेयर, हनोवर (जर्मनी) 19-24 अप्रैल, 1999	1405.60
2.	एशिया पैसिफिक लेदर फेयर हांगकांग भाग-I 20-23 अप्रैल, 1999 भाग - II 27-29 अप्रैल, 1999	1723.00
3.	जिम्बाबे इंटरनेशनल फेयर, बुलावायो (जिम्बाबे), 29 अप्रैल-6 मई 1999	31.25
4.	वाच एंड क्लॉक फेयर, बसेल (स्विटजरलैण्ड), 29 अप्रैल-6 मई, 1999	1760.00
5.	वेस्ट जापान इम्पोर्ट फेयर, किताकीयूशू, जापान 1-5 मई, 1999	सूचित नहीं
6.	इंटरनेशनल फेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, प्लोवडिव, बुल्गारिया 3-8 मई, 1999	4.84
7.	बीएसएस फॉर टेक्सटाईल एंड होम फर्निशिंग्स, मनीला (फिलिपिन्स) 27-28 मई, 1999	2124.00

1	2	3
8.	दवसां होम फर्निशिंग्स फेयर, टोक्यो (जापान) 2–4 जून, 1999	5490.00
9.	टीएफसी–इंटरनेशनल टेक्सटाईल, क्लॉथिंग, फुटवीयर एण्ड फैशन एक्ससरीज एग्जीविशन, मेलबार्न (आस्ट्रेलिया) 22–24 जून, 1999	101.90
10.	फेनिट–इंटरनेशनल टेक्सटाईल एण्ड फैशन फेयर, साओ पाउलो (ब्राजील) 22–25 जून, 1999	16.00
11.	45वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फैन्सी फूड एण्ड कनफेक्शनरी शो न्यूयार्क, (यूएसए) 3–6 अगस्त, 1999	सूचित नहीं
12.	20वां भारतीय परिधान मेला, ओसाका, (जापान) 27–29 जुलाई, 1999	11934.00
13.	डब्ल्यूएसए–दशूशो, लास वेगास (यूएसए) 3–6 अगस्त, 1999	767.00
14.	इंडियन एग्जीविशन, मारीशस, 11–17 अगस्त, 1999	2800.00
15.	नेशनल हार्डवेयर शो, शिकागो (यूएस), 15–18 अगस्त, 1999	3985.55
16.	इजमिर इंटरनेशनल फेयर, इंजमिर (तुर्की), 26 अगस्त–3 सितम्बर, 1999	61.61
17.	डैमेस्कस इंटरनेशनल फेयर, डैमेस्कस (सीरिया), 28 अगस्त, 7 सितम्बर, 1999	57.50
18.	फुकुकोआ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर फुकुकोआ (जापान), 8–12 सितम्बर, 1999	सूचित नहीं
19.	प्रेट–ए–पोर्टर फेयर, पैरिस (फ्रांस), 3–6 सितम्बर, 1999	1676.00
20.	एक्सपोहोगर, बार्सीलाना (स्पेन), 9–13 सितम्बर, 1999	110.86
21.	कम्यूनेट, ओसाका (जापान) 14–16 सितम्बर, 1999	सूचित नहीं
22.	फारमैटसिया 99, सेंट पीटरबर्ग (रूस), 23–16 सितम्बर, 1999	सूचित नहीं
23.	चौथा जापान स्टोन फेयर इंटरनेशनल, टोक्यो (जापान) 28 सितम्बर, 1999 1 अक्तूबर, 1999	261.00
24.	वर्ल्ड फुड मास्को, 99 मास्को (रूस), 21–25 सितम्बर, 1999	260.00
25.	अप्या/एशिया/मेमा शो, लास बेगास, यूएसए 2–5 नवम्बर, 1999	729.00
26.	तेहरान इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तेहरान (ईरान), 2–9 अक्टूबर, 1999	3700.00
27.	सातवां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, कमपाला (यूगांडा), 6–11 अक्तूबर, 1999	130.00
28.	अनुगा फुड फेयर, कोलोंग (जर्मनी) 9–14 अक्तूबर, 1999	सूचित नहीं
29.	अस्पत–8वां एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल फेयर, सियोल (दक्षिण कोरिया) 13–17 अक्तूबर, 1999	सूचित नहीं
30.	इंटरकामः इंटरनेशनल ट्रेड फेयर डस्सेलडॉर्फ (जर्मनी) 18–23 अक्तूबर, 1999	319.00
31.	32वां इंटरनेशनल फेयर ऑफ अल्जीयर्स अल्जीयर्स (अल्जीरिया) 12–23 अक्तूबर, 1999	135.00
32.	इंटरनेशनल अल्टरनेटिव थेरापीज एण्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स फेयर, साओ पाउलो (ब्राजील), 14–17 अक्तूबर, 1999	सूचित नहीं
33.	साईटेक्स फेयर, जोहेंसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) 19–23, अक्तूबर, 1999	6495.59
34.	अरब जेवेलरी एण्ड वाच एग्जीविशन आबू–धावी (दक्षिण अफ्रीका) 1–5 नवम्बर, 1999	80.36
35.	बगदाद इंटरनेशनल फेयर, बगदाद (इराक), 1–10 नवम्बर, 1999	106591.00

1	2	3
36.	टेक्नोमेडिंका, लीमा (पुरू), 15–21 नवम्बर, 1999	सूचित नहीं
37.	हेइमटेक्सटिल फेयर, फैंकफर्ट (जर्मनी), 12–15 जनवरी, 2000	10066.00
38.	डामोटेक्स फेयर, हनोवर (जर्मनी) 15–18 जनवरी, 2000	500.00
39.	शिकागोगिफ्ट शो, शिकागो (यूएसए), 29 जनवरी–1 फरवरी, 2000	10.90
40.	डब्ल्यूएसए लास बेगास (यूएसए), 4–7 फरवरी, 2000	77.00
41.	इंडिया एट न्यू, मिलेनियम हांगकांग 24–27 फरवरी, 2000	720.00
42.	कैरो इंटरनेशनल फेयर कैरो (मिश्र) 1–10 मार्च, 2000	150.57
43.	फूडेक्स, टोक्यो (जापान) 7–10 मार्च, 2000	585.00
44.	इंटरनेशनल हार्डवेयरं शो, कोलोंग (जर्मनी) 12–15 मार्च, 2000	3600.00
45.	एक्सपोकोमर इंटरनेशनल फेयर, पनामा सिटी (पनामा) 15–20 मार्च 2000	655.31
46.	वाच एण्ड क्लॉक फेयर बेसल (स्विटजरलैण्ड) 23–30 मार्च, 2000	5838.00
47.	इम्पोर्ट शौप, बर्लिन (जर्मनी) 30–31 मार्च, 2000	सूचित नहीं
48.	एशिया पैसिफिक लेदर फेयर, हांगकांग, भाग–1 30 मार्च–1 अप्रैल तथा भाग–II 5–8 अप्रैल, 2000	2703.00
49.	पीसी एक्सपो, टोक्यो (जापान) 7–11 सितम्बर, 1999	सूचित नहीं

विवरण-II

क्र. सं.	नाम, स्थान तथा आयोजन की तारीख	किया गया व्यवसाय (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	विएतनाम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हनोई (विएतनाम) 6–10, अप्रैल, 2000	13.20
2.	प्राइवेट लेबल/प्रोडक्ट डेवलोपमेंट एक्सपो, न्यूयार्क, अप्रैल 11–13, 2000	13.05
3.	24वां ओसाका इंटरनेशनल फेयर ओसाका 29 अप्रैल–4 मई, 2000	37.13
4.	इंडियन एक्जिबिशन, तेल अबीब (इजराइल) 3–7, मई 2000	4742.00
5.	मेमफिस इन में इंटरनेशनल (एमआईएम), यूएसए 5–13 मई, 2000	900.00
6.	11 वां इंडिया होम फर्निशिंगस फेयर, 2000 ओसाका 23–25 मई, 2000	2475.00
7.	टीआईबीसीओ फेयर बुचोरेस्ट (रोमानिया) 31 मई – 5 जून, 2000	99.41
8.	अलजीरस इंटरनेशनल फेयर अलजीरस (अलजिरिया) 13–24 जून, 2000	2820.00
9.	फिनिट इंट. टैक्सटाईल एंड फैशन फेयर साओ पाउलो (ब्राजील) 27–30 जून, 2000	592.50
10.	इंटरनेशनल फैन्सी फूड एंड कन्फैक्शनरी शो, यूएसए, 9–11, जुलाई, 2000	675.00
11.	दार–ए–सलाम इंट. ट्रेड फेयर दार–ए सलाम (तंजानिया) 30 जून–9 जुलाई, 2000	77.69
12.	21वां इंडिया गारमेंट फेयर, ओसाका, 25–27 जुलाई, 2000	13500.00
13.	इंडियन एक्जिबिशन, सांटिआगो (चिली) 20–26 जुलाई, 2000	6092.00
14.	नेशनल हार्डवेयर शो शिकागो (यूएसए) 13–16 अगस्त, 2000	1398.00
15.	केनेडियन नेशनल एक्जिबिशन (सीएनई) टोरेंटो (कनाडा), 18 अगस्त–4 सितम्बर, 2000	47.42

1	2	3
16.	इंटरनेशनल टैक्सटाईल एंड कलोथिंग वीक, केप टाउन, साउथ अफ्रीका, 23–25 अगस्त, 2000	810.00
17.	इजमीर इंटरनेशनल फेयर, इजमीर (तुर्की) 26 अगस्त–3 सितम्बर, 2000	31.00
18.	आटोमैकेनिका, जर्मनी, 6–10 सितम्बर, 2001	9000.00
19.	प्रेट–ए–पोर्टर फेयर पैरिस (फ्रांस) 8–11 सितम्बर, 2000	463.30
20.	बीएनवी–बुधापेस्ट इंट. फेयर फार कन्सयूमर गुडस बुधापेस्ट (हंगरी) 15–24 सितम्बर, 2000	145.20
21.	एक्सपोहोगर रिगैलो–इंट. गिफ्ट एंड हाउस वेयर शो बारसिलोना (स्पेन) 8–11 सितम्बर, 2000	134'.42
22.	सिल्क रोड टू हेलसिनकी, 17 सितम्बर–1 अक्तूबर, 2000	1575.00
23.	वर्ड फूड मास्को (रूस) 18–22 सितम्बर, 2000	शून्य
24.	न्यूयार्क होम टैक्सटाईल शो, न्यूयार्क यूएसए, 22–25 सितम्बर, 2000	2160.00
25.	इंडियन एक्जिबिशन काठमांडु (नेपाल) 19–24 सितम्बर, 2000	14884.19
26.	तेहरान इंट ट्रेड फेयर तेहरान (ईरान) 1–8 अक्तूबर, 2000	1236.73
27.	सेटैक्स फेयर जोहानिसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) 3–7 अक्तूबर, 2000	469.25
28.	इंटरनेशनल आल्टरनेटिव थेरेपिकस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स फेयर, साओ–पुलाओ (ब्राजील) 5–8 अक्तूबर, 2000	21.00
29.	6वाँ वर्ल्ड पी सी एक्सपो, छीबा, जापान, 17–21 अक्तूबर, 2000	सूचना नहीं दी गई
30.	टयूनिश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर टयूनिश (टयूनिशियर) 20–29 अक्तूबर, 2000	23518.00
31.	बिग–आई–एपीपीए, यूएसए, 31 अक्तूबर–3 नवम्बर, 2000	2583.00
32.	सिआल फूड फेयर, पैरिस (फ्रांस) 22–26 अक्तूबर, 2000	37060.00
33.	बगदाद इंटरनेशनल फेयर, बगदाद (इराक) 1–10 नवम्बर, 2000	38582.00
34.	वर्ल्ड ट्रेड फेयर, हमादा, 3–5 नवम्बर, 2000	सूचना नहीं दी गई
35.	इम्पोर्ट शोप, बर्लीन (जर्मनी) 23–24 नवम्बर, 2000	1803.00
36.	डकार इंटरनेशनल फेयर डकार (सेनेगल) 23 नवम्बर–5 दिसम्बर, 2000	1710.00
37.	हिमटेक्सटिल फेयर, फ्रैंकफ्रट (जर्मनी) 13–16 जनवरी, 2001	13143.00
38.	डोमोटेक्स फेयर, हैनओवर (जर्मनी) 13–16 जनवरी, 2001	1619.00
39.	इंटरनेशनल हाउसवेयर शो, शिकागो, यूएसए, 14–17 जनवरी, 2001	3600.00
40.	कन्सयूमेक्सपो, मोस्को (रूस) 15–19 जनवरी, 2001	1335.00
41.	ढाका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ढाका (बंगलादेश) 20 जनवरी–19 फरवरी, 2001	1710.50
42.	खरटोयूम इंट. ट्रेड फेयर खरटोयूम (सूडान) 1–11 फरवरी, 2001	42055.00
43.	इंडियन एक्जिबिशन दुबई (यूएई) 14–18 फरवरी, 2001	14240.17
44.	इंटरनेशनल हार्डवेयर शो कोलोन (जर्मनी) 18–21 फरवरी, 2001	3420.00
45.	एक्पोकोमर इंट. ट्रेड फेयर पनामा सिटी (पनामा) 7–12 मार्च, 2001	159.40

1	2	3
46.	फूडैक्स,जापान, 13–16 मार्च, 2001	810.00
47.	वर्ल्ड, वाच, क्लाक एंड ज्वैलरी शो, बेसेल (स्विजरलैंड) 22–29 मार्च, 2001	सूचना नहीं दी गई
48.	इंट फूड एंड ड्रिंक एक्जिबिशन लंदन (यूके) 25–28 मार्च, 2001	1258.50
49.	एशिया पैसिफिक लेदर फेयर हांगकांग, 26–28 मार्च तथा 1–4 अप्रैल, 2001	8000.00

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

3816. श्री अधीर चौधरी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में शैक्षिक संस्थाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के दायरे में लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरे देश में शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का स्तर गिरा है और इन संस्थाओं ने निम्न स्तरीय सेवाएं प्रदान की हैं;

(ग) यदि हां, तो छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए सभी शैक्षिक संस्थाओं को कब तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत लाया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क अथवा व्यक्तिगत सेवा की संविदा के तहत प्रदान की गई सेवा को छोड़कर, प्रतिफल के लिए सम्भावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई किसी भी प्रकार की सेवा अधिनियम के तहत आती है। अधिनियम के उपबंधों के मामले में विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है।

[हिन्दी]

शीर्ष पदों को समाप्त किया जाना

3817. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उदारीकरण नीति लागू होने के पश्चात वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की संख्या को न्यूनतम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि अब नौकरशाहों का कार्यभार बहुत हल्का हो गया है;

(ख) संबंधित विभागों/मंत्रालयों में कितने नौकरशाही के पदों को गत वर्ष के दौरान समाप्त किया गया; और

(ग) इसके कारण सरकार को कितनी वार्षिक बचत होने का अनुमान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) संयुक्त सचिव के स्तर के पदों को समाप्त करने की पुनर्समीक्षा के साथ 1.1.92 को यथा–स्वीकृत संख्या के संदर्भ में 10 प्रतिशत पदों को कम करने की यह प्रक्रिया 1992 में शुरू की गई थी। इस अभ्यास के आधार पर अभी तक संयुक्त सचिव स्तर के 135 पद समाप्त किए जा चुके हैं और विभिन्न समूहों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत अब तक 1.73 लाख पदों को खत्म कर दिया गया है। सरकार के कार्यबल को तर्कसंगत बनाए रखना चूंकि एक सतत प्रक्रिया है, जिसका प्रभाव मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों पर पड़ता है, अतएव इन पर होने वाली बचत की गणना करना संभव नहीं है। तथापि सरकारी प्रतिष्ठानों के वेतन और भत्तों पर होने वाले वार्षिक व्यय का विवरण हर साल व्यय बजट के खण्ड । में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा अन्य बातों के साथ–साथ केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, संबद्ध कार्यालयों और संस्थानों में उनके द्वारा निष्पादित होने वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनके तहत स्टाफ की संख्या की पर्याप्तता की पुनर्समीक्षा करने के लिए एक व्यय सुधार आयोग भी गठित किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में समाप्त किए जाने वाले पदों की संख्या के बारे में विस्तृत विवरण और व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों पर आधारित परिणामी बचत का पता उस पर लिए गए उचित सरकारी निर्णयों के बाद ही चल सकेगा।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार

***3818. श्री रामानन्द सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी दिल्ली में कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से

उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और गत दो माह के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां, इस बारे में दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें केन्द्रीय मानीटरिंग केन्द्र आकाशवाणी, आयानगर के एक अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के स्टाफ सदस्यों के प्रति दुर्व्यवहार तथा उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया गया है।

(ग) अधिकारियों की एक समिति द्वारा इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

निजी एजेंसी ''सौभाग्य'' की नियुक्ति

3819. श्री सुबोध मोहिते : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संचार रणनीति विकासित करने तथा विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) के विनिवेश को देखने के लिए 'सौभाग्य' नामक एक निजी एजेंसी नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वीएसएनएल के कर्मचारी वीएसएनएल के विनिवेश के विरूद्ध आंदोलन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों की मांगे क्या हैं; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) मुम्बई की सौभाग्य एडवर्टाइजिंग सर्विसेज की नियुक्ति अन्य बातों के साथ–साथ, विनिवेश प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली विभिन्न भागीदारों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक संचार नीति को विकसित करने, विदेश संचार निगम लिमिटेड की मुख्य–मुख्य बातों और विनिवेश के लिए सुदृढ़ निवेशक अभिरूचि का निर्माण करने के उद्देश्य से पर्याप्त सकारात्मक समाचार प्रवाह के माध्यम से, इसके मूल्य संचालकों का प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने के कार्य के उद्देश्य को लेकर जून, 2001 में की गई थी।

(ग) और (घ) जी, हां। विदेश संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में कुछ प्रदर्शन किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ नौकरी की सुरक्षा और सेवा शर्तों का संरक्षण, मौजूदा वेतन भत्तों और अन्य लाभों का संरक्षण, सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंन्शन, परिवार पेन्शन और चिकित्सा सुविधाएं जारी रखना, बेचने की समायवधि के बिना अंकित मूल्य पर शेयरों का आबंटन, विदेश संचार निगम लिमिटेड का वास्तविक रूप से हस्तांतरण हो जाने से पूर्व विदेश संचार निगम लिमिटेड में विलयन के समय 10 वर्ष से कम की सेवा वाले विदेश संचार सेवा के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, विदेश संचार निगम लिमिटेड में जिनका विलय हो गया है उनके विधिक रोक लगाए गए सेवानिवृत्ति लाभों पर प्रभारित आयकर को समाप्त करना क्योंकि इस राशि पर सरकार ने सामान्य भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर से सात वर्षों के लिए विधिक रोक लगाई थी। विदेश संचार निगम लिमिटेड के मौजूदा पूर्ण–कालिक निदेशकों को बनाए रखना और यहां तक कि निजीकरण के बाद भी कर्मचारियों पर लागू संवैधानिक गारंटी को जारी रखना शामिल हैं।

(ङ) सरकार ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ, विभिन्न स्तरों पर विचार–विमर्श किया है। विनिवेश से जुड़ी हुई वास्तविक हित–चिन्ताओं को शेयरधारक करार के अनुबंधों के माध्यम से यथासम्भव ध्यान में रखा जाएगा।

बेनामी संपत्तियों का जब्त किया जाना

3820. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बेनामी हस्तांतरण (निषेध) अधिनियम, 1988 के अधीन बेनामी संपत्तियों को जब्त किये जाने हेतु अभी तक कोई नियम तैयार नहीं किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) शीघ्रता से नियमों को तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि भ्रष्ट तरीकों द्वारा कब्जा की गई संपत्तियों के संबंध में कानूनी कार्यवाही की जा सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) विधि, न्याय एवं कंपनी मामले मंत्रालय द्वारा व्यक्त इन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए बेनामी लेन–देन (निषिद्ध) अधिनियम,, 1988 को लागू करने के लिए नियम नहीं बनाए जा सके कि यह अधिनियम अपने वर्तमान रूप में व्यवहार्य नहीं है। इसे लागू करने योग्य बनाने के लिए कृषि भूमि की प्रकृति की बेनामी संपत्तियों के सम्बंध में संघ और राज्यों के अधिकार क्षेत्र सहित प्रमुख मुद्दों की जांच की जानी थी।

(ग) अब विधि, न्याय एवं कंपनी मामले मंत्रालय द्वारा प्रमुख मामलों की जांच की जा चुकी है। इस अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव की इस मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है ताकि इसे व्यवहार्य बनाया जा सके और सरकार नियम बनाने मे समर्थ हो सके।

विस्फोटकों की बिक्री के लिए लाइसेंस

3821. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विस्फोटकों की बिक्री करने अथवा विस्फोटक गोदाम रखने के लिए लाइसेंसों के आबंटन हेतु कोई विशेष मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विस्फोटक गोदाम बनाने अथवा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर विस्फोटकों की बिक्री के लिए गत तीन वर्षों में आबंटित किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिनलाडु में खुदरा बिक्री केन्द्रों में विस्फोटकों की बिक्री की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) विस्फोटक सामग्री कब्जे में रखने और बेचने के लिए लाइसेंस विस्फोटक अधिनियम, 1884 के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए विस्फोटक नियम, 1983 के अनुसार मंजूर किए जाते हैं और ये अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित के अध्यधीन होते हैं:

- आवेदक के सद्भाव और प्रयोजन का सत्यापन।
- संपर्क मार्ग नैटवर्क, निकटवर्ती सीमा चिह्नों, संरक्षण प्राप्त कारखानों और सुरक्षा क्षेत्र में दूरियां दर्शाते हुए स्थल–नक्शें का सत्यापन।
- भंडारण, जन सुरक्षा और बचाव संबंधी स्थितियां।

(ग) और (घ) विस्फोटक सामग्री कब्जे में रखने और बेचने के लिए पिछले 3 वर्षों में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या निम्नप्रकार है:–

वर्ष	लाइसेंसों की संख्या
1998–1999	54
1999–2000	58
2000–2001	97

जिन व्यक्तियों को तमिलनाडु में ये लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:–

वर्ष	लाइसेंसों की संख्या
1998–1999	4
1999–2001	6
2000–2002	5
2001–2002 (जारी)	6

क्र. सं.	लाइसेंस सं.	पार्टी का नाम	स्थान
1	2	3	4
		1998-99	
1.	ई–25(12)2571	मैं. राजा एक्सप्लोसिव्स प्रा. लि., इरोड	मालूनमाडु मेसिलिंगामलायाम इरोड
2.	ई–25(12) 2568	मै. राजा एक्सप्लोसिव्स प्रा. लि. इरोड	मालूनमाडु मेसिलिंगामलायाम इरोड
3.	ई–25(12)2569	मै. राजा एक्सप्लोसिव्स प्रा. लि., इरोड	मालुनमाडु मेसिलिंगामलायाम इरोड
4.	ई–25(12) 2683	मै. एस. एम. एक्सप्लोसिव्स सालेम	अप्पियामपट्टी (V) नामाकाल

1	2	3	4
		1999-2000	
5.	मा 6138/ई	मै. चैल्लया ट्रेडर्स पुठुकडाई	कन्याकुमारी जिला
6.	मा 6211/ई	मैं. श्री शक्ति एक्प्लोसिव्स विलुपुरम	पटिरपालाया विलुपुरम
7.	मा 6212/ई	मै. साथ्या एक्प्लोसिवस गुडियाथम, वेल्लूर	46, वलपिटचनूर (v)
8.	मा. 6228/ई	मै. वासकरन एक्सप्लोसिवस, वेल्लूर	गुडियाथम, वेल्लुर
9.	मा 6237/ई	श्री वी. श्री निवासन डिंडीगुल	डलवट देवाटी, डिंडीगुल
10.	मा. 6250/ई	श्री के पांडारंगन विलुपुरम	अलअंडरपेट टी के विलुपुरम
		2000-2001	
11.	ई–5(12)2773 मा 6349/ई	श्री के. अमदीश्न अन्नूर	सनमपालयम अन्नूर (v) कोयम्बतूर
12.	ई–24(12) 2637 मा 6355/ई	मै. वेट्रीवाल एक्सप्लोसिव्स प्रा. लि. सालेम	टी. मुरुंगपेटटी (v) थुरायादुर तालुक, त्रिची
13.	ई–25(12) 2638 मा 6354	मै. वेट्रीवाल एक्सप्लोसिव्स प्रा. लि. सालेम	टी. मुरुंगापेटी (v), थुरायायुर तालुक त्रिची
14.	मा 6373/ई	मै. अलानकुलम एक्सप्लोसिव्स कं. त्रिलनेवेली	मायामानकुरी चि(v)
15.	ई–25(12)2764 मा 6436/ई	श्री टी एस पदमनाभन प्रा. मैं. गुरू एक्प्लोसिव्स वेल्लोर	परमाथुर। वेल्लोर
		2001-2002	
16.	ई25(12)2777 मा 6452/ई	मै. इण्डस्ट्रियल माइनिंग सविसिंग सालेम	पोक्कमपालायाम (V), जिला नामाक्काल
17.	ई–25(12) 2746 मा 6461/ई	मै. वर्टीवेल एक्सप्लोसिव्स प्रा. लि., सालेम	टी. मुरुंमापेट्टी (V), थुरायायूर तालुक, त्रिची
18.	ई 25(12) 2747 मा 6462	मै. वटीवेल एक्सप्लोसिव्स प्रा. लि. सालेम	टी. मुरुंमापेट्टी (V),
19.	मा 6463/ई	मैं. श्री मुथ्थैया एक्स– प्लोसिटस, कायाथूर	थुरायायूर तालुक, त्रिची पेरियाकोट्टाई (V) तूतीकोरन जिला
20.	मा 6464/ई	मैं. श्री पालन एक्स– प्लोसिव्स, त्रिस्नवेली–	कुवालाकन्नाई (V), जिला तिरूनवेली पेरियाकोट्टाई (V)
21.	मा 6467/ई	श्री आर विश्वनाथन मै. रानी एक्सप्लोसिव्स उयूमलाइवेट।	तूतीकोरिन जिला।

सेबी द्वारा कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई

3822. मोहम्मद शहाबुद्दीन :

श्री राम प्रसाद सिंह :

श्रीमती कांति सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अनेक कंपनियों जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान अनियमितताएं की हैं कि जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कौन–कौन सी कंपनियां हैं जिनके विरूद्ध 'सेबी' द्वारा अनियमितताएं किए जाने के लिए कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इन कंपनियां को काली सूची में डालने के लिए कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

'एपीडा' द्वारा निर्यात

3823. श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एपीडा' खीरा और अन्य उत्पादों के निर्यात की संभावना का पता लगाने के लिए अपने उत्पादों को मिश्रित कर विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'एपीडा' के पास कर्नाटक से खीरा, आम, गुलाबी प्याज और सजावटी फलों आदि के निर्यात करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक से निर्यात हेतु 'एपीडा' द्वारा खरीदी गई उक्त मदों की मात्रा कितनी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्नाटक में कृषि उत्पादों और पुष्प कृषि उत्पादों के लिए 'एपीडा' के अधीन समेकित निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कृषि उत्पादों के निर्यात में सीधे शामिल नहीं है अपितु अपनी विभिन्न योजनाओं और संवर्द्धनात्मक कार्यकलापों जैसे कि गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी सुविधाओं के विकास, निर्यात संवर्द्धन और बाजार विकास के जरिए केवल निर्यातकों की मदद करता है। इस प्रकार यह निर्यात के लिए कोई कृषि उत्पाद नहीं खरीदता है। राज्य–वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, एपीडा से उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक से खीरा, आम, गुलाब और प्याज का निर्यात अवश्य होता है। तथापि, कर्नाटक से शौकिया फलों का वाणिज्यिक स्तर पर कोई उत्पादन और निर्यात नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) कर्नाटक की सरकार से एपीडा के अन्तर्गत कृषि एवं पुष्पोत्पादों के लिए कृषि निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना के लिए कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आय कर विवरणी

3824. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, बंगलौर, अहमदाबाद और कोलकाता के वेतन सर्किलों में आंकलन वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान कितनी आय कर विवरणियां भरी गई;

(ख) उक्त शहरों में वेतन सर्किलों में कार्य की देखरेख करने वाले आय कर अधिकारियों और सहायक आयुक्त की संख्या कितनी है;

(ग) क्या वेतन सर्किलों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या मौजूदा मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) कर निर्धारण वर्षों 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान दिल्ली क्षेत्र में दायर की गई आय विवरणियों की संख्या क्रमशः 6 लाख, 5.25 लाख और 4.5 लाख रही है।

कर निर्धारण वर्षों 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान मुम्बई क्षेत्र में दायर की गई आय विवरणियों की संख्या क्रमशः 5.39 लाख, 5.47 लाख और 6.28 लाख रही है।

कर निर्धारण वर्षों 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान चैन्नई क्षेत्र में दायर की गई आय विवरणियों की संख्या क्रमशः 1.62 लाख, 1.88 लाख और 1.89 लाख रही है।

कर निर्धारण वर्षों 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान बंगलौर क्षेत्र में दायर की गई आय विवरणियों की संख्या क्रमशः 2.45 लाख, 2.54 लाख और 2.56 लाख (30.7.01) को रही है।

कर निर्धारण वर्षों 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान अहमदाबाद क्षेत्र में दायर की गई आय विवरणियों की संख्या क्रमशः 1.23 लाख, 1.51 लाख और 1.40 लाख (31.7.01 को) रही है।

कर निर्धारण वर्षों 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान कोलकाता क्षेत्र में दायर की गई आय विवरणियों की संख्या क्रमशः 4.68 लाख, 4.57 लाख और 4.45 लाख रही है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर और मुम्बई में वेतन सर्किलों में कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या में क्रमशः 37 से 40, तक 12 से 21, 12 से 18 और 34 से 40 तक वृद्धि हुई है। तथापि, चैन्नई और कोलकाता के मामले में अधिकारियों की संख्या क्रमशः 19 और 36 हैं।

(ग) और (घ) कार्य पर लगाए गए अधिकारियों की संख्या को पर्याप्त समझा गया है तथापि, जनशक्ति को कार्यभार के आधार पर लगाया जाता है और लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। आयकर विभाग को पुनगर्ठित करके, आयकर विवरणियों के कर–परिकलन की जांच को कम्प्यूटरीकृत करके और धारा (143 (1) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया समायोजन की अपेक्षा को समाप्त करके कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु कुछ नीतिगत प्रयास किए गए हैं ताकि कार्य भार को कम किया जा सके और लोगों को सेवा प्रदान करने की समय सीमा को भी कम किया जा सके।

[हिन्दी]

आईएफसीआई के कर्मचारियों को फ्लैटों की बिक्री

3825. डा. संजय पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा आईएफसीआई एम्पलाईज एसोसिएशन के बीच प्रति फ्लैट 1,15,500 रुपये प्रति फ्लैट की दर से कानपुर में रिक्त पड़े 24 फ्लैटों की कर्मचारियों को बिक्री करने के संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(ख) क्या आई एफ सी आई आवास कल्याण समिति के माध्यम से 5% के बयाना धनराशि के रूप में कर्मचारियों से 1,38,600 रुपये की धनराशि प्राप्त की गई;

(ग) क्या निगम प्रबंधन इन फ्लैटों की बिक्री अब इसी दर पर कर्मचारियों के बजाय शहरी पक्षों को करने पर विचार कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन फ्लैटों की बिक्री को आईएफ सीआई के कर्मचारियों को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफसी) कर्मचारी संघ ने गैर–सरकारी निर्माता (बिल्डर) को फ्लैटों की बिक्री के लिए समझौता वार्ता के बाद प्रबंधकों से प्रस्ताव किया है कि कानपुर में कतिपय अधिशेष फ्लैटों की बिक्री कर्मचारियों को की जाए। जिस कीमत की बिल्डर पेशकश कर रहा था, उसी कीमत पर बिक्री के लिए सहमति हुई।

(ख) से (ङ) कर्मचारियों को सहायता देने के इरादे से यह सहमति हुई थी कि फ्लैटों की बिक्री आईएफसीआई कर्मचारियों के पक्ष में करने की संभावना का पता लगाया जाए। इसके बाद आईएफसीआई के कर्मचारियों ने आवास कल्याण समिति बनाई और इसके जरिए अग्रिम धन जमा किया। तथापि, प्रबंधकों के

अथक प्रयासों के बावजूद, बिल्डर ने अपना दावा छोड़ने से इन्कार कर दिया। इस पर कर्मचारी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (आरएलसी), नई दिल्ली के पास पहुंचे तथा कानपुर और साथ ही अन्य केन्द्रों में फ्लैटों की बिक्री के विरूद्ध औद्योगिक विवाद मुकदमा दायर किया। तथापि, लम्बे विचार–विमर्श के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका और आरएलसी ने समाधान में असफल रहना दर्ज करने का निर्णय लिया। बिल्डर के इन्कार एवं आरएलसी के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों के पास बिल्डर के पक्ष में "बिक्री समझौतों" को औपचारिक रूप देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

[अनुवाद]

पॉम ऑयल आयातक कंपनियां

3826. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय पॉम ऑयल कंपनियां बीजक में कम मूल्य दिखाती हुई पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सघन छान–बीन कराई है;

(ग) यदि हां, तो कौन–कौन सी कंपनियां बीजक में कम मूल्य दिखाती हुई पायी गई हैं; और

(घ) उन दोषी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) पॉम ऑयल अथवा आर.बी.डी. पामोलीन का अधिकतर फरवरी 2001 के बाद आयात करने वाली 9 फर्मों/कंपनियों द्वारा कथित रूप से कम मूल्यांकन करने के मामलों की राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क आयुक्त, त्रिची द्वारा कुछेक प्रकार की जांच–पड़ताल की जा रही है।

(घ) इस फर्मों/कंपनियों में से कुछेक के परिसरों की तालाशी के दौरान, अपराध आरोषणीय और विभिन्न प्रकार के रिकार्ड बरामद हुए हैं। इन सभी मामलों में व्यापक जांच और अन्य सम्बद्ध अन्वेषण कार्य चल रहे हैं। इन जांच कार्यों के पूरा हो जाने पर, जहां कहीं कम मूल्यांकन करके शुल्क अपवंचन का प्रमाण ध्यान में आएगा वहां कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किए जाएंगे और अपवंचित शुल्क की वसूली के अलावा उपयुक्त अर्थदण्ड लगाने की कार्रवाई की जायेगी।

गरीबी रेखा से नीचे होने के निर्धारण हेतु मानदंड की पुनरीक्षा

3827. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लाभार्थियों के निर्धारण के लिए मौजूदा मानदंड क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के निर्धारण हेतु मानदंड की समीक्षा करने का है ताकि इसके अंतर्गत अधिक परिवारों को शामिल किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों की पहचान राज्यों द्वारा वर्ष 1993–94 के योजना आयोग के राज्यवार गरीबों के अनुमानों के अनुसार की जाती है। ये अनुमान स्वर्गीय पो. लोकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित 'गरीबों के अनुपात तथा संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल' की विधि के अनुसार 1995 की आबादी के प्रक्षेपण पर आधारित हैं। योजना आयोग द्वारा बाद में राज्य सरकार की अपनी खाद्य राजसहायता योजना के मूल्य गिरावट प्रभाव के घटक को समाप्त करने के बाद आन्ध्र प्रदेश के मामले में गरीबी अनुमान संशोधित किए गए थे और इसी प्रकार उत्तर–पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर को असम के लिए लागू गरीबी अनुपात के समतुल्य लाकर उनके गरीबी अनुमानों को संशोधित किया गया था।

(ख) से (घ) आबादी अनुमानों को पहले के 1995 के आधार की बजाय 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महांपजीयक के आबादी प्रक्षेपण पर आधारित करने के कारण 1.12.2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अनुमानित संख्या 586.64 से बढ़ाकर 652.04 लाख हो गयी है।

खाद्य राजसहायता संबंधी व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट

3828. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य राजसहायता व्यय जो वर्ष 1948–49

में 19.91 करोड़ रुपये था, चालू वर्ष में 8100 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सरकार सरकार गरीब उपभोक्ताओं के हितों को आघात पहुंचाए बिना राजसहायता घटाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 2001–2002 के बजट अनुमान में खाद्य राजसहायता के लिए 13,675 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) राजसहायता को कम करने के लिए सरकार ने कुछ निम्नलिखित उपाय किये हैं:–

(i) खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि करने के लिए, सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 12.7.2001 से 31.3.2002 तक अथवा अधिशेष स्टाक रहने तक, इनमें से जो भी पहले हो, गेहूँ के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को 830/– रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 610/– रुपये प्रति क्विंटल और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को 1130/– रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 830/– रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

(ii) गेहूँ और चावल का निर्यात;

(iii) काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के लिए खाद्यान्नों का आबंटन;

(iv) जुलाई, 2001 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर 20 किलोग्राम से बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए खाद्यान्नों के आबंटन को 1995 के पहले की अनुमानित आबादी के अनुमान की बजाय 1.3.2000 को महा–पंजीयक के आबादी अनुमान आधार में परिवर्तित कर दिया गया था।

(v) राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनीय मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित भिक्षु गृहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रावासों/नारी निकेतनों आदि जैसे कल्याण संस्थानों में रहने वाले अकिंचन व्यक्तियों की श्रेणियों को कवर करने के लिए राज्य सरकारों को अब 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर आबंटन हेतु खाद्यान्न उपलब्ध करवाये जाते हैं। अब अन्नपूर्णा योजना के अधीन के उन अकिंचन वृद्ध व्यक्तियों को भी खाद्यान्नों का आबंटन किया जा सकता है जो राज्य सरकारों में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(vi) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न आबंटित किये जायेंगे।

(vii) राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुशंसित गैर–सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं (जहां लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हों) के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जायेंगे।

(viii) सरकार ने 25–12–2000 को अंत्योदय अन्न योजना भी शुरू की है। इस योजना के अधीन सम्पूर्ण देश में लगभग 1 करोड़ परिवारों को 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की शर्त के अधीन 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के हिसाब से गेहूं और चावल जारी किया जायेगा बशर्ते कि इस योजना के लिए 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को खाद्यान्नों प्रदान किए जा सकें।

(ix) लागत को कम करने अर्थात् हानियों, डेमरेज, भंडारण स्थान का बेहतर उपयोग करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने कुछ उपाय किये हैं।

खाद्यान्न खरीद नीति

3829. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय सरकार की खाद्यान्न खरीद नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस नीति में कुछ परिवर्तन लाने का है ताकि किसानों की कठिनाइयों को कम किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) वर्तमान नीति के अधीन सरकार मूल्य समर्थन प्रचालनों के अधीन खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टयों के अनुरूप खाद्यान्नों की वसूली करती है। तथापि, किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपने उत्पाद समर्थन मूल्यों पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार को बेचे अथवा खुले बाजार में बेचें, जहां उन्हें लाभकारी हों।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना पर 21.5.2001 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन और 6.7.2001 को केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की बैठक में चर्चा की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों के साथ आगे परामर्श किया जाएगा और विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना लाभ के बटवारे के आधार पर उन राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी, जो इस योजना को अपनाने के लिए सहमत होंगे। इस योजना के निम्नलिखित लाभ हैं:–

(i) स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा।

(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्तियों के लिए भारतीय खाद्य निगम पर राज्य सरकारों की निर्भरता कम होगी।

(iii) उच्चतर स्थानीय वसूली होने से रेल द्वारा भाडा संचलन पर दबाव घटेगा।

(iv) स्थानीय रुप से उगाई जाने वाली किस्में, जिन्हें स्थानीय उपभोक्ता तरजीह देते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध होंगी।

(v) चूंकि उपभोक्ता राज्य स्वयं ही खाद्यान्नों की वसूली करेंगे इसलिए गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत नहीं होगी।

(vi) विकेन्द्रीकृत योजना के अधीन राज्यों द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत सामान्यतया भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत से कम होगी।

एलआईसी का घाटा

3830. श्री नरेश पुगलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 24 जुलाई, 2001 के "दी इकॉनामिक टाइम्स" में "शेकी एलआईसी सस्पेंड्स 2 ऑफिशियल्स एजएमआरएल सेल कम्स टू दी बाइल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने अनधिकृत रूप से कार्य किया;

(घ) इसके कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को कितना घाटा उठाना पड़ा;

(ङ) क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये गए हैं और क्या इस प्रकार के मामलों में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा किए जाने वाले निर्णयों के लिए भी कुछ दिशा–निर्देश जारी किये गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि जीवन बीमा निगम में निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकरण निवेश समिति है। मोदी रबर लिमिटेड से प्राप्त खुली पेशकश के मामले में, एलआईसी के दो अधिकारियों ने अप्राधिकृत रूप से सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन लिए बिना मोदी रबर लिमिटेड में निगम के इक्विटी शेयरों की संपूर्ण धारिता की पेशकश से संबंधित अनुदेश जारी कर दिए।

(ग) एलआईसी ने सूचित किया है कि उन्होंने दो अधिकारियों श्री पी. श्रीधर राव, उप–सचिव तथा श्री प्रदीप्तो सेन, सहायक सचिव को गैर–कानूनी और अप्राधिकृत लेन–देन के आरोप में निलम्बित कर दिया है। वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।

(घ) एलआईसी ने सूचित किया है कि उन्हें इस

मामले में कोई घाटा नहीं हुआ है क्योंकि पेशकश मूल्य शेयरों के बाजार मूल्य से अधिक़ हैं।

(ङ) और (च) एलआईसी ने सूचित किया है कि मौजूदा प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं कि निवेश/विनिवेश अत्यधिक सावधानी से किए जाएं। वर्तमान घटना अपनी तरह की एकाकी घटना है और यह घटना प्रणाली और प्रक्रियाओं के विफल होने के कारण नहीं हुई। तथापि, एलआईसी अपनी मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा ताकि इन्हें और सुदृढ़ बनाया जा सके।

[हिन्दी]

बैंकों में ओम्बड्समैन

3831. श्री राम टहल चौधरी :

प्रो. दुखा भगत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाने हेतु लोक आयुक्त ओंम्बड्समैन नियुक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय लोकआयुक्त के सामने कितने मामले लंबित हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ग्राहकों को संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं करने के लिए बैंक कर्मचारियो/अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं में कमियों से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए 15 स्थानों पर बैंकिंग ओम्बड्समैन नियुक्त किए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान ओम्बड्समैन द्वारा प्राप्त की गई शिकायतें लम्बित और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति नीचे दी गई है:–

क्रम सं.	शिकायतें	1.4.97 से 31.3.98	1.4.98 से 31.3.99	1.4.99 से 31.3.2000
1.	प्राप्त शिकायतें	7268	7464	6800
2.	उनमें से रख–रखाव न करने योग्य	3148	3317	2614
3.	निपटाई गई (निर्णय लिया गया)	2722	2807	2484
4.	लम्बित	1398	1340	1702
5.	दिए गए अवार्डों की संख्या	116	92	74

(ग) बैंकों के निरीक्षण की प्रक्रिया के भाग के रुप में, भारतीय रिजर्व बैंक 25 करोड़ ग्राहक सेवा क्षेत्रों के संबंध में ग्राहक संतुष्टि के वास्तविक स्तर को सुनिश्चित करने और कमियों के उन क्षेत्रों की पहचान करने, जिनके कारण बैंकों में कार्यान्वयन के स्तर में कमी आई है, बैंकों में ग्राहक सेवा लेखा परीक्षा आयोजित कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्राहक सेवा के विभिन्न पहलुओं की चालू स्थिति सामान्यतया संतोषजनक है। अलग–अलग कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गई चूक/कदाचार की प्रकृति के आधार पर कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा कार्रवाई की जाती है।

आईडीबीआई द्वारा बोनस शेयर की घोषणा

3832. श्री धावरचन्द गेहलोत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने शेयरधारकों को प्रत्येक पांच शेयरों पर तीन बोनस जारी करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण जुटाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का नेपाल में निवेश का इरादा है;

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित निवेश किस प्रकार किये जाने की संभावना है; और

(छ) निवेश और भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने 23 जनवरी, 2001 को असाधारण साधारण बैठक के प्रस्ताव को स्वीकारने के अनुसरण में रिकार्ड तारीख अर्थात 26 फरवरी, 2001 को आईडीबीआई के पास दर्ज शेयर–धारकों को को 3.5 के अनुपात में बोगस शेयर जारी किए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आईडीबीआई उधार के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:–

लिखत	राशि (यूएसडी मिलियन	ऋणदाता/कारावास	ब्याज दर	(अवधि वर्ष)
1998–99	शून्य	–	–	–
1999–2000				
सिंडिकेट लोन	100	एएनजेड इन्वेस्टमेंट बैंक	लिबर+150 बीपीएस	5 (रिपेड)
मल्टीलेचरल लाइन आफ क्रेडिट	50	नार्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक	लिबर +110 बीपीएस	10
2000–2001				
फ्लोटिंग रेट नोट (एफआरएन)	100	बार्कलेस कैपिटल एशिया लि.	लिबर+85 बीपीएस	4
सिंडिकेट लोन	100	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, टोक्यो मितसुबिसी इंटरनेशनल (एचके) लि. एंड सुमितोमो बैंक	लिबर + 67.5 बीपीएस	5

(ङ) से (छ) जी, हां। आईडीबीआई तथा नेपाल डेवलपमेंट बैंक लि. (एनडीबी) ने जनवरी, 2001 एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईडीबीआई नेपाल डेवलपमेंट बैंक लि. में 10 मिलियन राशि रुपए की राशि वाली 10% की इक्विटी धारिता का अंशदान करके नेपाल डेवलपमेंट बैंक लि. के साथ वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग करने का समझौता कर रहा है। तकनीकी सहयोग में परियोजना वित्त एवं मूल्य निर्धारण के क्षेत्रों में एनडीबी को परामशदात्री सेवाएं प्रदान करना, संसाधन जुटाना और वाणिज्यिक बैंकिंग आदि शामिल हैं। प्रस्ताव को भारत–नेपाल के घनिष्ठ संबंधों, नेपाल में निवेश की संभावना तथा आनुषांगिक लाभों, जो एनडीबी के सहयोग के साथ उभर सकते हैं, को ध्यान में रखते हुए आईडीबीआई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा कर्नाटक में मक्के की खरीद

3833. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से मक्का के भंडार के शीघ्र निपटान के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया था क्योंकि देरी होने से भंडार खराब हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडार के निपटान में की गई देरी से किसानों को कोई नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। खुली बाजार बिक्री की योजना के अधीन राज्य सरकार की कुछ एजेंसियों सहित इच्छुक क्रेताओं को सम्पूर्ण स्टाक बेच दिया गया है और उठान प्रगति पर है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम ने किसानों को सम्पूर्ण भुगतान कर दिया है। भारतीय खाद्य निगम ने उस स्टाक के लिए भी भुगतान कर दिया है, जो कर्नाटक राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम ने वसूल करके 28.2.2001 तक भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द कर दिया था।

किसानों को 109.07 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें से 56.42 खाद्य निगम द्वारा अदा किए गए हैं और 52.65 करोड़ रुपये कर्नाटक राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अदा किए गए है। भारतीय खाद्य निगम निविदाकर्त्ताओं को स्टाक रिलीज करने के बारे में बिल प्रस्तुत करने पर राज्य सरकारों को भुगतान रिलीज करता है।

[हिन्दी]

जाली करेंसी नोट

3834. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और जून, 2001 तक प्रत्येक राज्य के विभिन्न बैंकों में जाली करेंसी नोटों के चलन के कितने मामले जानकारी में आये और दर्ज हुये;

(ख) क्या सरकार ने जाली करेंसी नोटों की जांच के लिये बैंक अधिकारियों और जमाकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) देश के विभिन्न बैंकों में जाली करेंसी नोटों की सूचित की गई संख्या के बारे में प्रमाणित सूचना 31 दिसम्बर, 2000 तक की अवधि के लिए उपलब्ध है। विगत तीन वर्षों अर्थात् 1998, 1999 और 2000 के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जाली करेंसी नोटों का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, पुलिस, करस्टम, व्यापार संघों आदि के अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा, जमाकर्ताओं सहित आम जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सही नोटों में निहीत सुरक्षा विशेषताओं का प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के लिए कई उपाय किए हैं। जनता के सामान्य मार्गदर्शन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सही नोटों की पहचान को व्यक्त करने वाली एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेब साइड पर भी मौजूद है।

विवरण

राज्य	1998	1999	2000
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	853	1619	3724
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	290	330	853
बिहार	1063	3233	6764
गोआ	0	0	65
गुजरात	674	2184	3157
हरियाणा	0	0	27
हिमाचल प्रदेश	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	415
कर्नाटक	491	1979	4094
केरल	249	782	1501
मध्य प्रदेश	0	28	1281
महाराष्ट्र	2657	5800	13783
मणिपुर	0	0	4
मिजोरम	0	0	0
नागालैंड	0	0	0
उड़ीसा	14	11	165
पंजाब	4	0	652
राजस्थान	473	3644	6993
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	1769	4458	4985
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तर प्रदेश	288	538	5879
पं. बंगाल	413	5100	5391
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0
चंडीगढ़	3	171	2296
दादरा नगर हवेली	0	0	0
दमन व द्वीव	0	0	0

1	2	3	4
दिल्ली	2563	7289	8450
लक्षद्वीप	0	0	0
पांडिचेरी	23	0	6
जोड़	11827	37166	70485

[अनुवाद]

बिना तराशे हीरों की खरीद

3835. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रत्न और आभूषण निर्यात उत्पादन परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिना तराशे हीरों की सीधी खरीद के लिये निविदा प्रक्रिया में बोली लगाने हेतु डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगों और रूस की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधिमंडल ने किन तिथियों को यात्रा की;

(ग) क्या प्रतिनिधिमंडल उक्त देशों से बिना तराशे हीरों की सीधी खरीद में सफल हो सका;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें वाणिज्य विभाग, एमएमटीसी और रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के प्रतिनिधि शामिल थे, ने 13 से 18 दिसम्बर, 2000 तक रूस का दौरा किया था। जीजेईपीसी के प्रतिनिधियों के अन्य प्रतिनिधिमण्डल ने 7 से 13 दिसम्बर, 2000 तक डमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सासायटी मिनरे–डि–बैकवंगा (एमआईबीए) का दौरा किया था ताकि वहां से अपरिष्कृत हीरों की सीधी खरीद करने की सभावना का पता लगाया जा सके।

(ग) से (ङ) जहां तक रूस से अपरिष्कृत हीरों की सीधी आपूर्ति का संबंध है, भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के दौरे के दौरान 4.46 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। तथापि, भारत को अपरिष्कृत हीरों का सीधे निर्यात करने के लिए संबंधित रूसी एजेंसी के पास आवश्यक निर्यात लाइसेंस के अभाव में रूस से अपरिष्कृत हीरों की बिक्री अभी की गई है। जहां तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के एमआईबीए से आपूर्ति का संबंध है, यद्यपि, भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने अपनी निविदा बोलियां दे दी थी तथापि, वे कीमत के लिहाज से उक्त निविदा जीतने में सफल नहीं हुए थे।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र के लिये ऋण

3836. श्री नवल किशोर राय :

श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों की 70% शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली शाखाओं की इन बैंकों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) क्या वर्ष 1998–99 से वर्ष 2000–2001 के दौरान इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को सीधे दिये गये ऋण की प्रतिशतता लगातार घट रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्षों के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र को दिया गया और उक्त प्रतिशतता किस सीमा तक कृषि क्षेत्र के लिये निर्धारित प्रतिशतता से कम थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की 33261 शांखाएं कार्यरत हैं, जो कुल शाखाओं का 49.5% हैं।

(ग) और (घ) मार्च, 1998 से मार्च, 2001 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अंनुसार सरकारी क्षेत्र एवं गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया कृषि अग्रिमों से संबंधित आंकडे निम्नलिखित हैं। कृषि उधार लक्ष्य (निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत) की प्राप्ति में कमी को भी दर्शाया गया है।

i) **सरकारी क्षेत्र के बैंक**

मार्च	बकाया राशि (करोड़ रु.)	निवल बैंक ऋण की तुलना में %	लक्ष्य प्राप्ति में कमी का प्रतिशत
1998	34304	15.72	2.38
1999	40078	16.28	1.72
2000	46190	15.77	2.23
2001	53685	15.65	2.35

ii) **गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक**

मार्च	बकाया राशि (करोड़ रु.)	निवल बैंक ऋण की तुलना में %	लक्ष्य प्राप्ति में कमी का प्रतिशत
1998	2746	9.7	8.3
1999	3286	9.5	8.5
2000	4239	9.1	8.9
सितम्बर, 2000*	4659	9.6	8.4

*अद्यतन उपलब्ध आंकड़ा

[अनुवाद]

पूंजी बाजार के पुनरुद्धार के लिए योजना

3837. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजी बाजार में पुनरूद्धार के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र

3838. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई. टी. पी. ओ. ने देश के विभिन्न भागों में और व्यापार संवर्धन केन्द्रों को स्थापित करने का फैसला किया था;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य से किन शहरों की पहचान की गई है;

(ग) शहरों की पहचान के लिये कौन से मापदण्ड बनाये गये हैं; और

(घ) अब तक स्थापित किये गये व्यापार संवर्धन केन्द्र राज्यवार कहां–कहां स्थित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) देश के चुनिंदा क्षेत्रीय केन्द्रों में निर्यात संवर्धन संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु, इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) सरकार के अनुमोदन एवं वित्तीय सहायता के कुछेक राज्यों में क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र (आरटीपीसी) स्थापित कर रहा है। चैन्नई, बंगलौर और कोलकाता में आरटीपीसी की स्थापना हेतु आईटीपीओ और तमिलनाडु, कर्नाटक तथा

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापनों (एओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन एओयू के अनुसार, आरटीपीसी के कार्यों की देख–रेख करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों की नामित एजेंसी और आईटीपीओ के इक्विटी अंशदान से संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित कर कम्पनी अधिनियम की धारा–25 के अंतर्गत पंजीकृत की जाएंगी। चैन्नई व्यापार केन्द्र 31 जनवरी, 2001 को शुरू हो चुका है। आरटीपीसी, बंग्लौर से संबंधित कार्य प्रगति पर है। कोलकाता में अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। इन केन्द्रों का चयन इस विचार से किया गया था कि भारत, जैसा विशाल देश जहां विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में औद्योगिक केन्द्र स्थित हैं, केवल एक केन्द्र अर्थात दिल्ली से इस कार्य पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकता है। आरटीपीसी के लिए स्थान के चयन हेतु व्यापक मानदण्ड निम्नानुसार है:–

(i) विशाल जनसंख्या और उत्तम औद्योगिक आधार वाला महानगर।

(ii) समय–समय पर महत्वपूर्ण व्यापार प्रदर्शनों को आयोजित करने का स्थापित अनुभव।

(iii) सहायक बुनियादी सुविधाओं के साथ विकसित भूमि प्रदान करने में राज्य सरकारों की सहायता।

निवेश संबंधी नियमों का उल्लंघन

3839. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेश संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाली विदेशी कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निवेश संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा कितनी ऐसी विदेशी कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन कंपनियों के विरूद्ध किन–किन तारीखों को कार्रवाई शुरू की गई है और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) विदेशी निवेशक, विदेशी सहयोग–अनुमोदन की शर्तों और संबंधित भारतीय कानूनों तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और उसके अधीन बने नियमों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। विदेशी सहयोग के अनुमोदन की शर्तों और/अथवा संबंधित अधिनियमों/नियमों के उल्लंघन किये जाने के मामलों में चूककर्ता कंपनियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/कानूनी प्राधिकरणों द्वारा की जाती है।

योजना राजस्व के आबंटन के लिए सूत्र

3840. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को योजना राजस्व घाटा अनुदान के आबंटन के लिए सरकार की क्या नीति है;

(ख) वर्ष 1998–99 से 2001 – 2002 के दौरान योजना राजस्व घाटा अनुदान के आबंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना संसाधन बढ़ाने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) योजना राजस्व घाटा अनुदानों के मामले में भारत सरकार, वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा निर्देशित होती है। दसवें वित्त आयोग और ग्यारहवें वित्त आयोग दोनों ही ने किसी भी राज्य के लिए योजना राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश नहीं की है।

(ग) यह संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि वह संविधान के ढांचे के भीतर अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए कदम उठाएं या शुरू करें। भारत सरकार ने अपनी ओर से, राज्यों/संघशासित क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय सहायता में वर्ष 2000–01 (बजट अनुमान) में 36824 करोड़ रुपए से वर्ष 2001–02 (बजट अनुमान) में 40644 करोड़ रुपए की वृद्धि की है और ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को उच्चतर अन्तरण उपलब्ध कराया है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3841. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :

श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता उपलब्ध कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम पहले से ही मौजूद है। इन नियमों के अनुसार कोई भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपनी 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन मास का नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकता है। इस नियमावली में अधिशेष घोषित कर्मचारियों के लिए भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प है बशर्ते उन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। हालांकि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है, तथापि वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2001 के अपने बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के अनुसार अधिशेष पूल में मौजूद कर्मचारियों को एक आकर्षक वी.आर.एस. पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अवकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) सुविधाओं का स्थगन

3842. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंकों, जी. आई. सी. और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अवकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) सुविधाओं को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी यूनियनों/एसोसियेशनों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत सुविधाओं की बहाली के लिये कड़ा विरोध किया गया है;

(घ) क्या सरकार जी. आई. सी. में अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) सुविधाओं की बहाली के लिये सिद्धांत तौर पर सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक जरूरी अधिसूचना जारी किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों और बीमा कंपनियों में अवकाश यात्रा रियायत सुविधाएं जो पहले से ही प्रचलन में हैं, उसे संबंधित संस्थानों के प्रबंधन के निर्णयाधीन जारी रखा जाए।

कॉफी का निर्यात

3843. श्री एम. चिन्नासामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999–2000 से 2000–2001 के दौरान कॉफी के कुल निर्यात में अत्यधिक कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कॉफी का निर्यात वर्ष 1999–2000 के 447 मिलियन डालर से घटकर करीब 332 मिलियन डालर हो गया है;

(ग) यदि हां, तो कॉफी निर्यात से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा में आई भारी गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कॉफी निर्यात में भारतीय बाजार का हिस्सा बनाये रखने हेतु कोई उपाय किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कॉफी उत्पादकों को उनके समक्ष आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिये दी जा रहीं केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं। वर्ष 1999–2000 के दौरान निर्यातित 2.45 लाख टन कॉफी की तुलना में वर्ष 2000–2001 के दौरान 2.47 लाख टन कॉफी का निर्यात किया गया था।

(ख) और (ग) यद्यपि वर्ष 1999–2000 की तुलना में वर्ष 2000–2001 के दौरान कॉफी के निर्यातों की मात्रा में कोई गिरावट नहीं रही है तथापि कॉफी की कम युनिट मूल्य प्राप्ति के कारण विदेशी मुद्रा आय वर्ष 1999–2000 में 447.33 मिलियन अमरीकी डालर से घटकर वर्ष 2000–2001 में 333.35 मिलियन अमरीकी डालर रह गई है। इसका मुख्य कारण यह कॉफी उत्पादक देशों द्वारा विश्वव्यापी खपत की तुलना में बेशी उत्पादन करना जिससे मांग और पूर्ति में अंतर आ गया है।

(घ) और (ङ) बोर्ड में प्रमुख बाजारों में हिस्सा प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए और अगले पांच वर्षों में वैश्विक

बाजारों में भारतीय कॉफी की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए एक मध्यावधि निर्यात कार्य योजना क्रियान्वित करनी शुरू कर दी है।

(घ) भारत सरकार, कॉफी बोर्ड के जरिए गैरिम खेती, गुणवत्ता उन्नयन और जल संवर्धन पर लक्षित अनेक योजना स्कीमें तथा विकासपरक गतिविधियां चलाने के अलावा, अनुसंधान, विस्तार, ऋण और वित्त की व्यवस्था के रूप में आवश्यक सहायता तथा रोपण के प्रयोजनार्थ बीजों की आपूर्ति जैसी अनुषंगी सहायता भी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा, खासकर लघु उत्पादक क्षेत्र में कॉफी की उत्पादकता बढ़ाने और उत्पाद की गुणवत्ता में संधार लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल की जा सके। बोर्ड द्वारा विशिष्टता कॉफी का उत्पादन करने के लिए बड़े उत्पादकों को प्रोत्साहन भी किया जा रहा है जिससे यूएसए और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में अधिकतर आय प्राप्त होती है।

हाल ही में भारत सरकार के आदेश पर भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड ने कॉफी उत्पादकों को राहत प्रदान करने के उपाय के रूप में कॉफी उत्पादकों को फसल ऋण हेतु पुनः कार्यक्रम तैयार करने तथा कॉफी क्षेत्र को नए कार्यशील पूंजी ऋण भी प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं।

बैंक धोखाधड़ी जांच संबंधी समिति

3844. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंक धोखाधड़ी और बैंकों में कदाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच के लिये 1992 में श्री ए. घोष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं और उनमें से अब तक कितनी लागू की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिश संलग्न विवरण में दी गई हैं।

भारतीय रिवर्ज बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा बहुत सी सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

विवरण

बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त समिति की मुख्य सिफारिशों का सारांश

1. बैंकों की प्रचालनात्मक ऐहतियातों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

2. करेंसी चैस्ट लेनदेनों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेषण विभाग को उसी दिन देनी चाहिए।

3. बैंकों को लांडरिंग जैसे कार्यकलापों के लिए दुरुपयोग से स्वयं को बचाना चाहिए और असामान्य लेनदेनों के मामलों को कर प्राधिकारियों के साथ उठाने के लिये अपने प्रधान कार्यालयों को तत्काल सूचित करना चाहिए।

4. बैंकों को लिखित निवेश नीति रखनी चाहिए जिसमें निवेश पोर्टफोलियों प्रबंधन के आवश्यक पहलुओं की रूपरेखा को दर्शाया गया हो। उन्हें अपनी विद्यमान पद्धतियों और प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा भी करनी चाहिए।

5. बैंकों को ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए एक मजबूत आधार के रुप में एक लिखित ऋण नीति तैयार करनी चाहिएं।

6. अग्रिम पोर्टफोलियों में धोखाधडियों को रोकने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों को अपेक्षित/आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करें और कमी को दूर करें।

7. बैंकों को एक स्वतंत्र ऋण पुनरीक्षा विभाग प्रधान कार्यालय स्तर पर और अंचल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्थापित करना चाहिए।

8. बैंकों को अपनी नियंत्रण और सुरक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना चाहिए ताकि कम्प्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में धोखाधड़ियों को रोका जा सके।

9. बैंकों को अनियमितताओं, कदाचारों और धोखाधड़ियों का समय पर पता लगाने के लिए अपने निरीक्षण और लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत बनाना चाहिए।

10. अनुषंगी कंपनियों के कार्यकरण पर नियंत्रण रखने के लिए उचित नियंत्रण प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है ताकि जिन कार्यकलापों को बैंकों के लिए निषेध किया गया हो, अनुषंगी उन्हें न करें।

11. स्वय को प्रभावी करने के लिए मुख्य सुरक्षा अधिकारियों को उच्च प्रबंधन के दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और उन्हें प्रारंभिक जांच करने, मामला तैयार करने के लिए सांविधिक शक्तियां दी जानी चाहिए और उसके पश्चात ऐसे मामलों को सक्षम कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों को सौंपना चाहिए बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए तंत्र तैयार करना चाहिए कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थापित अनुषंगी कंपनियों को सक्षम सतर्कता तंत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जा सके।

12. विभिन्न जांच एजेंसियों अर्थात् बैंकों का सतर्कता विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और पुलिस के बीच प्रभावी समन्वय होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और बैंकिंग प्रभाग के बीच समय–समय पर बैठकें भी होनी चाहिएं।

जी. आई. सी. के अध्यक्ष द्वारा विदेश यात्रा

3845. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साधारण बीमा निगम और इसकी चार अनुषंगी कंपनियों के अध्यक्ष और उन अन्य अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान विदेश यात्रा की और उनके द्वारा किन देशों की यात्रा की गई;

(ख) उनकी यात्राओं का उद्देश्य क्या था और प्रत्येक देश की यात्रा में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के कगार पर विदेशों की अधिकारिक यात्रा की और ऐसी यात्राओं का उद्देश्य क्या था;

(घ) जी. आई. सी. और इसकी अनुषंगी कंपनियों के कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों की विदेश यात्रा को मंजूरी देने वाले अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जी. आई. सी. और इसकी अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों द्वारा बार–बार और गैर जरूरी विदेश यात्रा पर रोक लगाने हेतु सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बकाया आयकर राशि

3846. प्रो. दुखा भगत :

श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

श्री जी. एस. बसवराज :

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्मी सितारों, क्रिकेट–खिलाड़ियों, व्यवसायियों तथा व्यापारियों और व्यापारियों द्वारा देय आयकर की करोड़ों रुपये की राशि का भुगतान बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितने फिल्मी सितारों, क्रिकेट–खिलाडियों, व्यावसायियों तथा व्यापारियों ने अब तक बकाया आयकर का भुगतान नहीं किया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक, आयकर–भुगतान तथा "फेरा" के उल्लंघन के विषय में आयकर–अधिकारियों को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ङ) उक्त वर्गों के व्यक्तियों से बकाया आयकर–राशि की पूरी वसूली करने के लिए सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 2001 को बकाया कुल आय कर मांग 59,425.17 करोड़ रुपये हैं।

(ग) आयकर विभाग क्रिकेट खिलाड़ियों, व्यावसायियों और व्यापारियों के संबंध में बकाया आय कर के अलग से विवरण नहीं रखता है। कुल 911 व्यष्टि हैं जिनकी 31.3.2001 को एक करोड़ और इससे अधिक की बकाया कर मांग है। कुल मिलाकर 270 फिल्मी हस्तियां हैं जिनकी 31.3.2001 को एक लाख रुपए और इससे अधिक की बकाया कर मांग है।

(घ) पूरे देश में सभी स्तरों पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा कर अपवंचन याचिकाएं प्राप्त की जाती हैं। इन याचिकाओं के कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्राप्त कर अपवंचन याचिकाओं की संख्या निम्नवत् है:–

वित्तीय वर्ष	प्राप्त कर अपवंचन याचिका की संख्या
1998–99	934
1999–2000	1214
2000–2001	943

कुल कर अपवंचन याचिकाओं में फेरा उल्लंघन से संबंधित शिकायतें भी होती हैं।

(ङ) बकाया मांग के संग्रहण/कमी के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और उसे वसूल करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक, कानूनी और अन्य उपाय किए जाते हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अपीलीय अधिकरणों से अनुरोध किया जाता हैं। जहां वसूली प्रक्रियाएं न्यायालयों द्वारा स्थगित की जाती है, वहां स्थगन आदेश रद्द कराने के लिए उपाय किए जाते हैं। मांगों की शीघ्र वसूली के लिए समुचित मामलों में अवपीडक उपाय भी किए जाते हैं। बड़े मामलों में डोजियरों का रख–रखाव किया जाता है और वसूली की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

रत्न-परीक्षण केन्द्र

3847. श्री रामदास आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने रत्न–परीक्षण केन्द्र हैं; उनके बारे में राज्यवार तथा संघ–राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में, विशेषतः दिल्ली में ऐसे कुछ और केन्द्र खोलने का सरकार का प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधि स्वायत्त व्यापार निकाय है, द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार देश में रत्न परीक्षण केन्द्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के नाम	रत्न परीक्षण केन्द्र का नाम
1	2
महाराष्ट्र	(1) जोमोलॉजिक इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया 29, गुरूकुल चैम्बर्स 187/189 मुंबादेवी रोड, मुम्बई–400002
	(2) सेंट जेवियर्स कालेज, जेमोलॉजिकल डिवीजन, ज्योलॉजी डिपार्टमेंट, महानगर पालिका मार्ग मुम्बई–400001
	(3) इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टिटयूट मित्तल, कोर्ट नरीमन प्वाइंट, मुम्बई–400021
	(4) पेन गेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, पेन जेम इंटरप्राइजेज, 10–संगीता, पंचरत्न टाडीवाला रोड के पीछे, पुणे–411011
राजस्थान	(5) जेम टेस्टिंग लैबोरेटरी, राजस्थान चेम्बर भवन, मिर्जा इस्माइल रोड़, जयपुर–302003
पश्चिम बंगाल	(6) जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, सीपीएल, जीएसआई, 27–जे.एन. रोड़, कोलकाता–700116
तमिलनाडु	(7) जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, 66–कैथेड्रल रोड, चैन्नई–600086
	(8) श्री रामकृष्ण जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, 70–पेराननगर मेन रोड़, सलेम–636007
	(9) त्रिची जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, इपूर कम्पलेक्स, 86–डाइमंड बाजार, त्रिची–620002
आंध्र प्रदेश	(10) जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, 4–3–346 राजा भगवानदास मार्ग, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद–500195

1	2
केरल	(11) जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, केरला मिनरल ई एण्ड डी प्रोजेक्ट (केरल सरकार) केशवदास पुरम, पोट्टम पैलेस, पी.ओ. त्रिवेन्द्रम–695004
दिल्ली	(12) इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टिटयूट, 'एफ' ब्लाक, झंडेवालान फ्लैटेड फैक्टरीज कम्पलैक्स, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055
गुजरात	(13) इंडियन डायमंड इंस्टिटयूट कतारगाम जीआईडीसी सामुल डेरी रोड, सूरत–395008

(ख) और (ग) सरकार के पास देश में इस प्रकार के किसी रत्न परीक्षण केन्द्र को स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली में झंडेवालान कम्पलैक्स में इंडियन जेमोलॉजीकल इंस्टिटयूट नामक एक रत्न परीक्षण केन्द्र पहले ही मौजूद है। तथापि किसी रत्न परीक्षण प्रयोगशाला अथवा केन्द्र की स्थापना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के किसी विशेष अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण-इकाई

3848. डा. बलिराम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुख्यात शेयर–बाजार घोटालों, जिनमें माधव सरकारी बैंक भी संलिप्त था, के पश्चात अपनी निरीक्षण इकाईयों में आमूल सुधार किया है; और

(ख) यदि हां, तो सहकारी बैंकों के शेयर–दलालों के हाथों की कठपुतली बनते जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से जो अन्य कदम उठाए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) की जांच प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु उसे निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

* सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष करना;

* 31.3.2001 से शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थलेत्तर निगरानी प्रणाली का प्रारम्भ;

* अनुसूचित शहरी सहकारी बैंको के अध्यक्ष एवं कुछ निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय पर चर्चा हेतु बुलाना और उन्हें कमियों को शीघ्र दूर करने के लिए परामर्श देना। इसके अलावा, बैंक के विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना, भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट/अन्य अनुदेशों की अनुपालना करना, विशेष रूप से राज्य में शहरी बैंकिंग क्षेत्र में विकास को कवर किया जाना है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को शेयर दलालों को किसी भी प्रकार की ऋण सुविधा देने की अनुमति नहीं दी गई है। यूसीबी को कंपनियों के इक्विटी/डिबेंचर में या तो गौण बाजार अथवा प्राथमिक बाजार में निवेश करने से भी रोका गया है। तथापि, कतिपय सीमाओं की शर्त के तहत उन्हें अलग–अलग व्यक्तियों को शेयरों के बदले उधार देने की अनुमति दी गई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2001 में यूसीबी को परामर्श दिया है कि वे या तो अलग–अलग व्यक्तियों/शेयर दलालों अथवा अन्य किसी संस्था को शेयरों की जमानत के बदले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उधार देने के लिए नए प्रस्तावों पर विचार न करें, यदि शेयर दलालों को उधार दिया गया है तो ऐसे अग्रिमों को वापस मंगाए/ऐसे निवेशों का निपटान करें, तयशुदा तारीख तक उधारकर्ताओं से वापसी अदायगी मांगे और ऐसे अग्रिमों को नवीकरण की अनुमति न दें, निर्धारित फार्मेट में 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, बकाया की स्थिति से प्रारम्भ करते हुए तिमाही आधार पर शेयरों के बदले अलग–अलग उधारकर्ताओं और अन्य संस्थाओं को उनके विद्यमान बकाया की सूचना दें।

आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी

3849. श्री पुन्नूलाल मोहले :

श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रुक जाने के कारण, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन से निरोधी उपाय शुरू किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन बन्द नहीं किया गया है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आबंटन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करते समय निर्धारित किए गए मापदण्डों के आधार पर अल्पकालिक आबंटन के रुप में किया जा रहा है। तथापि, लेवी चीनी के संबंध में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1.2.2001 से इसका आबंटन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, द्वीप समूहों और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीमित कर दिया गया है।

अवयस्क लोक भविष्य निधि-खाताधारी

3850. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष किसी ऐसे अवयस्क के नाम से लोक भविष्य निधि–खाता खोलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसका पिता लोक भविष्य निधि–खाताधारी हो;

(ख) क्या सरकार का ऐसे पुराने खातों, जो किसी अवयस्क के नाम से हों, में जमाराशि पर ब्याज देने बंद करने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय राजस्व का राज्यों को अन्तरण करने के लिए सूत्र

3851. श्री सुरेश कुरूप : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (अद्यतन) के अनुतः केन्द्रीय राजस्व के अन्तरण हेतु नया सूत्र अंगीकार करने के विरूद्ध कई राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों से अभ्यावेदन मिले हैं और प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राजस्व हानि का आकलन किया गया है;

(ग) क्या इन राज्य सरकारों को होने वाली हानि पर नियंत्रण में इनकी मदद करने के लिए कोई कदम उठाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों, जैसे असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब तथा तमिलनाडु ने इस संबंध में अभ्यावेदन भेजे हैं।

राज्यों की जरूरतों के लिए उनका आकलन और क्षैतिज साम्यता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर राज्यों के बीच अन्तरणों के हिस्से का निर्धारण करने हेतु वित्त आयोग मानदण्ड निर्धारित करता है। दसवें वित्त आयोग तथा ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) के संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों के लिए कुछ अनुमानित अंतरणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। केन्द्रीय करों तथा प्रशुल्कों का अंतरण, सहायता अनुदान की प्रमाण तथा राज्यों को ऋण राहत के संबंध में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

विवरण

दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुमानित कुल अन्तरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	दसवां वित्त आयोग (1995–2000)						ग्यारहवां वित्त आयोग (2000–05)					
		करों एवं प्रशुल्कों में अंशदान	गैर–योजनागत राजस्व घाटा अनुदान	स्तरोन्नयन एवं विशेष समस्या	स्थानीय निकाय अनुदान	राहत व्यय	कुल अन्तरण (कालम (2 से 6)	करों एवं प्रशुल्कों में अंशदान	गैर योजनागत राजस्व घाटा अनुदान	स्तरोन्नयन एवं विशेष समस्या	स्थानीय निकाय अनुदान	राहत व्यय	कुल अन्तरण (कालम 8 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	16325.94	686.45	153.88	424.94	490.33	18081.54	28980.25	0.00	285.23	924.90	820.80	31011.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	1360.03	307.60	68.31	4.63	27 79	1768.36	918.32	1228.02	90.59	28.52	49.83	2315.18
3.	असम	7064.14	712.03	206.86	147.56	197.46	8328.05	12362.05	110.68	132.54	254.99	420.60	13280.86
4.	बिहार	23302.45	333.06	240.63	574.28	205.14	24655.56	54934..90	0.00	401.60	878.94	512.46	56727.90
5.	गोवा	524.06	77.26	10.79	5.91	4.23	622.25	775.22	0.00	27.28	13.91	5.15	821.56
6.	गुजरात	8014.95	0.00	50.00	259.47	551.17	8875.59	10615.93	0.00	234.5	480.56	668.88	12000.22
7.	हरियाणा	2554.96	0.00	40.00	99.22	98.93	2793.11	3552.44	0.00	132.65	183.73	336.95	4205.77
8.	हिमाचल प्रदेश	3743.81	772.18	105.03	34.23	106.41	4761.66	2570.25	4549.26	91.16	69.56	180.20	7460.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	जम्मू और कश्मीर	5904.70	1184.13	105.77	49.68	77.80	7322.08	4854.50	11211.19	127.82	90.07	144.64	16428.22
10.	कर्नाटक	10034.64	0.00	29.00	291.96	165.23	10520.83	18552.48	0.00	311.53	518.94	309.03	19691.98
11.	केरल	7217.00	0.00	81.83	204.24	218.74	7721.81	11504.04	0.00	129.14	404.88	278.66	12316.72
12.	मध्य प्रदेश	15275.50	0.00	206.37	410.43	201.67	16093.97	33258.98	0.00	494.52	871.48	373.40	34998.38
13.	महाराष्ट्र	12859.84	0.00	100.00	479.96	269.28	13709.08	17431.05	0.00	331.97	972.98	651.49	19387.49
14.	मणिपुर	1689.63	350.92	74.74	11.54	9.79	2136.62	1377.32	1744.94	58.59	23.17	11.89	3215.91
15.	मेघालय	1534.58	316.42	16.72	10.12	11.01	1888.85	1287.01	1572.38	57.39	28.31	16.32	2961.41
16	मिजोरम	1398.37	331.19	64.13	3.32	5.00	1802.01	745.11	1676.30	89.84	11.70	12.32	2535.27
17.	नागालैंड	2197.38	529.78	53.96	5.21	6.71	2793.04	827.90	3536.24	62.84	14.66	8.12	4449.76
18.	उड़ीसा	8783.41	371.74	137.79	220.10	193.51	9706.55	19026.64	673.60	215.05	385.55	453.66	20754.50
19.	पंजाब	3160.41	0.00	81.31	133.95	213.80	3589.47	4316.37	284.21	110.01	209.37	508.57	5428.53
20.	राजस्थान	10255.26	33.45	149.87	255.40	706.89	11400.87	20595.88	1244.68	299.85	590.37	857.85	23588.63
21.	सिक्किम	562.07	105.69	10.06	2.48	18.59	698.89	992.43	840.58	66.78	5.50	28.63	1633.92
22.	तमिलनाडु	12622.54	0.00	100.84	402.86	234.33	13360.57	20264.72	0.00	251.86	659.49	425.36	21601.43
23.	त्रिपुरा	2325.81	488.78	25.90	14.97	17.75	2873.21	1832.67	2414.16	60.18	32.48	21.55	4361.04
24.	उत्तर प्रदेश	33526.67	982.00	275.54	880.70	494.00	36158.91	74501.56	1026.74	669.91	1570.76	740.33	78509.30
25.	पश्चिम बंगाल	14104.85	0.00	219.17	453.77	202.63	14980.42	30540.09	3246.09	239.45	775.22	419.00	35219.85
	कुल	206343.00	7582.69	2608.50	5380.93	4728.19	226643.30	376318.01	35359.07	4972.63	10000.00	8255.69	434905.40

राष्ट्रीय खाद्यान्न वितरण नीति

3852. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न के सबंध में कोई एकरूप राष्ट्रीय वितरण नीति न होने की वजह से कई राज्यों में लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जबकि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की अतिशेष मात्रा बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक विशेषज्ञों ने भी सरकार से एक राष्ट्रीय खाद्यान्न वितरण नीति तैयार करने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए कुल खाद्यान्नों के उत्पादन का केवल लगभग 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत वसूल किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की ऐसी आपूर्ति केवल पूरक स्वरूप की जाती है।

खाद्य क्षेत्र के बदले हुए परिदृश्य से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार ने देश के लिए दीर्घकालिक अनाज नीति तैयार करने हेतु प्रो. अभिजीत सेन, पूर्व अध्यक्ष, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अध्यक्षता में 16 नवम्बर, 2000 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :–

i) न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य समर्थन प्रचालन

ii) भारतीय खाद्य निगम से संबंधित मुद्दे

iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण

iv) बफर स्टाक, खुले बाजार में हस्तक्षेप और निर्यात/आयात के बारे में अनाज नीति

v) ग्रामीण विकास और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्न का आबंटन समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी है।

गुजरात के भूकम्प-प्रभावित क्षेत्रों को करावकश

3853. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात के सौराष्ट्र स्थित भूकम्प–प्रभावित क्षेत्रों को 5 वर्ष के लिए करावकाश देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी नामों से सावधि जमा खाते

3854. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मई, 2001 के "दि हिन्दु" समाचार पत्र में "एफडीज़" अण्डर फिक्टिशियस नेम्स यूज्ड टु इनवेस्ट ब्लैक–मनी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह की गतिविधि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे बैंकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, जो फर्जी नामों से भारी जमाराशि वाले सावधि जमा खाते खोलने में सहायक रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचित किया है कि इंडियन ओवरसीज बैंक, पोर्ट ब्लेयर शाखा के कुछ अधिकारियों और एक निजी व्यक्ति, जिस पर आरोप है कि उसने उनसे मिलकर षडयंत्र किया और 7 करोड़ रुपए की अवैध रूप से अर्जित किए गए धन को जमा करने के लिए फर्जी व्यक्तियों के नाम में खाते खोले, के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक मामला दर्ज किया है।

(ख) और (ग)- भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को

मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि वे खाते को संचालित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों की फोटो प्राप्त करें और स्वतंत्र रूप से खाता – धारकों के पतों की पुष्टि भी करें।

बैंकों का लाभार्जन

3855. श्री रामनायडू दग्गुबाटि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वालों को काफी अधिक धनराशि का भुगतान करने का कारण देतु हुए अपने वर्ष 2000–2001 के लाभार्जन में तीव्र गिरावट दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2001 तक, इस प्रयोजन के लिए बैंक–वार कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोनार्थ बैंक–वार कितनी राशि का भुगतान किए जाने की आशा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों में से 13 बैंकों ने वर्ष 2000–2001 में अपने निवल लाभ में कमी दर्ज की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि एक समूह के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल लाभ, वर्ष 1999–2000 के दौरान 13066.36 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2000–2001 के दौरान 13792.96 करोड़ रु. का हुआ जिसमें 726.60 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि एक समूह के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निवल लाभ, वर्ष 1999–2000 के दौरान 5116.18 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2000–2001 के दौरान 4316.97 करोड़ रुपए हुआ, इसमें 799.21 करोड़ रु. की हानि हुई।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम आंकड़ों तथा प्रकाशित किए गए उनके तुलन–पत्र से समेकित किए गए आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए लाभ एवं हानि खाते से लिए गए व्यय तथा 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए लाभ एवं हानि खाते से वसूल किए जाने वाले व्यय का बैंक–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के 26 बैंकों के संबंध में दिनांक 31.3.2001 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत व्यय।

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार वीआरएस के लिए पी एंड एल खाते से लिया गया खर्च	दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार वीआरएस के लिए पी एंड एल के खाते से वसूल किया जाने वाला खर्च
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	11	11
2.	आन्ध्र बैंक	60	60
3.	बैंक आफ बडौदा	175	175
4	बैंक आफ इंडिया	330	330
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	80	80

1	2	3	4
6.	केनरा बैंक	239	239
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	139	139
8.	देना बैंक	108	108
9.	इंडियन बैंक	96	96
10.	इंडियन ओवरसीज बैंक	52	52
11.	ओरि. बैंक आफ कामर्स	26	26
12.	पंजाब एंड सिंध बैंक	55	55
13.	पंजाब नेशनल बैंक	271	271
14.	सिंडिकेट बैंक	91	91
15.	यूको बैंक	51	51
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	119	119
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	24	24
18.	विजया बैंक	60	60
19.	भारतीय स्टेट बैंक	853	853
20.	स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	37	37
21.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	46	46
22.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर,	11	11
23.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	44	44
24.	स्टेट बैंक आफ पटियाला,	36	36
25.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	21	21
26.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	44	44

[हिन्दी]

विदेशों को ऋण

3856. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख की स्थितिनुसार भारत द्वारा विदेशों को दिए गए ऋण के रूप देश–वार कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इन देशों से अनुमानतः भारत को प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में देशवार कितनी धनराशि मिलती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के विदेश-दौरों का कवरेज

3857. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अतिविशिष्ट व्यक्तियों के विदेश–दौरों का समाचार कवरेज करने के लिए रिपोर्टिंग यूनिट में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए क्या मापदण्ड है;

(ख) क्या ऐसे दौरों का समाचार देने के लिए आकाशवाणी के हिन्दी समाचार–कक्ष से किसी कार्मिक को नहीं भेजा जाता; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) मीडिया एकक, विदेश मंत्रालय (विदेश प्रचार प्रभाग अति विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यालय के अनुरोधों पर अतिविशिष्ट व्यक्तियों के विदेश दौरे को कवर करने के लिए अधिकारियों को तैनात करते हैं। अधिकारियों को उनके ज्ञान तथा उनकी रिपोर्टिंग दक्षता तथा अपेक्षित कवरेज की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नामित किया जाता है। ऐसे दौरों को कवर करने के लिए विगत में हिन्दी समाचार एकक के अधिकारियों को भी भेजा गया है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के जरिये तस्करी

3858. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों का आवश्यक वस्तुओं की तस्करी के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर नियमित रूप से छापों की कार्रवाई की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अन्य और कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम को आवश्यक वस्तुओं की तस्करी के लिए इसके गोदामों के दुरुपयोग करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च) सुरक्षा संबंधी कमियों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर गोदामों का सुरक्षा संबंधी निरीक्षण किया जाता है। संवेदनशील गोदामों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा राज्य सशस्त्र पुलिस को तैनात करने संबंधी निवारक उपाय किए जा रहे हैं। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां होम गार्ड, विशेष पुलिस अधिकारी तथा निजी सुरक्षा गार्ड जैसी एजेंसियों तैनात की जाती हैं। मामलों की जांच के लिए पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल कार्रवाई के लिए फ्लाइंग स्कवैड भेजी जाती है।

उपभोक्ता मंच

3559. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ऐसे कई जिले हैं जहां पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कभी भी किसी उपभोक्ता मंच को स्थापित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के समक्ष उपभोक्ता मंच स्थापित करने के संबंध में समस्याएं आ रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपभोक्ता मंच स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जिन जिलों में अभी तक जिला मंच स्थापित नहीं किए गए हैं, उनके ब्यौरों की सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों की स्थापना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है।

बैंक डकैतियां

3860. श्री बलराम सिंह यादव :

श्री चन्देश पटेल :

श्री बाबूभाई के. कटारा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी बैंक डकैतियों की सूचना मिली;

(ख) इन मामलों में कितनी धनराशि संलिप्त थी;

(ग) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली के समीप आई. सी. आई. सी. आई. बैंक का दो करोड़ एक लाख रुपए डकैती के जरिए लूट लिया गया;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस घटना में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा निकट भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान हुई बैंक लूटपाटों/डकैतियों की राज्य–वार संख्या और ऐसे मामलों में अंतर्ग्रस्त राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आई सी आई सी आई बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की नकदी के परिवहन/लाने–ले जाने के लिए उनकी मैसर्स ब्रिंक्स आर्य (प्रा.) लि. के साथ व्यवस्था थी। दिनांक 23 जुलाई, 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक से 2.01 करोड़ रुपए आहरित करने के बाद वैन को मैसर्स ब्रिंक्स आर्य (प्रा.) लि. के दो कर्मचारियों द्वारा बन्दूक की नोक पर अपहृत कर लिया गया, जिन्होंने नकदी लूटने के बाद वैन को दिल्ली–गुडगांव सीमा पर छोड़ दिया। मैसर्स ब्रिंक्स आर्य (प्रा.) लि. और आई सी सी आई बैंक ने दिल्ली पुलिस के पास शिकायतें दर्ज करा दी हैं।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रियान्वित किए गए सुरक्षा उपायों की भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा आवधिक रुप से आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में समीक्षा की जाती है। बैंकों ने अंतर्ग्रस्त जोखिम के कारकों के आधार पर अपनी शाखाओं का वर्गीकरण किया है और सशस्त्र गार्ड तैनात किए हैं तथा आवश्यकतानुसार सेंधमारी/लूटपाट विरोधी उपाय किए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई बैंक लूटपाटों/डकैतियों की राज्य–वार संख्या

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1998		1999		2000	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2	9.25	–	–	3	55.99
2.	असम	10	16.75	2	0.61	5	21.27
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	32	152.31	40	141.85	41	131.01

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
6.	दिल्ली	1	0.75	1	2.00	1	13.19
7.	गुजरात	–	–	–	–	1	21.42
8.	गोवा	–	–	–	–	–	–
9.	हरियाणा	3	18.42	4	16.22	1	0.91
10.	हिमाचल प्रदेश	1	3.22	1	2.00	3	4.50
11.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	1	1.20	2	1.27	1	2.50
13.	केरल	–	–	1	10.00	–	–
14.	महाराष्ट्र	6	65.98	5	17.78	4	21.17
15.	मध्य प्रदेश	3	7.85	6	21.55	3	1.79
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	1	10.00	1	13.60	4	9.15
18	मिजोरम	–	–	–	–	1	5.12
19.	नागालैण्ड	1	182.00	–	–	1	23.00
20.	उड़ीसा	3	24.20	5	25.29	6	30.23
21.	पंजाब	–	–	–	–	1	1.97
22.	राजस्थान	–	–	1	0.22	–	–
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	1	10.47	–	–	–	–
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	18	105.62	21	33.35	19	152.82
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–
28.	पं. बंगाल	4	10.46	15	54.58	17	73.52
28.	झारखंड	–	–	–	–	–	–
29.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–
	कुल	87	618.48	105	340.32	112	569.56

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडागार निगम द्वारा निविदाएं आमंत्रित किया जाना

3861. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडागार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) का विचार आंध्र प्रदेश में भंडागारों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में ऐसे कितने भंडागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव है तथा इन भंडागारों की क्षमता क्या होगी और इनका कहां–कहां निर्माण किया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश में भंडागारों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ग) आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय निगम द्वारा निर्माण हेतु प्रस्तावित भंडागारों की संख्या, उनकी क्षमता और स्थान निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	क्षमता (टन में)
1	2	3
1.	राजाहमुंद्री	5,000
2.	गुन्टूर	1,120
3.	करीम नगर (नया स्थल)	30,000
4.	बोधन	10,000
5.	नन्दी कोटकुर	5,000
6.	महबूब नगर	10,000
7.	गुडीवाडा	5,000
8.	मछलीपटनम	10,000
9.	निदामानुर	10,000
10.	नान्दयाल	10,000
11.	इम्मामअमूला	8,500
12.	सिद्दीपेट	3,400
13.	डुग्गीराला	3,700
14.	काकीनाडा	10,000
15.	सारंगपुर	3,000
16.	पेडाककानी	7,000
17.	सूर्यपेट	10,000
18.	अदीलाबाद	10,000
19.	कैकलूर	1,200
20.	करीमनगर	1,200
21.	ओंगोले (नया स्थल)	20,000
22.	गडवाल (नया स्थल)	10,000

बैंक शाखाओं का विलय

3862. श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंके घाटे में चल रही 440 शाखाओं का विलय करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के पश्चात आरम्भ किए गए पुनर्गठन कार्यक्रम के भाग के रूप में देश भर में फैले इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या अन्य कारणों से अपनी बैंक की घाटा उठाने रही 440 शाखाओं के विलय और उसके द्वारा देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंक से नेटवर्क को समाप्त करने संबंधी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

3863. श्री के. फ्रांसिस जार्ज :

श्री तूफानी सरोज :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवम्बर, 2001 में दोहा में प्रस्तावित विश्व व्यापार संगठन के आगामी चौथे मंत्रालयीन सम्मेलन में भारत द्वारा कौन–कौन से मुद्दे उठाये जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार उक्त सम्मेलन में कृषि से संबंधित मामलों पर विशेष बल देने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या भारत ने नये दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों ने सरकार को दोहा (कतार) में होने वाली विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तर की प्रस्तावित बैठक में नयी वार्ता की मांग करने का सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) डब्ल्यूटीओ का चौथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 9 से 13 नवम्बर, 2001 तक दोहा, कतार में होना निश्चित हुआ है। सरकार द्वारा जिन मुख्य मुद्दे का उठाए जाने का प्रस्ताव है वह उरूग्वे दौर के करारों को कार्यान्वित करने में विकासशील देशों को महसूस हुई कठिनाईयों से संबंधित है। ये चिंताएं जिन्हें "क्रियान्वयन सबधी मुद्दों" के रूप में जाना जाता है, मौटेतौर पर तीन श्रेणियों में आती हैं। प्रथम श्रेणी उरूग्वे दौर के कुछेक करारों में अन्तर्निहित असंतुलन एवं असमानताओं से संबंधित है। दूसरी श्रेणी विकसित देशों द्वारा डब्ल्यूटीओ करारों के विभिन्न प्रावधानों के निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन के अभाव से संबंधित है। तीसरी श्रेणी विभिन्न डब्ल्यूटीओ करारों में निहित विशेष एवं अधिमानी प्रावधानों को विकासशील देशों के पक्ष में लागू न करने से संबंधित है। इन कठिनाईयों के परिणामस्वरूप, उरूग्वे दौर के करारों से विकासशील देशों को जो लाभ मिलने की आशा थी वे नहीं मिल रहे हैं।

भारत का यह मत है कि दोहा सम्मेलन में मूल रूप से क्रियान्वयन संबंधी चिंताओं के समाधान से जुड़े कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए और कृषि एवं सेवाओं के क्षेत्र में चल रही तयशुदा वाताओं तथा तयशुदा समीक्षाओं में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इनके लिए नीतिगत दिशानिर्देश दिए जाने चाहिए। सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ इस बात पर बल दिए जाने का प्रस्ताव है कि विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा और अजीविका संबंधी चिंताओं पर कृषि के क्षेत्र में चल रही वार्ताओं में ध्यान दिया जाना चाहिए। आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की कार्यसूची में किसी नए मुद्दे को तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के बीच आम सहमति न बन जाय। यह आम सहमति तभी बन सकती है जब क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों हल हो जाते हैं, विवादास्पद "गैर–व्यापार" मुद्दों को वार्ताओं से बाहर रखा जाता है। और विकासशील देश डब्ल्यूटीओ की कार्यसूची में किसी नए मुद्दे को शामिल किए जाने की जरूरत और अपनी नीतिगत विकल्पों में कमी किए बिना उन्हें इसमे किस प्रकार लाभ मिलने जा रहा है, के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं।

(ङ) और (च) कुछेक विशेषज्ञों, जिन्होंने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों संबंधी अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) में बैठक की थी, ने अपनी राय व्यक्त की है कि कृषि, सेवा और औद्योगिक उत्पादों में बाजार पहुँच के मुद्दों पर केन्द्रित बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के नए दौर की शुरूआत भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के सर्वोतम हित में है और यह कि कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को केवल वार्ताओं के नए दौर के संदर्भ में ही सुलझाया जा सकता है। उनका यह भी मक्तव्य है कि किसी नए दौर के लिए भारत जितनी जल्दी अपने समर्थन की घोषणा करेगा तथा उतना अधिक उसका प्रभाव वार्ताओं के लिए कार्य–सूची तैयार करने में पड़ेगा। तथापि, भारत का निरंतर यह दृष्टिकोण रहा है कि कृषि एवं सेवाओं–संबंधी तयशुदा वार्ताएं तथा अनेक बहुपक्षीय व्यापार करारों की तयशुदा समीक्षाएं विभिन्न कार्य दलों तथा सहायक निकायों में चल रहा कार्य, विकासशील देशों की 'क्रियान्वयन संबंधी चिंताओं' के समाधान हेतु कार्यक्रम के साथ–साथ 30 से ज्यादा देशों के शामिल होने से संबंधित कार्य स्वयं मिलकर डब्ल्यूटीओ के लिए एक पर्याप्त लम्बी कार्यसूची तैयर करते हैं, तथा इसे और अधिक बोझिल

बनाने की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करना डब्ल्यूटीओ के लिए असहनीय हो सकता है। इसके अलावा, भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि विकासशील देशों की 'कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं' का समाधान वार्ताओं के किसी भी नए दौर से जोडे बिना डब्ल्यूटीओ की महापरिषद के मई, 2000 के निर्णयानुसार सर्वोपरि वरीयता के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि उक्त स्थिति अस्थिर एवं गतिशील है और सदस्य देशों द्वारा दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की तैयारी के चलते अपना दृष्टिकोण बदल लेने की संभावना है। स्थिति पर उचित कार्रवाई हेतु कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से हमारे राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम परिणाम हासिल किए जा सकें।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस

3864. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस की धनराशि में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस की राशि में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

फटे-पुराने नोट

3865. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक कम मूल्य वर्ग के फटे–पुराने नोटों का निपटान करने में समस्याओं का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न शाखाओं की ऐसे नोटों का निपटान करने की सामान्य क्षमता की तुलना में फटे–पुराने नोटों का कितना अतिरिक्त भंडार है;

(ग) इस समस्या के अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसे नोटों के सुरक्षित मुद्रण के लिए सिफारिश की गयी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित अब तक का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों द्वारा वापस लिए गए फटे–पुराने नोटों की संख्या में विगत कुछ वर्षों के दौरान काफी वृद्धि हुई है जो राजकोषीय वर्ष 998–99 के दौरान 4472 मिलियन अद्द से बढ़ कर राजकोषीय वर्ष 2000–01 (मई, 2000 तक) के दौरान 6550 मि. अद्द हो गई है जबकि प्रत्येक वर्ष नोटों के निपटान की इसकी क्षमता 4600 मिलियन अद्द है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय और देश भर में सरकारी क्षेत्र की बैंकों की तिजारियों में फटे–पुराने नोट जमा हो गये हैं। 31.5.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों और तिजोरियों में क्रमशः 2824 मिलियन अद्द और 3306 मिलियन अद्द फटे – पुराने नोटो का स्टाक जमा हो गया था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने फटे पुराने नोटों के निपटान की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(i) स्टाफ का फटे पुराने नोटों के प्रोसेसिंग और निपटान का दैनिक कोटा बढा दिया गया है।

(ii) फटे–पुराने नोटों के मशीनों द्वारा निपटान आदि के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में मुद्रा प्रमाणन एवं प्रोसेसिंग प्रणाली (सी.वी.पी.एस.) संस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जून, 2002 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 6 (छह) क्षेत्रीय कार्यालयों में 22 सी.वी.पी.एस. संस्थापित किए जाने की आशा है।

(iii) फटे – पुराने नोटों का पर्यावरण के अनुकुल तरीके से नष्ट करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में श्रेडिंग एवं ब्रिकेटिंग प्रणाली की संस्थापना।

(घ) इस समय बैंक नोटों का प्रतिभूतित मुद्रण करेंसी नोट प्रेस, नासिक; बैंक नोट प्रेस, देवास और सालबोनी (पं.बंगाल) ओर मैसूर (कर्नाटक) स्थित भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लि. में किया जाता है। बैंक नोटों के प्रतिभूतित मुद्रण के लिए किसी अतिरिक्त परियोजना की सिफारिश नहीं की गई है।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

3866. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में निर्यातोन्मुखी ईकाईयों की स्थापना पर बल दे रही है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 31 मार्च 2001 की तिथि के अनुसार देश में स्थापित ऐसी इकाइयों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य में ऐसी कितनी निर्यातोन्मुखी इकाई को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित नियातोन्मुखी इकाईयों की संख्या 1589 है। राज्य–वार ब्यौरे विवरण के रुप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जब कभी अलग–अगल उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो एक्जिम नीति के अनुसार कार्रवाई कर उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

विवरण

कार्याचालनात्मक ईओयू का राज्य–वार ब्यौरा
(31.3.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यचालनात्मक ईओयू
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	166
2.	बिहार	1
3.	छत्तीसगढ़	4
4.	गुजरात	182
5.	हरियाणा	59
6.	हिमाचल प्रदेश	8
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	झारखंड	5
9.	कर्नाटक	257
10.	केरल	34
11.	मध्य प्रदेश	28
12.	महाराष्ट्र	230
13.	उड़ीसा	7
14.	पंजाब	42
15	राजस्थान	76
16.	सिक्किम	1
17.	तमिलनाडु	286
18.	उत्तर प्रदेश	81
19.	उतरांचल	1
20.	पश्चिम बंगाल	52
21.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
22.	दादर और नागर हवेली	9
23.	दिल्ली	32
24.	पांडिचेरी	5
	कुल	1589

निजी बिक्री सौदे

3867. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 26 जुलाई, 2001 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "इंस्टीटयूशन्स फंड्स टेक बिग हिट इन प्राइवेट प्लेसमेंट डील्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार वित्तीय संस्थाओं, म्यूचुअल फंडों, विदेशी निवेशकों और समुद्री पार के निगमित निकायों को शेयरों की निजी बिक्री में लगभग 19,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी बिक्री द्वारा शेयर प्राप्त करने/खरीदने की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों, बैंकों आदि की क्या नीति है;

(घ) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों, संस्थाओं आदि पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इन निवेशों पर किस प्रकार निगरानी रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

रूस को चाय का निर्यात

3868. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रूस को कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की चाय का निर्यात किया गया;

(ख) क्या रूस को चाय के निर्यात को बढ़ाने की बहुत अधिक संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस नये बाजार की नयी संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान रूस को निम्नानुसार चाय के निर्यात किए गए हैं:–

वर्ष	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1998	82.50	877.32
1999	94.37	820.63
2000	86.55	609.51

(ख) और (ग) रूसी परिसंघ के चाय बाजार में कोई वृद्धि न होने और दूसरे चाय उत्पादक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण रूस भारतीय चाय का एक परम्परागत निर्यात में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। तथापि, रूस भारतीय चाय का एक परम्परागत निर्यात बाजार होने के कारण चाय बोर्ड ने रूस में भारतीय चाय को बढ़ावा देने के लिए मीडिया प्रचार और ब्रांड सवर्द्धन अभियान सहित अनेक संवर्द्धानात्मक कार्यक्रमों की योजना बनायी है। चाय बोर्ड ने रूस सहित देश विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान देते हुए एक मध्यकालिक निर्यात योजना बनायी है।

हाल ही में रूसी चाय एवं कॉफी एसोसिएशन, रूसी चाय उत्पादक संघ (आर ओ एस सी एच ए आई) के बैनर के अंतर्गत रूस से एक उच्च स्तरीय चाय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया ताकि दोनों पक्षों का चाय व्यापार में बेहतर तालमेल बन सके। इस बात पर सहमति हुयी कि दिसम्बर, 1999 में आर ओ एस सी एच ए आई और भारतीय चाय बोर्ड के बीच पहले किए गए अनुसरण में दोनों पक्ष व्यापार प्रबंधनों की समीक्षा के लिए समय–समय पर बैठक करेंगे।

मास्को में जनवरी, 2001 में आयोजित व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत–रूस अंतर–सरकारी आयोग के तत्वावधान में व्यापार एवं आथिक सहयोग संबंधी भारत–रूस कार्यदल के सातवें सत्र में द्विपक्षीय व्यापार और आथिक सहयोग से जुडे विभिन्न मुद्दों और भावी विकास के उपायों पर भी विचार–विमर्श किया गया था। जिसमें रूस को चाय के निर्यातकों के सामने आ रही समस्याओं पर विचार भी शामिल था।

भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा विभिन्न भाषाओं में डिप्लोमा पाठयक्रम

3869. श्री दिनशा पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जनसंचार संस्थान (आई. आई. एम. सी.) पत्रकारिता, विज्ञापन और जन संपर्क आदि के क्षेत्र में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पाठयक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय जनसंचार संस्थान का विचार ऐसे डिप्लोमा पाठयक्रमों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर गुजराती भाषा में आरंभ किये जाने वाले ऐसे पाठयक्रमों के संदर्भ में ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां भारतीय जन संचार संस्थान अंग्रेजी पत्रकारिता, हिन्दी पत्रकारिता रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता तथा विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रमों को संचालित कर रहा है।

(ग) और (घ) धेनकनाल, उड़ीसा में इस वर्ष उड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम शुरू कर दिया गया है। किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में पाठयक्रम प्रारम्भ करने का कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

शेयर बाजार में बैंकों द्वारा निवेश

3870. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर–सरकारी क्षेत्र के एक बैंक द्वारा विवेकपूर्ण सीमा से अधिक धन लगाने के लिए विनियामक निकाय की कड़ी जाच में आने के बाद से कतिपय बैकों से स्टाक बाजार में उनकी भागीदारी का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो देश के स्टाक बाजार में अपनी भागीदारी के ब्यौरे प्रस्तुत कर चुके बैंकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या कुछ बैंकों ने पूंजी बाजार में अपनी गैर धनराशि भागीदारी के भाग के रूप में गारंटी देने में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन बैंकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं किया है अथवा पालन नहीं कर रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने पूंजी बाजार के बारे में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश के संबंध में आंकड़े, एकत्रित किए हैं, जिससे पता चला है कि 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों का शेयर, डिबेंचर आदि का कुल निवेश 8773 करोड़ रु. बैठता है। उपर्युक्त आंकड़े से पता चलता है कि 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार तीन बैंकों ने पूंजी बाजार में निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों से स्पष्टीकरण मांगा और इनमें से दो बैंकों ने 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार अपने निवेशों में 5 प्रतिशत सीमा तक की कमी की है। शेष बैंक निवेश को 5 प्रतिशत की सीमा के अन्दर लाने के लिए उपाय कर रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित की गई ऋण नीति के अनुसार शेयर बाजार के पक्ष में शेयर दलालों की ओर से गारंटी जारी करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, ऐसी गारंटियों को जारी करने के माध्यम से निवेशों को 5 प्रतिशत सीमा के भाग के रूप में गिना जाता है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे शेयर दलालों की ओर से 40 प्रतिशत मार्जिन (गारंटी जारी करने के लिए 20 प्रतिशत का नगद मार्जिन सहित) को बनाए रखें। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन 2 बैंकों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की है जिन्होंने इन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है।

[अनुवाद]

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त बनाना

3871. श्री प्रभात सामन्तराय :

श्री किरीट सोमैया :

श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटी आई) के कार्यकरण को चुस्त–दुरुस्त बनाने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा इस संबंध में और क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इसे कब तक पूर्ण रूपेण चुस्त–दुरुस्त बना दिए जाने की सभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सरकार के सुझाव पर यूटीआई ने वित्तीय क्षेत्र सुधारों तथा म्यूचुअल फंड उद्योग के घटनाक्रमों के आलोक में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक एवं वाणिज्यिक स्थिति निर्धारण की समीक्षा के लिए श्री वाई. एच. मालेगांम की अध्यक्षता में कार्पोरेट स्थिति निर्धारण संबंधी समिति का गठन किया है।

यूटीआई ने सूचित किया है कि समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के सूचीबद्ध उपक्रमों के लिए टेकओवर कोड

3872. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने विनिवेश विभाग की सार्वजनिक क्षेत्र के सूचीबद्ध उपक्रमों के टेक ओवर कोड़ से मुक्त रखने की मांग को एक बार फिर से ठुकरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके ठुकराए जाने के मुख्य कारण क्या है;

(ग) इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या विनिवेश विभाग का यह मानना था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनिवार्य रूप से खुले प्रस्ताव के माध्यम से 20 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बिक्री से आम जनता के पास फ्लोटिंग स्टाक में कमी आएगी और इससे इन शेयरों में कारोबार भी कम होगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

विनिवेश विभाग में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खुले प्रस्ताव प्रक्रिया की परिणति अधिग्राहक द्वारा सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों की खरीद में होती हैं। इसके परिणामस्वरूप बाजार में शेयरों के स्टॉक में कमी स्वतः हो जाती है।

(ङ) सेबी टेक ओवर कोड, खुले प्रस्ताव के कारण शेयरों के चलायमान स्टॉक में कमी आ जाने की दशा में बाजार में स्टॉक बनाए रखने के लिए समुचित कदम उठाता है। इन कदमों के खुले प्रस्ताव के बाद अधिग्रहण द्वारा बाजार को नये शेयर जारी करना शामिल है।

[हिन्दी]

चिली बोर्ड को स्थापित करना

3873. श्री राजो सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिए चिली बोर्ड बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो बिहार में कब तक चिली बोर्ड बनाये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन

3874. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बीमा क्षेत्र में निजी कम्पनियों के प्रवेश से सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में अपने निर्णय की घोषणा कब तक करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) खोले गए बीमा क्षेत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सरकार का बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। संसद के वर्तमान सत्र में बीमा (संशोधन) विधेयक, 2001 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बीमा क्षेत्र में सहकारिताओं के प्रवेश से संबंधित उपबंध, बीमा मध्यवर्तियों के लिए कमीशन/शुल्क के भुगतान का उपबंध, कारपोरेट एजेंटों हेतु पात्रता संबंधी अर्हताओं में छूट देने, क्रेडिट कार्डों, इन्टरनेट इत्यादि के जरिए प्रीमियम के भुगतान के अपेक्षाकृत अधिक लचीले तरीके की छूट देने संबंधी और कुछ परिणामी संशोधन शामिल होंगे। साथ ही साथ, सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियां बाजार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

सौदे में आने वाली लागत पर समिति

3875. डा. वी. सरोजा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौदे में आने वाली लागत पर बनी उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय निर्यात सौदों की लागत संबंधी उच्च–अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड, डी जी एफ टी, नागर विमानन मंत्रालय, आर.बी.आई. आदि से संबंधित विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं। समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करके कार्यान्वित किया गया है। राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति विभिन्न कार्यालयों में क्रियाविधियों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रही है ताकि उक्त सौदों की लागत तथा उनमें लगने वाले समय में लगातार और भी कमी लाई जा सके।

गेहूँ और चावल का निर्यात

3876. श्री किरीट सोमैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में गेहूँ, चावल और दाल का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है और अगले वर्ष के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है;

(ग) क्या कृषि उत्पादन में गिरावट का अनुमान है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस गिरावट से स्थानीय बाजार और वर्तमान स्टॉक पर प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) गेहूँ, चावल तथा दालों के निर्यात के लिए वर्तमान निर्यात–आयात नीति संबंधी प्रावधान निम्नानुसार है;

(i) **गेहूँ** : निर्यात की अनुमति डी जी एफ टी द्वारा घोषित मात्रात्मक अधिकतम सीमा और एपीडा द्वारा पंजीकरण–सह–आबंटन प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के अधीन रहते हुए मुक्त रूप से प्रदान की जाती है।

(ii) **बासमती और गैर-बासमती चावल** : एपीडा के पास संविदाओं के पंजीकरण के अधीन रहते हुए निर्यात की मुक्त रूप से अनुमति दी जाती है। वर्ष 2001–02 के लिए केन्द्रीय पूल हेतु एफ सी आई द्वारा धारित स्टॉक में से तीन मिलियन टन चावल के निर्यात की अनुमति भी दी गई है।

(iii) **दालें** : निर्यात की अनुमति पांच किलोग्राम तक के उपभोक्ता पैकों में मुक्त रूप से प्रदान की जाती है।

चालू वर्ष के दौरान गेहूँ, चावल और दालों की निर्यात की जाने वाली संभावित मात्रा और उसके मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं है। क्योंकि ये निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मांग एवं आपूर्ति संबंधी स्थिति, घरेलू मांग एवं आपूर्ति संबंधी स्थिति, घरेलू मांग एवं आपूर्ति संबंधी स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतों, उपभोक्ता अधिमान और व्यापार की जाने वाली किस्मों पर निर्भर होंगे।

अगले वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूँ, चावल और दालों का उत्पादन निम्नानुसार रहा है:–

(मात्रा : मिलिटन टन में)

वर्ष	गेहूँ	चावल	दालें
1998–99	71.29	86.02	14.89
1999–2000	75.57	89.48	13.35
2000–01 (अग्रिम)	68.55	85.50	11.72

(स्त्रोत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय)

(घ) और (ङ) एफ सी आई के पास बफर स्टॉक संबंधी मानदण्डों के अतिरिक्त उपलब्ध खाद्यान्न की भारी बेशी मात्रा को स्थानीय बाजार के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट

3877. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा की नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो ने मुम्बई पुलिस के साथ मिलकर चवैलियों के नाम से एक संयुक्त कार्यवाही के जरिए हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया था;

(ख) यदि हां, तो कितने लोग गिरफ्तार किए गए और ये लोग किस–किस देशों के हैं;

(ग) क्या कनाडा सरकार ने भारत सरकार से सभी गिरफ्तार लोगों को कनाडा प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) मुम्बई पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों की भारतीय नागरिक हैं।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीयों प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 5 के अन्तर्गत की गई परिकल्पना के अनुसार, किसी प्रत्यर्पण मजिस्ट्रेट की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है।

हैदराबाद में भारतीय पैकेजिंग संस्थान

3878. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में भारतीय पैकेजिंग संस्थान का एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं, उद्योगों व निर्यातकों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की रूप रेखा के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव सौंपा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस केन्द्र के लिए भूमि आबंटित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने हैदराबाद में भारतीय पैकेजिंग संस्थान का केन्द्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया है; और

(छ) यदि हां, तो इस केन्द्र की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (छ) हैदराबाद में भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आई आई पी) की शाखा स्थापित किए जाने के प्रस्ताव के बारे में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात भवन तथा उससे संबद्ध भूमि के औपचारिक आबंटन की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा भूमि और भवन के उक्त आबंटन के बाद आई आई पी द्वारा यथापोक्षित विभिन्न सुविधाओं की जरूरत का व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा और परियोजना रिपोर्ट इस मंत्रालय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी। चालू वर्ष के लिए आई आई पी की वार्षिक योजना में पचास लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

एन. सी. सी. एफ. द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं का पंजीकरण रद्द करना

3879. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन सी सी एफ ने अपने अधिकांश आपूर्ति–कर्ताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन सी सी एफ ने उनकी धरोहर राशि वापस कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसे कब तक वापस कर दिया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने अधिकांश ऐसे आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण दिनांक 1.7.2001 से रद्द कर दिया है, जो ब्रांडेड मदों के विनिर्माता नहीं हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से ली गई 10,000/– रु. की धरोहर राशि संबंधित निपजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के अनुरोध पर और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के प्रति उनकी पूर्व देनदारियों/दायित्वों के सत्यापित हो जाने के बाद उनको वापस लौटा दी जाएगी।

भारतीय बाल फिल्म सोसायटी

3880. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 में भारतीय बाल फिल्म सोसायटी द्वारा कितनी फिल्में बनाई/प्रायोजित की गई;

(ख) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 में बाल फिल्म सोसायटी द्वारा कुल कितना खर्च किया गया;

(ग) क्या सामाजिक परिवेश तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से अर्थक्षम दोनों ही तरह की फिल्मों को बनाने के लिए सीएफएसआई को प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रयास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान बाल चित्र समिति भारत द्वारा निर्मित फिल्मों की संख्या और फिल्मों के निर्माण पर किए खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्मित फिल्मों की संख्या	किया गया खर्च
1999–2000	5	227.43 लाख रु.
2000–2001	7	269.90 लाख रु.

(ग) बाल चित्र समिति, भारत का उद्देश्य बच्चों तथा युवाओं को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना है। यह संख्या अपनी फिल्मों को थियेटरों, टेलीविजन चैनलों, स्कूल शो, विभिन्न–राज्यों में फिल्म समारोहों तथा वीडियो कैसेटों की बिक्री के जरिए प्रदर्शित करती है।

(घ) और (ङ) इस उद्देश्य के लिए कोई मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

महाराष्ट्र के सांगली में उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर

3881. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सांगली में कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर (एलपीटी) ट्रांसमीटर स्थल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर उस जिले के पहाड़ी क्षेत्रों को कवर करने में असफल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को सांगली में कम क्षमता वाले वर्तमान ट्रांसमीटर (एचपीटी) लगाने के लिए ज्ञापन दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सांगली में कब तक उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर लगाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) सांगली में कार्यरत अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर की लगभग 15 किलोमीटर की प्राथमिकता कवरेज दूरी है।

(ख) और (घ) सांगली जिले में दूरदर्शन कवरेज के विस्तार के लिए समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। वर्तमान में इस जिले में सांगली एवं खानपुर (वीटा) में स्थित दो अल्प शक्ति ट्रान्समीटर कार्य कर रहे हैं। डीडी 2 मैट्रो चैनल को रिले करने के लिए एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर सांगली से कार्यान्वयनाधीन है। वर्तमान में प्रसार भारती के पास सांगली में कोई दूसरा ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। सांगली जिले में दूरदर्शन सुविधाओं का और विस्तार परियोजनओं की प्राथमिकता और प्रसार भारती में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

फील्ड पब्लिसिटी ऑफिस खोलना

3882. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में और फील्ड पब्लिसिटी ऑफिस खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार से सुझाव मांगे है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) फिलहाल कोई नया क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

भारत पर्यटन विकास निगम को अलग-अलग कम्पनियों में बांटना

3883. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम को सरकारी क्षेत्र की अलग–अलग भू स्वामित्व वाली विभिन्न कम्पनियों में बांटने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह शेष कम्पनियों के रूप में कार्य करने वाली इन नई कंपनियों को बाद में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से निविदाकर्ताओं को बेच दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) की होटल सम्पतियों की पुनर्संरचना/विनिवेश योजना इस प्रकार होगी:–

(i) पट्टा–सह प्रबंधन अनुबंध आधार पर दिए जाने के लिए प्रस्तावित होटल सम्पतियों जैसे होटल अशोक दिल्ली, होटल सम्राट दिल्ली, होटल अशोक बंगलौर और ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर का, भारत पर्यटन विकास निगम जैसे मौजूदा शेयरधारिता के प्रतिमान के साथ एक अलग कम्पनी के रूप में अविलयन किया जाएगा।

(ii) 22 होटल सम्पतियों को, शत–प्रतिशत सरकारी, इक्विटी के विनिवेश के सीमित उद्देश्य के लिए अलग शैल कम्पनियों में अविलयत कर दिया जाएगा। प्रत्येक अविलयित कम्पनी के पास भारत पर्यटन विकास निगम की तरह ही लेशमात्र की शेयरधारिता का प्रतिमान होगा अर्थात सरकार (89.97 प्रतिशत) भारत होटल कम्पनी लिमिटेड (लगभग 10 प्रतिशत) और कर्मचारी तथा अन्य (लगभग 0.03 प्रतिशत)। इन परिसम्पतियों में से प्रत्येक को विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से विशिष्ट सम्पत्ति के लिए खरीददार का चयन करने के पश्चात शैल कम्पनियों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(ख) और (ग) पट्टा–सह–प्रबंधन अनुबंध के अधीन सम्पत्तियां, बोलीदाताओं को अलग से दिए जाने का प्रस्ताव है। इस बात पर भी विचार किया गया है कि शत–प्रतिशत विनिवेश के लिए प्रस्तावित सम्पत्तियों को भी एक–एक करके बेचा जाएगा।

(घ) विनिवेश प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी इसका संकेत देना संभव नहीं है।

कॉफी उत्पादकों द्वारा कॉफी को कम मूल्य पर बेचना

3884. श्री सुन्दरलाल तिवारी :

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कॉफी उत्पादन से जुड़े लघु कृषकों को आर्थिक उदारीकरण और खुले निर्यात के कारण उनके उत्पाद को उनकी उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कॉफी का उत्पादन प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो कॉफी उत्पादन से जुड़े लघु कृषकों को राहत दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, हाल ही के दिनों में, कॉफी उत्पादक देशों द्वारा कॉफी का बेशी उत्पादन किए जाने के कारण मांग और आपूर्ति के बीच उत्पन्न हुए अंतर की वजह से वैश्विक एवं घरेलू दोनों बाजारों में कॉफी की कीमतों में ऊधोगामी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इस प्रकार कॉफी के उत्पादकों को अपने उत्पाद की वे कीमतें नहीं मिल रही है जो वे 2–3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर रहे थे।

कॉफी का उत्पादन वर्ष–दर–वर्ष बढ़ता रहा है और यह उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान हुए 2.92 लाख टन की तुलना में 2000–01 के दौरान 3.01 लाख टन का हुआ था। चालू वर्ष के लिए कॉफी का उत्पादन 3.17 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) भारत सरकार द्वारा कॉफी बोर्ड के जरिए गहन खेती, गुणवत्ता उन्नयन और जल संवर्धन पर लक्षित अनेक योजना स्कीमें तथा विकासपरक गतिविधियां चलाने के अलावा, अनुसंधान, विस्तार, ऋण और वित्त की व्यवस्था के रूप में आवश्यक सहायता तथा रोपण के प्रयोजनार्थ बीजों की आपूर्ति जैसी अनुषंगी सहायता भी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा, खासकर लघु उत्पादक क्षेत्र में कॉफी की उत्पादकता बढ़ाने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल की जा सके। बोर्ड द्वारा विशिष्टता कॉफी का उत्पादन करने के लिए बड़े उत्पादकों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है जिससे यू एस ए और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में आकर्षक आय प्राप्त होती है।

हाल ही में भारत सरकार के आदेश पर भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड ने कॉफी उत्पादकों को राहत प्रदान करने के उपाय के रूप में कॉफी उत्पादकों को फसल ऋण हेतु पुनः कार्यक्रम तैयार करने तथा कॉफी क्षेत्र को नए कार्यशील पूंजी ऋण भी प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

निर्यात/आयात

3885. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश में किये गये आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान आयात का अलग–अलग मूल्य निर्यात से कितना अधिक था;

(ग) क्या आयात के कुल मूल्य में से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात मूल्य सबसे अधिक हैं, और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों सहित कच्चे तेल के आयात का प्रतिशत मूल्य कितना है और इसी अवधि के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों का कितना निर्यात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1998–99, 1999–2000, 2000–01 के लिए कुल आयातों तथा निर्यातों की मात्रा डालर के रूप में निम्नानुसार है:–

मिलियन अमरीकी डालर

वर्ष	आयात	निर्यात	अंतर
1998–99	43389	33219	9170
1999–2000*	49738	36715	13023
2000–2001*	49639	44328	5311

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–01 के लिए अपरिष्कृत तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के आयात एवं निर्यात का मूल्य तथा कुल आयातों में अपरिष्कृत तथा पैट्रोलियम उत्पादों के आयात का प्रतिशत नीचे दिया गया है:–

मिलियन अमरीकी डालर

वर्ष	अपरिष्कृत तथा पैट्रो उत्पादों का आयात	कुल आयातों में अपरिष्कृत एवं पैट्रो उत्पादों के आयात का प्रतिशत	पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात
1998–99	6399	15.09	89
1999–2000*	12612	25.36	29
2000–01*	15650	31.53	1819

*अनंतिम आंकडे

[अनुवाद]

महंगाई भत्ते का परिकलन

3886. श्री आर. एस. पाटिल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते का परिकलन करते समय आर्थिक विशेषज्ञ, 96, 89, आदि जैसी दशमलव संख्याओं को नजरअंदाज करके केवल पूर्ण संख्याओं को गणना में शामिल करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की गणना के कारण कर्मचारियों को भारी घाटा उठाना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सरकार द्वारा स्वीकृत चौथे और पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार हरके साल दिसम्बर और जून में समाप्त होने वाली समयावधि के लिए औद्योगिक श्रमिकों (सामान्य) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में आधार सूचकांक औसत के ऊपर होने वाली प्रतिशत वृद्धि को पूर्णांक में लिया जाता है। महंगाई भत्ते का परिकालन करते समय भिन्न का ध्यान रखा जाता है।

[हिन्दी]

जीवन बीमा पॉलिसी धारकों को कर में छूट

3887. डा. अशोक पटेल :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बीमा नेटवर्क में अधिक से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी धारकों को कर में छूट दिए जाने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जीवन बीमा के पॉलिसी धारकों को आयकर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत पहले से ही कर रिबेट उपलब्ध है। वित्त अधिनियम, 2001 के द्वारा इस रिबेट के दायरे का उन व्यक्तियों तक बढ़ा दिया गया था जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त निजी बीमाकर्ताओं से जीवन बीमा प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) प्रीमियम के रूप में उनके अंशदान के 20% के बराबर तक की धन राशि के लिए कर रिबेट अनमत्य है बशर्ते कर की समग्र सीमा 12,000/- रु से अधिक न हो।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को एशियाई विकास बैंक से ऋण

3888. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एशियाई विकास बैंक ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कौन–कौन से राज्यों को ऋण मंजूर किया है;

(ख) राजस्थान के कौन–कौन से शहरों के विकास के लिए ऋण का प्रावधान किया गया है और कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है;

(ग) ऋण की उक्त राशि का प्रयोग कब तक शुरू करने की संभावना है और ऋण किन शर्तों पर मंजूर किए गए हैं;

(घ) क्या इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो ऋण राशि पर कितने वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) गत तीन कलैण्डर वर्षों के दौरान एशियाई विकास बैंको ने गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारों की परियोजनाओं के लिए ऋण की मंजूरी दी है।

(ख) जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, और कोटा शहरों के आधारभूत ढांचे तथा सेवाओं में कमी को समाप्त करने के लिए राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना के लिए कलैण्डर वर्ष 1998 में 250 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी गई थी।

(ग) यह ऋण जनवरी, 2000 में प्रभावी घोषित किया गया था और यह 30 जून, 2005 को समाप्त होना तय है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को एशियाई विकास बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली बैंक की परिवर्तनीय ब्याज दर पर भारत सरकार को दिया गया यह ऋण पांच वर्ष की छूट अवधि सहित 25 वर्ष के लिए है। इसके अतिरिक्त, बैंक की नीति के अनुसार, अनाहरित ऋण पर एशियाई विकास बैंक को प्रति वर्ष 0.75 प्रतिशत की दर पर वचनबद्धता प्रभार का भुगतान किया जाता है।

(घ) जी, हां, एशियाई विकास बैंक को ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज भारत सरकार द्वारा अदा किया जाना होता है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज की वार्षिक राशि समय–समय पर आहरित ऋण की राशि का बकाया ऋण पर निर्भर करेगी।

फिल्म प्रमाणन दिशानिदेश

3889. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्म प्रमाणन जारी करने के लिए समय–समय पर दिशानिदेश जारी करता रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल की हिन्दी फिल्म 'गदर–एक प्रेम कथा' सभी दिशा–निर्देशों को पूरा करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा सरकार द्वारा 6 दिसम्बर, 1991 को जारी तथा सितम्बर, 1997 को संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रमाणित किया जा रहा है। दिशा–निर्देशों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रमाण–पत्र जारी करने के उद्देश्य से गठित 5 सदस्यीय समिति जिसने "गदर–एक–प्रेम कथा" का पूर्वदर्शन किया था, ने आम सहमति से 8 दृश्यों को काटने की शर्त पर "यू/ए" प्रमाण –पत्र प्रदान करने की सिफारिश की थी। बोर्ड न सिफारिश स्वीकार कर ली और आवेदक द्वारा दृश्यों को काटने के लिए सहमत होने पर प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत के असाधारण राजपत्र, भाग–2, खण्ड–3, उपखण्ड–(2) में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 805/1/90–एफ.(सी.) दिनांक 6.12.91 का सार।

सा. का. केन्द्रीय सरकार चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रस्तुत करते हुए और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 9(अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते, हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन की मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्ग –दर्शक सिद्धांत होंगे:–

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि:

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए।

(ग) प्रमाणन–व्यवस्था सामाजिक परिर्वन के प्रति उत्तरदायी हों;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें, और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि के महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि:–

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

(2) अपराधियों का, कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उदीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

(3) ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें:–

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रुप में अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से, विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

(4) मूलत: मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवदेनशील या अमानवीय हो सकते हों;

(5) वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उनका गुणगान किया गया हो;

(6) नशीली दवाओं के सेवन को उचित ठहराने या उनका गुणगान करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(6क) ** तम्बाकू के सेवन या धूम्रपान को बढावा देने वाले उचित ठहराने वाले या महिमा–मंडित करने वाले दृश्यों को नहीं दिखाया जाता है। (15, सितम्बर, 1997 को जोडा गया है)।

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को, चोट न पहुंचाई जाए;

(8) दो अर्थो वाले शब्द न रखे जाए, जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो, ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए;

(11) काम–विकृतियां दिखाने, वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे, दृश्य दिखाना संगत हों, तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्कार से, नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिएं;

(13) साम्प्रदायिक, रुढ़िवादी अवैज्ञानिक प्रवृत्तियों या राष्ट्रविरोधी को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिएं;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था [illegible] नहीं पड़नी चाहिए;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानी या अवमानना होती हो;

व्याख्या : ऐसे दृश्य जिनसें, नियमों के प्रति घृणा, अपमान और उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे।

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक न दिखाए जाएं।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि:–

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(2) उस फिल्म पर उस काल,देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में जो उपर्युक्त मापदण्डों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनायुक्त हों, केवल व्यस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता–पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह फिल्म दिखाई जाए तो निबाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषय–वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो, फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विर्निर्दिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों को बड़े ध्यान से जांच करके, सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदण्डों में से किसी मापदण्ड या उल्लंघन न करते हों।

** 15 सितम्बर, 1997 को जोडा गया।

रूग्ण चीनी मिलें

3890. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चीनी मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितनी–कितनी चीनी मिलें रूग्ण हैं; और इनमें से कितनी–कितनी मिलों में काम हो रहा है; और

(ग) सरकार ने रूग्ण चीनी मिलों को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) एक ब्यौरा विवरण के रुप में संलग्न है जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार स्थापित चीनी मिलों की संख्या दी गई है।

(ख) निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की रूग्ण चीनी मिलें रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.) के दायरे में आती है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के अनुसार, 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की 44 रूग्ण चीनी कम्पनियों उनके पास पंजीकृत की गई है। इन 44 चीनी कम्पनियों में से 3 चीनी कम्पनियां अलग–अलग समय पर दो बार और 1 कम्पनी तीन बार पंजीकृत हुई है। इसके मद्देनजर 70 चीनी मिलों में से केवल 39 चीनी कम्पनियां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत हैं। इन 70 चीनी मिलों में से 42 चीनी मिलें चीनी मौसम 2000–2001 के पंजीकृत हैं। इन 70 चीनी मिलों में से 42 चीनी मिलें मौसम 2000–2001 के दौरान चालू की गई जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

	रूग्ण मिलों की संख्या	उन रूग्ण मिलों की संख्या जो 2000–2001 मौसम (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान चालू की गई
	1	2
आंध्र प्रदेश	3	2
बिहार	4	1
कर्नाटक	5	3
मध्य प्रदेश	3	2
महाराष्ट्र	3	3
पंजाब	1	1
तमिलनाडु	5	5
उत्तर प्रदेश	42	24
पश्चिम बंगाल	1	1
केरल	1	–
उड़ीसा	1	–
राजस्थान	1	–
कुल	70	42

सहकारी चीनी मिलें रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के दायरे में नहीं आती हैं। ये मिलें संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के दायरे में आती हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31.03.2000 को 95 सहकारी चीनी मिलों की नेट वर्थ ऋणात्मक थी। इन 95 चीनी मिलों में से 92 चीनी मिलें चीनी मौसम 2000–2001 के दौरान चालू की गई, जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

	ऋणात्मक नेट बर्थ वाली सहकारी चीनी मिलों की संख्या	ऋणात्मक नेट वर्थ वाली उन सहकारी चीनी मिलों की संख्या, जो 2000–2001 मौसम (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान चालू की गई
	1	2
आंध्र प्रदेश	1	1
कर्नाटक	10	10
महाराष्ट्र	30	28
पंजाब	10	10

	1	2
तमिलनाडु	12	12
उत्तर प्रदेश	19	19
गुजरात	6	5
हरियाणा	6	6
उत्तरांचल	1	1
कुल	95	92

(ग) सरकार ने देश में रूग्ण चीनी मिलों को जीवनक्षम बनाने/चीनी उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(i) चीनी मिलों की लेवी की देयता कम करके 1.2.2001 से 15% कर दी गई है;

(ii) आयतित चीनी पर शुल्क बढ़ाकर 9.2.2000 से 60% कर दिया गया है ताकि आयतित चीनी की आमद नियंत्रित की जा सके;

(iii) आयतित चीनी को रिलीज व्यवस्था के अधीन लाया गया है;

(iv) आयातकों के पास पड़े आयातित चीनी के स्टाक पर 17.2.2000 से 15% की दर से लेवी लागू की गई है;

(v) खुली बिक्री की चीनी की मासिक निर्मुक्तियां विवेकपूर्ण ढंग से की जाती हैं ताकि उद्योग को उचित धनराशि की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

(vi) जरूरतमंद चीनी मिलों को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां की जा रही हैं ताकि वे किसानों को गन्ने के देय मूल्य का भुगतान कर सकें।

(vii) निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा की सीमा समाप्त कर दी गई है।

(viii) रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के मामलों की जांच करने और संभावित व्यवहार्य यूनिटों के लिए पुनरूद्धार पैकेजों की सिफारिश करने और संभावित व्यवहार्य यूनिटों के लिए पुनरूद्धार पैकेजों की सिफारिश करने के लिए सरकार ने सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

विवरण

स्थापित चीनी मिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	स्थापित चीनी मिलों की संख्या
1.	पंजाब	22
2.	हरियाणा	13
3.	राजस्थान	3
4.	उत्तर प्रदेश	129
5.	मध्य प्रदेश	11
6.	गुजरात	22
7.	महाराष्ट्र	143
8.	बिहार	28
9.	असम	3
10.	उड़ीसा	8
11.	पश्चिम बंगाल	2
12.	नागालैंड	1
13.	आंध्र प्रदेश	41
14.	कर्नाटक	38
15.	तमिलनाडु	37
16.	पांडिचेरी	2
17.	केरल	2
18.	गोवा	1
	कुल	506

[अनुवाद]

कारों का आयात

3891. श्री शिवाजी माने :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कार निर्माता कंपनियों ने पूर्णत निर्मित कार इकाइयों (सी.बी.यू.) के आयात हेतु संबंधित नियमों में ढील दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। कुछेक कार कंपनियों ने अनुरोध किया है कि निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत सामान योजना के तहत कारों के आयात को ऑटोमोबाइल के आयातों के लिए निर्धारित विभिन्न परीक्षण संबंधी तथा अन्य आवश्यकताओं से छूट दी जानी चाहिए। कम मात्रा में कारों के आयात पर अनुसमर्थन (होमोलोगेशन) की शर्त से छूट प्रदान करने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि विनिर्माता देश से आयात की अनुमति देने संबंधी शर्त में उन मामलों में भी ढील दी जानी चाहिए जहां विनिर्माता की भारत स्थित सहायक कंपनी द्वारा आयात किया जा रहा हो।

मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के बाद ऑटोमोबाइल्स के आयात पर परीक्षण, अनुसमर्थन (होमोलोगेशन) आदि जैसी विशेष शर्तें लगाई गई हैं ताकि उपभोक्ता संरक्षण, सड़क सुरक्षा तथा विनिर्दिष्ट वहिर्गमन मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। जिन कंपनियों ने ये अनुरोध किए हैं, उन्हें इस मामले में उचित सलाह दी जा रही है।

खाद्य तेलों का आयात

3892. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा और मूल्य कितना था और इनका आयात किन–किन देशों से किया गया;

(ख) भविष्य में खाद्य तेलों के कतिपय बड़े आयात से संबंधित क्या अनुमान है;

(ग) क्या तिलहनों की उपज की योजना तैयार करने में कृषि मंत्रालय की मदद करने के लिए खाद्य तेलों के आयात से संबंधित सभी मामलों में कृषि मंत्रालय को विश्वास में लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान आयात किए गए जमे हुए वनस्पति तेलों (खाद्य) की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है:–

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य	उन प्रमुख देशों के नाम जिनसे आयात किया गया
1999–2000	4195638	8046.05	अर्जेन्टीना, ब्राजील, जर्मन संघीय गणराज्य,
2000–2001(अ)	3974638	5932.76	इंडोनेशिया, मलेशिया और यू. एस. ए.

(अ)–अनंतिम आंकडे

(ख) से (घ) खाद्य तेलों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को घरेलू कमियों को पूरा करने के लिए तथा हमारी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के अनुसार समय–समय पर हटाया गया है। तथापि, शुल्क ढांचे में संशोधन करके घरेलू कृषकों को प्रतिस्पर्द्धा में लाने के लिए सदैव प्रयास किए गए हैं; इसके लिए शुल्क ढांचे को पिछले महीने के दौरान चार बार संशोधित किया गया है।

आई डी बी आई के लाभ में गिरावट

3893. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान आई डी बी आई के निवल लाभ में 65% की भारी गिरावट आई है;

(ख) क्या आई डी बी आई की अनप्रोज्य अस्तियां भी पहले के 13.4% से बढ़कर 15% से ऊपर हो गई है;

(ग) क्या आई डी बी आई की दशा सुधारने के लिए सरकार का विचार ऐसा विधान लाने का है जिसमें दिवालिया कंपनियों का व्यापार शीघ्र बंद कराने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि फिलहाल चूककर्ता कंपनियां बी आई एफ आर का सहारा ले रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के लाभ में 27 प्रतिशत की गिरावट आई और यह वर्ष 1999–2000 के 947 करोड़ रुपए से घटकर 691 करोड़ रुपए रह गया।

(ख) आईडीबीआई की निवल अनुपयोज्य आस्तियों 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार निवल अग्रिमों के 13.4 प्रतिशत की तुलना में 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 14.8 प्रतिशत हो गई।

(ग) और (घ) श्री टी. आर. अंध्यार्जुना, भारत के भूतपूर्व सॉलीसीटर जेनरल, की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ कानून के अधिनियम की सिफारिश की जिसमें बैंकों और वित्तीय सस्थाओं को यह अधिकार होगा कि वे न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना चूककर्ता उधारकर्ताओं की प्रतिभूतियों को अपने अधिकार में ले सकें और उनकी बिक्री कर सकें। इस सिफारिश की जांच करने और इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए अक्तूबर 2000 में एक कार्यकारी समूह गठित किया गया है।

[हिन्दी]

मांस का आयात

3894. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांस के आयात के लिए अनुमति दिए जाने के कारण देश में गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों से सलाह मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) देश में रोग से प्रदूषित मांस के आयात की संभाव्यता को रोकने के लिए मांस के आयात को पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 क के अनुसार पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले स्वच्छता संबंधी आयात परमिट के अधीन कर दिया गया है। इस प्रावधान के अनुसार मांस के आयात की स्वीकृति खेप में किसी बिमारी की मौजूदगी संबंधी जांच सहित आयात खेप की सभी स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं से जांच करने के बाद ही दी जाएगी। इस उपाय से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि देश में किसी रोग से प्रदूषित मांस का आयात न हो।

ऋण वसूली अधिकरण

3895. श्री नवल किशोर राय :

श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान से संबंधित मामलों को सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली अधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान राज्य–वार ऐसे कितने मामले निर्णय हेतु ऋण वसूली अधिकरण की पीठों को अग्रेषित किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितने मामले निपटाए गए; और

(घ) इन निर्णयों के परिणमस्वरूप वित्तीय संस्थाओं ने कितनी राशि की वसूली की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3896. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में बाह्य सहायता प्राप्त कौन–कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वयधीन हैं/कार्यान्वित की जा रही हैं और ये परियोजनाएं कहां स्थित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार और

आंध्र प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों की सरकारों ने अलग–अलग कितनी राशि जारी की है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए परियोजना–वार क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल की सरकारों ने अपने–अपने राज्यों में कुछ परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से अधिक सहायता मांगने हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(च) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही राज्य क्षेत्र परियोजनाओं का ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अलावा, बहुराज्यीय तथा केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं भी हैं जिनमें आंध्र प्रदेश भी एक भागीदार राज्य है। उत्तरांचल के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परियोजना–स्थलों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 2001–02 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 904.19 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। चालू वर्ष के दौरान उत्तरांचल को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई राशि के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं, और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

आंकड़े मिलियन दाता मुद्रा में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्रोत	अनुमोदन की तारीख	संवितरण की अंतिम तारीख	मुद्रा	ऋण/ अनुदान	दि.30.6.01 की स्थिति के अनुसार संचयी संवितरण
1	2.	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
1.	आ.प्र. डेरी विकास सहकारिता संघ लि.	फ्रांस	5.6.97	31.12.02	फ्रांस फ्रेक	19.95	18.97
2.	आ. प्र. आपदा शमन और आपाती	आईबीआरडी	3.6.97	31.7.01	अम. डालर	50.00	0.00
3.	आंध्र प्रदेश सिंचाई	आईबीआरडी	3.6.97	31.1.03	अम. डालर	175.00	0.00
4.	आंध्र प्रदेश राज राजमार्ग	आईबीआरडी	30.7.97	31.1.03	अम.डालर	350.00	129.52
5.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना	आईबीआरडी	4.2.99	31.3.04	अम. डालर	301.30	117.25
6.	आंध्र प्रदेश विद्युत पुनर्संरचना	आईबीआरडी	5.3.99	31.8.03	अम. डालर	210.00	99.02
7.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली	आईडीए	22.12.94	31.3.02	एसडीआर	90.70	69.10

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	आंध्र प्रदेश आपदा शमन और ईसी आर	आईडीए	9.7.97	31.7.01	एसडीआर	57.75	60.72
9.	आंध्र प्रदेश सिंचाई – III	आईडीए	3.6.97	31.1.03	एसडीआर	108.10	90.14
10.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना	आईडीए	4.2.99	31.3.04	एसडीआर	179.40	64.81
11.	आंध्र प्रदेश जिला गरीबी उपक्रम	आईडीए	12.5.00	31.12.05	एसडीआर	82.90	3.30
12.	आंध्र प्रदेश भागीदार जनजाति विकास	आईएफएडी	13.5.94	31.3.02	एसडीआर	18.95	10.65
13.	शिरीसेल्म लेफ्ट बैक पीएसपी II	जापान	28.2.95	12.4.01	जापानी येन	22567.00	22471.41
14.	शिरीसेल्म लेफ्ट बैंक टीपीएस	जापान	28.2.95	31.3.02	जापानी येन	9546.00	6909.28
15.	कोथागुड्म "क" टीपीएस	जापान	28.2.95	12.04.02	जापानी येन	5092.00	4489.22
16.	कूरनोल कुडडप्पा नहर आधुनिकीकरण	जापान	25.1.96	26.3.03	जापानी येन	16049.00	3529.22
17.	सिम्हाद्री और विजाग टर्मिनल प्रणाली	जापान	12.12.97	19.2.03	जापानी येन	10629.00	4562.44
18.	शिरीसेल्म लेफ्ट बैंक पावर स्टेशन	जापान	25.2.97	16.2.03	जापानी येन	14499.00	9946.84
19.	एकीकृत कृषि मांग पक्ष प्रबन्धन	आईबीआरडी	23.6.99	31.12.00	अम. डालर	4.30	0.00
20.	आंध्र प्रदेश जनजाति विकास परियोजना	आईएफएडी	15.5.91	31.3.99	अम. डालर	7.20	1.51
21.	आंध्र प्रदेश कूप	नीदरलैंड	14.11.94	31.3.02	नी. गिल्डर	35.30	20.06
22.	वहनीय शुष्क भूमि कृषि	यूएनडीपी	1.11.99	30.11.02	अम.डालर	3.10	0.55
23.	आंध्र प्रदेश ऊर्जा दक्षता	यूके	15.11.93	31.12.01	जीबी पोंड	42.70	14.77
24.	आंध्र प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा	यूके	29.8.96	31.3.03	जीबी पोंड	42.50	15.82
25.	आंध्र प्रदेश शहरी सेवाओं में सुधार	यूके	3.6.99	31.5.06	जीबी पोंड	94.41	0.00
26.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण जीवन–निर्वाह	यूके	23.7.99	31.7.06	जीबी पोंड	40.18	0.00
27.	गरीबों के लिए आंध्र प्रदेश शहरी सेवाएं	यूके	3.6.99	31.5.06	जीबी पोंड	66.09	0.00

कॉफी प्रसंस्करण से उत्पन्न बहिःस्त्राव के उपचार की विधियां

3897. श्री एम. चिन्नासामी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को प्रति इकाई कॉफी प्रसंस्करण से उत्पन्न होने वाले बहिःस्त्राव के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कॉफी उत्पादकों को बहिःस्त्राव के उपचार संबंधी विधियों की जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इस क्षेत्र में कॉफी बोर्ड ने निम्नानुसार कार्रवाई आरंभ की है:–

(i) कॉफी निस्सारण द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के बारे में कॉफी उत्पादक प्रदेशों में जागरूकता अभियान चलाना तथा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित प्रदूषण उपायों को अपनाना;

(ii) लागत प्रभावी निस्सारण उपचार संयंत्र विकसित करना जो कॉफी उत्पादकों और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण को स्वीकार्य हों;

(iii) कॉफी बोर्ड के वैज्ञानिकों तथा कर्नाटक स्टेट पोलूशन कंट्रोल बोर्ड (के एस पी सी बी), बंगलौर के अधिकारियों को शामिल करके एक कृतिक बल का गठन करके राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर द्वारा तैयार किए गए निस्सारण उपचार मॉडल की, इसको अपनाने, जल उपयोग तथा अन्य मानदंडों के लिए जांच करना;

(iv) ग्रामीण क्षेत्र के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग (ए एस टी आर ए) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी, जिसके लघु एवं बृहत उपजकर्ताओं के लिए उपयुक्त होने का दावा किया जाता है, का बोर्ड के अनुसंधान फार्मों में प्रायोगिक तौर पर प्रयोग किया जाएगा, और

(v) श्लेष्मा अलग करने के लिए छलनी का मानकीकरण करने में कॉफी बोर्ड के एस पी सी बी के साथ सहयोग करेगा, जो कॉफी निस्सारण के प्रदूषण भार को जोरदार ढंग से कम करेगा।

[हिन्दी]

बीमा संबंधी दावों का निपटान

3898. श्री रामपाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐसे नियम बनाने के बारे में विचार कर रही है जिनके अन्तर्गत सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर बीमा संबंधी दावों को सात दिनों के अन्दर निपटाया जाना आवश्यक होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नियमों का पालन न करने वाली बीमा कम्पनियों के खिलाफ दांडिक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) आईआरडीए अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के तहत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की प्रदत्त शक्तियों के अनुसार "पॉलिसीधारकों के अधिकार और दायित्व" शीर्षक से विनिमय जारी करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विनियमों की एक विशेषता बीमा कम्पनियों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर दावों के निपटान से संबंधित है। निजी और सहकारी दोनों क्षेत्रों की साधारण बीमा कम्पनियों के मामले में, यह प्रस्ताव है कि जहां बीमित व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता को सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हों, वहां यदि दावे का निपटान सात दिन के भीतर नहीं किया जाता, तो आठवें दिन से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज उपार्जित होना आरंभ हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में, विलम्ब की अवधि के लिए दावे की पूरी राशि पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर दाण्डिक ब्याज के भुगतान का प्रावधान पहले से ही है।

आई. डी. बी. आई. द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

3899. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा देश के अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों, जिनमें महाराष्ट्र के अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र शामिल हैं, के उद्यमियों की ओर से कितने आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं;

(ख) राज्य–वार उनमें से कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई और उनमें से कितने आवेदनों को स्वीकृति नहीं दी गई;

(ग) इस अवधि के दौरान दी गई एकमुश्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उद्यमियों को वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के दौरान अनियमितताओं की कुछ घटनाओं की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित वित्तीय संस्थाएं, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति सहित उनकी अवस्थिति और जनसंख्या के संघटन पर विचार किए बिना सभी अर्थक्षम औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तथापि, किसी क्षेत्र में वित्तीय सहायता की सीमा उपयुक्त आवेदन पत्रों की उपलब्धता, उपलब्ध आधारभूत सुविधा, कच्चे माल और कुशल कारीगरों की उपलब्धता और बाजार की निकटता आदि सहित विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है।

विद्यमान सरकारी/संस्थागत अनुदेशों के अनुसार प्रबन्धन द्वारा अनियमितता की घटनाओं पर कार्रवाई की जाती है।

बैंकों की नई शाखाएं

3900. **डा. बलिराम :**

श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय वाणिज्यिक बैंकों की राज्य–वार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ वाणिज्यिक बैंकों को अपनी नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा राज्यवार कितनी नई शाखाएं खोली गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (घ) दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की कार्यरत शाखाओं की राज्य–वार संख्या और साथ ही दिनांक 1.4.1998 से 31.3.2001 तक की अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण–I दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखाएं खोलने के लिए जारी प्राधिकार के राज्य–वार और बैंक–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की राज्यवार संख्या तथा 1.4.1998 से 31.3.2001 के दौरान खोली गई इन बैंकों की शाखाओं की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या	1.4.1998 से 31.3.2001 के दौरान खोली गई वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	5142	201
अरूणाचल प्रदेश	68	–
असम	1231	12
बिहार	3549	41
छत्तीसगढ़	1043	2*
रा.रा.क्षे. दिल्ली	1422	138
गोवा	324	22
गुजरात	3671	141
हरियाणा	1509	63
हिमाचल प्रदेश	779	9
जम्मू और कश्मीर	815	21
झारखंड	1446	2*
कर्नाटक	4733	207
केरल	3290	135
मध्य प्रदेश	3440	91
महाराष्ट्र	6278	218
मणिपुर	81	–
मेघालय	179	–
मिजोरम	78	–

1	2	3
नागालैण्ड	70	–
उड़ीसा	2218	47
पंजाब	2527	94
राजस्थान	3304	78
सिक्किम	47	5
तमिलनाडु	4762	154
त्रिपुरा	178	–
उत्तर प्रदेश	8060	178
उत्तरांचल	832	1*
प. बंगाल	4405	73
अण्डमान तथा निकोबार	31	–
चण्डीगढ़	169	15
दादरा एवं नागर हवेली	11	1
दमन एवं द्वीव	15	2
लक्ष्यद्वीप	9	–
पाण्डिचेरी	84	9
अखिल भारत	65800	1960

आंकडों का संबंध छत्तीसगढ तथा उत्तरांचल राज्यों के संबंध में 1 नवम्बर 2000 के या उसके बाद तथा झारखण्ड के संबंध में 15 नवम्बर 2000 से खोली गई शाखाओं की संख्या से है क्योंकि संदर्भित राज्य उक्त दिनांकों को गठित किए गए थे।

विवरण-II

बैंक शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए प्राधिकारों की राज्य–वार और बैंक–वार संख्या

राज्य का नाम	बैंक का नाम	प्राधिकारी की सं.
1	2	3
आंध्र प्रदेश	बैंक आफ बड़ौदा	1
	बैंक आफ इंडिया	1
	सिटी यूनियन बैंक	1
	कारपोरेशन बैंक	8
	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	6
	इंडियन बैंक	1
	इंडियन ओवरसीज बैंक	2
	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	3
	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	2
	नेडुंगडी बैंक लि.	1
	पंजाब नेशनल बैंक	1
	सांगली बैंक लि.	1
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	4
	भारतीय स्टेट बैंक	3
	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1
	साउथ इंडियन बैंक	2
	सिंडिकेट बैंक	1
	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.	2
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1
	यूटीआई बैंक लि.	1
असम	इलाहाबाद बैंक	1
	बैंक आफ राजस्थान लि.	1
	आईसीआईसीआई बैंकिंग कार. लि.	1
	इंडियन ओवरसीज बैंक	3
	पंजाब नेशनल बैंक	1
	वैश्य बैंक लि.	1
बिहार	इलाहाबाद बैंक	1

1	2	3
	बैंक आफ इंडिया	2
	बैंक आफ राजस्थान लि.	1
	केनरा बैंक	1
	ओरि. बैंक आफ कामर्स	1
	पंजाब नेशनल बैंक	2
	सिंडिकेट बैंक	1
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1
छत्तीसगढ	आन्ध्रा बैंक	1
	कारपोरेशन बैंक	1
	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	1
	इंडियन बैंक	1
	ओरि. बैंक आफ कामर्स	2
	पंजाब एंड सिंघ बैंक	1
	भारतीय स्टेट बैंक	1
	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1
	इंडसइंड बैंक लि.	1
छत्तीगढ़	स्टेट बैंक आफ इंदौर	4
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1
दादर एवं नागर हवेली	कारपोरेशन बैंक	1
दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक	4
	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	3
	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	6
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1
	इलाहाबाद बैंक	1
	आन्ध्रा बैंक	1
	बैंक आफ बड़ौदा	5
	बैंक आफ इंडिया	2
	केनरा बैंक	20
	कारपोरेशन बैंक	4
	देना बैंक	3
	इंडियन बैंक	2
	इंडियन ओवरसीज बैंक	3
	ओरि. बैंक आफ कामर्स	11
	पंजाब नेशनल बैंक	3
	पंजाब एंड सिंध बैंक	10
	सिंडिकेट बैंक	5
	विजया बैंक	5
	बैंक आफ पंजाब लि.	8
	सेंचरियन बैंक	1
	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	3
	एचडीएफसी बैंक	1
	आईसीआईसीआई बैंक आफ मदरा लि.	2
	आईसीआईसीआई बैंक आफ कारपो. लि.	1
	इंडसइंड बैंक लि.	1
	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1
	लार्ड कृष्ण बैंक लि.	3

1	2	3
	नैनीताल बैंक लि.	1
	रत्नाकर बैंक लि.	1
	साउथ इंडियन बैंक लि.	1
	यूटीआई बैंक लि.	3
	वैश्य बैंक लि.	1
गोवा	आंध्रा बैंक	2
	इंडसइंड बैंक लि.	1
	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1
	सांगली बैंक लि.	1
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1
	भारतीय स्टेट बैंक	2
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1
गुजरात	भारतीय स्टेट बैंक	1
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1
	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	9
	आंध्रा बैंक	2
	बैंक आफ बड़ौदा	2
	बैंक आफ इंडिया	2
	केनरा बैंक	2
	कार्पोरेशन बैंक	2
	देना बैंक	5
	सिंडिकेट बैंक	1
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
	विजया बैंक	4

1	2	3
	एचडीएफसी बैंक	2
	इंडसइंट बैंक लि.	1
	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	1
	यूटीआई बैंक लि.	2
	वैश्य बैंक लि.	1
	भारत ओवरसीज बैंक	1
	बैंक आफ राजस्थान लि.	1
	डेवलपमेन्ट सीआर बी के लि.	1
	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2
	सांगली बैंक लि.	1
हरियाणा	भारतीय स्टेट बैंक	3
	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1
	स्टेट बैंक पटियाला	6
	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1
	इलाहाबाद बैंक	1
	आंध्रा बैंक	5
	बैंक आफ बड़ौदा	2
	बैंक आफ इंडिया	1
	केनरा बैंक	1
	कार्पोरेशन बैंक	3
	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2
	पंजाब नेशनल बैंक	2
	सिंडिकेट बैंक	2
	विजया बैंक	2

1	2	3
	जे एण्ड के बैंक लि.	1
	साऊथ इंडियन बैंक लि.	1
	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	1
	डेवेलपमेंट सी आर बी के लि.	1
	बैंक ऑफ पंजाब लि.	1
	सेंचुरियन बैंक लि.	2
	आईडीबीआई बैंक लि.	1
हिमाचल प्रदेश	कारपोरेशन बैंक	1
	देना बैंक	1
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1
	स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1
जम्मू एवं कश्मीर	भारतीय स्टेट बैंक	1
	पंजाब नेशनल बैंक	2
	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1
	बैंक ऑफ पंजाब लि.	1
	जे एण्ड के बैंक लि.	5
	यूटीआई बैंक लि.	1
झाड़खंड	भारतीय स्टेट बैंक	1
	इलाहाबाद बैंक	2
	बैंक ऑफ इंडिया	2
	केनरा बैंक	1
	कारपोरेशन बैंक	2
	पंजाब नेशनल बैंक	2
	इन्डसइंड बैंक लि.	1
	यूटीआई बैंक लि.	1
कर्नाटक	भारतीय स्टेट बैंक	1
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	7
	आन्ध्रा बैंक	1
	बैंक ऑफ इंडिया	5
	केनरा बैंक	3
	कारपोरेशन बैंक	6
	देना बैंक	1
	इंडियन बैंक	1
	सिंडिकेट बैंक	5
	विजया बैंक	3
	बैंक ऑफ पंजाब लि.	1
	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	3
	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	2
	साऊथ इंडियन बैंक लि.	1
	यूटीआई बैंक लि.	1
	व्यास बैंक लि.	2
	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1
	सिटी यूनियन बैंक लि.	1
	कर्नाटक बैंक लि.	1
	करूर वैश्य बैंक लि.	2
	नेडूगंड़ी बैंक लि.	1
	तमिलनाड मेर बैंक लि.	1
केरल	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	6
	आन्ध्रा बैंक	4
	बैंक आफ इंडिया	2
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1

1	2	3
	केनरा बैंक	3
	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	1
	एच डी एफ सी बैंक	1
	इन्डसइंड बैंक लि.	2
	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	2
	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	1
	साउथ इंडियन बैंक लि.	1
	यूटीआई बैंक लि.	1
	सिटी यूनियन बैंक लि.	1
	नेडूगंडी बैंक लि.	2
	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2
मध्य प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक	3
	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	6
	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1
	बैंक ऑफ इंडिया	3
	कारपोरेशन बैंक	1
	इंडियन ओवरसीज बैंक	1
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1
	विजया बैंक	1
	बैंक ऑफ पंजाब लि.	1
	वैश्य बैंक लि.	1
	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	1
	आई डी बी आई बैंक लि.	1
महाराष्ट्र	भारतीय स्टेट बैंक	10
	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	6
	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1
	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2
	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2
	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1
	इलाहाबाद बैंक	1
	आन्ध्रा बैंक	4
	बैंक ऑफ बड़ौदा	3
	बैंक ऑफ इंडिया	30
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3
	केनरा बैंक	3
	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	4
	कारपोरेशन बैंक	13
	देना बैंक	1
	इंडियन बैंक	1
	इंडियन ओवरसीज बैंक	4
	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	4
	पंजाब नेशनल बैंक	1
	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	2
	सिंडिकेट बैंक	3
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2
	यूको बैंक	1
	विजया बैंक	2
	बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड	4
	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	8
	एच. डी. एफ. सी. बैंक	4

1	2	3
	आई.सी.आई. बैंक.(मदूरा) लि.	1
	इंडियुसिध बैंक लिमिटेड	2
	जे. एण्ड के. बैंक लिमिटेड	2
	लार्ड कृष्णना बैंक लिमिटेड	3
	रत्नाकर बैंक लिमिटेड	2
	साउथ इण्डियन बैंक लिमिटेड	1
	यू. टी. आई. बैंक लिमिटेड	6
	वैश्या बैंक लिमिटेड	2
	भारत ओवरसीज बैंक	1
	बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड	2
	डवलपमेन्ट सी आर बैंक लिमिटेड	3
	लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	1
	साग्ली बैंक लिमिटेड	7
	सेनटीरियन बैंक लिमिटेड	4
	आई. डी. बी. आई. लिमिटेड	1
	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	2
	करनाटका बैंक लिमिटेड	3
	करूर वैश्या बैंक लिमिटेड	1
	निडियूनगढ़ी बैंक लिमिटेड	1
	तमिलनाड मर. बैंक लिमिटेड	1
	फैडरल बैंक लिमिटेड	1
	यूनाईटिड बैस्ट्रन बैंक लि.	7
मेघालय	कारपोरेशन बैंक	1
उड़ीसा	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्रा	1
	इलाहाबाद बैंक	2
	कारपोरेशन बैंक	1
	इंडियन ओवरसीज बैंक	2
	एच डी एफ सी बैंक	1
	आई. सी. आई. सी. आई. बैंक (मदूरा) लि.	1
	यू.टी.आई. बैंक लिमिटेड	1
पांडिचेरी	एचडीएफसी बैंक लि.	1
	लक्ष्मीविलास बैंक लि.	1
पंजाब	भारतीय स्टेट बैंक	1
	स्टेट बैंक आफ इंदौर	2
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	8
	इलाहाबाद बैंक	1
	आन्ध्रा बैंक	1
	बैंक आफ इंडिया	2
	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	1
	कारपोरेशन बैंक	7
	इंडियन बैंक	1
	इंडियन ओवरसीज बैंक	2
	पंजाब एंड सिंध बैंक	1
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2
	विजया बैंक	2
	बैंक आफ पंजाब लि.	14
	सेंचुरियन बैंक	1
	एचडीएफसी बैंक	3
	आई सी आई सी आई बैंक (मदुरा) लि.	1
	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	2
	यूटीआई बैंक लि.	3

1	2	3
	बैंक आफ राजस्थान लि.	1
	तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक लि.	1
राजस्थान	भारतीय स्टेट बैंक	2
	स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	11
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1
	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2
	बैंक आफ बड़ौदा	1
	बैंक आफ इंडिया	1
	केनरा बैंक	1
	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1
	कारपोरेशन बैंक	3
	देना बैंक	1
	ओरि. बैंक आफ कामर्स	7
	पंजाब नेशनल बैंक	1
	एचडीएफसी बैंक	1
	इंड्सइंड बैंक लि.	1
	यूटीआई बैंक लि.	1
	वैश्य बैंक लि.	1
	आईडीबीआई बैंक लि.	2
सिक्किम	यूटीआई बैंक लि.	1
	स्टेट बैंक आफ इंडिया	7
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1
	स्टेट बैंक रजाक ट्रावन कोर	1
	इलाहाबाद बैंक	1

1	2	3
	बैंक आफ इंडिया	3
	केनरा बैंक	1
	इंडियन बैंक	7
	इंडियन ओवरसीज बैंक	1
	पंजाब नेशनल बैंक	1
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
	विजया बैंक	1
	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	3
	एच डी एफ सी बैंक	3
	लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड	3
	यू.टी.आई बैंक लिमिटेड	2
	भारत ओवरसीज बैंक	1
	बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड	1
	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	2
	करुर वैश्या बैंक लिमिटेड	4
	निडियूनगढ़ी बैंक लिमिटेड	1
	तमिलनाड मर. बैंक लिमिटेड	7
	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड़	1
उत्तर प्रदेश	भा. स्टेट बैंक	6
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2
	इलाहाबाद बैंक	3
	आन्ध्रा बैंक	1
	बैंक आफ बड़ोदा	2
	बैंक आफ इंडिया	7

1	2	3
	केनरा बैंक	1
	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1
	कारपोरेशन बैंक	8
	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	5
	पंजाब नेशनल बैंक	5
	सिंडिकेट बैंक	4
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
	विजया बैंक	1
	सैन्टयिून बैंक	1
	एच.डी.एफ.सी. बैंक	2
	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक	1
	नैनीताल बैंक लिमिटेड	1
	यू.टी.आई. बैंक लिमिटेड	1
	वैश्या बैंक लिमिटेड	2
	बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड	1
	करनाटका बैंक लिमिटेड	1
	केनरा बैंक	1
	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1
	नैनीताल बैंक लि.	2
	यूटीआई बैंक लि.	1
पं. बंगाल	भारतीय स्टेट बैंक	7
	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1
	इलाहाबाद बैंक	1
	केनरा बैंक	2
	कार्पोरेशन बैंक	2
	इंडियन ओवरसीज बैंक	3
	विजया बैंक	2
	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	1
	इन्डोसिन्ड बैंक लि.	1
	यूटीआई बैंक लि.	2
	वैश्य बैंक लि.	2
	भारत ओवरसीज बैंक	1
	बैंक आफ राजस्थान लि.	1
	आई डी बी आई, बैंक लि.	1
	कर्नाटका बैंक लि.	1
	धनलक्ष्मी बैंक लि.	1

[अनुवाद]

''स्कोप'' अध्ययन

3901. डा. जसवंतसिंह यादव :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के शीर्ष उपक्रमों हेतु कोई विनिवेशोत्तर पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी उद्यमों सम्बन्धी स्थायी सम्मेलन (स्कोप) ने इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) ये संविदागत नियुक्तियां हैं, जोकि इन संविदाओं की शर्तों द्वारा अधिशासित होती है।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकारी उद्यमों सम्बन्धी स्थायी सम्मेलन (स्कोप) ने अन्य बातों के साथ–साथ सुझाव दिया है:– बोर्ड में पुनः नामांकन, पृथक्करण पैकेज जैसाकि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को उपलब्ध है, निजी क्षेत्र में नौकरी करने पर प्रतिबन्ध को हटाना, लोक उद्यम चयन बोर्ड के चयन में प्राथमिकता देना, उनके द्वारा पहले से धारित बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर लौटना, चाहे लियन रखा गया हो अथवा नहीं आदि। सम्भावी बोलीदाताओं के परामर्श से शेयर धारक/शेयर खरीद करारों को अन्तिम रूप देते समय स्कोप द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

पण्य विनिमय हेतु विश्व बैंक सहायता

3902. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पण्य विनिमय में व्युतपत्तिक व्यापार हेतु अवसंरचना के उन्नयन हेतु विश्व बैंक से सहायता मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को इससे पूर्व विश्व बैंक से 0.49 मिलियन डालर को ऋण मिल गया है और पण्य व्यापारियों में आन लाइन व्यापार कम्प्यूटरीकरण को कार्यान्वित करने और जागरुकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों को तेज करने के लिए इतनी ही धनराशि मिलने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक सहायता प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार ने भारत में "कमॉडिटी फ्यूचर्स मार्केट" के विकास को सहायता देने हेतु विश्व बैंक से 0.49 मि. अमरीकी डालर का एक सांस्थानिक विकास निधि अनुदान प्राप्त किया था। यह अनुदान 31 अक्टूबर, 2000 को समाप्त हो गया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क

3903. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य भंडारों के निरंतर बढ़ते रहने और बढ़ती मांगों के बावजूद, केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों को वापिस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाने में धीमी गति से कार्य किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन से बाहर नहीं किया गया है। यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के प्रति खाद्य राजसहायता को बेहतर रूप से लक्षित करने की दृष्टि से 1.4.2000 से उनके लिए खाद्यान्नों का आबंटन आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर 10 किलोग्राम से दुगना करके 20 किलोग्राम कर दिया गया था, तथापि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए यह आबंटन उसी स्तर पर बनाए रखा गया है जिस स्तर पर यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के समय था और इसके लिए उस तारीख के केन्द्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 100 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था।

केन्द्रीय पूल में पड़े खाद्यान्नों के अधिशेष स्टाक को कम करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 12.7.2001 से 31.3.2002 तक अथवा जब तक अधिक स्टाक रहता है तब तक गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों को आबंटन आर्थिक लागत के 70 प्रतिशत की घटी हुई दर पर किया जाए।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

3904. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकरण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की गैर–निष्पादनकारी आस्तियों से संबंधित दिशानिर्देशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट दर्ज करने के लिए छः सप्ताह का समय दिया है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए उत्तरदायी पाए गए लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की सभी सिफारिशों को कब तक पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11 जुलाई, 2001 के अपने आदेश के तहत अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि मामले को छः सप्ताह के लिए यथावत रहने दिया जाए जिस दौरान भारत संघ अनुपयोज्य आस्तियों की स्थिति को सुकर बनाने वाले मार्गनिर्देशों के आधार पर कृत कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति में हो।

(ख) भारत सरकार ने भारतीय उच्चतम न्यायालय को अब तक रिपोर्ट नहीं दी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को बैंक बकाया की वसूली के लिए कई कदम उठाने की सलाह दी है, जैसे–बैंक द्वारा वसूली नीति तैयार एवं कार्यान्वित करना, सिविल न्यायालयों में मुकदमें दायर करना, ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में मामले दर्ज करना, निपटान सलाहकार समिति द्वारा समझौता निपटान तथा बैंक में विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) की निगरानी एवं अनवुर्ती कार्रवाई करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 जुलाई ,2000 के अपने परिपत्र के तहत 5 करोड़ रुपए तक की अनुपयोज्य आस्तियों के निपटान के लिए गैर–विवेकाधीन एवं अभेदमूलक मार्गनिर्देश तैयार किया था तथा बैंकों का 5 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया ऋण के लिए स्वयं की नीति तैयार करने की सलाह दी थी। पुनर्वास, एकबारगी निपटान, सभी आवश्यक मामलों में मुकदमा दायर करने के लिए बैंकों द्वारा प्रभावकारी कार्रवाई 31.9.2001 तक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जानी है। बैंकों को उनके अनुपयोग्ज्य अस्तियों के समझौता निपटान करने के लिए लोक अदालत मंच के प्रयोग की सलाह दी गई है तथा मई, 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 लाख रुपए तक अनुपयोज्य आस्ति खातों में अंतर्ग्रस्त बकाया राशि के निपटान के लिए इस मंच में बढ़ते प्रयोग के लिए मार्गनिर्देश जारी किया गया है। एक कानून बनाने के लिए कार्रवाई भी शुरू की गई है जो चूक के मामलों में प्रतिभूति के मोचन निषेध एवं प्रवर्तन को सुकर बनाएगा ताकि बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपने बकायों की वसूली के लिए समर्थ हो सकें। उधारकर्ताओं के बारे में बैंकों के बीच सूचना प्रसार के लिए ऋण सूचना ब्यूरो का गठन भी किया गया है।

बैंक साधारणतया ऋण मामले, जो अनुपयोज्य आस्ति बन चुका होता है, में स्टाफ उत्तरदायित्व की जांच करता है तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो उचित कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

3905. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत–नेपाल सीमा पर तस्करी से संबंधित गतिविधियों में भयप्रद वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सीमा पर तस्करी से संबंधित गतिविधियों के लिए कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा उसके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारत–नेपाल सीमा पर तस्करी से संबंधित गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) तस्करी एक चोरी–छिपे किए जाने वाला धन्धा होने के कारण, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि भारत–नेपाल सीमा पर तस्करी संबंधी गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। फिर भी आसूचना से प्राप्त जानकारियों, अभिग्रहणों के आधार पर की गई पुष्टियों द्वारा पकड़ने से यह पता चलता है कि भारत–नेपाल सीमा तस्करी की दृष्टि से निरन्तर संवेदनशील क्षेत्र बनी हुई है। राजस्व आसूचना निदशालय (डी.आर.आई.) सहित सीमा शुल्क विभाग द्वारा भारत–नेपाल सीमा पर पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष (जुलाई, 2001 तक) में, पता लगाए गए तस्करी के मामलों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:–

अभिग्रहणों का ब्यौरा	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–2002 जुलाई, 2002 तक)
बुक किए गए मामलों की सं.	4593	4422	6405	1654
अभिगृहीत माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	52.02	58.14	53.21	9.66

(ग) भारत–नेपाल सीमा पर पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जुलाई, 2001 तक) में तस्करी से संबंधित गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:–

अभिग्रहणों का ब्यौरा	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–2002 (जुलाई, 2001 तक)
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	277	187	307	41

(घ) तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सीमा–शुल्क अधिनियम के अधीन अर्थदण्ड लगाने तथा अभियोजन चलाने की कार्रवाई की जाती है और उपयुक्त मामलों में कोफेपोसा के तहत नजरबंदी पर भी विचार किया जाता है।

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा–शुल्क विभाग के अंतर्गत सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय भारत–नेपाल सीमा पर तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए चौकस तथा सतर्क हैं।

चीनी मिलों द्वारा देय बकाया धनराशि

3906. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्ष की तुलना में गन्ना पेराई की वर्तमान अवधि के दौरान चीनी मिलों द्वारा किसानों को देय बकाया धनराशि में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार सरकारी और गैर–सरकारी चीनी मिलों पर कितनी धनराशि बकाया है?;

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) 30 जून, 2001 को स्थिति के अनुसार चीनी मौसम 2000–2001 के लिए गन्ने के देय मूल्य की धनराशि, गन्ने के मूल्य को अदा की गई धनराशि, गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि तथा गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की प्रतिशतता निम्नवत थी:

(करोड़ रुपए में)

(i)	गन्ने के मूल्य की देय धनराशि	12568.38
(ii)	गन्ने के मूल्य की अदा की गई धनराशि	11537.32
(iii)	गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि	1031.06
(iv)	उपर्युक्त (i) के प्रति गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की प्रतिशतता	8.2%

30 जून, 2000 को स्थिति के अनुसार चीनी मौसम 1999–2000 के लिए यह ब्यौरा निम्नवत था:–

(करोड़ रुपए में)

(i)	गन्ने के मूल्य की देय धनराशि	9271.73
(ii)	गन्ने के मूल्य की अदा की गई धनराशि	8526.96
(iii)	गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि	744.77
(iv)	उपर्युक्त (i) के प्रति गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की प्रतिशतता	8.0%

उपुर्युक्त से यह विदित होगा कि चीनी मौसम 1999–2000 की तुलना में चीनी मौसम 2000–2001 के दौरान गन्ने के मूल्य की देय धनराशि में 3296.65 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि गन्ने के मूल्य की अदा की गई धनराशि में 3010.36 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि में 286.29 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है लेकिन प्रतिशतता के हिसाब से चीनी मौसम 2000–2001 के दौरान गन्ने के मूल्य की देय धनराशि के प्रति गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की प्रतिशतता 8.2 थी जबकि इससे पिछले मौसम के दौरान यह प्रतिशतता 8.0 थी। गन्ने के मूल्य बकाया धनराशि में वृद्धि मुख्य रूप से गन्ने के देय मूल्य की धनराशि में वृद्धि होने के कारण हुई है।

(ख) 30.06.2001 को स्थिति के अनुसार, चीनी मौसम 2000–2001 के लिए सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की और गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि निम्नानुसार थी:–

		करोड़ रु. में
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलें	157.76
(ii)	निजी क्षेत्र की चीनी मिलें	491.28

[अनुवाद]

कर्नाटक को खाद्य राजसहायता

3907. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्यों से खाद्यान्न खरीद करने के लिए राज्य की सहायता करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक का अधिविकर्ष उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान खाद्य संबंधी राज सहायता के लिए कितनी धनराशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है और गत वर्ष इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई थी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता समग्र रूप में रिलीज करती है। भारतीय खाद्य निगम को राज्यवार राजसहायता रिलीज नहीं की जाती है।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां

3908. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से उनके अपने राज्यों में शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इन इकाइयों की स्थापना भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन में गैर–सरकारी उद्यमियों/प्रवर्तकों द्वारा की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का संशोधन

3909. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मौजूदा भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (खाद्य निगम अधिनियम) को विगत में समय–समय पर संशोधित किया गया है। फिलहाल, निगम की उधार–शक्तियों के संबंध में, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा–27 उप–धारा–(i) में संशोधन करने के उद्देश्य से, खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत किया गया है।

वनस्पति तेल और उत्पाद नियंत्रण आदेश में संशोधन

3910. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मलेशियाई प्राधिकरणों को कच्चे पॉम तेल का आयात सुनिश्चित किए जाने के आश्वासन के अनुसरण में कच्चे पॉम तेल का और अधिक आयात किए जाने की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से वनस्पति तेल और उत्पाद (विकास और विनियमन) नियंत्रण आदेश में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य संशोधनों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने पर की संभावना है; और

(घ) देश के लिए यह संशोधन कहां तक हितकारी होगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी

3911. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार को देश में गैर–बैंकिंग कंपनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में हुई ऐसी घटनाओं का कंपनी–वार ब्यौरा क्या है और उक्त कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों के कार्यकरण को नियमित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) मध्य प्रदेश की इन गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे कुछ उन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ जमाकर्ताओं की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो उनकी जमाराशियों की वापसी अदायगी करने में असफल रही हैं।

(ख) बैंक ने उन 5 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनके पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश में है और जिन्होंने जमाराशियों की वापसी अदायगी करने में चूक की है। इन कंपनियों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई का कंपनी–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–। में दिया गया है।

(ग) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रभावी विनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को 1997 में संशोधित किया गया था। इसके फलस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 1998 में नए विनियामक ढांचे की घोषणा की। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकरण को नियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाईयां संलग्न विवरण–।। में दी गई हैं।

(घ) मध्य प्रदेश में पंजीकृत कार्यालयों वाली 5 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाईयों का उल्लेख विवरण–। में किया गया है। मध्य प्रदेश में कार्यरत ये तथा अन्य कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के अध्यधीन हैं, जैसाकि विवरण–।। में दिया गया है।

विवरण-।

उन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई के ब्यौरे जिनके पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश में हैं।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	कंपनी का संक्षिप्त ब्यौरा	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	अल–फहाद फिनकाम लि. दूसरी मंजिल, मीना बाजार कांप्लेक्स, 55–56 बम्बई बाजार, इन्दौर	यह एक नई गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी थी, जिसने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी का व्यवसाय शुरू किया और भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किए बिना जनता से जमाराशि भी स्वीकार की। कंपनी के विरुद्ध जमाराशि वापसी की अदायगी नहीं करने की शिकायत हैं।	सूचना मिली थी कि कंपनी के कुछ निदेशकों/पदधारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कंपनी के समापन का निर्णय ले लिया गया है और इस मामले पर कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
2.	अल–फहाद इन्वेस्टमेंट लि. (अल–फहाद समूह) दूसरी मंजिल, मीना बाजार कांप्लेक्स, 55–56 बम्बई बाजार, इन्दौर	पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन–पत्र 5 जुलाई, 2000 को रद्द कर दिया गया है।	सूचना मिली थी कि कंपनी के कुछ निदेशकों/पदधारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कंपनी के समापन का निर्णय ले लिया गया है और इस मामले पर कार्रवाई चल रही है।
3.	अल–अमानत फाइनेंस एण्ड कैपिटल सर्विसेज लि., 90 कांझीपुरा, इन्दौर	भारतीय रिजर्व बैंक को कंपनी द्वारा प्रतिभूति जमाराशि के रूप में ली गई राशि का वापसी अदायगी नहीं किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली थीं।	बैंक द्वारा कंपनी की लेखा–बहियों की जांच करने के लिए एक अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था, परंतु कंपनी गायब पाई गई। पंजीकरण प्रमाण–पत्र 21 मई, 2001 को रद्द कर दिया गया है। महा निदेशक, राज्य जांच ब्यूरो, आर्थिक अपराध स्कन्ध से उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। कंपनियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने का निर्णय भी लिया गया है और मामले में कार्रवाई चल रही है।
4.	लिंकर्स सिक्योरिटी लि. 22, वैशाली नगर, कोत्रा सुल्तानाबाद, भोपाल	पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के लिए आवेदन पत्र 16 अक्तूबर, 1998 को रद्द कर दिया गया है।	जमाराशि की वसूली अदायगी नहीं करने के लिए कंपनी के विरूद्ध दो जमाकर्ता कम्पनी विधि बोर्ड में गए थे। सी एल बी ने कंपनी के विरूद्ध आदेश पारित कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 सितम्बर, 2000 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर दी है, क्योंकि पत्र बिना सपुर्दगी के वापस आ गए थे। पुलिस ने भोपाल न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामले दर्ज किए है।
5.	नैब्को फिन्वेस्ट लि., नैब्को फाइनेंशियल कार्पोरेशन (गैर–निगमित निकाय), उज्जैन	नैब्को फिन्वेस्ट लि. ने पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी का व्यवसाय शुरू कर दिया था।	एक अधिकारी को निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, परन्तु दोनों ही कंपनियां मौजूद नहीं पाई गई। दण्डात्मक कार्रवाई शुरु करने के लिए इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-II

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों की कार्य पद्धति को विनियमित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई।

1. वित्तीय कारोबार में लगी कोई भी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र लिए बिना ऐसा कारोबार जारी नहीं रख सकती/शुरू नहीं कर सकती। गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में निर्धारित तथ्यों और मानदंडों के निर्धारण और मूल्यांकन के पश्चात ही पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जा रहा है।

2. 25 लाख रुपए से कम की निवल स्वाधिकृत निधि वाली गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों को सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने से रोक दिया गया था। दिनांक 31.4.1999 से निवल स्वाधिकृत निधि की अपेक्षा को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नई कंपनियों को परिचालन शुरू करने के दो वर्ष के लिए सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

3. गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक जमाराशियों के 15 प्रतिशत की दर से चल निधि आस्तियां बनाए रखें।

4. गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आरक्षित निधि का सृजन करें और प्रत्येक वर्ष ऐसी निधि में निवल लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत अंतरित करें।

5. जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा पुनः लागू करना और दलाली (ब्रोकरेज) की दर को युक्तियुक्त करना।

6. ऋण और निवेश कंपनियों को 15 प्रतिशत या अधिक कोसीआरएआर प्राप्ति के अध्यधीन तथा अपनी आस्ति के जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए अपने निवल स्वाधिकृत निधि के 1.5 गुणा तक सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई।

7. आवेदन फार्मों और विज्ञापनों में प्रकटीकरण का विस्तार किया गया है ताकि जमाकर्ता सुविज्ञ निर्णय ले सकें।

8. गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों की वित्तीय स्थितियों को समझने की जमाकर्ताओं को चेतावनी।

9. आय की पहचान तथा अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने हेतु विवेकपूर्ण मानदण्ड का निर्धारण। इन विवेकपूर्ण मानदण्डों को अवशिष्ट गैर–बैंककारी कंपनियों पर भी लागू किया गया है। सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने हेतु विवेकपूर्ण मानदण्डों की अनिवार्य अनुपालना एक पूर्वापेक्षा है।

10. ऋण और निवेश संकेन्द्रण मानदण्ड अपनी अनुषंगियों तथा कंपनी समूह सहित सभी वित्तीय एक्सपोजरों पर लागू होनी है।

11 स्थावार सम्पदा और अनुद्धरित शेयरों में निवेश पर प्रतिबन्ध।

12. गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों पर परिपक्वराशियों की वापसी अदायगी में असफल रहने की स्थिति में किसी प्रकार की आस्ति के सृजन से रोक।

13. गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नाम में परिवर्तन के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त करे।

14. गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन/नियंत्रण के अंतरण/विलय/समामेलन से पूर्व तीन महीने पहले सार्वजनिक नोटिस दें और नई कंपनी जमाकर्ताओं को अपनी जमाराशियां बनाए रखने या ऐसी जमाराशियों की वापसी अदायगी का विकल्प देंगी।

15. गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों को कोई शाखा खोले जाने के कम से कम 30 दिन पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस देना पड़ता है।

16. गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों की किसी शाखा के बंद किए जाने या किसी अन्य व्यक्ति का कंपनी का प्रबंधन या नियंत्रण सौंपे जाने से पूर्व 3 महीने का सार्वजनिक नोटिस देना होगा।

17. गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों को उनके पंजीकरण के राज्य से बाहर जमाराशियां एकत्र करने के लिए शाखाएं खोलने और ऐजेंट नियुक्त करने की अनुमति तभी दी जाती है जब वे निवल स्वाधिकृत निधि और ऋण पात्रता मूल्यांकन के कुछ मानदण्ड पूरे करते हों।

18. गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों के सभी निदेशकों को पीएएन ब्यौरा प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है जिससे लुप्त होने वाली कंपनियों की समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जाए।

19. 50 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक की आस्ति आकार वाली सभी बड़े आकार की गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों के लिए लेखा परीक्षा समिति गठित करना और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा।

20. पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनियों (निधि) को किसी रूप में विज्ञापन जारी करने और जमाराशियों पर दलाली का भुगतान करने से रोका जाता है।

21. रेजीड्यूरी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार कम से कम 30% जमा देयताओं को कुल जमाराशियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधि के संयोजन के स्थान पर विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करना अपेक्षित है।

22. भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण करने वाली गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक चार स्तरीय तंत्र विकसित किया है। इसके अंतर्गत (क) एनबीएफसी कार्य–स्थल निरीक्षण, (ख) एनबीएफसी का स्टेट आफ आर्ट सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली एनबीएफसी से आवधिक नियंत्रण विवरणियों के माध्यम से स्थलेतर निगरानी, (ग) एक प्रभावी बाजार आसूचना नेटवर्क और (घ) एनबीएफसी के लेखा परीक्षकों द्वारा अपवाद रिपोर्टें प्रस्तुत करने की एक प्रणाली शामिल है।

23. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अधीन कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) को चूककर्ता कंपनियों को चुकौती करने के निदेश देने की विशेष शक्तियों सहित जमाकर्ताओं के दावों पर न्यायनिर्णय देने के लिए प्राधिकृत किया है। अगर कोई एन बी सी एफ सी कंपनी विधि बोर्ड के आदेश को मानने में असफल होती है, तब भारतीय रिजर्व बैंक उसके विरूद्ध अभियोजन कार्यवाहियां शुरु कर सकती है। बैंक ने ऐसे मामलों में अभियोजन कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। बैंक ने एनबीएफसी द्वारा कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए चार महानगरीय केन्द्रों पर समन्वय समितियां भी गठित की हैं।

24. बैंक एनबीएफसी में प्रेषक भी नियुक्त करता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार कंपनियों द्वारा जमाराशियों की चुकौती में कठिनाईयों का सामना करता है।

25. एनबीएफसी के विरूद्ध बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन रद्द करने और किसी प्रतिकूल कार्रवाई करने का व्यापक प्रचार किया जाता है जिससे भावी जमाकर्ताओं को चौकन्ना किया जा सके।

26. बैंकों ने चूककर्ता एनबीएफसी के विरूद्ध विभिन्न चूकों के लिए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिकूल कार्रवाई शुरू की है। एनबीएफसी के विरूद्ध प्रतिकूल कार्रवाई में उन्हें और अधिक जमाराशियां स्वीकार करने, आस्तियों का अन्य संक्रामण करने से रोकने के लिए प्रतिबंधक आदेश जारी करना, समापन याचिकाएं दायर करना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों का गंभीर अतिक्रमण करने के लिए एन बी एफ सी और उसके प्रबंधन के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाहियां शुरू करना आदि शामिल है। बैंक राज्य पुलिस प्राधिकरण की आर्थिक अपराध स्कन्ध के साथ सार्वजनिक जमाराशियों को अप्राधिकृत रूप से स्वीकार करने से रोकने के लिए शिकायतें भी दर्ज करता हैं। विभिन्न मामलों में न्यायालय ने अस्थायी रूप से परिसमापक भी नियुक्त किए हैं और एनबीएफसी को किसी रूप में अपनी आस्तियों का निपटान करने से रोका भी है।

27. वित्तीय संस्थान के कारोबार में लगे अनिगमित संकायों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में उल्लिखित संबंधियों से इतर किसी व्यक्ति से जमाराशियां स्वीकार करने से रोका गया है। इन कंपनियों को जमाराशियां लेने के लिए किसी रूप में विज्ञापन जारी करने से रोका जाता है। गैर–वित्तीय कार्य–कलाप करने वाली कंपनियां उपर्युक्त प्रतिबंधों से मुक्त हैं।

28. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी की समस्याओं की पहचान, अनुवर्ती पर्यवेक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित की है।

[अनुवाद]

निजी बैंकों हेतु अधिसूचना

3912. श्री के. फ्रांसिस जार्ज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिनांक 25 फरवरी, 2000 को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों को छोडकर अन्य बैंकों में लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिसूचना को जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस अधिसूचना के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदनों में क्या मांगें की गई हैं और सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस अभ्यावेदन पर क्या निर्णय लिया गया है अथवा लिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) यह अधिसूचना सरकारी क्षेत्र को छोड़कर बैंकों के सभी पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जारी की गई है।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के क्षेत्र में छूट प्राप्त करने के का अनुरोध करते हुए इंडियन बैंक एसोसिएशन से श्रम मंत्रालय में एक अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है।

(ङ) उन्हें छूट प्रदान करना अब तक संभव नहीं हो पाया है।

अफीम की खेती

3913. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कुल कितने हेक्टेयर भूमि पर अफीम की खेती की जाती है;

(ख) क्या अफीम के उत्पादकों ने सरकार से अफीम की खेती करने हेतु और अधिक क्षेत्र आबंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर विचार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) फसल वर्ष 2001 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल लाइसेंस शुदा क्षेत्र (हेक्टेयर में) का ब्यौरा इस प्रकार है:–

मध्य प्रदेश	11286
राजस्थान	10049
उत्तर प्रदेश	5350

(ख) फसल वर्ष 2001 के दौरान, मध्य प्रदेश के 4424 कृषकों ने और अधिक क्षेत्र के आबंटन के लिए अनुरोध किया था।

(ग) फसल वर्ष 2001 के लिए अफीम लाइसेंस नीति. के अनुसार, प्रत्येक किसान को अधिक से अधिक 20 जारी क्षेत्र आबंटित किया गया था।

बैंक ऋणों के चूककर्ता

3914. श्री रघुनाथ झा :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 10,25,50 लाख रुपये से अधिक के ऋण प्रदान करने हेतु उनके लिए क्या नीति/दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं और क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बड़े औद्योगिक घरानों को ऋण प्रदान करने में भारतीय रिजर्व बैंक के इन दिशानिर्देशों/नीति का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या यह सत्य है कि गुजरात के बहुत से बड़े औद्योगिक घरानों ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं से अत्यधिक ऋण लिया है और ऋण राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं व इनके मामलों को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधि ानियम के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड को भेज दिया गया है जिससे कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष उनके विरूद्ध कार्यवाहियों को स्थगित किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बड़े औद्योगिक घरानों के इस रवैये पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैकों द्वारा 10 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, 50 लाख रुपये से अधिक के ऋण मंजूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई विशेष नीति/दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। बैंकों द्वारा देश भर में फैली उनकी शाखाओं/कार्यालयों के अनुपालन हेतु ऋणों एवं अग्रिमों की मंजूरी के लिए नीति का निर्धारण उनके संबंधित बोर्ड से अनुमोदन लेने के बाद किया जाता है।

(ख) और (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में 291 रूग्ण औद्योगक कम्पनियां रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (सीका) के अधीन पंजीकृत हुई थीं। हालांकि 191 मामलों के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है, शेष 100 मामले विचाराधीनता के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(घ) रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम को निरस्त करने और कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें राष्ट्रीय अधिकरण गठित करने के लिए उपबंध शामिल होंगे जिनके पास वे सभी कार्यक्षेत्र एवं शक्तियां होंगी जो वर्तमान में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाती है और रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत बी आई एफ आर/ए ए आई एफ आर को वर्तमान में सौंपा गया एक अधिदेश कम्पनियों के पुनर्वास और पुनरूज्जीवन पर विचार करने की शक्ति तथा इसके साथ–साथ कम्पनियों के समापन की शक्तियां भी शामिल हैं।

दर संविदा के संबंध में सामान्य वित्तीय नियम

3915. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिशिष्ट आठ के नियम 2 के टिप्पण 2 के अन्तर्गत सामान्य वित्तीय नियमों में लिए गए उपबंध के अनुसार सरकारी विभागों के लिए यह आवश्यक है कि वे जहां कहीं भी उपलब्ध हो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं केवल दर संविदा के माध्यम से ही खरीदें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि कुछ सरकारी विभाग सामान्य वित्तीय नियमों के उक्त प्रावधानों का पालन न करके, अपनी आवश्यकता की वस्तुएं केन्द्रीय भंडार आदि से ऊंची दरों पर खरीद रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी व्यय में मितव्ययता लाने, दुरूपयोग रोकने, राजकोषीय घाटा व ऋणों में कमी लाना सुनिश्चित करने हेतु इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर के नियम 102(1) के संलग्नक के परिशिष्ट 8 (खण्ड I) के नियम 2 के अनुसार उन सभी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित किया जाना आपेक्षित है। जिन्हें जन सेवा के लिए क्रय किया जाना है। जब तक कि आर्डर दी जाने वाली चीज की कीमत मामूली सी है अथवा जब तक विभागाध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है, जिसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना है कि इस बात के पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि निविदाएं आमंत्रित किया जाना जनहित में नहीं है। हालांकि इस नियम के नीचे के नोट में इस बात के संकेत हैं कि निविदाएं आमंत्रित किए बगैर खरीददारी की सीमाएं क्या हैं। अग्रिमतः सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित करने की नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जी. एफ. आर. में निहित प्रक्रिया को लचीला बनाते हुए सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और सरकार द्वारा वित्त पोषित और/अथवा नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए यह जरूरी बना दिया है कि स्टेशनरी अथवा अन्य सामानों की स्थानीय खरीददारी केवल केन्द्रीय भण्डारों और इसकी दो अन्य सहकारी संस्थाओं नामतः एन. सी. सी. एफ. और सुपर बाजार से ही की जाए। इस प्रकार मौजूदा अनुदेशों में जी. एफ. आर. की उपरोक्त रियायतों को भी शामिल किया गया है।

चीनी उद्योग के लिए विकास परिषद्

3916. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी उद्योग के लिए विकास परिषद के सदस्य कौन–कौन हैं व इसका कार्यकरण और कार्यनिष्पादन कैसा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार की चीनी उद्योग के लिए विकास परिषद् को पुनर्गठित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) चीनी उद्योग विकास परिषद का गठन दो वर्षों के लिए किया जाता है। पिछली बार परिषद का गठन 11 नवम्बर, 1998 को किया गया था तथा इसका कार्यकाल 10 नवम्बर, 2000 को समाप्त हो गया था। 11 नवम्बर, 1998 को गठित परिषद् की संरचना संलग्न विवरण–I में दी गई है। परिषद् का पुनर्गठन किया जा रहा है।

चीनी उद्योग विकास परिषद् के मुख्य कार्य संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विकास परिषद् की पिछली बैठक 7.10.1999 को पुणे में हुई थी। इसकी कार्यसूची में अन्य मदों के साथ–साथ ये मदें शामिल थीं–(i) देश में चीनी की स्थिति की समीक्षा, (ii) गन्ना आरक्षण क्षेत्र की समीक्षा, (iii) चीनी की पैकिंग करने के लिए पैकेजिंग सामग्री के रूप में जूट का अनिवार्य रूप से उपयोग।

विकास परिषद की दो स्थायी समितियां हैं नामतः स्थायी अनुसंधान सलाहकार समिति (एस.आर.ए.सी.) तथा चीनी मानमकसंबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एस. ए. सी. एस. एस.)। इन स्थायी समितियों के मुख्य कार्य निम्नवित हैं :–

स्थायी अनुसंधान सलाहकार समिति के कार्य

–(i) चीनी फैक्ट्रियों, वैज्ञानिक तथा अन्य संबंधित संगठनों से परिषद को प्राप्त अनुसंधान स्कीमों की जांच करना।

–(ii) चीनी उद्योग तथा अन्य संबद्ध मामलों के बारे में अनुसंधान करने के लिए सहायता अनुदान देने विषयक प्रस्तावों पर विचार करना।

चीनी मानक संबंधी स्थायी सलाहकार समिति के कार्य

(i) भारतीय चीनी उद्योग, व्यापार आदि में उपयोग के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय चीनी मानक (आई. एस. एस. ग्रेड) लागू करने की सिफारिश करना।

(ii) चीनी की विभिन्न श्रेणियों के लिए मूल्य अन्तर की समीक्षा करना।

(iii) भारतीय चीनी मानक आदि तैयार करने तथा जारी करने से संबंधित अन्य मामले।

स्थायी अनुसंधान सलाहकार समिति चीनी उद्योग तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में अनुसंधान करने के लिए सहायता अनुदान देने विषयक प्रस्तावों पर नियमित रूप से विचार करती रही है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान एक परियोजना के लिए 29 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। चीनी मानक संबंधी स्थायी सलाहाकार समिति भारतीय चीनी उद्योग तथा व्यापार द्वारा अपनाए जाने वाले चीनी मानकों पर विचार करने तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष नियमित रूप से बैठक कर रही है। वित्तीय वर्ष 2000–2001 के दौरान चीनी मानक संबंधी स्थायी सलाहकार समिति की 25.9.2000 को बैठक हुई थी तथा इस बैठक में समिति ने 2000–2001 मौसम के लिए चीनी मानकों को स्वीकृति दी थी। उपर्युक्त बैठक में स्थायी समिति ने चीनी फैक्ट्रियों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न क्लैरीफिरेशन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने तथा रिफाइंड शुगर के समतुल्य बेहतर गुणवत्ता वाली चीनी का उत्पादन करने के उद्देश्य से एक नई प्रक्रिया अपनाने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए मुख्य निदेशक (शर्करा) की अध्यक्षता में एक उप–समिति का गठन किया गया था।

विकास परिष्द् विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तदर्थ समितियां भी गठित करती हैं। तकनीकी क्षमता के मौजूद मानदंडों तथा गन्ने के पौधों के लिए निर्धारित की जाने वाली विनिर्दिष्टिताओं के मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा तथा उनमें संशोधन करने के लिए 12.8.99 को एक तकनीकी समिति गठित की गई थी। इस समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं तथा विनिर्दिष्टियों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

चीनी को विटामिन 'ए' पौष्टिक बनाने के लिए संयुक्त सचिव (शर्करा) की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया है। विटामिन 'ए' युक्त चीनी के उत्पादन के लिए मैसर्स शिरपुर शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लि., शिरपुर, जिला धूले, महाराष्ट्र में एक मार्गदर्शी परियोजना स्थापित की गई है। इस प्लांट में 1.4 टन विटामिन 'ए' युक्त चीनी का उत्पादन कर लिया है। यह चीनी नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ न्यूट्रिअंट, हैदराबाद को उसके जैवीय प्रभाव के आकलन का अध्ययन करने के लिए भेजी जाएगी।

(ख) और (ग) जी, हां। विकास परिषद का शीघ्र ही पुनर्गठन किए जाने की संभावना है।

विवरण-I

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग–2, खण्ड–3 उप–खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1998

का.आ.967 (अ)– केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 के नियम 3.4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए चीनी उद्योग परिषद की स्थापना करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त परिषद के अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:–

1.	सचिव, भारत सरकार, चीनी और खाद्य तेल विभाग, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री अण्णासाहेब एम. के. पाटील, (संसद सदस्य, लोक सभा)	सदस्य
3.	श्री एन. जनार्दन रेड्डी (सदस्य, लोक सभा)	सदस्य
4.	श्री सूर्यभान पाटिल वाहदाणे (सदस्य, राज्य सभा)	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, चीनी भारसाधक, भारत सरकार खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य सचिव
6.	मुख्य निदेशक, चीनी निदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	निदेशक, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर	सदस्य
8.	निदेशक, वसंतदादा चीनी संस्थान, पुणे	सदस्य
9.	निदेशक, चीनी अभिजन संस्थान, पुणे	सदस्य
10.	अध्यक्ष, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, शुगर हाऊस, 39 नहेरू प्लेस, नई दिल्ली–19	सदस्य

11. अध्यक्ष, नेशनल फेडेरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लि., वैकुण्ठ (तीसरी मंजिल) 82–83, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–19 — सदस्य

12. कार्यपालक निदेशक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बैक आफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली — सदस्य

13 संयुक्त सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन नई दिल्ली — सदस्य

14. प्रबंध निदेशालय, निदेशक कोआपरेटिव डेवलमैंट कारपोरेशन, 4, सीरी फोर्ट, इंस्टीटयूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली — सदस्य

15. संयुक्त सलाहकार, उद्योग और खनिज प्रभाग, योजना आयोग, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली — सदस्य

16. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश खंडसारी चीनी विनिर्माता एसोसिएशन, बी–92 गांधी नगर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश — सदस्य

17. सरदार इन्द्रजीत सिंह ग्रेवाल, सदस्य, शिरोमणी गुरूंद्वारा प्रबंधक समिति, किला रायपुर, जिला लुधियाना, पंजाब — सदस्य

18. सरकार गुरबक्स सिंह, महासचिव, भारतीय किसान यूनियन, ग्राम कालेके, तहसील बरनाला, जिला संगरूर, पंजाब — सदस्य

19. डा. सुखदेव सिंह, भूतपूर्व विधायक (रोडी), ग्राम और डाकघर सुखचैन, जिला सिरसा, हरियाणा — सदस्य

20. सरदार जसवंत सिंह, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, पंजाब, ग्राम फाफरे, जिला माउसा, पंजाब — सदस्य

21. इंजी. विजय के.बंसल 182–ए, गुरूद्वारा के सामने, चंद नगर, नई दिल्ली — सदस्य

22. ज्ञानी हरिंदर सिंह, ग्राम और डाकघर पैगम्बरपुर तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश — सदस्य

23. सरदार मोहनजीत सिंह सिद्धू, सुपुत्र सरदार उद्यम सिंह सिद्धू, टांडपुर हाऊस न्यू कैंट रोड, फरीदकोट, पंजाब — सदस्य

24. सरदार मलकीत सिंह, सुपुत्र सरदार नरंजन सिंह, ग्राम और डाकघर अमीर नगर डुलमान, तहसील मालेर कोटला, जिला संगरूर, पंजाब। — सदस्य

25. सरदार सनमुख सिंह, सुपुत्र सरदार मोहन सिंह, ग्राम मोरां वाली सुनम, जिला संगरूर, पंजाब। — सदस्य

(फा. सं. 1(2) 98–आई.पी.)
अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

विवरण-II

विकास परिषद के मुख्य कार्य :

1. चीनी के उत्पादन के लिए लक्ष्यों की सिफारिश करना/मानक विनिर्दिष्टियां तैयार करना/नवीनतम प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए प्लांट व मशीनरी अथवा चीनी फैक्ट्रियों के लिए विनिर्दिष्टियां निर्धारित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना।

2. चीनी विकास निधि से वित्तपोषण करने के लिए इसकी स्थायी अनुसंधान सलाहकार समिति के जरिये अनुसंधान परियोजनाओं की सिफारिश की जाती है। ऐसी परियोजनाओं का उद्देश्य फैक्ट्रियों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि करना तथा साथ ही गन्ने की पैदावार में वृद्धि करना तथा गुणवत्ता में सुधार करना है।

3. चीनी मानक संबंधी स्थायी सलाहकार समिति के जरिये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष आई.एस.एस. ग्रेड के नमूने तैयार किए जा रहे हैं।

4. यह चीनी उद्योग के संबंध में सरकार की नीतियों की समीक्षा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है तथा सरकार के विचारार्थ उपयुक्त सिफारिशें करती हैं।

कोको का निर्यात

3917. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश से कितने कोको का निर्यात किया गया;

(ख) यह निर्यात किन–किन देशों को किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोको के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या सरकार ने कोको के निर्यात को और बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोको और कोको उत्पादों जैसे कोको पेस्ट, कोको बटर, कोको पावडर और चॉकलेट मिठाई के किए गए निर्यातों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:–

वर्ष	मात्रा (मी. टन. में)	मूल्य (लाख रुपए में)
1998–99	891.50	882.44
1999–2000	1381.80	1180.90
2000–01	1350.11	1342.91

स्रोत : डीजीसीआई एड एस, कलकत्ता/एपीडा, नई दिल्ली

भारत से कोको और कोको उत्पादों का निर्यात जिन देशों को किया जाता है उनमें शामिल हैं–बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरब, सं. अरब अमीरात और अमरीका।

(घ) और (ङ) सरकार कोको के विकास के लिए एक केन्द्रीय सैक्टर योजना लागू कर रही है। जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार, पौध रोपण सामग्री का वितरण और पुराने बागानों को पुनर्जीवित करना है। सरकार कोको सहित बागवानी उत्पादों के निर्यातों के संवर्द्धन के लिए सहायता भी उपलब्ध कराती रही है। व्यवहार्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, गुणवत्ता सुधार और गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग विकास, निर्यात संवर्द्धन व बाजार विकास तथा प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सहायता दी जाती है।

निर्यात संवर्धन योजनाओं की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह

3918. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात और आयात की वर्तमान योजनाओं की नए सिरे से जांच करने के लिए अंतर–मंत्रालयी समूह की नियुक्ति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निर्यातकों संघों ने निर्यात संवर्धन के लिए पर्याप्त उपाय शामिल न किए जाने के कारण निर्यात–आयात नीति की आलोचना का है;

(घ) यदि हां, तो विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी घट रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यातकों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) नई पंचवर्षीय एक्जिम नीति मार्च, 2002 में घोषित की जाएगी जिसकी समयवधि 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के साथ–साथ चलेगी। नई नीति की घोषणा से पूर्व हमेशा व्यापार और उद्योग जगत तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श की एक विस्तृत प्रक्रिया के आधार पर सभी मौजूदा योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) पिछली दो वार्षिक नीतियों की घोषणाओं का व्यापार और उद्योग जगत द्वारा बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया है।

(घ) और (ङ) विश्व बाजार में भारत का हिस्सा 1980 में 0.4% का न्यूनतम आंकड़ा दर्ज करने के पश्चात 1990 के दशक के दौरान लगातार बढ़ा है। वर्ष 2004–05 तक 1% का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए विशेष आर्थिक जोन, बाजार पहुंच कार्रवाई राज्यों की भागीदारी और कृषि निर्यात क्षेत्र जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं; ताकि निर्यातकों को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

विपणन विकास सहायता

3919. डा. वी. सरोजा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही सहायता अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता राशि को बढ़ाने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सरकार इस बात के प्रति काफी सजग है कि निर्यातकों को उनके निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु विपणन विकास सहायता (एम डी ए) योजना के तहत पर्याप्त सहायता प्रदान करने की जरूरत है। इस दृष्टि से ही इस योजना के तहत आबंटन को 1997–98 के 20.00 करोड रु. से बढ़ाकर चालू वित्तीय वर्ष में 40.00 करोड़ रु. कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिक्री–सह–अध्ययन दौरों, व्यापार शिष्टमंडलों, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता–विक्रेता बैठकों आदि में भागीदारी के द्वारा विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिए अलग अलग निर्यातकों को दी गई सहायता की राशि में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है। निर्यातकों को प्रत्यक्ष एम डी ए सहायता की राशि वर्ष 1998–99 में 451.27 लाख रु. थी जो वर्ष 2000–01 के दौरान बढ़कर 1242.05 लाख रु. हो गई है। लघु उद्योग के निर्यातकों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष एम डी ए सहायता में भी वृद्धि हुई है जो वर्ष 1998–99 में 270.09 लाख रु. थी लेकिन 2000–01 के दौरान बढ़कर 799.64 लाख रु. हो गई है।

फूलों का निर्यात

3920. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000 के दौरान भारत से फूलों के निर्यात में उल्लेखनीय कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998–1999 और 2000 के दौरान विभिन्न किस्मों के फूलों का कितना निर्यात किया गया और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) मुख्य रूप से किन–किन देशों को फूलों का निर्यात किया जाता है और इन देशों को निर्यात में कमी आने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय नीलामीकर्ता देशों से सीधे विपणन नेटवर्क के अभाव और भाड़े की ऊंची दरें इस गिरावट के मुख्य कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अन्य निर्यातक देशों से मुकाबले को ध्यान में रखते हुए इन रूकावटों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सी.सी.आई. की अदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश स्थित इकाई का पुनरूद्धार

3921. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से भारतीय सीमेंट निगम की अदिलाबाद इकाई का पुनरूद्धार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस इकाई में कुल कितनी श्रमशक्ति लगी है और गत तीन वर्षों के दौरान इस इकाई को कुल कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इकाई की बिक्री सहित बी.आई.एफ.आर. के माध्यम से

इसके पुनरूद्धार का सुझाव दिया है ताकि निजी प्रमोटर इसे ठोस आधार पर चला सकें।

(ग) अदिलाबाद इकाई में 277 कर्मचारी हैं तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान हुआ घाटा निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

1998–99	1974.00
1999–2000	2250.00
2000–2001	2566.00 (अनंतिम)

(घ) और (ङ) सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई), औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है, को सदर्भित एक रूग्ण कंपनी है। बी.आई.एफ.आर. ने प्रचालन एजेंसी (ओ.ए.) को सीसीआई की सभी यूनिटों की बिक्री पृथक या सामूहिक रूप से करने संबंधी कार्य को आगे बढ़ाने का पहले ही निदेश दे दिया है।

[हिन्दी]

बैंकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

3922. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में लेखा परीक्षाओं द्वारा तैयार निरीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्ष पर आगे की गई कार्यवाही के संबंध में बैंकों की टिप्पणियां प्राप्त की हैं; और

(ख) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक–वार क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बिहार में कार्यरत किसी भी वाणिज्यिक बैंक का प्रधान कार्यालय उस राज्य में नहीं है। अतः बिहार में बैंकों के संबंध में लंबित निरीक्षण रिपोर्टों का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, पिछले तीन वर्षों के लिए बिहार राज्य में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टें आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित बैंकों के नियंत्रक कार्यालय को भेज दी गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शाखा/नियंत्रक कार्यालय की कोई भी निरीक्षण टिप्पणी उसके पास लंबित नही है।

आकाशवाणी केन्द्र सांगली, महाराष्ट्र द्वारा समाचारों का प्रसारण

3923. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र आकाशवाणी केन्द्र सांगली केवल आकाशवाणी केन्द्र, पुणे के समाचारों को क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित करता है;

(ख) क्या आकाशवाणी केन्द्र, सांगली को अपने राजस्व का मुख्य भाग सांगली, कोल्हापुर सतारा से प्राप्त होता है; और

(ग) यदि हां, तो आकाशवाणी के सांगली केन्द्र में संकलित किए गए समाचारों को प्रसारित न करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी, सांगली आकाशवाणी, पुणे के समाचारों को रिले करने के अलावा आकाशवाणी, मुम्बई से तथा समाचार सेवा प्रभाग, नई दिल्ली से प्रसारित मराठी समाचार बुलेटिनों को रिले करता है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी, सांगली अपने राजस्व का प्रमुख हिस्सा सांगली तथा कोल्हापुर से प्राप्त करता है।

(ग) प्रसार भारती के अनुसार क्षेत्र के श्रोताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान व्यवस्था को पर्याप्त माना गया है।

[अनुवाद]

दुग्ध पाउडर का निर्यात

3924. श्री आर. एस. पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश से कुल कितने दुग्ध पाउडर और दुग्ध उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या दुग्ध पाउडर के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दुग्ध उत्पादों के निर्यात को और आगे बढ़ाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए दुग्ध व पाउडर तथा अन्य दुग्ध उत्पादों की कुल मात्रा निम्नानुसार है:–

दुग्ध पाउडर (मी.टन में)

अलग–अलग उत्पाद	वर्ष		
	1998–99	1999–2000	2000–01
स्किम्ड मिल्क	648.27	2617.68	3626.85
बच्चों के लिए दुग्ध	32.49	40.01	337.70
अन्य दुग्ध पाउडर	112.44	728.55	3700.45
बच्चों के लिए दुग्ध	50.02	25.90	251.50
कुल	843.22	3412.14	7916.50

अन्य दुग्ध उत्पाद (मी. टन में)

अलग–अलग उत्पाद	वर्ष		
	1998–99	1999–2000	2000–01
अन्य दुग्ध की क्रीम जिसमें चीनी नहीं है।	–	448.98	841.67
सम्पूर्ण दुग्ध	–	42.03	2.67
कन्डेंस्ड मिल्क	–	0.45	15.95
अन्य दूध क्रीम जिसमें चीनी नहीं है।	2.01	280.00	392.00
कुल	2.01	771.46	1252.29

स्रोत: डी. जी सी आई एंड एस

(ख) जी हां।

(ग) भारत के दुग्ध पाउडर का निर्यात 1998–99 में 843.22 मी. टन था जो 1999–2000 में बढ़कर 3412.14 मी. टन तथा 2000–01 में और बढ़कर 7916.50 मी. टन हो गया। भारत के लिए दुग्ध पाउडर के प्रमुख निर्यात बाजार ये हैं–अंगोला, बहरीन बंगलादेश, फ्रांस, फिलीपिन्स, श्रीलंका, यू ए ई और यमन गणराज्य।

(घ) भारतीय डेयरी उत्पादों के निर्यातों का संवर्द्धन करने के लिए किए गए कुछेक उपायों में ये शामिल हैं:–

(i) भारतीय उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(ii) क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित की गई ताकि निर्यातक तथा आयातक एक ही स्थान पर विचार विमर्श कर सके।

(iii) एपीडा द्वारा कृषि उत्पादों विशेषकर डेयरी उत्पादों के निर्यातकों/उत्पादकों को सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न शीर्षों जैसे सम्भाव्यता अध्ययन/ सर्वेक्षण/परामर्श तथा डाटा बेस उन्नयन, निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास, पैकेजिंग विकास, गुणवत्ता नियंत्रण तथा संगठन का निर्माण। एच आर डी के तहत सहायता देना।

(iv) दुग्ध उत्पादों सहित पशु उत्पादों की अपशिष्ट निगरानी योजना के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं का पता लगाना तथा अधिसूचित करना।

बैंकों के पर्यवेक्षण हेतु चैनल

3925. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के पर्यवेक्षण हेतु एक पैनल का गठन किया है और विभिन्न नियामकों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता बताई है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल के विचारार्थ विषय कौन–कौन से हैं;

(ग) इस पैनल द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इसकी सिफारिशों को कहां तक स्वीकार और क्रियान्वित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने विभिन्न नियामकों के बीच औपचारिक समन्वय स्थापित करने हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए कोई पैनेल नहीं गठित किया है।

[हिन्दी]

भेल में वी.आर.एस.

3926. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) के कितने इंजीनियरों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है; और

(ख) क्या भेल के बहुत से इंजीनियरों को फालतू घोषित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अपनाने वाले ग्रेजुयट इंजीनियरों तथा एक्जुकेटिव कैडर के समकक्ष इंजीनियरों की संख्या निम्नानुसार है:–

वर्ष	वीआरएस अपनाने वाले इंजीनियर्स
1998–99	कोई वीआरएस लागू नहीं थी।
1999–2000	483
2000–2001	126

(ख) और (ग) जी, नहीं। फिर भी, भेल ने इंजीनियरों सहित अपने सभी कर्मचारियों के लिए वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू की थी। वे कर्मचारी जिन्होंने इन स्कीमों के तहत् सेवानिवृत्त अपनाई तथा जिन्हें कंपनी के निष्पादन को प्रभावित किये बिना सेवानिवृत्त किया जाना था उन्हें सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी गई।

[अनुवाद]

निर्माण क्षेत्र में निवेश की प्रवृत्ति

3927. श्री विनय कुमार सोराके :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनॉमी" की रिपोर्ट के अनुसार निर्माण क्षेत्र में निवेश की प्रवृत्ति में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अप्रैल, 1997 (4,20,000 करोड रुपये) से अप्रैल, 2001 (2,90,000 करोड रु.) तक की अधिकतम उत्पादन अवधि के दौरान निर्माण क्षेत्र के निवेश में लगातार गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बनाये रखने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय अर्थव्यवस्था अनुवीक्षण केन्द्र (सी.एम.आई.ई.) की 'भारतीय अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा' शीर्षक से जुलाई, 2001 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर चल रही परियोजनाओं में, जिनका उनके द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है, अनुमानित कुल निवेश अक्टूबर, 1997 के 4,29,000 करोड रुपए से छूट कर अप्रैल, 2001 में 2,90,079 करोड रुपए हो गया है।

(ग) सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास पुनः कायम करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। ये हैं:

कच्चे माल तथा मध्यवर्ती सामान के मामले में बुनियादी सीमा शुल्क में कमी, उत्पाद शुल्क का यौक्तकीकरण, कपड़ा क्षेत्रक के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए बजटीय प्रावधान, लघु बचतों पर ब्याज दर में कमी जिससे न्यून ब्याज दर संरचना लागू करना सरल हो सके, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की नकदी बढ़ाने और ऋण दरों में कमी करने के उद्देश्य से बैंक दर और नकदी प्रारक्षित अनुपात में कमी, लघु उद्योगों की चौदह मदों को आरक्षित सूची से हटाना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानदण्डों का उदारीकरण।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगमन

3928. डा. जसवंतसिंह यादव :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान अन्य क्षेत्रों की तुलना में दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वास्तविक आगमन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान से आज की तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र–वार कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगमन हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) पिछले छः महीनों, अर्थात् 1.1.2001 से 30.6.2001 की अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रों की तुलना में दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक अन्तर्वाह निम्न प्रकार से है:–

महीना	दूरसंचार क्षेत्र में अन्तर्वाह का प्रतिशत	अन्य क्षेत्रों में वास्तविक अन्तर्वाह का प्रतिशत
जनवरी, 2001	26.68	73.32
फरवरी, 2001	0.35	99.65
मार्च, 2001	3.81	96.19
अप्रैल, 2001	10.83	89.17
मई, 2001	1.38	98.62
जून, 2001	3.51	96.49

(ख) पिछले दो वर्षों, अर्थात् 1.1.1999 से 30.6.2001 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तर्वाह पर एक ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) देश में अधिकाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के अपने प्रयास के तहत सरकार द्वारा निरंतर रूप से विदेश प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा की जाती है।

विवरण

01/01/1999 से 30/6/2001 तक वास्तविक अन्तर्वाहों का क्षेत्रवार ब्यौरा।

(रुपये करोड़ में)

	क्षेत्र	अन्तर्वाह की राशि	कुल का प्रतिशत
	1	2	3
1.	परिवहन विभाग	2804.62	6.34
2.	विद्युत उपकरण	2746.33	6.21
3.	दूर संचार	1578.21	3.57
4.	ईंधन	1341.47	3.03
5.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	1067.82	2.42
6.	सेवा क्षेत्र	960.94	2.17

	1	2	3
7.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	734.62	1.66
8.	सीमेंट तथा जिपसम उत्पाद	717.54	1.62
9.	विविध मैकेनिकल तथा इंजीनियरिंग	450.95	1.02
10.	औषध तथा भेषज	352.06	0.80
11.	काँच	339.95	0.77
12.	धातुकर्मी उद्योग	326.91	0.74
13.	कागज उत्पाद सहित कागज तथा लुग्दी	311.32	0.70
14.	व्यापार	282.02	0.64
15.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	201.02	0.45
16.	औद्योगिक मशीनरी	185.25	0.42
17.	वस्त्र (रंजित छपे वस्त्र सहित)	143.82	0.33
18.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	125.32	0.28
19.	होटल तथा पर्यटन	102.44	0.23
20.	किण्वन उद्योग	98.69	0.22
21.	कृषि मशीनरी	66.71	0.15
22.	परामर्श सेवा	53.66	0.12
23.	चर्म, चर्म वस्तुएं और पिकर्स	44.79	0.10
24.	रबड़ की वस्तुएं	34.42	0.08
25.	मशीन टूल्स	30.00	0.07
26.	वैज्ञानिक उपकरण	26.94	0.06
27.	सेरामिक	21.89	0.05
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	8.60	0.02
29.	इलैक्ट्रीकल के अलावा प्राईम मूवर्स	6.26	0.01
30.	रंजक सामग्री	4.50	0.01
31.	साबुन, श्रंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन	2.42	0.01
32.	औद्योगिक यन्त्र	0.63	0.00

	1	2	3
33.	उर्वरक	0.50	0.00
34.	बायलर और स्टीम जनरेटिंग संयंत्र	0.29	0.00
35.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्मस और पेपर	0.24	0.00
36.	खुदाई की मशीनरी	0.10	0.00
37.	विविध उद्योग	5019.65	11.35
39.	यूरो निर्गम (जी डी आर/एफ सी बी)**	15138.35	34.24
40.	शेयरों का अधिग्रहण#	4716-88	10-67
41.	अन्वाहों की अग्रिम प्राप्ति*	3312.76	7.49
	योग	44214.88	

टिप्पणी :

* 01/01/1999 से 30/6/2001 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित विशेष अनिवासी भारतीय स्कीमें। भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई देशवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जनवरी 1999 से जून, 2001 की अवधि के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों के प्रति जी डी आर/एफ सी सी बी के माध्यम से जुटायी गयी अन्तर्वाही की राशि।

\# भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा दी गयी सूचना – जनवरी 1999 से जून 2001 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के तहत निवासियों से अनिवासियों को किया गया शेयरों का हस्तांतरण।

नमक उत्पादन वाली भूमि का विकास

3929. श्री किरीट सोमैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई में नमक उत्पादन वाली भूमि का विकास करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस भूमि को अन्यत्र उपयोग में लाने में रूचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ङ) इस भूमि के विकास हेतु क्या रणनीति अपनाई जा रही है;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) संघ सरकार ने मुम्बई में 5379 एकड़ नमक उत्पादन वाली अतिरिक्त भूमि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को हंस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, ताकि महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से इसका विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त, नमक भूमि के उपयोग से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का भी गठन किया है।

(च) से (ज) जी, हां। श्री किरीट सोमैया, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें जन आवास परियाजनाओं के लिए नमक भूमि का उपयोग, वाणिज्यिक समुपयोग, जन सुविधाओं के विकास, गंदी बस्तियों के पुनर्वास और पारिस्थितिक पर्यटन पर्यावरण परियोजना के रूप में समुद्री वायुशिफ (मैनग्रोव) पार्क के विकास करने का सुझाव

दिया गया है। उक्त अतिरिक्त नमक भूमि के उपयोग को अंतिम रूप देते समय माननीय संसद सदस्य के सुझावों को सरकार द्वारा ध्यान में रखा जायेगा।

1500 और नौकरियों को समाप्त करना

3930. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इस वर्ष के दौरान 1500 और नौकरियों को समाप्त करने का निर्णय लिया है और अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण लाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;;

(ग) पिछले वर्ष के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कुल कितने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है; और

(घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा उक्त निर्णय पर कुल कितना व्यय किया गया?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। व्यापार क्षेत्र, प्रौद्योगिकी तथा कार्यस्थल प्रबंधन के आधार पर कामगारों की संख्या पर्याप्त रखना एक निरंतर प्रयास है। भेल ने चालू वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का ऑफर किया है। कंपनी के निष्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना इच्छुक व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति दी जायेगी।

(ग) और (घ) 721 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अपनाने की अनुमति दी गई है जिस पर भेल का 48.34 रुपये का खर्च हुआ।

जनश्री बीमा योजना

3931. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित "जनश्री बीमा योजना" लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना हेतु कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) आज की तारीख तक कितने लोगों द्वारा पालिसी ली गई है; और

(घ) इन योजना से पालिसी धारकों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त, 2000 से लागू है।

(ख) गरीबी रेखा से नीचे अथवा उससे थोड़ा सा ऊपर जीवन-यापन करने वाले सदस्यों के प्रीमियम का 50 प्रतिशत हिस्सा भारतीय जीवन बीमा निगम में सृजित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) से लिया जाएगा। दि. 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार एसएसएफ की संचित निधि 502.40 करोड़ रु. है।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि आज तक इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सदस्यों की संख्या 4,03,508 (चार लाख तीन हजार पांच सौ आठ) है।

(घ) इस योजना के तहत सदस्यों को प्राप्त लाभ निम्नानुसार हैं:-

(i) सदस्य की स्वाभाविक/सामान्य मृत्यु पर 20,000/-रु. की राशि देय है।

(ii) दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु/संपूर्ण स्थायी अपंगता होने पर 50,000/- रु. की राशि देय है; और

(iii) दुर्घटना के कारण हुई आंशिक स्थायी अपंगता के लिए देय राशि 25,000/- रु. है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3932. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	भाग लेने वाले राज्यों के नाम	हस्ताक्षर करने/ समापन की तारीख	सहायता की राशि (मि. अमरीकी डालर)	31.6.01 की स्थिति के अनुसार संवितरण (मि. अम. डालर)
1.	मुम्बई मलव्ययन परियोजना	महाराष्ट्र	28.12.1995/ 31.12.2002	182.000	109.205
2.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	महाराष्ट्र	14.1.1999/ 31.3.2005	134.000	7.960
3.	जल–विज्ञान परियोजना	आं.प्र..केरल, त. नाडु, म.प्र., राजस्थान कर्ना., गुजरात और महाराष्ट्र	22.9.1995/ 31.3.2002	122.400	52.800
4.	महिला एवं बाल परि. (आईसीडीसी–III)	राष्ट्रव्यापी	6.7.1999/ 30.9.2004	300.000	37.200
5.	मोतियाबिन्द अंधता नियंत्रण परियोजना	उ.प्र., म.प्र., आ.प्र. राज., त.नाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र	19.5.1994/ 30.6.2001	87.800	51.140
6.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	हरि. हि.प्र., म.प्र. कर्ना., उ.प्र., महाराष्ट्र, केरल, असम, त.नाडु, उडीसा	15.7.1996/ 30.6.2003	425.200	240.060
7.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना	राष्ट्रव्यापी	14.3.1997/ 31.12.2002	142.400	25.170
8.	मंलेरिया नियंत्रण परियोजना	राष्ट्रव्यापी	30.7.1997/ 31.3.2003	164.800	34.790 *
9.	द्वितीय राष्ट्रीय एचआईबी/एड्स नियंत्रण परियोजना	राष्ट्रव्यापी	14.9.1999/ 31.7.2004	194.754	42.720
10.	प्रतिरक्षीकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना	राष्ट्रव्यापी	19.5.2000/ 30.6.2004	142.600	29.540
11.	पुनर्प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना	राष्ट्रव्यापी	30.7.1997/ 31.3.2003	248.300	91.090
12.	राज्यों की सड़क अवसंरचना विकास तकनीकी सहायता परियोजना	आं. प्र., हरि., गुजरात त.नाडु, उड़ीसा, राज., पं. बंगाल, मणिपुर, महा., म.प्र., कर्नाटक, उ.प्र., केरल, मिजोरम और त्रिपुरा	22.6.1998/ 31.12.2003	51.500	41.500
13.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	आं. प्र. हि.प्र., बिहार महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब	22.6.1998/ 31.12.2002	196.800	41.555

* राष्ट्रव्यापी तथा बहु–राज्यीय परियोजनाओं में महाराष्ट्र राज्य के लिए अलग से आबंटन तथा संवितरण उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

एफ. एम. चैनल, बंगलौर

3933. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी, बंगलौर ने नया एफ.एम. मेट्रो चैनल शुरू किया है;

(ख) कर्नाटक में एफ. एम. प्रसारण के अंतर्गत कितने स्थानों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या लोगों को आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों के प्रसारण का विविध भारती से एफ.एम. स्टीरियो मोड में प्रस्तावित परिवर्तन के कारण नया सेट खरीदना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार दोनों और मीडियम वेव और एफ.एम. स्टीरियो दोनों कार्यक्रमों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) बंगलौर में एफ.एम. स्टीरियो चैनल के शीघ्र ही चालू होने की संभावना है। इस बारे में अभी कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई हैं।

(ख) मैसूर मंगलौर तथा धारवाड़ में एफ एम ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) मौजूदा रिसीवर 4 वर्तमान पद्धति में मीडियम वेव/शॉट वेव प्रसारणों को प्राप्त करते रहेंगे। एफ एम रिसीवरों द्वारा एफ एम ट्रांसमीटरों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को स्टीरियो पद्धति में प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(घ) स्टीरियो कार्यक्रम को मीडियम वेव पर प्रसारित करना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना

3934. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1990 के बाद मध्य प्रदेश में अब तक एक भी भारी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु किन–किन योजनाओं के प्रस्ताव लंबित हैं और इन योजनाओं को किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) गैर–नीतिगत क्षेत्र नान– स्ट्रेटजिक सेक्टर के लाइसेंस मुक्त हो जाने के फलस्वरूप, उद्योगों के स्थान का पता लगाने की पहल करने का काम प्रमोटर पर निर्भर करता है। जहाँ तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, किसी नए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कंपनियों द्वारा बैंकों से लिए गए धन का दुरूपयोग

3935. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री कंपनियों द्वारा बैंकों से लिए गए धन के दुरुपयोग के बारे में 9 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1896 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कंपनियों द्वारा लिए गए धन के दुरूपयोग के बारे में सूचनाएं एकत्रित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बैंक/वित्तीय संस्थान कंपनियां आदि को उनके द्वारा दी गई धनराशि के दुरूपयोग के बारे में सूचनाएं एकत्रित करती हैं;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनको एक करोड़ रुपये और इससे भी अधिक की राशि स्वीकृत हुई थी और उन्होंने धनराशि का दुरूपयोग किया;

(घ) प्रत्येक मामले में बैंकों द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थानवार क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऋण चूककर्ताओं के संबंध में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दायर किए गए उन मुकदमों का ब्यौरा सभा पटल पर रखने का है जो आज की

तिथि के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर उपलबध है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सूचना देने की सुस्पष्ट प्रणाली है जो पूरे देश में फैली अपनी शाखाओं/कार्यालयों से सूचना एकत्र करती हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक प्रयत्न करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल वहीं सूचना एकत्र की जाती है, जो विनियमन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक होती है और जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न अधिनियमों के अधीन दी गई विभिन्न शक्तियों के अनुसार प्राधिकृत हैं।

(ख) और (ग) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के पास उनके द्वारा सहायता प्रदत्त कंपनियों के कार्यकरण के बारे में ब्यौरे उपलब्ध होते हैं। तथापि, बैंकिंग कानूनों के विद्यमान प्रावधानों के अधीन बैंकों, और वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्त्ताओं के नाम प्रकट करने की अनुमति नहीं है।

(घ) बैंक/वित्तीय संस्थाएं उस प्रयोजन के लिए ऋण के उचित उपयोग हेतु, जिसके लिए वह मंजूर किया गया था, सहायता प्रदत्त कम्पनियों के साथ उनके द्वारा किए गए समझौतों की शर्तों तथा उन्हें उपलब्ध कानूनी उपचारों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

(ङ) और (च) चूंकि चूककर्त्ताओं के संबंध में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुकदमा दायर किए गए मामलों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर सभी के लिए पहले से उपलब्ध है, इसलिए सभा पर ब्यौरे रखने की आवश्यकता नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का पुनर्गठन

3936. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यू.टी.आई.,सी.डी.आई.सी. और एल.आई.सी. के संकट को ध्यान में रखते हुए सभी सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अधिकांश वित्तीय संस्थाओं में अपने प्रतिनिधियों की अभी तक नियुक्ति/नांमांकन नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) फिलहाल सरकारी क्षेत्र की सभी वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इन संस्थानों के कार्यनिष्पादन की निरंतर आधार पर समीक्षा की जा रही है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, सरकार इन संस्थानों के पुनर्वास/पुनर्गठन के लिए उचित कदम उठाती है। हाल ही में, आई एफ सी आई के पुनर्गठन/पुनर्वास के एक भाग के रूप में इसकी पूंजी में 400 करोड रु. मिलाए जाने का निर्णय लिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्न बचाओ अभियान

3937. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्न बचाओ अभियान राज्य सरकार, गैर–सरकारी संगठनों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सहयोग और सहायता से क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न अन्न बचाओ कार्यालयों का राज्य–वार, स्थान–वार ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका कार्य निष्पादन क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की देश में अन्न बचाओ अभियान के कार्यालयों की संख्या बढ़ाने की योजना है और

अन्न बचाओ आंदोलन को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) फसल कटाई उपरांत की अवधि के दौरान खाद्यान्नों की हानि को कम करने के लिए भारत सरकार ने 1969–70 में "अन्न सुरक्षा अभियान" शुरू किया था। इस योजना की गतिविधियों का मुख्य जोर फार्म स्तर पर खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और प्रचार पर है। 17 अन्न सुरक्षा अभियान कार्यालयों द्वारा किसानों के लाभ के लिए अनाज भण्डारण ढांचों में सुधार करने और धातु बिनों, पक्की कोठियों और आर.सी.सी. बिनों को लोकप्रिय बनाने की गतिविधियां तथा अन्य गतिविधियां चलाई जाती हैं। अन्य सुरक्षा अभियान की गतिविधियों में राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों, कार्पोरेट घरानों आदि का सक्रिय सहयोग लिया जाता है।

(ख) अन्न सुरक्षा अभियान कार्यालयों के स्थान और उनका कार्य क्षेत्र बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–। में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्न सुरक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों के अधीन लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्न सुरक्षा अभियान कार्यालयों को आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	वर्ष	आबंटित निधियां		
		योजना	गैर–योजना	जोड़
1.	1998–99	1.50	4.06	5.56
2.	1999–2000	1.28	4.31	5.59
3.	2000–2001	1.34	4.88	6.22

विवरण-।

अन्न सुरक्षा अभियान दलों का स्थान निर्धारण और उनके द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र

क्र. सं.	मुख्य दलों का स्थान	शामिल किया गया क्षेत्र	
		राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	गुजरात	दादरा व नगर हवेली दमन व द्वीव
2.	बंगलौर	कर्नाटक	–
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	–
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	–
5.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम	अंडमान और निकोबार
6.	चण्डीगढ़	पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर	चण्डीगढ़
7.	गुवाहटी	असम, मणिपुर नागालैण्ड, मेघालय अरुणाचल प्रदेश और मिजारम	–

1	2	3	4
8.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली	
9.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	–
10.	जयपुर	राजस्थान	–
11.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	–
12.	चेन्नई	तमिलनाडु	पांडिचेरी
13.	पटना	बिहार और झारखंड	
14.	पुणे	महाराष्ट्र और गोवा	–
15.	तिरूअनंतपुरम	केरल	लक्षद्वीप
16.	रायपुर	छत्तीसगढ़	–
17.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश

विवरण-।।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एस सी जी फील्ड कार्यालयों का कार्य निष्पादन

क्रम सं.	गतिविधियां	1998–99		1999–2000		2000–2001	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	वृत्तिका प्रशिक्षण (सं.)	372	372	389	389	420	420
2.	गैर–वृत्तिका प्रशिक्षण (सं.)	620	894	930	1128	1009	1215
3.	(क) कवर किए गए गांवों की (संख्या)*	620	823	930	1023	1009	1150
	(ख) विकास केन्द्रक गांवों की (संख्या)	400	403	400	407	434	435
4.	फिल्म/स्लाड शो	992	1254	1319	1473	1429	1663
5.	आयोजित की गई/भाग लेने वाली प्रदर्शनियां	620	873	930	1071	1009	1166
6.	गैर धात्विक ढांचों का निर्माण/सुधार	15500	16714	17750	20149	18600	21996

* इसमें विकसित केन्द्रक गांवों की संख्या शामिल है।

कंपनियों में यूटीआई का निवेश

3938. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन कंपनियों में यूटीआई ने अपना निवेश किया है;

(ख) इन कंपनियों का वर्तमान कार्यनिष्पादन क्या है;

(ग) यूटीआई की किन योजनाओं ने नकारात्मक विकास का प्रदर्शन किया है;

(घ) क्या 'सेबी' द्वारा यूटीआई की योजनाओं को विनियमित नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या प्रमुख कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

विकास संबंधी नीति

3939. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने विकास संबंधी स्वसक्रिय नीति को बढ़ाने हेतु अमरीकी सरकार से कहा है जिससे उनके हाल के दौरे के दौरान और अधिक सतत विकास दरों के परिणाम में मदद मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या अमेरिका भारत के अनुरोध पर विचार करने पर सहमत हो गया है; और

(ग) भारत के अनुरोध पर अमेरिका का कब तक विचार करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल के साथ व्यापार समझौता

3940. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल की मार्फत भारत में एक्रीलीक धागे का आयात वर्ष 1996 के 160 टन से बढ़कर आज की तारीख में 12000 टन हो गया है;

(ख) क्या कई देश अपने उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त दर्जा प्राप्त करने के लिए नेपाल को एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं क्योंकि उनको नेपाल में कोई वर्धित मूल्य नहीं देना पड़ता;

(ग) क्या वनस्पति, कापर वायर राड्स, बाल बीयरिंग्स आदि जैसे उत्पाद भी शुल्क मुक्त वस्तु के रूप में नेपाल के मार्फत भारत में आ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो एयर इंडिया विमान का अपहरण, हितिक रोशन संबंधी भारत विरोधी प्रदर्शन और नेपाल में आई. एस. आई. की बढ़ती गतिविधियों, जैसे भारत विरोधी अभियानों के बाद भी नेपाल को ऐसी रियायत देने के क्या कारण हैं;

(ङ) नेपाल के साथ मुक्त व्यापार समझौता किस तिथि को समाप्त हो जाएगा;

(च) क्या सरकार राजनयिक हितों को लेकर राष्ट्र के व्यापारिक हितों की रक्षा करने पर विचार करेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नेपाल से भारत को किया गया एक्रीलिक तथा अन्य सिथेटिक यार्न का आयात वर्ष 1996–97 के दौरान लगभग 3 मी. टन था, जो अप्रैल 2000 से फरवरी 2001 की अवधि के दौरान बढ़कर 13,252 मी. टन हो गया है।

(ख) दिनांक 3 दिसम्बर 1996 को यथा संशोधित–भारत –नेपाल व्यापार संधि में इस बात की व्यवस्था है कि भारत सरकार नेपाल में विर्निमित सभी वस्तुओं की भारतीय बाजार में सीमाशुल्क एवं मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त पहुंच की अनुमति देगी जिनके लिए नेपाल में मूल्यवर्द्धन तथा प्रयुक्त कच्ची सामग्री का स्रोत भी विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ग) अधिमानी व्यापार व्यवस्था के तहत नेपाल से वनस्पति तेल, ताम्बे के तार इत्यादि सहित कतिपय उत्पादों के अत्यधिक आयात के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) भारत–नेपाल व्यापार संधि का द्विपक्षीय व्यापार तथा नेपाल के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव रहा है जिससे व्यापक राजनीतिक एवं सुरक्षा हित प्राप्त हुए हैं।

(ङ) से (छ) भारत–नेपाल व्यापार संधि की वर्तमान वैधता दिनांक 5 दिसम्बर 2001 तक इस प्रावधान के साथ है कि उक्त अवधि एक बार में अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए स्वतः ही बढ़ती रहेगी जब तक कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को संधि की समाप्ति के अपने इरादे की लिखित सूचना नहीं देता है। नेपाल के प्राधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान उचित समय पर भारतीय उद्योग के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

चीनी का निर्यात

3941. श्री राजो सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक देश–वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की बेहतर गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक निर्यात की गई चीनी की मात्रा निम्नानुसार है:–

मात्रा : टन
मूल्य : लाख

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1998–99	12735	1735.93
1999–2000	12990	1813.50
2000–01	331184	42773.53
2001–02 (अप्रैल–मई)	144459	18007.09

स्रोत : डीजीसीआई एंड संस

चीनी की मात्रा और मूल्य के ब्यौरे तथा जिन देशों को इसका निर्यात किया गया है, उन देशों के ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार की सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई है।

(ख) दिनांक 1.4.2001 से चीनी के निर्यात की अनुमति किसी प्रतिबंध के बिना मुक्त रूप से प्रदान की गई है। अतः चालू वर्ष के दौरान चीनी की किसी मात्रा का निर्यात किया जा सकता है।

(ग) देश से निर्यातित चीनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरत के अनुसार है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में धान की खरीद

3942. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

डा. एस. वेणुगोपाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में चावल और धान की खरीद हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ 'ए' ग्रेड के अंतर्गत चावल की विभिन्न श्रेणियों की ग्रुपिंग के लिए व्यापक दिशा–निर्देश परिपत्र की घोषणा की है/ जारी किया है;

(ङ) क्या इन दिशा–निर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर यह निर्णय किया गया कि 2000–2001 के विपणन मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम 70 लाख टन लेवी चावल स्वीकार करेगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार 30:70 के अनुपात में 10 लाख टन धान की वसूली करेंगी।

(ख) और (ग) 13.8.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम 67.10 लाख टन लेवी चावल और 0.55 लाख टन धान की मात्रा स्वीकार कर चुका है। धान और चावल की वसूली चालू है।

(घ) से (च) जी, हां। साधारण धान 510/- प्रति क्विंटल की तुलना में ग्रेड 'ए' धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 540/- रुपये प्रति क्विंटल है। धान की कोई भी किस्म, जिसकी लम्बाई चौड़ाई का अनुपात 2.5 या उससे ज्यादा होता है, उसे ग्रेड 'ए' धान में वर्गीकृत किया जाता है।

[हिन्दी]

विदेशी बैंकों की शाखाओं का कारोबार

3943. श्री उत्तमराव पाटील :

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान विदेशी बैंक की शाखाओं ने राज्य–वार कितना वार्षिक कारोबार किया;

(ख) देश के निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने में ये बैंक शाखाएं किस हद तक सहायक रही हैं

(ग) क्या उक्रेन, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्ग्रीस्तान जैसे देशों की भारत में बैंक शाखाएं हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन देशों के निर्यातकों के लिए व्यापार में साख पत्र खोलने जैसे कार्य किस प्रकार किये जाते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि वह भारत में चल रहे विदेशी बैंकों के राज्य–वार कारोबार की सूचना इकट्ठी नहीं करता। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि भारत में चल रहे विदेशी बैंकों के 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के दौरान कुल अग्रिम एवं जमाराशियाँ क्रमशः 42,996.52 करोड़ रुपये एवं 59,190.48 करोड़ रुपये थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में चल रहे विदेशी बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण का 32% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना होता है। जिसमें निर्यात के लिए ऋण शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जिन देशों के बैंक भारत में नहीं है, उनके साथ संपर्ककर्त्ता बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है।

धारावाहिकों का प्रसारण

3944. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 2000 से कितने धारावाहिक प्रसारित किए जा चुके हैं और ऐसे कितने धारावाहिक हैं जिनकी 100 से अधिक कडी को मंजूरी दे दी गई है और इन धारावाहिकों के निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(ख) धारावाहिकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) नए धारावाहिकों के संबंध में धारावाहिकों–वार आज तक कितने मामले लंबित पड़े हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अप्रैल, 2000 से दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किए जा रहे धारावाहिकों की कुल संख्या – 15 है जिनमें से 08 धारावाहिकों के 100 से अधिक प्रकरण है। ब्यौरा संलग्न विवरण–। में दिया गया है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रकरणों की स्वीकृति संख्या से आगे विस्तार दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकताओं के अलावा धारावाहिक की लोकप्रियता, विषय–वस्तु, गुणवत्ता, दर्शक संख्या तथा राजस्व सृजन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्माता के अनुरोध पर दिया जाता है।

(ग) दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर स्लॉट आबंटन हेतु लम्बित धारावाहिकों का ब्यौरा संलग्न विवरण–।। में दिया गया है।

विवरण-।

अप्रैल, 2000 से दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किए जा रहे धारावाहिकों/दैनिक सोप्सों का ब्यौरा

क्र. सं.	धारावाहिकों/दैनिक सोप्सों का नाम	निर्माता का नाम
1	2	3
1.	किरण	मैसर्स न्यूज एण्ड इन्टरटेनमेंट, टीवी, नई दिल्ली
2.	जीवन रेखा	मैसर्स न्यूज एण्ड इन्टरटेनमेंट, टीवी, नई दिल्ली
3.	शक्तिमान	मैसर्स भीष्म इन्टरनेशनल, मुम्बई
4.	सुराग	मैसर्स अधिकारी ब्रदर्स टीवी नेटवर्क लि. मुम्बई
5.	सस्पैन्स दिस वीक	मैसर्स अधिकारी ब्रदर्स टीवी नेटवर्क लि., मुम्बई

1	2	3
6.	आप की सहेली	मैसर्स एच. एम. वीडियो प्रोडेक्शन्स, मुम्बई
7.	संस्कृतिनामा	मैसर्स न्यूज एण्ड एन्टरटेनमेन्ट टीवी, नई दिल्ली
8.	शोहरत	मैसर्स अमेजिंग विडियो प्रोडक्शन्स, मुम्बई
9.	कसम	मैसर्स बालाजी टेलीफिल्म्स प्रा. लि., मुम्बई
10.	कहानी सात फेरों की	मैसर्स निम्बस क्रिएटिव का. लि. नई दिल्ली
11.	आने वाला पल	मैसर्स इन्द्रप्रस्थ टीवी नेटवर्क, नई दिल्ली
12.	शहनाई	मैसर्स यूनाइटेड टेलीविजन, नई दिल्ली
13.	संजोग	मैसर्स प्रीतीशनन्दी कम्यूनिकेशन्स, मुम्बई
14.	सबला	मैसर्स डी. के. फिल्म्स एन्टरप्राइजेस, नई दिल्ली
15.	सत्या	मैसर्स स्टार एजेन्सी, मुम्बई

विवरण-।।

दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर स्लॉट हेतु लम्बित धारावाहिकों का ब्यौरा।

क्र. सं.	धारावाहिकों का नाम	निर्माता का नाम
1	2	3
1.	बच के रहना रे	मैसर्स सागर एन्टरटेनमेंट, मुम्बई
2.	महास्थी कर्ण	मैसर्स न्यूमेरोनो इन्टरनेशनल लि. मुम्बई
3.	नव ग्रह शक्ति	मैसर्स क्रिएटिव आई, नई दिल्ली
4.	संघर्ष	मैसर्स एस. के. यूथ फिल्मस, नई दिल्ली
5.	अपराजिता	मैसर्स एन. जी. प्रोडक्शन्स, मुम्बई
6.	इन्डियन फुटप्रिंट	मैसर्स मिडीटेक, दिल्ली
7.	चेतन की घड़ी	मैसर्स मेडीटेक प्रा. लि.
8.	दूसरा आदमी	मैसर्स नाइट, एनेमेटिक, मुम्बई
9.	ये मेरा इण्डिया	मैसर्स रुट एंड इन्का, दिल्ली
10.	गाते रहो डॉट काम	मैसर्स बी.ए.जी. फिल्मस, नई दिल्ली
11.	बेमौत	मैसर्स टेलीस्टार, मुम्बई
12.	कोई अपना सा	मैसर्स बालाजी टेलीफिल्मस, मुम्बई

1	2	3
13.	मृगजाल	मैसर्स समसारा प्रो. मुम्बई
14.	प्रतापी	मैसर्स अदकार, मुम्बई
15.	ये बन्धन कच्चे धागों का	मैसर्स फाइनल टेक, मुम्बई
16.	मुक्कमल	मैसर्स ए समय क्रिएसन, मुम्बई
17.	जमीर	मैसर्स मुक्ता टेलीफिल्म्स, मुम्बई
18.	बंदिश	मैसर्स सिद्धांत सिने विजन लि. मुम्बई
19.	हर जवान की कसम	मैसर्स अविष्कार मूवी टोन
20.	शक्ति	मैसर्स निम्बस कम्यूनीकेसन्स, नई दिल्ली
21.	एक म्यान दो तलवार	मैसर्स ट्रान्ससेफ, मुम्बई
22.	विनायक दोमादर सॉवरकर	मैसर्स जनसेवा न्यास, पुणे
23.	स्काईजैक	मैसर्स यू.टी.वी. नई दिल्ली
24.	आयुस और नन्ही परी	मैसर्स रवीन्द्र जैन, मुम्बई
25.	आंखें	मैसर्स सागर एन्टरप्राइजेज, मुम्बई

[अनुवाद]

कर्नाटक और तमिलनाडु में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3945. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक और तमिलनाडु में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की सहायता से कौन–कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) परियोजना–वार विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा कुल कितनी निधियां उपलब्ध कराई गईं;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की प्रगति की प्रभावी रूप से निगरानी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) कर्नाटक और तमिलनाडु में कार्यान्वित की जा रही राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बहु–राज्यीय और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं भी हैं जिनमें कर्नाटक और तमिलनाडु भी सहभागी हैं।

(ग) और (घ) परियोजनाओं की मानीटरिंग राज्य और केन्द्रीय राज्य सरकार दोनों के ही स्तर पर की जाती है। परियोजना प्राधिकरणों और राज्य सरकारों की परियोजना मानीटरिंग यूनिटों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों के अतिरिक्त, परियोजनाओं की मानीटारिंग संबंधित ऋण प्रभागों तथा आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंधन एकक के माध्यम से भी की जाती है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

30.6.01 की स्थिति के अनुसार

आंकड़े दाता देशों की करेंसी में, मिलियन में

क्रम सं.	ऋण/अनुदान का विवरण	ऋण/अनुदान करेंसी	राशि (मिलियन)	संवितरण की अंतिम तारीख	संचयी आहरण
		कर्नाटक			
एशियाई विकास बैंक					
1.	कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास दि. 10/05/1996	अमरीकी डालर	85.00	30/6/02	49.08
2.	कर्नाटक शहरी विकास एवं तटीय पर्यावरण प्रबंध दि. 19/5/2000	अमरीकी डालर	175.00	30/6/05	0.77
		तमिलनाडु			
आई. बी. आर. डी.					
1.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति दि. 20/11/1995	अमरीकी डालर	80.50	30@26/02	61.48
2.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास दि. 14/7/1999	अमरीकी डालर	105.00	30/11/04	69.21
आई.डी.ए.					
3.	तमिलनाडु, जल संसाधन समेकन दि. 22/09/1995	एसडी आर	181.90	31/3/02	92.97

भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान

3946. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार तमिलनाडु में भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान का एक फील्ड स्टेशन खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आई.जी.एम.आर.आई. के लिए निधियों के वार्षिक आबंटन को भी बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और गत तीन वर्षों में आई. जी. एम. आर. आई. के पांच फील्ड स्टेशनों में से प्रत्येक को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, हापुड़ और इसके पांच फील्ड स्टेशनों के लिए निधियों को आबंटन 1999–2000 के 406.70 लाख रुपये से बढ़ाकर 2000–2001 में 426.00 लाख रुपये कर दिया गया हैं भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान के पांच फील्ड स्टेशनों में से प्रत्येक के लिए पिछले तीन वर्षों हेतु आबंटित राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

(लाख में)

क्रम सं.	फील्ड स्टेशनों के नाम	1998–99			1999–2000			2000–2001		
		योजना	गैर–योजना	जोड़	योजना	गैर–योजना	जोड़	योजना	गैर–योजना	जोड़
1.	उदयपुर	39.80	–	39.80	30.20	–	30.20	73.40	–	73.40
2.	जबलपुर	117.00	–	117.00	37.00	–	37.00	62.40	–	62.40
3.	हैदराबाद	2.30	45.90	48.20	7.00	46.00	53.00	5.50	56.40	61.90
4.	जोरहाट	2.90	34.50	37.40	1.70	34.80	36.50	4.60	32.00	36.60
5.	लुधियाना	0.70	36.40	37.10	0.90	36.30	37.20	0.45	35.30	35.75
	जोड़	162.70	116.80	279.50	76.80	117.10	193.90	146.35	123.70	270.05

ए. पी. रूरल पावर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट

3947. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को ए. पी. रुरल पावर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट को विश्व बैंक को सिद्धांततः स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने से पहले इसे ग्रामीण विकास और योजना मंत्रालय को प्रस्तुत करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों मंत्रालयों ने इस परियोजना को सिद्धांततः मंजूरी दे दी है; ;

(ग) क्या यह परियोजना उनके मंत्रालय के पास प्रक्रिया और इसे विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना को विश्व बैंक को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां

(ग) से (ङ) परियोजना प्रस्ताव की इसके कवरेज, प्रतिबल, कौशल और अभिमुखता के संदर्भ में जांच की जा रही है। प्रस्ताव को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिए जाने की आशा है।

विश्व बैंक-अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक

3948. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्री ने मई 2001 के दौरान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लिया था और यह आश्वासन दिया था कि भारत नए दौर की व्यापार वार्ता के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कौन–कौन से मुख्य निर्णय लिए गए; और

(ग) भारत ने व्यापार वार्ता को बेहतर बनाने में अपने पूर्ण सहयोग का किस सीमा तक आश्वासन दिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) वित्त मंत्री ने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वाशिंगटन में 29–30 अप्रैल, 2001 को सम्पन्न स्प्रिंग मीटिंग्स में भाग लिया था। व्यापार वार्ताओं के अगले दौर से संबंधित भारत की स्थिति का औपचारिक रूप से जिक्र किए बिना वित्त मंत्री ने व्यापार के जरिए भूमंडलीकरण से विकासशील देशों के लाभों को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए उनकी मदद करने की जरुरत पर बल दिया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन

3949. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम में आमूल–चूल परिवर्तन और इसके पुनर्गठन के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों की ढुलाई और भंडारण में

खामियों को दूर करने और लीकेज को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार को दूर करने और इसे आर्थिक रूप से अर्थक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुछ गोदामों का निजीकरण का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों के अधिग्रहण और वितरण की आर्थिक लागत में कटौती करने के उपायों और तरीकों का पता लगाने के लिए भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद के माध्यम से सरकार ने एक अध्ययन कराया है। अध्ययन रिपोर्ट की जाँच की जा रही है। इस प्रकार, भारतीय खाद्य निगम को सुदृढ और पुनर्संरचित करने के लिए कोई अलग से अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम के पास मुख्यालय और फिल्ड कार्यालयों में पर्याप्त कर्मचारियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित अलग से सतर्कता प्रभाग है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियमित रूप से प्रयास किये जाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम, जो खाद्यान्नों की वसूली और वितरण से संबंधित क्षेत्रों में भारत सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करता है, भारत सरकार से बजटीय समर्थन प्राप्त करता है।

फिलहाल, भारतीय खाद्य निगम के किसी भी गोदाम का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

3950. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है और इसमें से कितनी धनराशि अनिवासी भारतीयों की बैंक जमाओं के रूप में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तुलनात्मक आंकड़े क्या है;

(ग) क्या देश का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) 3 अगस्त, 2001 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार 43.81 बिलियन अमरीकी डालर था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार जो कई वर्षों में संचित हुआ है भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी दोनों खातों पर भारत के अन्तर्राष्ट्रीय लेन–देन के निवल परिणाम को दर्शाता है। इसलिए, अनिवासी–भारतीय–जमा राशि सहित विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार के स्टाक का किसी एकल अथवा सामूहिक लेन–देन में विभागजन करना उचित नहीं है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार (स्वर्ण एवं एस. डी. आर. सहित) मार्च, 1999 के अन्त में 32.49 बिलियन अमरीकी डालर, मार्च, 2000 के अन्त में 38.04 बिलियन अमरीकी डालर और मार्च, 2001 के अन्त में 42.28 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ग) और (घ) अनिवार्य आयातों की जरूरतों, ऋण शोधन भुगतानों सहित अल्पावधि देनदारियों और अन्य अप्रत्याशित आकस्मिक खर्चों को देखते हुए इस समय विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार का स्तर अनुकूल है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान संतुलन की गतिविधियों का गहन अनुवीक्षण (मानीटर) करते हैं और निर्यातों, अदायगी सहित अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि करने और पूंजी प्रवाह विशेष रूप से प्रत्यक्ष निवेशों का प्रवाह बढ़ाने के लिए समय–समय पर आवश्यक उपाय करते हैं। ताकि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों का पर्याप्त स्तर बनाए रखने में मदद मिल सके।

[अनुवाद]

औद्योगिक रूग्णता को पुनः परिभाषित करना

3951. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास कार्यक्रम हेतु मौजूदा रियायतें क्या हैं और इस समय औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की राज्य–वार सूची क्या है;

(ख) क्या सरकार औद्योगिक रूग्णता को पुनः परिभाषित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या मौजूदा अधिनियम में रूग्णता की परिभाषा पांच वर्षों से अस्तित्व में रहने वाली उन कम्पनियों के लगातार तीन वर्षों के निवल मूल्य के अपक्षय के रूप में की गई है;

(घ) यदि हां, तो पुनः परिभाषित औद्योगिक रूग्णता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) इस संशोधन के मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(च) यह परिभाषा रूग्ण उद्योगों के पुनरूद्धार के प्रयास में किस हद तक सहायक होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध रियायतों में विकास केन्द्र (सूची विवरण–। के रूप में संलग्न हैं) स्थापित करना और लघु उद्योगों के लिए विकासशील संरचनात्मक सुविधाएं शामिल हैं। विनिर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित ईकाइयों को यातायात, निवेश ब्याज एवं बीमा में भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पिछड़े जिलों में उन उपक्रमों के लिए आयकर लाभ उपलब्ध है जो दिनांक 31.3.2002 को अथवा इससे पहले विनिर्माण अथवा उत्पादन आरम्भ करेंगे। आयकर लाभ के लिए पात्र जिलों की सूची (दो श्रेणियों में विनिर्दिष्ट) संलग्न विवरण–।। में दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में औद्योगिक ईकाइयों को उत्पाद शुल्क की रियायतें उपलब्ध हैं।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-।

विकास केन्द्र की सूची

क्रम सं.	विकास केन्द्र के नाम	जिला
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	हिन्दुपुर	अनंतपुर
2.	खम्माम	खम्माम
3.	ओंगोल	प्रकाशम
4.	विजयनगरम–बोबिली	विजयनगरम
अरुणाचल प्रदेश		
5.	निकीयोगनगोरलंग	पूर्व शियांग
असम		
6.	चरीद्वार	सोनितपुर
7.	मारिया	गोलपाड़ा
8.	चेगांव	कामरूप (अनुमोदित नहीं)
बिहार		
9.	बेगुसराय	बेगुसराय
10.	भागलपुर	भागलपुर
11.	छपरा	छपरा
12.	दरभंगा	दरभंगा
13.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
छत्तीसगढ़		
14.	बौराई	दुर्ग
15.	सिलतारा	रायपुर
गोवा		
16.	इलैक्ट्रोनिक सिटी	वरना–पठार
गुजरात		
17.	गांधीधाम	कच्छ
18.	पालनपुर	बांसकाठा
19.	वागरा	भरूच
हरियाणा		
20.	बावल	रेवाडी
21.	साना	अम्बाला
हिमाचल प्रदेश		
22.	कांगड़ा	कांगड़ा
जम्मू व कश्मीर		
23.	लहसीपोर्स	पुलवामा
24.	सम्बा	जम्मू
झारखंड		
25.	हजारी बाग	हजारी बाग

1	2	3
कर्नाटक		
26.	धारवाड़	धारवाड़
27.	रायचूर	रायचूर
28.	हासन	हासन
केरल		
29.	अलापूजा–मालापुरम	अलापूजा–मालापुरम
30.	कनूर–कोजिकोड़े	कनूर–कोजिकोड़
मध्य प्रदेश		
31.	चैनपुरा	गुणा
32.	घिरोंगी	भिंड
33.	खेडा	धार
34.	सतलापुर	रायसेन
महाराष्ट्र		
35.	अकोला	अकोला
36.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
37.	धुले	धुले
38.	रत्नागिरी	रत्नागिरी
39.	नांदेड	नांदेड
मणिपुर		
40.	लामलाई–नोपाई	पूर्वी इम्फाल
मेघालय		
41.	मेण्डी पामार	पूर्वी गारो पहाडियाँ
मिजोरम		
42.	लुआंग, मुआल	आइजोल
नागालैंड		
43.	गणेश नगर	कोहिमा
उड़ीसा		
44.	छतरपुर	गंजम
45.	कालिंगा नगर–डुबुरी	कटक
46.	झारसुगुडा	झारसुगुडा
47.	केसिंगा	कालाहांडी
पांडिचेरी		
48.	पोलागांव	कराईकल
पंजाब		
49.	भटिण्डा	भटिण्डा
50.	पठानकोट	गुरदासपुर
राजस्थान		
51.	आबू रोड	सिरोही
52.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
53.	खाडा	बीकानेर
54.	झालावाड़	झालावाड़
55.	धौलपुर	धौलपुर
सिक्किम		
56.	डेंगछंग ब्लाक	दक्षिण सिक्किम (अनुमोदित नहीं)
तमिलनाडु		
57.	इरोड	पेरियार
58.	औरागदम	कांचीपुरम
59.	तिरूनेलबेली (गंगईकोन्डल, नापुर ब्लॉक)	तिरूनेलवेली
त्रिपुरा		
60.	बोधजंग नगर	त्रिपुरा पश्चिम
उत्तर प्रदेश		
61.	बिजोल्ट	झांसी
62.	जामौर	शाहजहाँपुर
63.	पकबोवा	मुरादाबाद
64.	डिबियापुर	औरय्या

1	2	3
65.	खुर्जा	बुलन्दशहर
66.	सथारिया	जौनपुर
67.	साहजनवां	गोरखपुर
उत्तरांचल		
68.	शिवराज पुर–देवरामपुर	पौड़ी–गढ़वाल (अनुमोदित नहीं)
पश्चिम बंगाल		
69.	बोलपुर	बीरभूम
70.	जलपाईगुडी	जलपाईगुडी
71.	मालदा	मालदा

विवरण-II

*श्रेणी 'क' औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले**

1.	गोड्डा	बिहार
2.	गुमला	बिहार
3.	अरेरिया	बिहार
4.	मधेपुरा	बिहार
5.	दुमका	बिहार
6.	खजारिया	बिहार
7.	किशनगंज	बिहार
8.	पलामू	बिहार
9.	मधुबनी	बिहार
10.	जेहानाबाद	बिहार
11.	सहरसा	बिहार
12.	नवादा	बिहार
13.	सीतामढ़ी	बिहार
14.	साहेबगंज	बिहार
15.	औरंगाबाद	बिहार
16.	पूर्वी चम्पारन	बिहार
17.	पूर्णिया	बिहार
18.	सिवान	बिहार
19.	वैशाली	बिहार
20.	लोहारडग्गा	बिहार
21.	दी डेंग्स	गुजरात
22.	वयानाड	केरल
23.	इदुक्की	केरल
24.	गडचिरोली	महाराष्ट्र
25.	मांडला	मध्य प्रदेश
26.	सरगुजा	मध्य प्रदेश
27.	छतरपुर	मध्य प्रदेश
28.	पन्ना	मध्य प्रदेश
29.	बस्तर	मध्य प्रदेश
30.	फूलबनी	उडीसा
31.	कालाहांडी	उड़ीसा
32.	जालौर	राजस्थान
33.	बाडमेर	राजस्थान
34.	जैसलमेर	राजस्थान
35.	चुरू	राजस्थान
36.	बांसवाड़ा	राजस्थान
37.	सिद्धार्थ नगर	उत्तर प्रदेश
38.	बहराइच	उत्तर प्रदेश
39.	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश
40.	महाराजगंज	उत्तर प्रदेश

* जिलों की सूची में झारखंड, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ़ के बनने से पहले की स्थिति के अनुसार राज्य दर्शाए गए हैं।

41.	बाँदा	उत्तर प्रदेश
42.	बस्ती	उत्तर प्रदेश
43.	चमोली	उत्तर प्रदेश
44.	उत्तराकाशी	उत्तर प्रदेश
45.	अल्मोड़ा	उत्तर प्रदेश
46.	पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश
47.	टिहरी गढ़वाल	उत्तर प्रदेश
48.	मुर्शिदाबाद	पश्चिमी बंगाल
49.	कूच बिहार	पश्चिमी बंगाल
50.	बांकुरा	पश्चिमी बंगाल
51.	जलपाईगुडी	पश्चिमी बंगाल
52.	मालदा	पश्चिमी बंगाल
53.	पश्चिम दिनाजपुर	पश्चिमी बंगाल

*श्रेणी 'ख' औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले**

1.	श्रीकाकुलम	आन्ध्र प्रदेश
2.	महबूबनगर	आन्ध्र प्रदेश
3.	कटिहार	बिहार
4.	भागलपुर	बिहार
5.	गोपालगंज	बिहार
6.	दरभंगा	बिहार
7.	पश्चिमी चम्पारन	बिहार
8.	सारन	बिहार
9.	भोजपुर	बिहार
10.	समस्तीपुर	बिहार
11.	देवधर	बिहार
12.	नालन्दा	बिहार
13.	गया	बिहार
14.	मुजफ्फरपुर	बिहार
15.	रोहतास	बिहार
16.	बांसकाठा	गुजरात
17.	साबरकांठा	गुजरात,
18.	बीदर	कर्नाटक
19.	सियोनी	महाराष्ट्र
20.	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश
21.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश
22.	बालाघाट	मध्य प्रदेश
23.	झाबुआ	मध्य प्रदेश
24.	सिंधी	मध्य प्रदेश
25.	विदीषा	मध्य प्रदेश
26.	रायगढ़	मध्य प्रदेश
27.	मोरेना	मध्य प्रदेश
28.	बेतुल	मध्य प्रदेश
29.	राजगढ़	मध्य प्रदेश
30.	राजनंदगांव	मध्य प्रदेश
31.	सागर	मध्य प्रदेश
32.	बीड	महाराष्ट्र
33.	बोलांगीर	उड़ीसा
34.	मयूरभंज	उड़ीसा
35.	बालासौर	उड़ीसा
36.	गंजम	उड़ीसा
37.	डूंगरपुर	राजस्थान
38.	धौलपुर	राजस्थान
39.	सवाई माधोपुर	राजस्थान
40.	टोन्क	राजस्थान
41.	नागौर	राजस्थान

* जिलों की सूची में झारखंड, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ के बनने से पहले की स्थिति के अनुसार राज्य दर्शाए गए हैं।

42.	झालावाड़	राजस्थान
43.	सीकर	राजस्थान
44.	हरदोई	उत्तर प्रदेश
45.	लालितपुर	उत्तर प्रदेश
46.	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश
47.	बदायुँ	उत्तर प्रदेश
48.	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश
49.	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश
50.	एटा	उत्तर प्रदेश
51.	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
52.	इटावा	उत्तर प्रदेश
53.	देवरिया	उत्तर प्रदेश
54.	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
55.	बलिया	उत्तर प्रदेश
56.	जौनपुर	उत्तर प्रदेश
57.	सीतापुर	उत्तर प्रदेश
58.	जालौन	उत्तर प्रदेश
59.	उन्नाव	उत्तर प्रदेश
60.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश
61.	कानपुर देहात	उत्तर प्रदेश
62.	मैनपुर	उत्तर प्रदेश
63.	गोन्डा	उत्तर प्रदेश
64.	फरुखाबाद	उत्तर प्रदेश
65.	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश
66.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश
67.	मउ	उत्तर प्रदेश
68.	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल
69.	बीरभूम	पश्चिम बंगाल
70.	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

ग्रामसेट योजना

3952. श्री रामदास आठवले : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ग्रामसेट योजना पर राज्य–वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इस योजना के तहत कितने कार्यक्रम प्रसारित किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासी संस्कृति के संवधनार्थ इस कार्यक्रम में आदिवासियों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारतीय ने सूचित किया है कि वर्तमान में आकाशवाणी के जरिए "ग्रामसेट स्कीम" जैसी कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी

3953. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास की मुख्य एजेंसी ने विश्व अर्थव्यवस्था जिसमें गत वर्ष 4 प्रतिशत की सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की गई थी; को अमरीकी अर्थव्यवस्था में भारी मंदी के कारण गंभीर गिरावट आने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे देश इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे क्योंकि वे अपने माइक्रो–इलैक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात के लिए अधिकांशतः अमरीका पर निर्भर है;

(ग) यदि हां, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी क्या प्रभाव पडा है; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने हेतु सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार एवं विकास सम्मेलन का प्रस्तुत मूल्यांकन, संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार एवं विकास सम्मेलन की व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, 2001 में निहित है। हाल के वर्षों में विश्वव्यापी मांग को बढ़ाने में इसकी मुख्य भूमिका को देखते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था के अच्छे भविष्य के लिए संयुक्त राज्य अर्थव्यवस्था में वर्तमान मंदी व्यापक चिन्ता का विषय बन गयी है।

(ख) संयुक्त राज्य में मंदी का मुख्य कारण इसके उच्च प्रौद्योगिकी गरम बाजार का नरम पड़ जाना है जिसके परिणामस्वरूप इसके निवेश व्यय में गिरावट आई है। इसका जापान के संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) से सम्बद्ध श्रेत्रकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसी प्रकार दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों, जो संयुक्त राज्य के उच्च प्रौद्योगिकी तंत्र से जुड़े हैं, में मंदी का जोखिम काफी ज्यादा है, जैसा कि इन अर्थव्यवस्थाओं का निष्पादन काफी हद तक इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं की विदेशों में मांग पर निर्भर करता है, विश्व में इन वस्तुओं की मांग में किसी तरह की कमी/गिरावट आने से उनके विकास को क्षति पहुंचेगी।

(ग) उत्पादों और गंतव्य देशों के रूप में भारत की निर्यात बास्केट में विविधता विद्यमान है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है परन्तु सकल घरेलू उत्पाद में इसका सापेक्षिक हिस्सा बहुत ज्यादा नहीं है और इसलिए हमारे निर्यातों पर इसका कम प्रभाव पड़ता है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है।

(घ) विदेशी क्षेत्रक की प्रवृत्तियों की निरन्तर संवीक्षा की जाती है और इनका गहन अनुवीक्षण किया जाता है तथा उभरती हुई प्रवृत्तियों के मुद्दे नज़र उचित उपाय किए जाते हैं।

बैंकों का निरीक्षण

3954. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट सभा पटल पर रखता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को यह निर्देश देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि वह बैंकों के निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट के साथ–साथ कार्यवाही रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की संविधियों में बैंकों की निरीक्षण रिपोर्टों को संसद के पटल पर रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

सिटी को-आपरेटिव बैंक

3955. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक के निवेश, अग्रिम और विवरणियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन सहित सिटी को–आपरेटिव बैंक, लखनऊ की स्थिति और खातों की जांच से इसके द्वारा बड़े पैमाने पर बरती गई अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सिटी–को–ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ की लेखा–बहियों की संवीक्षा से उनके परिचालन में कई प्रकार की अनियमितताओं का पता चला है। इनमें 2140.56 लाख रु. के लिखतों के प्रलेखी प्रभाग का अभाव और बैंक के एक निदेशक द्वारा धन का दुरूपयोग, सावधि जमाराशियों की रसीदें प्रस्तुत न करना, ऋण नीति नहीं तैयार करना, शेयरों के बदले 10.00 लाख रु. अधिकतम सीमा से अधिक अग्रिम की मंजूरी अप्रतिभूत अग्रिमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश का उल्लंघन, बैंक की असंतोषजनक चलनिधि स्थिति, संस्थागत जमाराशियों पर अत्यधिक निर्भरता, आरक्षित नकदी निधि अनुपात की प्रवंचना, समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली का अभाव, आय की पहचान आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश का उल्लंघन शामिल है।

(ग) जमाकर्त्ताओं को अधिमान्य भुगतान रोकने तथा बैंक से भारी मात्रा में आकस्मिक आहरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मार्च, 2001 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के अन्तर्गत बैंकों को एक निदेश जारी किया गया है। जिसमें इसे नई जमाराशियां स्वीकार न करने या नया ऋण न देने तथा किसी एक जमाकर्त्ता को एक हजार रुपये से अधिक की वापसी अदायगी न करने का निदेश दिया गया है। रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश से यह अनुरोध किया किया गया है कि वे बैंक के प्रबंधक मंडल का अधिक्रमण करने तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 90 ख की उपधारा (iii) के उपबंधों का अवलंब लेकर उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु एक प्रशासक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था। तद्नुसार ही रजिस्ट्रार, सहकारी समिति ने 9 अप्रैल, 2001 को एक आदेश जारी करके बोर्ड का अधिक्रमण किया और बैंक के प्रशासन के रूप में लखनऊ के जिलाधीश को नियुक्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 अप्रैल, 2001 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में बैंक के अध्यक्ष निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विरूद्ध आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है।

राज्यों को ऋण राहत

3956. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997–2000 के दौरान राज्य–वार सामान्य ऋण राहत और कार्यनिष्पादन आधारित ऋण राहत पर दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को कितनी ऋण राहत दी गई; और

(ख) 2000–2001, 2004–2005 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को सामान्य ऋण राहत की कितनी राशि की सिफारिश की गई और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य–वार की गई सिफारिश के अनुसार विभिन्न राज्यों को 2000–2001 में कार्यनिष्पादन आधारित ऋण में राज्य–वार कितनी राहत दी गई तथा राज्य की ऋण निवृत्ति में एक राहत अर्थात् ब्याज का भुगतान और इसके साथ ली गई पूंजी पुनर्भुगतान का कितना प्रतिशत रहा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) 1997–2000 के दौरान दसवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत, कार्यनिष्पादन आधारित सामान्य ऋण राहत के राज्य–वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित सामान्य ऋण राहत इस अवधि के दौरान राज्यों द्वारा प्रभावी राजकोषीय सुधारों पर निर्भर करेगी। चूंकि ऋण राहत की स्कीम पर्याप्त समय अन्तराल से संचालित होती है इसलिए ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों को कोई भी ऋण राहत अभी तक नहीं दी गई है।

विवरण

1997–2000 के दौरान ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को सामान्य ऋण राहत

(करोड़ रुपए में)

	राज्य	राशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.01
2.	असम	6.86
3.	बिहार	21.52
4.	गोवा	1.49
5.	गुजरात	13.40
6.	जम्मू और कश्मीर	9.54
7.	कर्नाटक	5.76
8.	केरल	5.45
9.	महाराष्ट्र	19.00
10.	मेघालय	1.79
11.	नागालैंड	0.07
12.	पंजाब	24.88
13.	तमिलनाडु	30.35
14.	त्रिपुरा	2.02
15.	पश्चिम बंगाल	3.75

लेखन सामग्री/कार्यालय में उपयोग की वस्तुओं के संबंध में आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की दरें

3957. श्री शीश राम सिंह रवि :

श्री रामजी मांझी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कार्यालय/विभाग, सरकारी उपक्रम, निगम, आदि कंप्यूटरों, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं, प्रिंटरों, जीरोक्स मशीनों, फोटोकापी में प्रयुक्त होने वाले कागजों की खरीद पर प्रतिवर्ष बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मदों की आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की दर संविदा में नहीं रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी धन की बचत करने और सर्वोच्च गुणवत्ता वाली मदें उपलब्ध कराने के लिए इन मदों की आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की दर सूची में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इन मदों के आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की दर संविदा में कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वाणिज्य विभाग/डी जी एस एंड डी ऐसे आंकड़े नहीं रखते हैं। केन्द्रीय सरकार के विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/निगम आदि इन मदों की अपनी आवश्यकता की खरीद व्यवस्था इन्हें दी गई वित्तीय शक्तियों में से ही करते हैं।

(ख) से (ङ) आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डी जी एस एंड डी) विभिन्न मदों (कंप्यूटर उपभोज्य वस्तुओं को छोड़कर) के लिए दर संविदाएं तय करता है। कंप्यूटर उपभोज्य वस्तुएं कम मूल्य की मद हैं और प्रयोक्ताओं द्वारा इसकी खरीद स्थानीय रूप से की जा रही है। इन दर संविदाओं में से कुछ का नवीकरण विचाराधीन है और इसे जल्दी अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

उड़िया समाचार बुलेटिन

3958. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र से प्रातःकालीन उड़िया समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका समय कितना और इसका प्रसारण किस तारीख से किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर से उड़िया में प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

3959. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राजस्थान में स्थान–वार आकाशवाणी और दूरदर्शन के कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राजस्थान में कुछ और नए केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) वर्तमान में राजस्थान में कार्यरत आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन के टी.वी. ट्रान्समीटरों का स्थान–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) 10 वीं. पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है और उसका ब्यौरा बताना सम्भव नहीं होगा।

विवरण

(क) आकाशवाणी केन्द्र

1.	जयपुर	1 कि.वा.मी. वे ट्रांसमीटर 1 कि.वा.मी. वे ट्रांसमीटर (वीबी) 50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
2.	अजमेर	200 कि.वा.मी. वे. ट्रांसमीटर (रिले)
3.	बीकानेर	20 कि.वा.मी. वे ट्रांसमीटर

4.	जोधपुर	100 कि.वा.मी. वे. ट्रांसमीटर 6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (वीबी)
5.	उदयपुर	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
6.	सूरतगढ़	300 कि.वा. मी. वे. ट्रांसमीटर
7.	कोटा	1 कि.वा.मी. वे. ट्रांसमीटर (स्था. रे.के.)
8.	अलवर	6 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर (स्था. रे.के.)
9.	नागौड़	6 कि.वा.एफ एम ट्रांसमीटर (स्था. रे.के.)
10.	बांसवाड़ा	6 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर (स्था. रे. के.)
11.	चित्तौड़गढ़	6 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर (स्था. रे. के.)
12.	बाड़मेर	20 कि.वा. मी. वे. ट्रां.
13.	सवाई माधोपुर	6 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर (स्था. रे. के.)
14.	चुरु	6 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर
15.	झालावाड़	6 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर
16.	जैसलमेर	10 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर
17.	माउण्ट आबू	6 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर

ख. दूरदर्शन

(13.8.2001 की स्थिति के अनुसार) राजस्थान में कार्यरत टी वी ट्रांसमीटर)

1.	उ.श.ट्रा (8)
	बाडमेर (अ)
	बुन्दी
	जयपुर
	जैसलमेर
	जोधपुर
	अजमेर (अन्त)
	जयपुर (डीडी–2)
	जोधपुर (डीडी–2)
2.	अ.श.ट्रा (66)
	अलवर
	अनूपगढ़
	बांसी
	बॉसवाड़ा
	बराण
	बडी सदरी
	बाडमेर
	बसवा
	बयावर
	भद्रा
	भरतपुर
	भीलवाड़ा
	बीकानेर
	चिरावा
	चित्रदुर्ग
	चुरू
	डीग
	बाली
	नगर
	डूगंरपुर
	गंगानगर
	कौशलगढ़
	नवलगढ़
	तारानगर
	हनुमानगढ़
	हिन्डौन
	जैसलमेर

जालोर
झालावाड़
झुनझुन
कर्णपुर
करौली
केसरियाजी
खेतड़ी
कोटपुतली
माउट आबू
नागौर
नाथद्वारा
नीमज
नोहर
नोखा
पाली
टोंक
उदयपुर
फलौदी
पिलानी
प्रतापगढ़
रायसिंह नगर
राजगढ़ (चुरू)
रत्नगढ़
रावतसर
सांगवाड़ा
सेलमबेर
सरदार सहर
सवाई माधोपुर
शाहपुरा
सीकर
सिरोही
श्रीडूगंरगढ़
सूजानगढ़
गंगापुर (एस.एम.पुर.)
किशनगढ़–वास (अलवर)
वल्लभ नगर
मकराना
कोटा (डीडी–2)

3. अ.अ.श.ट्रा (18)

आमेट
अंधी
भीम
चौमहला
देवगढ़
फतेहपुर
गंगापुर
कोटरा
कुम्बलगढ़
लक्ष्मणगढ़
मंडलगढ़
नीम का थाना
राजगढ़ (अलवर)
रावभटटा
सिकरई
तिबी
विराटनगर
जवर माइन्स

4. ट्रांन्सपोजर (2)

जामुआ रामगढ़
लालसीट

फर्जी क्रेडिट कार्ड

3960. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फर्जी क्रेडिट कार्डों के माध्यम से धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपये की निकासी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में फर्जी क्रेडिट कार्डों के माध्यम से धोखाधड़ी के मामलों की संख्या कितनी है और गत एक वर्ष के दौरान इससे अंतर्ग्रस्त कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अपराधियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्जी क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में निम्नलिखित धोखाधड़ियां हुई थीं।

क्रम सं.	बैंक का नाम	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (रुपये में)
01	केनरा बैंक	01	26,000.00
02	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	01	4,41,703.79
03	विजया बैंक	01	2,63,000.00
04	सिटी बैंक	01	1,72,977.25
05.	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक	06	8,32,355.86
06.	पंजाब एंड सिंध बैंक	01	3,25,000.00

संबंधित बैंक धोखाधड़ी के मामलों में उचित कार्रवाई करते हैं जैसे पुलिस को रिपोर्ट करना, वसूली के लिए कदम उठाना और स्टाफ के उत्तरदायित्व, अगर कोई हों, के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करना।

[अनुवाद]

खेल कूद संबंधी गतिविधियों का सीधा प्रसारण

3961. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खेल–कूद संबंधी गतिविधियों के सीधे प्रसारण के लिए विदेशी उपग्रह चैनलों को अपलिंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और दूरदर्शन को भी खेल कूद संबंधी गतिविधियों के सीधे प्रसारण को शामिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) वर्तमान अपलिंकिंग मार्ग–निर्देशों के अनुसार, विदेशी उपग्रह चैनलों सहित सभी टेलीविजन चैनलों को अनुमत टेलीपोर्टों या विदेश संचार निगम लि. के माध्यम से भारत के अपलिंकिंग सुविधाओं की अनुमति दी जाती है बशर्ते मार्ग–निर्देशो में निर्धारित मानदण्डों को पूरा किया जाए। दूरदर्शन को खेल आयोजनों के सीधे प्रसारण को समायोजित करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मैथिली में समाचार

3962. श्री कीर्ति झा आजाद : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी पटना समाचार का मैथिली में प्रसारण करता है जो मिथिलांचल में बड़े पैमाने पर बोली जाती है;

(ख) यदि हां, तो सप्ताह में कितने दिनों समाचार का प्रसारण मैथिली में होता है;

(ग) क्या मैथिली में समाचार का प्रसारण प्रतिदिन करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, आकाशवाणी, पटना के क्षेत्रीय समाचार एकक द्वारा मैथिली भाषा में तैयार किए गए समाचार बुलेटिन को आकाशवाणी, दरभंगा द्वारा सप्ताह में तीन बार मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 1815 बजे से 1820 बजे तक 5 मिनट की अवधि के लिए प्रसारित किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी मॉनिटरिंग - एकक

3963. श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के समाचार–सेवा प्रभाग में हाल ही में 'हिन्दी मॉनीटरिंग एकक' की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो विदेशों से हिन्दी में प्रसारित कितने समाचार–कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग की जा रही है और ये कितने समय प्रसारित किये जाते हैं;

(ग) क्या –'बी.बी.सी.'' ''वॉयस ऑफ अमेरिका भी हिन्दी में बुलेटिनों का प्रसारण करते हैं, जबकि इनकी मॉनीटरिंग नहीं की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो ''हिन्दी मॉनीटरिंग एकक'' को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ङ) क्या अनेक अतिविशिष्ट व्यक्तियों और संसद–सदस्यों द्वारा ''हिन्दी मॉनीटरिंग एकक'' में संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने का सुझाव देने पर, समाचार–सेवा प्रभाग में एक समिति का गठन किया गया; और

(च) यदि हां, तो इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रसार भारती ने क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आकाशवाणी में समाचार एकत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के मुख्य उद्देश्य से आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में 19.9.1996 को एक हिन्दी मानीटारिंग एकक की स्थापना की गई थी।

(ख) और (ग) एकक द्वारा मानीटर किए गए हिन्दी बुलेटिनों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

वॉयस ऑफ अमेरिका	0600–630 बजे
बीबीसी	0630–0700 बजे
बीबीसी	1930–2000 बजे
रेडियो ''रूस''	1830–1900 बजे

(घ) वर्तमान में, इस मानीटारिंग एकक को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) एकक के विस्तार की आवश्यकता पर विचार करने के लिए गठित समिति ने रिपोर्टरों के अतिरिक्त पदों के सृजन की सिफारिश नहीं की थी।

[अनुवाद]

आकाशवाणी/दूरदर्शन कार्यक्रमों की लोकप्रियता

3964. श्री मानसिंह पटेल :

श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती के अधीनवर्ती आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यक्रमों की लोकप्रियता में 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आकाश वाणी/ दूरदर्शन की तुलना में ''जी.टी.वी.'' ''सोनी टी.वी.'' स्टार टी.वी. की दर्शक–संख्या के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) आकाशवाणी की दर्शक संख्या की टेलीविजन दर्शक संख्या से तुलना नहीं की जा सकती है। जहां तक टेलीविजन चैनलों का संबंध है, फरवरी, 2001 में 27 शहरों में किए गए टेलीविजन ऑडिएंस मेजरमैंट (टी.ए.एम.) सर्वेक्षण के अनुसार घरों में निजी चैनलों की तुलना में डीडी–1 तथा डीडी–2 चैनलों की दर्शक संख्यांश का निम्नानुसार है:–

चैनल	दर्शक संख्यांश
डीडी–1	28.3
डीडी–2	12.1
सोनी	4.5
स्टॉर प्लस	7.7
जी	3.2

(ग) प्रसार भारती ने बताया है कि कार्यक्रमों की

गुणवत्ता में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी क्षेत्रों में अद्यतन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रयासरत रहता है।

पश्चिम बंगाल के रायगंज में उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर लिंक

3965. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल के रायगंज को उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर लिंक, से जोड़ने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रायगंज को उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर लिंक से जोड़ने में विलंब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। श्री प्रिय रंजन दासमुंशी, ससंद सदस्य से पश्चिम बगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में रायगंज में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए दो पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के अधिकांश हिस्से कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल) और कटिहार (बिहार) स्थित उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में आते हैं। प्रसार भारती को आशा है कि दक्षिण दिनाजपुर जिले के ब्लूरघाट में कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के चालू हो जाने के बाद इस क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज में और सुधार होगा। प्रसार भारती के पास रायगंज में एक टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय न्यूज बुलेटिन

3966. श्री कीर्ति झा आजाद : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य के बंटवारे के बाद आकाशवाणी के रांची केन्द्र से प्रसारित किये जाने वाले क्षेत्रीय न्यूज बुलेटिन की वर्तमान स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : प्रसार भारती ने बताया है कि बिहार राज्य के विभाजन के बाद आकाशवाणी, रांची से प्रतिदिन 1900 से 1910 बजे तक 10 मिनट की अवधि का क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा, आकाशवाणी, रांची द्वारा शनिवार को नागपुरी, कुरूख, मुंदरी, हो तथा संघाली बोलियों–प्रत्येक में 5–5 मिनट के पांच साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी प्रसारित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी

3967. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जून, 2001 के दौरान 477 करोड़ रुपये के 32 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है।

(ख) यदि हां, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्वीकृत प्रस्तावों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों में कौन सी विदेशी कंपनियां शामिल हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) जी, हां। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की 14.6.2001 को हुई अपनी बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर 477 करोड़ रुपये की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि के 32 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनके विवरण इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.6.2001 की जारी की गई प्रेस प्रकाशनी में निहित हैं जिसका औद्योगिक सहायता सचिवालय के वेबसाइट *(एचटीटीपी:/ /डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू. एनआईसी/आईएनडीएमआईएन)* पर भी विज्ञापन दिया जाता है।

ओलंपिक खेलों का दूरदर्शन पर प्रसारण

3968. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने सिडनी ओलंपिक खेलों के प्रसारण के लिये 15 सदस्यीय दल भेजा था?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सार्वजनिक प्रसारणकर्ताओं को खेलों के सीधे प्रसारण के सभी तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दे रहा था और दूरदर्शन को अलग–अलग स्थानों से प्रतिदिन 6 फीड मिल रहे थे;

(ग) दूरदर्शन द्वारा सभी खेल, स्पर्धाओं और गतिविधियों पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दूरदर्शन ने खर्च की गई धनराशि की वसूली कर ली थी और कुछ लाभ भी कमाया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा दूरदर्शन को वित्तीय घाटा पहुंचाने के लिये अधिकारियों की जवाबदेही तय करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ओलम्पिक, 2000 में भाग लेने वाले भारतीय खेल दल के संदर्भ में कमेंटरी सहित खेल आयोजनों की सीधे पारंपरिक कवरेज और इन आयोजनों के इसके स्पोर्ट्स चैनल पर 24 घंटे प्रसारण हेतु इसके द्वारा तीन गैर–सरकारी कमेंटटरों सहित एक दल को ओलम्पिक, 2000 को कवर करने के लिए तैनात किया गया था।

(ग) दूरदर्शन द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

1.	प्रसारण अधिकार शुल्क	11,63,68,646/-	रुपये
2.	तकनीकी लागतें	2,80,59,980/-	रुपये
3.	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	21,53,900/-	रुपये
4.	स्थान आरक्षण	62,57,156/-	रुपये
	जोड़	15,28,39,682/-	रुपये

(घ) से (च) प्रसार भारती ने बताया है कि दूरदर्शन ने 8,50,50,000/–रुपये की वसूली की है जिसमें घरेलू विपणन से प्राप्त 1.08 करोड़ रुपये का राजस्व और मैसर्स प्रीतिश नन्दी कम्युनिकेशंस प्रा. लिमिटेड द्वारा इसे सौंपे कार्य से अपने को अलग करने के फलस्वरूप उसकी नकद बैंक गारंटी से प्राप्त 7.50 करोड़ रुपये शामिल थे। दूरदर्शन के पास अल्पकालिक नोटिस पर विभागीय तौर पर विपणन की व्यवस्था करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

(छ) चूंकि विपणन प्रक्रिया को काफी समय पहले शुरू करना होता है, इसलिए एजेंसी द्वारा स्वयं को अचानक कार्य से अलग करने के कारण दूरदर्शन पूरे व्यय को वसूल करने की स्थिति मे नहीं था। घाटे के लिए जिम्मेदार एजेंसी की बैंक गारंटी का नकदीकरण करा लिया गया है। इस संबंध में किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के लिये आबंटन

3969. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष में दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर के लिये कितना बजट आबंटन किया गया है;

(ख) क्या इसे संवितरित कर दिया गया है;

(ग) यदि नही, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पिछले वर्ष की धनराशि की तुलना में परिव्यय को कम कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को पाकिस्तानी मीडिया के तीव्र भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिये स्थानीय प्रतिभाओं को शामिल करके श्रीनगर केन्द्र को उग्रवाद विरोधी कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु श्रीनगर केन्द्र के बजट को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में जानकारी है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं;

(ज) क्या चालू वित्तीय वर्ष में दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर द्वारा इसके जुड़े हुये निजी निर्माताओं, कलाकारों तथा अन्य क्षेत्रीय सृजनात्मक व्यक्तियों को उनके जीवन में उग्रवादी जोखिमों के बावजूद भी राष्ट्रवादी कार्यक्रमों के निर्माण में योगदान करने के एवज में लम्बे समय से देय धनराशि का भुगतान किया जाना है; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर के लिए गैर–योजना के अंतर्गत बजट आबंटन 1232.00 लाख रुपये तथा योजना के अंतर्गत 166.00 लाख रुपये है।

(ख) और (ग) अगस्त, 2001 तक गैर–योजना के अंतर्गत 446.25 लाख रुपये तथा योजना के अंतर्गत 166.00 लाख रुपये की पूरी राशि निर्मुक्त कर दी गई है।

विभिन्न केन्द्रों को निधियां किश्तों के औधार पर निर्मुक्त की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। आबंटन में कमी इस तथ्य की वजह से है कि दूरदर्शन (कश्मीर) के लिए कार्यक्रमों की कमीशनिंग, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली और दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर के जरिए निधियों का उपयोग करके दूरदर्शन मुख्यालय द्वारा भी की जाती है।

(च) और (छ) जम्मू तथा कश्मीर विशेष सॉफ्टवेयर स्कीम के बजट के एक बड़े हिस्से को दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर में रॉयल्टी आधार पर कार्यक्रमों का निर्माण करके तथा विभागीय तौर पर कार्यक्रमों का निर्माण करके खर्च किया जाता है।

(ज) निर्माताओं को भुगतान एक सतत प्रक्रिया है तथा यह भुगतान समय–समय पर रिकार्डों के सत्यापन होने, औपचारिक्ताओं को पूरा करने तथा निधियों के उपलब्ध होने पर किया जाता है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

शिष्टमंडल का जापान और अमरीका का दौरा

3970. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के 35 सदस्यीय बड़े मनोरंजन उद्योग शिष्टमंडल ने फेडेरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) के तत्वावधान में 10 से 20 जून, 2001 के मध्य जापान और अमरीका का 10 दिवसीय दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ये दौरे सफल सिद्ध हुए;

(ग) क्या इसने (भारतीय शिष्टमंडलों) जापानी मनोरंजन उद्योग के साथ चर्चा में भी भाग लिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या फेडेरेशन ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन उद्योग के विकास में मदद करना था;

(ङ) क्या इससे फिल्मों, टेलीविजन प्रसारण, केबल टेलीविजन और टेलीविजन सॉफ्टवेयर खंडों में सुधार होने की आशा है; और

(च) यदि हां, तो इन दौरों के पश्चात् भारत को किस सीमा तक सफलता मिली?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सुषमा स्वराज) : (क) से (च) सूचना और प्रसारण मंत्री के नेतृत्व में भारतीय वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परिसंघ (फिक्की) के प्रतिनिधि मण्डल ने 12 से 20 जून, 2001 तक जापान तथा अमेरिका का दौरा किया।

प्रतिनिधि मण्डल के जापान तथा अमेरिका दौरे का उद्देश्य भारतीय मनोरंजन उद्योग की उपलब्धियों तथा क्षमताओं का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन तथा व्यवसाय बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाना था। इस दौरे की तात्कालिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं : (1) एन. एच. के. उनके द्वारा प्रदर्शित की जा रही भारतीय फिल्मों की संख्या में वृद्धि करने में विचार कर रहा है इसलिए जापान में और अधिक भारतीय फिल्मे रिलीज होने की संभावना; (2) भारतीय कम्पनियों ने भारत में एनीमेशन कार्य करने के लिए जापानी कम्पनियों से बातचीत शुरू कर दी है; (3) अमेरिकी कम्पनियों और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा मीडिया तथा प्रसारण क्षेत्र में पूंजी लगाने में और अधिक रूचि दिखाई है; तथा (4) अमेरिका में भारतीय फिल्मों की चोरी रोकने में मोशन पिक्चर एशोसिएशन ऑफ अमेरिका (एम.पी.ए.) ने सहायता की पेशकश की है। इसके अलावा प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों को विदेशी प्रतिनिधियों के साथ परस्पर चर्चा का बड़े पैमाने पर अवसर मिले।

कश्मीर चैनल

3971. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन दूरदर्शन चैनलों के क्षेत्र–वार नाम क्या हैं जो विभिन्न आतंकवाद प्रभावित राज्यों में विखण्डनकारी और अलगाववादी प्रचार का सामना करने के लिए प्रसारित किये जा रहे हैं;

(ख) क्या इन सभी चैनलों की प्रशासनिक मशीनरी केवल कश्मीर चैनल के मामले के अलावा उन संबंधित राज्यों या क्षेत्र पर आवश्यक रूप से आधारित हैं;

(ग) क्या कश्मीर चैनल का प्रशासनिक निर्माण और परिचालनात्मक नियंत्रण श्रीनगर के बजाय दिल्ली से किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को कश्मीर चैनल के कार्यकरण के दूरस्थ नियंत्रण के कारण प्रतिभावान कश्मीरी कार्यक्रम निर्माताओं और सृजनात्मक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों और इस चैनल परकार्यक्रमों के निष्पक्ष आबंटन हेतु इच्छुक और सुपात्र व्यक्तियों के सामने आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(च) क्या वे हाल ही में श्रीनगर से बाल्टी कार्यक्रम का उद्घाटन करने और उस अवसर पर कश्मीरी चैनल के स्थानांतरण की घोषणा भी करने वाली थीं;

(छ) क्या यह प्रस्ताव कश्मीर चैनल के भीतर इसे दिल्ली में जारी रखने के इच्छुक वर्गों के तीव्र विरोध के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) सभी दूरदर्शन चैनल तथा केन्द्र राष्ट्रीय एकता को बढावा देने तथा जहां कहीं आवश्यक हो लोगों को झूठे प्रचार से रोकने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। कश्मीर चैनल सहित सभी क्षेत्रीय चैनलों/केन्द्रों से संबंधित प्रशासनिक कार्यालय संबंधित राज्यों की राजधानी में स्थित है। तथापि,

कश्मीर चैनल अन्य क्षेत्रीय चैनलों की तुलना में कार्यक्रमों को कमीशन करने में अधिक राशि खर्च करता है। चूंकि दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर के पास इतनी अधिक मात्रा में कार्यक्रमों की कमीशनिंग को संभालने के लिए आवश्यक तंत्र उपलबध नहीं हैं। अतः यह कार्य दूरदर्शन मुख्यालय से किया जा रहा है। इसके अलावा, कश्मीर में मौजूदा स्थिति को देखते हुए कश्मीर चैनल के कार्यक्रमों को समुचित रुप से प्रभावित बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक व्यापक समिति से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। वर्तमान व्यवस्था कश्मीर चैनल के लिए अपेक्षित सही प्रकार के कार्यक्रमों के निर्माण में सहायता दे रही है।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

अग्रिम आयकर

3972. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े कारपोरेट घराने अपनी कर देयता के अतिरेक में अग्रिम आयकर के रुप में विशाल धनराशि का भुगतान करते हैं और इसके फलस्वरूप इस जमा धनराशि पर दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान के कारण सरकार के राजकोष को हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो उन कॉरपोरेट घरानों/उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऐसे व्यवहार का सहारा लिया है;

(ग) इसके कारण राजकोष को कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या इन गिरोह में संलिप्त अधिकारियों को उत्तरदायी पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत उसी अवधि के दौरान जब आय अर्जित की जा रही है, 'जैसे आय अर्जित करें भुगतान करें', अर्थात् अर्जित आय पर भुगतान के सिद्धान्त पर अग्रिम कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अतः आवश्यक रुप से आय के प्राक्कलन पर आधारित है क्योंकि अन्तिम आय का पता केवल उसी समय चल सकता है जब लेखावधि समाप्त हो चुकी हो और लेखाओं को अन्तिम रुप दे दिया गया हो। विधि के उपर्युक्त उपबंधों के मद्देनजर यह कहना उचित नहीं है कि निगमित घराने केवल ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से अपनी कर देयताओं का अतिप्राक्कलन करते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक अग्रिम कर से उद्भुत होने वाली वापसियों पर भुगतान किए गए ब्याज की दर 1 जून, 2001 से प्रत्येक माह अथवा माह के किसी भाग के लिए 0.75 प्रतिशत बैठती है। दूसरी ओर अग्रिम कर का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के लिए प्रतिमाह अथवा माह के किसी भाग के लिए उदग्रहीत ब्याज की दर 1.25 प्रतिशत है। पुनश्च वापसी पर ब्याज का परिकलन कर निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से किया जाता है न कि अग्रिम कर के भुगतान की तारीख से, जहां अग्रिम कर का भुगतान न करने अथवा कम भुगतान करने अथवा इसे स्थगित करने के लिए उसी निर्धारित तारीख से उच्च ब्याज लगाया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि इस सिद्धांन्त पर कि धन का उपयोग राजकोष द्वारा किया गया था, अग्रिम कर की अतिरिक्त राशि पर सांविधिक ब्याज का भुगतान किया जाता है। अतः इसे हानि के रूप में नहीं समझा जाता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं

3973. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में भारतीय सीमेंट निगम द्वारा चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं को शुरू करने में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) सीसीआई ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, सीमेंट के उत्पादन के लिए कोई नई परियोजना नहीं चलाई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य पिछड़ा वर्ग की बकाया रिक्तियां

3974. श्री पी. डी. एलानगोवनः क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बी.एच.ई.एल. और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग की बकाया रिक्तियों को भरने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांगों के आरक्षण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सख्ती से करने की सलाह दी गई है। बहरहाल, बी. एच. ई. एल. तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के के पदों पर भर्ती तथा साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों की बकाया रिक्तियों को भरने का कार्य संबंधित सरकारी उपक्रमों के प्रबंधन के विचार–क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और बकाया रिक्तियों से संबंधित जानकारी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभापटल पर रखे गए पत्र

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2001–2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी. 3987/2001)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): महोदय, मैं डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 47 की उपधारा (4) के अन्तर्गत डिजाइन नियम, 2001, जो 11 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 414 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनका शुद्धि–पत्र, जो 29 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 475 (अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी. 3988/2001)

वित्त मंत्री (श्री यशवनत सिन्हा) : महोदय, मैं श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2001, जो 3 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओः पीआरएसः लीगलः एमआईएससीः 3513ः एसकेः 2के–01 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2001, जो 31 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3932 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2001, जो 7 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनबी/डीएसी/पी–2/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 7 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएल/डीएसी/पी–2/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 28 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफए XI/एसटी/डीएम/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2001, जो 5 मई, 2001 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई आर डी/184/06 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 12 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच. ओ./ लीगल/0053 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2001, जो 12 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टी.बी.डी. : पी.सी. 2000–01 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 19 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./ लीगल/ 0091 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 2 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1384/पीडीः आईआरडी (ओ)/ 0089/ रेग. 18 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन विनियम, 2001, जो 2 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 1385 / पीडीः आईआरडी (ओ)/0089/रेग. 6 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) यूको बैक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2001, जो 2 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएस आर/1/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कारपोरेशन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 2 जून 2001 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या पीएडीः आई आरः ओएसआरः संशोधन 47: 2001–2002 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) कारपोरेशन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 2 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडीः आईआरः ओएसआर संशोधन 48: 2001–2002 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 9 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/आई आर डी 975/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 16 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआरएस. 124 (सी): 1101: एनएके में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2001, जो 16 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.आई.आर. डी/184/29 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 16 जून, 2001 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या आईआरडी/184/32 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2001, जो 16 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्सआई/एसटी/ओएसआर/3169 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 23 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएलः 2000–3 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन), विनियम, 2001, जो 7 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 3 (बी)/17.5. 2001 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 3989/2001)

(2) सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का. आ. 73 (अ), जो 25 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का. आ. 74 (अ), जो 25 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का. आ. 159 (अ), जो 23 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का. आ. 160 (अ), जो 23 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का. आ. 278 (अ), जो 27 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का. आ. 279 (अ), जो 27 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कुछेक विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का. आ. 353 (अ), जो 25 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कुछेक विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का. आ. 354 (अ), जो 25 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कुछेक विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का. आ. 469 (अ), जो 28 मई 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कुछेक विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का. आ. 470 (अ), जो 28 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कुछेक विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का. आ. 587 (अ), जो 26 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कुछेक विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का. आ. 588 (अ), जो 26 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कुछेक विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का. आ. 709 (अ), जो 26 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कुछेक विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का. आ. 710 (अ), जो 26 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कुछेक विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का. आ. 748 (अ), जो 3 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें उल्लिखित तीन विनिर्दिष्ट उत्पादों के लिए उनका आयात करने पर मूल्यानुसार आधार पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क का निर्धारण करने के लिए उनका मूल्य निश्चित करने के प्रयोजनार्थ टैरिफ मूल्य निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 3990/2001)

(3) सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 562 (अ), जो 30 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ में उद्भुत या वहां से निर्यातित थियोफिलीन तथा कैफीन पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा सस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 563(अ), जो 30 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 9/2001 सी.शु. को निरसत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 570(अ), जो 2 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित भारत में आयतित विनिर्दिष्ट शुष्क बैटरियों पर प्रतिपादन शुष्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 571(अ), जो 2 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 फरवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 14/2001 सी. शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रथ्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 3991/2001)

(4) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्न–लिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा–पुनर्बीमा) विनियम, 2000, जो 23 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. आई.आर. डी.ए./आरईजी/12/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 31 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफआईआरडीए/रेग/5/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखाओं और रिकार्डों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2000, जो 26 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां.का.नि. 459 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 3992/2001)

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप–धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534 (अ), जो 16 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 5/2001–के.उ.शु. (एन.टी.) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 3993/2001)

(6) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा निवेश सलाह (संशोधन) विनियम, 2001 जो 29 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 476 (अ.) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 7 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 501 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) (संशोधन) विनिमय, 2001 जो 12 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 515 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूच्युअल फंड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001 जो 23 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 698 (अ) में प्रकाशित हुए हैं।

(ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 3994/2001)

(7) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के 31वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 3995/2001)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:–

(1) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के अंतर्गत जारी चाय भांडागार (अनुज्ञापन) संशोधन आदेश, 2001, जो 23 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 697 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 3996/2001)

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) स्पाइसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पाइसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 3997/2001)

(3) (एक) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिटयूट, नोएडा के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थाल में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 3998/2001)

(5) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं के शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 3999/2001)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एके) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 4000/2001)

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

(एक) अखिल भारत पेट्रोलियम व्यापारी संघ द्वारा घोषित पेट्रोलियम उत्पादों का 'कोई खरीद नहीं–कोई बिक्री नहीं' अभियान

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, अखिल भारत पेट्रोलियम व्यापारी संघ (एफ.ए.आई.पी.टी) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों के कमीशन, गुणवत्ता, तापमान अन्तर भत्ते आदि से संबंधित कतिपय मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए सरकार पर दबाव डालता रहा है। संघ सरकार ने एफ.ए.आई.पी.टी. के परामर्श से विभिन्न मुद्दों की विस्तार से जांच करने के लिए तीन समितियों का गठन किया था । गुणवत्ता मुद्दों और तापमान अन्तर भत्तों संबंधी समितियों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। डीलरों के कमीशन संबंधी रिपोर्ट अन्तिम चरण में है और इसके शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। मंत्रालय एफ.ए.आई.पी.टी. की मांगों की जांच कर रहा है। डीलरों के कमीशन में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है। इस बार भी इसमें उचित जांच और विश्लेषण के बाद संशोधन किया जाएगा।

जैसा कि समाचार पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुका है, एफ.ए.आई.पी.टी. ने 19.8.2001 की मध्य रात्रि से *"कोई खरीद नहीं–कोई बिक्री नहीं"* अभियान का नोटिस दिया था। यदि *"कोई खरीद नहीं – कोई बिक्री नहीं"* अभियान का आहवान मूर्त रूप ले लेता, तो हड़ताल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती जिसमें तेल विपणन कंपनियों नामतः इण्डियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बी.पी.सी.एल.) और आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड ने 19.8.2001 की मध्य रात्रि से मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की बिक्री बन्द कर दी होती। यह डर था कि जनसाधारण के लिए मोटर स्पिरिट और हाई डीजल की आपूर्ति अस्तव्यस्त हो जाती। इसलिए, मैंने इन घटनाओं का पुनरीक्षण करने के लिए तेल विपणन कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों और विपणन निदेशकों की 6.8.2001 को बैठक बुलाई थी। उसके बाद तेल विपणन कंपनियों के विपणन निदेशकों ने उक्त मुद्दों को सुलझाने के लिए एफ.ए.आई.पी.टी. के साथ तीन दौर की वार्ताएं की थीं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर आपूर्ति का रख–रखाव करना सरकार की जिम्मेदारी है, मैंने इस संभाव्यता को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के विषय में चर्चा करने के लिए 10 अगस्त, 2001 को राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) तथा तेल विपणन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक बैठक भी आयोजित की थी। इस बैठक के दौरान राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने आश्वस्त किया था कि वे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आन्दोलन अवधि के दौरान मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो, में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।

इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/जिला प्रशासनों तथा तेल कंपनियों के द्वारा अपनाये जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक "आकस्मिकता योजना" तैयार की गई थी ताकि आन्दोलन की अवधि के दौरान मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति बनाई रखी जा सके।

"आकस्मिकता योजना" के तहत जिला कलक्टरों को तेल कम्पनियों के स्वामित्व और प्रचालन वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों, उपभोक्ता पम्पों, तेल कंपनियों के डिपुओं में वितरण सुविधाओं, संस्थापनाओं/टर्मिनलों, एल.पी.जी. भरण संयंत्रों और पाइपलाइन टैप–आफ–बिंदुओं के माध्यम से आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाने और डीलर द्वारा प्रचलित ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों को कब्जे में लेने की सलाह दी गई थी जो नगरों,राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, तीर्थों पर्यटक केन्द्रों आदि में स्थित हैं और इन्हें तेल कम्पनियों के माध्यम से प्रचालित करने के लिए कहा गया था।

मुझे आज यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एफ.ए.आई.पी.टी. ने *"कोई खरीद नहीं–कोई बिक्री नहीं"* अभियान को त्यागने पर सहमति व्यक्त की है और अब मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की सामान्य आपूर्ति में किसी प्रकार की रूकावट की आशंका नहीं है और लोगों को इन पेट्रोलियम उत्पादों की अपनी दिन–प्रति–दिन की जरूरतों को पूरा करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने एफ.ए.आई.पी.टी. को यह आश्वासन दिया है कि उनके हितों पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा।

---

* ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4001/2001

अपराह्न 12.07 बजे

[हिन्दी]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूँ कि सोमवार, 20 अगस्त, 2001 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगाः–

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद द्वितीय अध्यादेश, 2001 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद विधेयक, 2001 पर विचार और पारित करना;

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करनाः–

   (क) संविधान (91 वां संशोधन) विधेयक, 2000

   (ख) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001

4. निम्नलिखित मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयकों की पुरःस्थापना, विचार और पारित करनाः–

   (क) वर्ष 2001–2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य)

   (ख) वर्ष 2001–2002 के लिए मणिपुर की अनुदानों की मांगे (लेखानुदान)

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :–

   (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2001

   (ख) प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2001

   (ग) व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001

6. रेल अभिसमय समिति (1999) द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में "वर्ष 2001–2002 के लिए लाभांश की दर और अन्य आनुषंगिक मामलों" पर की गई सिफारिशों की स्वीकृति चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाएः–

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अधिकांश मिलें बंद हैं। मजदूरों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है। राष्ट्रीय वस्तु निगम की 76 मिलों को फिर से चालू करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

(दो) जूट पैकेज (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रभाव को कम करने का कोई इरादा नहीं है। संबंधित अधिसूचना 30 जून को समाप्त हो चुकी है। उक्त अधिसूचना की अवधि बढ़ाने हेतु कदम उठाये जाने चाहिए। ताकि जूट उद्योग तथा जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द चौहान (श्री गंगा नगर) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाएः–

1. कपास के भावों में लगातार गिरावट हो रही है जिससे कृषक मानसिक तौर पर परेशान हैं। इसके लिए सरकार भावों में बढोत्तरी कर मूल्य निर्धारित करें।

2. देश में बढ़ती बेराजगारी पर चर्चा की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाएः–

(एक) मात्रात्मक प्रतिबंधों तथा किसानों की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा पर इनके दुस्प्रभावों को समाप्त करना; तथा

(दो) सभी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना।

श्री एम. चिन्नासामी (करुर) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:–

"महिलाएँ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकारों की हकदार हैं। तथापि संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने संबंधी 'महिला आरक्षण विधेयक' इस सभा में लंबित है। अतः इस पर चर्चा करके इसे पारित किया जाना चाहिए।"

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:–

(एक) भारत के किसानों से जुड़े गंभीर विषयों को नवम्बर में दोहा में विश्व व्यापार संगठन के चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाकर कृषि संबंधी समझौते में आवश्यक तथा अनुकूल संशोधन कराना। गत सप्ताह सरकार ने भी इस पर सहमति जतायी थी; और

(दो) समान रैंक के लिए एक समान पेंशन तथा भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अन्य मुद्दों सम्बन्धी मांग जो लंबे समय से चली आ रही हैं को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता है।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:–

(एक) ओ. सी. बी. तथा एफ. आई. आई. उप–खातों के दुरूपयोग को रोकने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक नीति; और

(दो) छोटे निवेशकों के हित की रक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपाय।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:–

(एक) उड़ीसा की सभी पांच नदियों को शामिल कर बाढ़ नियंत्रण हेतु मास्टर प्लान।

(दो) विश्व व्यापार संगठन के आगामी दौर की वार्ता के दौरान कृषि, श्रम तथा पर्यावरण के संबंध में भारत का दृष्टिकोण।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किया जाए:–

1. जम्मू एवं कश्मीर में लागू धारा 370 की समीक्षा करके भारत वर्ष के अन्य प्रान्तों के नागरिकों को मूल निवासी अधिकार देने की आवश्यकता।

2. भारतीय जेलों में 60 वर्ष से या 60 वर्ष अधिक के सजा काट रहे वृद्धों की जेल से मुक्ति के लिए कानून बनाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:–

(एक) शार्क मछली का निर्यात करने के उद्देश्य से भारत के तटीय समुद्र में बड़े पैमाने पर शार्कों को मारे जाने, जिससे ब्हेल प्रजाति की मछलियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है; से संबंधित विषय पर चर्चा; और

(दो) हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में भारी वर्षा के कारण आई भीषण बाढ़ तथा भारत की नदियों में बडे पैमाने पर गाद जमने तथा इन्हीं विषयों के संबंध में नेपाल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने संबंधी विषयों पर चर्चा।

अध्यक्ष महोदय : डा. वी. सरोजा–अनुपस्थित।

....(व्यवधान)

श्री के. येरननायडु (श्री काकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी है। यह अति महत्वपूर्ण विषय है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ।

....(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने वित्त मंत्री के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणियां की हैं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने विशेषाधिकार हनन संबंधी प्रस्ताव की सूचना दी है।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया : उसके संबंध में मैंने प्रिविलेज मोशन सबमिट किया है। मेरी प्रार्थना है कि वह ऐडमिट किया

जाए। फाइनैंस मिनिस्टर को नोटिस दिए बगैर लुटेरा कहना, चोर कहना, मारकोस की तरह भाग जाएगा, उन्होंने करोड़ों रुपये यू.टी.आई. में से ले लिए।

[अनुवाद]

ये सभी विषय नियम सं. 352 तथा 353 के अन्तर्गत आते हैं। यह विशेषाधिकार हनन का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया, मुझे यू.टी.आई., यू.एस.–64 योजना के बारे में 2 अगस्त, 2001 को चर्चा के दौरान डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, संसद सदस्य द्वारा वित्त मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरूद्ध की गयी अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में उनके विरुद्ध आपके द्वारा दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुयी हैं। यह विषय मेरे विचाराधीन है।

अब 'शून्य–काल' शुरू होगा।

.....(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैंने रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में सूचना दी है....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ हमारा सेंसर मोशन है। फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ हमारा निन्दा प्रस्ताव है। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा। मैं एक–एक करके बुलाऊंगा। पहला नाम हरीभाऊ शंकर महाले का है।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। बडालीभोई गांव तहसील चांदवाड़, डिस्ट्रिक्ट नासिक, महाराष्ट्र में आता है। इस गांव के बीच से आगरा मुम्बई रोड जाती है, इससे यातायात में बहुत कठिनाई होती है। वहां हर साल एक्सीडेंट होते हैं और उससे 3–4 बच्चे मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं और कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। भारत सरकार से मेरी प्रार्थना है कि भयाड़ी होकर यह रास्ता कर दिया जाये, ताकि लोगों को सुविधा हो सके।

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 1998 को देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम दस वर्षों में 10 करोड लोगों को रोजगार देंगे। यही संकल्प राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी दोहराया गया था। उन्होंने इसके लिए टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की और कहा गया कि....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजी लाल समुन, यह विषय इसी सप्ताह 16 अगस्त, 2001 को उठाया गया था।

[हिन्दी]

बार–बार ऐसा कैसे होगा?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : पिछले तीन दिन से यही बात हो रही है।

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी का सवाल बहुत गम्भीर सवाल है। यह सरकार कुछ नहीं कर रही है और सदन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने यह इश्यू रेज किया है।

श्री रामजीलाल सुमन : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलिये।

श्री रामजी लाल सुमन : मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स गठित किया गया था, उसे जुलाई, 1999 में अपनी रिपोर्ट देनी थी। दो साल बाद वह रिपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट का लब्बोलुआब यह है कि रोजगार का सृजन नहीं होगा, बल्कि रोजगार घटाने का व्यवस्थित प्रयास होगा। यह अत्यधिक गम्भीर मामला है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। 90 के दशक में रोजगार चाहने वालों की संख्या दो से ढाई प्रतिशत तक बढी है, जबकि रोजगार के अतिरिक्त अवसर एक प्रतिशत से भी कम बढ़े हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है, लेकिन सरकार देश को गुमराह कर रही है। हिन्दुस्तान में लोगों को व्यवस्थित रूप से रोजगार देने का कोई कार्यक्रम इस सरकार के पास नहीं है।

मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, उसकी समीक्षा इस सदन में होनी चाहिए।

अपराह्न 12.17 बजे

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में विशेष सलाहकारों की भूमिका के बारे में

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, सरकार का तथा पूरी सभा का ध्यान देश की सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

सरकार की ओर से रक्षा मंत्री ही रक्षा विषयों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। यही सुस्थापित परंपरा है। यह भी सही है कि सेवा प्रमुखों को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करना होता है। इसके अलावा मान्यता के अनुसार इन्हें किसी और प्राधिकारी को रिपोर्ट नहीं करना होता है।

इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट छपी है। जिसके बारे में सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है। सरकार ने न ही इसका खंडन किया है और न ही इनकार किया है। इसी कारण मैंने इस विषय को सभा में उठाया है ताकि सरकार उसका जवाब दे। 13 अगस्त के 'द एशियान ऐज' में रिपोर्ट छपी है कि रक्षा मंत्रालय में कार्यरत विशेष कार्य अधिकारी श्री अरूण सिंह ही वास्तविक रक्षा मंत्री के रुप में कार्य कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएँ। क्या आप इसका उत्तर देंगे?

...(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, क्या आप उन्हें समाचार पत्र की रिपोर्ट पर यहां बहस की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। चाहें संबंधित मंत्री यहां हैं और उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यदि सरकार कुछ जानकारी दे तो हम आभारी होंगे। ....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बिना किसी संवैधानिक अधिकार के ही श्री अरूण सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ साप्ताहिक बैठकें करते हैं। उनकी पहुंच मंत्रालय के प्रत्येक फाइल तक है और ये ही सभी महत्वपूर्ण फैसले करते हैं... *(व्यवधान)* तहलका मामला उजागर होने के बाद सारा देश जानता है कि रक्षा मंत्रालय में क्या हो रहा है। हम सरकार के आभारी होंगे यदि वह यह बताए कि क्या उक्त संविधानेत्तर अधिकारी की पहुंच फाइलों तक है। सेना के तीनों प्रमुखों की बैठक में केवल रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री तथा रक्षा सचिव शामिल हो सकते हैं। दूसरा और कोई नहीं।

स्थापित मान्यता यही है। कोई विशेष कार्य अधिकारी अथवा सलाहकार चाहे वह श्री अरूण सिंह की हैसियत का ही क्यों न हो – उक्त बैठकों में कैसे हिस्सा ले सकता है? सरकार को इसका उत्तर देना पड़ेगा। माननीय रक्षा मंत्री कृपया स्थिति को स्पष्ट करें। हम लोगों ने अपनी पार्टी की ओर से इस विषय में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखा है। इस विषय को हल्के ढ़ंग से नहीं लिया जाना चाहिए। तहलका मामले के बाद राष्ट्र यह भी जानना चाहता है कि साउथ ब्लाक स्थित रक्षा मंत्रालय में और क्या–क्या हो रहा है।

अतः यदि सरकार इन बातों का उत्तर देती है तो अच्छी बात होगी। अन्यथा, मेरा आपसे अनुरोध है कि हम लोगों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार किया जाए क्योंकि तब सरकार को स्पष्ट उत्तर देना होगा। हम देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी संविधानेत्तर अधिकारी को रक्षा मंत्रालय के अन्दर बैठकों से भाग लेने अथवा सेना प्रमुखों के साथ बैठकें करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : रक्षा मंत्रालय के सारे कार्यों में जो भी सदस्य उपस्थित रहते हैं, वे भारतीय संविधान और भारत के सभी कानूनों के अंतर्गत, जिनको अनुमति है, वही उपस्थित रहते हैं।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में कोई भी संविधानेत्तर प्राधिकारी नहीं है। रक्षा मंत्रालय का पूरा काम काज नियमों तथा स्थापित परिपाटियों के अनुकूल हो रहा है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री के. येरननायडु अपना विषय रखेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री अरूण सिंह को विशेष सलाहकार यो ओ. एस. डी. नियुक्त किया गया है। यदि हां, तो क्या वह ऐसी बैठकों में जा सकते हैं। मेरा प्रश्न यह था। वह इसे अस्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अरूण सिंह जी, राजीव गांधी जी के सबसे नजदीकी दोस्त थे। आज इनको क्या हो गया है? ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आपको अचानक यह क्या हो गया? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उससे क्या होता है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृपया कोई व्यक्तिगत मुद्दों को उठाने की कोशिश मत कीजिए। मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले की बात कर रहा हूं, जिसमें औचित्य का मुद्दा अन्तर्निहित है। मैं आग्रह करता हूं कि कृपया हमारी ध्यानाकर्षण सूचना को स्वीकार करें और सरकार को उस पर पूरा जवाब देना चाहिए। महोदय, हमने नोटिस दिया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है कि कालिंग एटेन्शन का मामला सदन में नहीं उठाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जी, हां, हम आग्रह करते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री श्री जसवंत सिंह सभा में आएं और मुद्दे पर स्पष्टीकरण दें। यह पूरे सदन की चिन्ता है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, प्रश्न बहुत स्पष्ट है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस विषय को हल्के–फुल्के ढंग नहीं लिया जाना चाहिए। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ....*(व्यवधान)* इसे हल्के–फुल्के ढंग से मत लीजिए, इसे कुछ गंभीरता से लिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने श्री येरननायडू को बुलाया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुद्दा उठा लिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमने मुद्दा उठाया है। लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। महोदय, सरकार ने मेरे स्पष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या श्री अरूण सिंह को विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया है और क्या उन्हें रक्षा सेवाओं के प्रमुखों की फाइलें दिखाई जाती हैं और क्या वह इनकी बैठकों में जा सकते हैं। ....*(व्यवधान)* ...

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी जी, आज सप्ताह का आखिरी दिन है। मेरे पास चालीस नोटिस हैं। आपने यह मुद्दा उठाया था और सरकार ने इसका जवाब भी दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सरकार ने उस विशिष्ट प्रश्न पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : उन अन्य माननीय सदस्यों का क्या होगा जो अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अन्य माननीय सदस्यों को भी अवसर मिलेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे उठा लिया है। मैं समझता हूं कि आपने अध्यक्ष पीठ से भी इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में शामिल करने के लिए कह दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने एक वास्तविक मुद्दा उठाया है। सरकार ने उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। सरकार किसी विशिष्ट प्रश्न को टाल नहीं सकती।

अपराह्न 12.21 बजे

[अनुवाद]

देश में मछुआरों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी जी, कृपया श्री येरननायडू जी को बोलने दीजिए।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, नौ

राज्यों के लाखों मछुवारों में अपनी समस्याओं और तकलीफों के संबंध में एक ज्ञापन भारत सरकार को दिया है। मछुवारा समुदाय और उनके नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करने के बाद भारत सरकार ने मुरारी समिति गठित की और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। लेकिन सरकार ने अब तक उस रिपोर्ट की किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया है।

पिछली मध्यरात्रि से मछली पकड़ने की लगभग 3,600 नौकाओं ने आंध्रप्रदेश के पूरे तट पर विशाखापटनम, मछलीपटनम, निजामपटनम काकीनाडा से नेल्लौर तक मत्स्यन गतिविधियां रोक दी है। लगभग एक लाख परिवार मछली के कारोबार पर निर्भर है। भारत सरकार ने हाल ही में बर्थ प्रभार भी 200 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। भारत सरकार ने विदेशी पोतों को भी हमारी समुद्री जल सीमा में मछली पकड़ने के लाइसेंस दे दिए हैं। इसीलिए हमारे मछुवारों को मछलियां नहीं मिल पा रही हैं।

महोदय, हमारे मछुवारों ने काफी धन का निवेश किया हुआ है। उन्होंने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया हुआ है। आज स्थिति यह है कि लगभग 3,600 नौकाओं के मालिक हड़ताल पर चले गए हैं। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी को यहां आकर इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए। यह गंभीर स्थिति है। मुरारी समिति ने अपनी रिपोर्ट काफी पहले दे दी है।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, माननीय सदस्य की तरह मेरा भी यही दृष्टिकोण है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई नोटिस दिया है?

श्री के. येरननायडू : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पर ध्यान दें।

यह मामला किसी एक व्यक्ति से संबद्ध नहीं है। यह लाखों लोगों से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में हजारों किलोमीटर लम्बा समुद्र तट है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अशोक अर्गल बोलेंगे... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सरकारी प्रवक्ता इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे ...*(व्यवधान)* वह सरकार की ओर से हरेक मामले का जवाब दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह मामला लाखों मछुवारों से संबंधित है।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि शून्यकाल में जो विषय उठाये जाते हैं, उन पर तुरंत उत्तर देना मुमकिन नहीं होता। ...*(व्यवधान)* लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि शायद शिपिंग मिनिस्ट्री से इसका संबंध नहीं है, यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से संबंधित विषय है। आपने जो विषय रखा है, वह कृषि मंत्रालय से संबंधित है। और मैं इस संबंध में बातचीत करूंगा।....*(व्यवधान)*

श्री अशोक अर्गल (भुरैना) : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड रहा है। मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के किसान जो कनैक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें समय पर कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं। पांच–पांच, दस–दस साल से वेटिंग लिस्ट चल रही है। मध्य प्रदेश में एक भी मेगावॉट बिजली का उत्पादन नहीं किया गया है। वहां कई कई किलोमीटर बिजली की तारें नहीं हैं सब वहां पर चोर ले जाते है पुलिस व्यवस्था वहां बिल्कुल ढीली हो गई है और किसान काफी परेशान हैं। रात को ट्रांसफॉर्मर चोरी कर लिये जाते हैं। परंतु सरकार की ओर से कुछ भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)* वहां बिजली की विशेष व्यवस्था की जाये जिससे किसानों को भविष्य में बिजली के संकट से जूझना न पड़े। वहां कम्प्यूटराइज्ड मीटर लगाए जा रहे हैं जिससे किसानों में काफी रोष है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बिजली की समस्या को देखते हुए वहां पर इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जाये राज्य सरकार को चेतावनी दी जाये और किसानों की समस्याएं हल की जाएं।.... *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.27 बजे

बिहार के लिए आर्थिक पैकेज के बारे में

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, पिछले साल नवम्बर माह में माननीय प्रधान मंत्री जी से बिहार के सभी

सांसद और बिहार से जो मंत्री आये हुए हैं, वे सभी लोग मिले थे और मिलकर बिहार को इकॉनोमिक पैकेज देने के लिए मांग की थी और स्मारक पत्र जमा किया था। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। बिहार विभाजन के बाद बिहार की आर्थिक हालत खराब है। ...*(व्यवधान)* जहां दो तिहाई आबादी बिहार की तरफ है, एक तिहाई आबादी झारखंड की तरफ है। जबकि दो तिहाई आमदनी झारखंड की तरफ है। एक तिहाई बिहार की तरफ रह गई और वित्त मंत्री ने कहा है कि पंचम वेतन आयोग के बाद, उसे लागू करने के बाद राज्य सरकार की वित्तीय हालत और खराब हो गई है। ...*(व्यवधान)* बिहार की वित्तीय हालत पहले से ही खराब थी, इसीलिए उस स्मारक पत्र में जिक्र था कि बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाये। दूसरे, बिहार के पास केन्द्र का जो 10,000 करोड़ रुपये का कर्जा है, उसे माफ किया जाये। तीसरे, बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाये लेकिन नये राज्य में केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड को नये राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा दिया लेकिन बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और बिहार हर साल अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के कारण बाढ़ और सुखाड़ दोनों से तबाह हो रहा है। बिहार की 8 करोड़ 20 लाख की आबादी जिसमें किसान, मजदूर दलित, पिछड़े और गरीब लोग बसते हैं, उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, इसीलिए मैं मांग करता हूं कि बिहार को इकॉनोमिक पैकेज दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, वह पहली बार सच बोल रहे हैं। अतः मैं इनकी बात से सहमत हूं। मेरा भी यह दृष्टिकोण है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप उनसे अपनी सहमति जता सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि उस इकोनॉमिकल पैकेज का क्या हुआ, उन मांगों का क्या हुआ?....*(व्यवधान)* मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार विशेष ध्यान दे नहीं तो बिहार एक सोये हुए शेर के समान है। ...*(व्यवधान)* बिहार लड़ना भी जानता है और हम लड़कर भी अपना अधिकार लेना जानते हैं।...*(व्यवधान)* इसीलिए केन्द्र सरकार स्पष्ट करे और सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, वे इस पर रिएक्ट करें कि उस इकॉनोमिकल पैकेज का क्या हुआ, कर्जा माफी का क्या हुआ और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में क्या हुआ? ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, आप भी अपने आपको उनसे संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : हम भी इसके साथ एसोशिएट करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। चूंकि बिहार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। ...*(व्यवधान)* वहां के 6 महीना बाढ और 6 महीना सुखाड़ रहता है, इसीलिए विशेष परिस्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार नॉर्थ–ईस्ट जैसी हालत में है और उससे भी खराब हालत बिहार की होने वाली है। किसानों के ऋण को भी माफ करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।....*(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : महोदय, इस विषय पर केन्द्रीय सरकार को जवाब देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्यों ने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का समर्थन किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सेठ जी, कृपया एक मिनट रूकिए, मंत्री जी बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के विभाजन के बाद झारखण्ड अलग होने से ज्यादातर संसाधन झारखण्ड में चले जाने के कारण ....*(व्यवधान)* रघुवंश प्रसाद जी, देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्रीमती श्यामा सिंह, श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्य माननीय सदस्यों का जो कहना है, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं, विभाजन के पहले जो संसाधन बिहार के पास थे, विभाजन के बाद दो–तिहाई लोक संख्या बिहार में है और दो–तिहाई संसाधन झारखण्ड में चले गए हैं। इस कारण निश्चित रुप से वित्तीय संकट का प्रश्न बिहार खडा हुआ है। जैसा देवेन्द्र प्रसाद जी ने कहा, इसके साथ–साथ बाढ़ और अकाल के चक्र के कारण भी समस्यायें खड़ी हुई हैं।

केन्द्रीय सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। ...*(व्यवधान)* इससे ज्यादा मैं खड़े होकर क्या कह सकता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

*....(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : जो विषय उठाया गया है, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को प्रधान मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, मैं न केवल लोक महत्व के बल्कि राष्ट्रीय महत्व के भी मद्दे को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत सरकार देश में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के प्रति काफी उदासीन है। *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी जी, मैं बोल रहा हूं। श्री रामानन्द सिंह जी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, सरकार देश में उर्वरक कारखानों के पुनरूद्धार के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। उर्वरक देश में कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। सरकार ओमान में एक उर्वरक कारखाना लगाने की योजना बना रही है और उर्वरक वहां से आयात किया जाएगा। इससे स्वदेशी उर्वरक उद्योग तबाह हो जाएगा और उर्वरक कारखाने या तो बंद करने पड़ेंगे या वे रूग्ण हो जाएंगे।

महोदय, भारत सरकार ने उर्वरक नीति घोषित नहीं की है। यह अब लाखों कृषि कामगारों के लिए महत्वपूर्ण है जो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कृषि का विकास हमारे आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निमाण ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उर्वरक, एककों को बंद करने के नोटिस जारी किए हैं। जिनमें हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के हल्दिया और दुर्गापुर एकक शामिल हैं।

महोदय, मैं सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों के पुनरूद्धार के संबंध में माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री जी का हस्तक्षेप चाहता हूं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में यूरिया उत्पादन करने वाला संयंत्र नहीं है। दुर्गापुर एकक को बंद कर दिया गया है और हल्दिया एकक को भी बंद कर दिया जाएगा। मैं इस मामले में मंत्री महोदय का हस्तक्षेप चाहता हूं ताकि दुर्गापुर और हल्दिया स्थित सरकारी उर्वरक कारखानों का पुनरूद्धार किया जा सके। यह देश में कृषि के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह उर्वरक उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे है। देश में कृषि को जीवित रखने के लिए यूरिया एक आवश्यकता है। लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से उदासीन है। कारखाने या तो रूग्ण हो रहे हैं या उन्हें बंद किया जा रहा है। अब उर्वरक विदेशों से उन देशों द्वारा निर्धारित दामों पर आयात करना होगा और सरकार ऐसा ही कर रही हैं। सरकार चुप बैठी है।.....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय सात उर्वरक कारखाने बंद कर दिए गए हैं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री विष्णुदत्त के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। वे भी इस सदन के सदस्य हैं।

*....(व्यवधान)**

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : महोदय, मैं गत तीन वर्षों से हाउस को सूचित कर रहा हूं कि चेनाब नदी के कारण जब

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वर्षा में बाढ़ आती है तो इस नदी के पानी का रूख बदलने के कारण इसके दोनों किनारों पर प्रतिवर्ष कितने ही गांव बह जाते हैं। किसान बेकार हो जाते हैं और फसल भी बर्बाद हो जाती है। जब हम केन्द्र सरकार से कहते हैं कि बाढ़ के पानी के रुख को बदला जाए तो फंड का अभाव दर्शाते हैं, कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। अगर केन्द्र सरकार बाढ़ के कारण बहने वाले गांवों को नहीं बचाएगी, इस वर्ष भी बहुत बड़ी बाढ़ है और उस कारण कई गांव और उन लोगों को जमीनें बह रही हैं। पिछले वर्षों में उजड़े हुए लोगों और उन किसानों को अभी तक आबाद नहीं किया जा सका। आज वे भुखमरी के कगार पर हैं।

महोदय, मेरा आग्रह है कि इस वर्ष केन्द्र सरकार कोई मजबूत कदम उठाए और उन लोगों को बहने से बचाए।... *(व्यवधान)* यहां पहले से ही बेरोजगारी और भुखमरी है, यह और बढ़ जाएगी। इन हालात में केन्द्र सरकार को आगे बढ़ कर, वहां धन देकर बहने वाले गांवों के लोगों और उनकी जमीनों को बचाना चाहिए ताकि वे लोग बेरोजगारी और भुखमरी से बच सकें।

[अनुवाद]

श्री बलबीर सिंह (जालंधर) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जालंधर, पंजाब में सतलुज नदी पर सड़क–सह–रेल पुल है। यह पुल सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पाकिस्तान की सीमा के साथ महत्वपूर्ण संपर्क है। इस पुल की मियाद समाप्त हो गई है। इस पुल के काफी पुराना होने और खश्ताहाल होने के कारण उससे गुजरने वालों का जीवन खतरे में है। हाल ही में एक पुराने पुल के टूट जाने के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना सो रहे प्राधिकारियों के लिए संकेत और आंखें खोलने वाली घटना है।

अपराह्न 12.41 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

यह सड़क–सह–रेल पुल सुबह सात बजे से शाम को सात बजे तक बंद रहता है। इस वजह से आपात काल में लोगों को अत्यधिक असुविधा होती है।

[हिन्दी]

लोगों में डर है कि कब यह ब्रिज गिर जाएगा। रात को यह ब्रिज बंद हो जाता है। पूरे देश में यही ऐसा रेल–कम–रोड ब्रिज है। अब यह कंसैप्ट ही नहीं है। वहां पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अथॉरिटीज से मेरी विनती है कि इस ब्रिज को रिप्लेस किया जाए। रेल के लिए अलग से और रोड़ के लिए अलग से ब्रिज हो, यही मेरी विनती है।

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु पुलिस द्वारा 12 अगस्त को पत्रकारों पर हमला किया जाना अत्यधिक निन्दनीय और तमिलनाडु के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, इस घटना की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया है।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : लगभग सभी पत्रकारों ने इस हमले की निंदा की। उन्होंने भूख–हड़ताल की और परसों सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जिसमें यह मांग की गई कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच करायी जाये और दोषी लोगों को दंडित किया जाये।

श्री पी. एच. पांडियन : यह राज्य का विषय है। वे इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पांडियन जी, माननीय सदस्य ने जो विषय दिया है, वह है 'तमिलनाडु में प्रेस की स्वतंत्रता'।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : हमारी द्रमुक पार्टी प्रेस की स्वतंत्रता में पूरा विश्वास करती है। हम पत्रकारों की मांग का समर्थन करते है। और गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं कि वह प्रेस को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से इस घटना की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कराने के लिए कार्यवाही करें।

श्री पी. एच. पांडियन : यदि यहां राज्य सरकारों के कार्यकरण पर वाद–विवाद किया जाएगा तो फिर उनके अस्तित्व का औचित्य ही क्या रहेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : पांडियन जी, इस चर्चा का विषय है, 'तमिलनाडु में प्रेस की स्वतंत्रता'। मैं यह जानने के लिए संबंधित रिकार्ड देखूंगा कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं कही है।

***श्री पी. मोहन (मंदुरै)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में मंडपम में स्थित 'सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट' के

**मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रति अपनाये गए उदासीन रवैये की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हाल में इसके महत्व को कम करने का प्रयास किया गया है। केंन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस इंस्टीट्यूट की संरक्षा की जाये और केन्द्र सरकार इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। वहाँ पर मोती उत्पादन होता है क्योंकि वहाँ सीप बहुतायत में पैदा होती है। इसी तरह फ्रूबर किस्म की मछलियां भी वहाँ काफी संख्या में मिलती हैं? उनका अत्यधिक मात्रा में निर्यात होने के कारण उनसे काफी अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वहाँ पर बहुतायत में उपलब्ध मूंगे की चट्टान का सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। यह एक अच्छे मान्यता–प्राप्त मैरीन रिसर्च इंस्टीटयूट के रुप में भी कार्य करता है और यह दर्जा देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने प्रदान किया है। यह प्रचुर समुद्री संपत्ति का मुख्य द्वार रहा है। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट से छात्र और पी.एच.डी. स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह इंस्टीट्यूट प्रदूषण मुक्त स्थान में स्थित हैं। यह दक्षिणी क्षेत्र में मुख्यालय स्टेशन हुआ करता था लेकिन अब इसे अन्य पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित किया जा रहा है। हाल ही में इसके मुख्यालय को एक पड़ोसी राज्य में ले जाया गया है। 12 वैज्ञानिकों में से 6 वैज्ञानिक जा चुके हैं और शेष पचास प्रतिशत रिक्तियों को पिछले एक वर्ष से अभी तक भरा नहीं गया है। इसका महत्व धीरे–धीरे कम किया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि संपूर्ण इंस्टीट्यूट को मंडपम और तमिलनाडु राज्य से किसी अन्य पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। जहां तक तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों का संबंध है, पिछले 52 वर्षों से वहाँ सरकारी क्षेत्र की इकाइयाँ और सरकारी संस्थान बहुत कम हैं। उनकी संख्या शून्य अथवा न के बराबर है।

वहाँ पर कार्य कर रहे इस प्रतिष्ठित रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसके गौरवशाली दर्जे सहित वहीं रखा जाना चाहिए, इसे अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिए। यह रिसर्च इंस्टीट्यूट विश्व के दूर–दूर के कई देशों में वैज्ञानिकों को आकृष्ट करता है। अतः मंडपम स्थित इस सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को उसी स्थाान पर स्थित रखा जाए।'

मैं केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह मंडपग में इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्वयं चलाने के लिए आगे आये और इसे अन्य पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाये।

[हिन्दी]

श्री पी. आर. खूंटे (सारंगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक गंभीर मसले की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले पांच दिनों में मैं शून्यकाल में प्रश्न लगाता रहा हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे प्रश्न को गंभीरता से लिया और मुझे बोलने का मौका दिया है।

हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र, सत्यमेव जयते का भंयकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में नियमावली भी बनी है कि अशोक चक्र का किस प्रकार से उपयोग किया जाए और इसके सम्मान को कैसे बरकरार रखा जाए। नवगठित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बराबर नीलामी में असफलता अर्जित होने के बाद राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का लेबल बनवाया और शराब की बोतल में वह लेबल लगा कर बेचा जो देश के लिए घोर अपमान की बात है। जब शराब की शीशी खोली जाती है तो उसके ढक्कन को पैर से रौंदा जाता है और नाली में फेंका जाता है। यह देश के सम्मान के साथ घोर खिलवाड़ है। ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत बात कह रहे हैं।

श्री पी. आर. खूंटे : मेरी भारत सरकार से मांग है कि ऐसे मुख्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और दोषी लोगों के विरूद्ध जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं। इसलिए इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी बात ऑबजैक्शनेबल होगी, उसे एक्सपंज किया जाएगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के 24 जिले सुखाड़ और 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 1964 और 1968 के बाद इतना भयंकर हादसा बाढ और सुखाड का पहली बार हुआ। 1968 में पांच हजार लोग मौत के शिकार हुए। यह बहुत विदारक स्थिति है। वहां बहुत कम मात्रा में वर्षा हुई है। मात्र 24 जिलों में 20 परसैंट किसानों ने रोपनी की। स्थिति भयावह और भयंकर है।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पप्पू जी, इस विषय पर 193 के अधीन चर्चा हो चुकी है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह सुखाड़ का मामला है और नया मामला आया है। लिफ्ट

इरिगेशन का क्या मतलब है? सम्पूर्ण बिहार में कहीं भी बोरिंग राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुई है। वह किसी गांव या जिले में नहीं हुई। बिजली की प्रावधान बिहार की राजधानी पटना तक में नहीं किया गया। ऐसे में गांवों की क्या हालत होगी, आप अन्दाजा लगा सकते हैं। बिहार के किसी गांव, गली या घर में बिजली की व्यवस्था नहीं है। छोटी–छोटी नहरें बंद हो गई हैं। वहां लोगों ने घर बना लिए हैं। बड़ी नगरों में पानी नहीं जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार इसमें क्या करें?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : एक बात प्रमोद महाजन जी पहले ही कह चुके हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर विशेष सहायता देने की मांग रघुवंश बाबू, देवेन्द्र जी और मैंने की थी। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि यह बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे। बिहार में बार–बार बाढ़ और सुखाड़ की जो स्थिति बनती है, उसका परमानैंट हल खोजा जाए। केन्द्र सरकार को पशु चारा, दवा, अनाज इत्यादि देने की व्यवस्था करनी चाहिए और उसमें इसकी भी हिस्सेदारी है। मैं चाहता हूं कि बिहार को ऐसे समय विशेष राज्य का दर्जा मिले। केन्द्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को जो ऋण दिया जाता है, वहां उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। उसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था की जाए और वहां के किसानों के ऋण माफ किए जाएं। ...*(व्यवधान)* जो गांव सुखाड़ की चपेट में हैं, उन्हें विशेष पैकेज दिया जाए। यह मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कहना था, कह दिया। अब आप बैठ जाएं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं। वह बिहार के लिए बिजली की व्यवस्था करें ताकि किसान बच सकें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कितनी बार बैठने के लिए कहा जाएगा?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आप बिहार को ऐसे समय में बचा लीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, बिहार में 90 प्रतिशत लोगों के पास बिजली नहीं है। यह काफी गंभीर मामला है।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, आज से पांच–सात वर्ष पहले इस संसद में और राज्य सरकारों ने घोषणा की थी कि छोटे किसान परिवारों के लोगों ने जो ऋण लिये हैं, उन्हें माफ कर दिया जाए। उसके बाद जब किसान ऋण देने के लिए बैंकों में जाते थे तो उनसे ऋण नहीं लिया जाता था, उनसे कहा जाता था कि तुम्हारा ऋण माफ हो गया है। इसमें जिन छोटे किसान परिवारों के लोगों को ऋण दिया गया था, उनमें जिसका ऋण हजार रुपये था वह बढ़कर दस हजार हो गया है और जिसे पांच हजार रुपये ऋण दिया गया था, वह बढ़कर पचास हजार रुपये हो गया है। आज इन सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है और इन लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। इससे पहले भी अनेक सदस्यों ने यहां इस बात को उठाया है और हमने कहा था कि अगर सरकार इन लोगों के ऋण माफ नहीं करती हैं तो कम से कम उनका सूद माफ कर दें। चाहे वह भूमि विकास बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या अन्य कोई बैंक हो, किसान आज मूलधन जमा करा सकते हैं। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह राज्य सरकारों और विशेष रुप से झारखंड सरकार को यह निर्देश दे कि वह इन लोगों का सूद माफ कर दे और इनसे मूलधन वसूल करे, यही मेरा सरकार से अनुरोध है।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने बड़े–बड़े डैम हैं, उनसे बहुत खतरा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर जो बरजी बांध है, वहां पर नहर के डमी गेट निकल जाने के दौरान उसमें आई गड़बड़ी के कारण अचानक पानी फूट पड़ा, जिसके कारण वहां सहायक समेत दो लोगों की मौत हो गई। इससे वहां चारों तरफ लोगों में भय व्याप्त है। अगर इसमें प्रदेश शासन से सहयोग लेकर काम नहीं किया गया तो आगे चलकर बहुत कठिनाई आने वाली है। वहां अर्थक्वेक का भी बहुत इफैक्ट होता है। इस बारे में न्यूजपेपर में भी आ चुका है। इस तरह के बहुत सारे डैम्स हमारे देश में हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि वह इस ओर ध्यान दे और प्रदेश सरकार को कहे कि वह इस पर निगरानी रखकर जल्दी कार्य करायें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, एम आई सी ए (माइका) झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। जब एक आई टी सी ओ (निटको) एम एम टी सी की अनुषंगी कंपनी के रूप में वहां पर कार्य कर रही थी तो 'मिटको' के कर्मचारियों को एम एम टी सी के कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाता था। रूग्ण के बाद मिटको को औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को सौंप दिया गया और बी आई एफ आर ने वर्ष 1994 में इसका एम. एम. टी. सी. में विलय करने की सिफारिश की। इस प्रकार मिटको का एम एम टी सी में विलय कर दिया गया और माइका डिवीजन के रुप में माइका एम एम टी सी का एक डिवीजन बन गया।

महोदय, आपको यह जानकार हैरानी होगी कि विलय के बाद भी, एम एम टी सी के माइका डिवीजन के कर्मचारियों और कामगारों के वेतनमानों में वर्ष 1987 से संशोधन नहीं किया गया है। मैंने कोडरमा और गिंडी का दौरा किया और वहां कामगारों की दयनीय दशा देखी। उन्हें प्रतिमाह केवल 300 रुपये मिलते हैं। कामगारों को माइका उद्योग में काम करना पड़ता है।

महोदय, उनके वेतन में संशोधन नहीं किया गया है। जबकि एम एम टी सी के कर्मचारियों के वेतन में पहले ही दो बार संशोधन किया जा चुका है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एम एम टी सी के माइका डिवीजन के कर्मचारियों और कामगारों के वेतन में भी संशोधन किया जाना चाहिए और उनके वेतन एम एम टी सी के कर्मचारियों के वेतन मान के बराबर किए जाएं।

अपराह्न 12.54 बजे

महाराष्ट्र में प्री-मेडिकल परीक्षा के लिए कम्प्यूटर में उत्तरों को गलत फीड किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुरूप महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए कॉमन एन्टरेन्स टैस्ट लिया जाता है। इसमें अबकी बार घोटाला हुआ है और यह पहली बार हुआ है। अभी तक वहां की यूनिवर्सिटी इस टैस्ट को कंडक्ट करती थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के डायरेक्टर ऑफ हैल्थ ने यह एग्जाम कंडक्ट किया। इसमें चार फेज होते हैं।

68,000 स्टुडेन्ट उसमें बैठे थे। उसमें चार फेज़ हैं–11, 22, 33 और 44, लेकिन 33 में 8एम का गलत आन्सर फीड किया गया। जिसके कारण 16,000 स्टूडेन्ट उससे प्रभावित हुए। महाराष्ट्र के हैल्थ मिनिस्टर कल यहां आए थे। उन्होंने अपने यहां 363 सीट मांगी हैं जिसमें से 300 एम.बी.बी.एस. के लिए और 63 डेन्टल कालेज के लिए मांगी है। वह सीटें देने के लिए सरकार ने अनुमति दी या नहीं दी, यह हम सरकार से जानना चाहते हैं और जिन लोगों ने परीक्षा में घपला किया, उन पर क्या कार्रवाई की गई? आगे इस प्रकार की गलती न हो इसके लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं? स्टेट गवर्नमेंट में इसके पहले मैडिकल एक्ज़ाम युनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसको ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं जो महाराष्ट्र से ही हैं, वे कुछ जवाब दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

श्री मोहन रावले : लेकिन वह मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह जवाब देना चाहते हैं तो ठीक है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष जी, मैं समस्या समझ सकता हूँ लेकिन इसमें दो बातें अलग से कही हैं कि महाराष्ट्र में शायद किसी परीक्षा में उत्तर के संबंध में कंप्यूटर में कुछ चीजें गलत फीड होने से वहां उत्तर में कोई समस्या हुई जिसके कारण विद्यार्थियों का नुकसान हुआ। मैं सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्री हूँ लेकिन कंप्यूटर में कहीं गलत फीडहोता है तो उस राज्य को देखना पड़ेगा और वहां उसका निपटारा करना पड़ेगा। दूसरा, केन्द्र सरकार सेकहा है कि केन्द्र सरकार ऐसी स्थिति में 363 मैडिकल की सीट्स बढ़ाकर महाराष्ट्र को दें। मुझे भी इसकी जानकारी अभी ही मिली है कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री केन्द्र सरकार से मिले हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछकर माननीय संसद

सदस्य को सूचित कर दूँगा कि सरकार ने इस संबंध में क्या किया है।

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब पार्टी हितों से ऊपर उठकर देश के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूँ। वैसे तो यह चिन्ता पार्टियों की नहीं है, देश की चिन्ता है और 'किस्सा–ए–दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम।' सारी दुनियां में जाने माने हमारे एथीलट मिल्खा सिंह जिनको फ्लाइंग सिख का खिताब दिया गया, उन्होंने कल एक प्रैस कॉनफ्रेन्स की। उन्होंने 1958 में जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, चार गोल्ड मैडल एशियन गेम्स में जीते, एक गोल्ड मैडल कॉमनवैल्थ में जीता और उसके बाद ओलम्पिक्स में उनका 1960 का रेकार्ड अब तक भी बीट नहीं हुआ है। उन्होंने प्रैस कॉनफ्रेन्स में आँखों से आँसू बहाते हुए कहा कि 80 से 77 रेस उन्होंने जीती जो वे दौड़े और अर्जुन अवार्ड जो यहां दिये जा रहे हैं खेल मंत्रालय की तरफ से, उसमें अफसोस की बात है कि वे पी. एम. ओ. के रेकमंडेशन से दिये जा रहे हैं और उनके द्वारा दखल दिया जा रहा है। इतना अपमान उनका हुआ है कि जो उनकी अचीवमेन्ट्स हैं और बड़े सैलेब्रेटेड ऐथलीट हैं और दुनियां के माने हुए ऐथलीट है....*(व्यवधान)* मैं जरूरी बात कह रहा हूं रूडी जी। मैं उनकी अपनी प्रेस कांफ्रेंस से यह उद्धत कर रहा हूं। यह मिल्खा सिंह की खुद की प्रैस कॉनफ्रेन्स है और उन्होंने यह कहा है कि इसमें पी. एम. ओ. का दखल है और जिन लोगों की कोई अचीवमेन्ट्स नहीं है उनको ये अवार्ड रेकमंड किये जा रहे हैं.....*(व्यवधान)*

संसदीय कार्यमंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने खुद सुनी है उनकी प्रैस कॉनफ्रेन्स। जब चाहें पी. एम. ओ. का नाम ले लेते हैं? .....*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : कल खबर आई है कि इंडियन ओलम्पिक्स असोसियेशन के अध्यक्ष कलमाडी साहब को खेल मंत्री उमा भारती ने कमरे से निकाल दिया और कहा कि 'इस कमरे से चले जाइये, जब इंडियन ओलम्पिक्स असोसियेशन के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी के साथ यह व्यवहार हो सकता है तो इससे ज्यादा अपमानजनक और इससे ज्यादा लज्जा की बात देश के लिए कोई नहीं हो सकती है। ...*(व्यवधान)* सी. एन. एन. और बी. बी. सी. में मिल्खा सिंह की यह प्रैस कॉन्फ्रेन्स प्रसारित हुई है और मैं कहना चाहता हूं कि देश के सौ करोड़ लोगों का ध्यान इस ओर लगा हुआ है। अगर सिफारिशें करके अंवाड्र्ज दिए जाएंगे तो इससे सारे देश का अपमान होगा और एक नागरिक होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूँ। इसमें पोलिटिक्स की कोई बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर बैठ जायें।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' है। आपने मामला उठाया है और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : उपाध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ में मिलखा सिंह जी ने प्रैस कान्फ्रैंस की थी। उसके समाचार दुनियाभर के बड़े–बड़े अखबारों में छपे हैं। उसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके अलफ़ाज हैं, मेरे नहीं हैं। ....*(व्यवधान)* मैं अपनी बात पर अड़ा हूं। मैं इसे साबित कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, खेल मंत्री के कमरे में श्री कलमाड़ी जी गए, लेकिन खेल मंत्री उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंनें कह दिया कि आप मेरे कमरे से निकल जाइए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, सरदार मिलखा सिंह जी ने प्रधान मंत्री कार्यालय पर सीधा आरोप लगाया है कि खेल मंत्रालय, खेल पुरस्कारों का वितरण, पी. एम. ओ. के कहने पर कर रहे हैं। यह उन्होंने कहा है। मैं उन्हीं की बातों को सदन में बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। यह बात खाली यहां नहीं बल्कि सारी दुनियां के अखबारों में छपी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग स्पोर्ट का भगवाकरण कर रहे हैं। क्या स्पोर्ट्स के प्राइजेज आर. एस. एस. या अन्य पार्टियों के कहने पर दिए जाएंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। मैंने अब श्री मल्होत्रा को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह (जालंधर) : मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : बराड़ जी ने बोलने के लिए सूचना दी थी।

श्री बलबीर सिंह : मल्होत्रा जी किस हैसियत से बोल रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : बलबीर सिंह जी, आपने इस मामले पर बोलने के लिए सूचना नहीं दी है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मल्होत्रा जी ने नोटिस दिया है?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

क्या उन्होंने सूचना दी है? वह क्यों बोल रहे है?.... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, सरदार मिलखा सिंह जी मेरे बहुत बड़े मित्रों में से एक हैं। वे दुनियां के बहुत बड़े – बड़े खेल आयोजनों, ओलम्पिक एवं एशियन्स गेम्स में भाग ले चुके हैं। वे मेरे साथ इन खेलों में भाग लेने गए थे और जब मैं शैफ–दि–मिशन था तब भी वे मेरे साथ गए और मैं उनकी भावनाओं का बड़ा आदर करता हूं।*...(व्यवधान)* कृपया अब मेरी बात सुनें।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बलबीर सिंह जी, मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने 1960 में जो रिकार्ड कायम किया, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है, उसको आज तक किसी हिन्दुस्तानी ने तोड़ा नहीं है। ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 40 साल तक अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला, यह वास्तव में बड़े शर्म की बात है। *...(व्यवधान)* कृपया अब मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।*...(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : यह गलत बात है। उस समय सिफारिश के ऊपर स्पोर्ट्स मैडल, पद्मश्री इत्यादि नहीं मिला करते थे। उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री मैडल था, जो उनको दिया गया, वह उनको सही दिया गया। यह पार्टी की बात नहीं है। *...(व्यवधान)* उनका बेटा लुधियाना का माना हुआ गौल्फर है।*....(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, 1960 से लेकर 2001 तक उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया, तो यह किस्म की गलती है, यह बराड़ जी बताएं। *...(व्यवधान)* अगर बराड़ जी इस विषय और इस बात को सारे सदन की बात बनाते, तो ठीक रहता, लेकिन वे बहुत गलत तरीके से बोले और उन्होंने प्रधान मंत्री कार्यालय को बीच में लिया, यह ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय का स्पोर्ट्स के मैडल से कोई मतलब नहीं है*....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अब बोलने दीजिए,

(व्यवधान)

श्री जे. एस. बराड़ : प्रधान मंत्री कार्यालय के ऊपर यह आरोप लगाया गया है जो मैंने नहीं अपितु फ्लाइंग सिख, सरदार मिल्खा सिंह जी ने लगाया था। *....(व्यवधान)* मुझे बहुत खेद है। यह आरोप मैंने नहीं लगाया है।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : ऐथलैटिक फैडरेशन का प्रैज़ीडैंट आज तक लगातार कांग्रेस राज का रहा है। अब तक क्यों नहीं उनका नाम रिकमैंड किया, उनको ऐवार्ड क्यों नहीं दिलाया गया? कांग्रेस के लोगों ने चालीस साल तक उनको ऐवार्ड नहीं दिया। अब आकर एन.डी.ए. की सरकार ने दिया है तो उस पर भी ऐतराज हो रहा है कि क्यों दिया। प्राइम मिनिस्टर आफिस का नाम उन्होंने नहीं लिया। बार–बार प्राइम मिनिस्टर आफिस का नाम लेना, मैं समझता हूं कि आप उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। *....(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ : चालीस वर्षों में मिल्खा सिंह के मुखर विंद से एक शब्द नहीं निकला, आज क्यों यह शब्द निकला है– क्योंकि यह ऐवार्ड उनकी खिल्ली उड़ाते हैं और उनको सिफारिश के ऊपर बांटा जा रहा है।...*(व्यवधान)* यह सारी दुनियां के माने हुए खिलाड़ियों के लिए चिन्ता का विषय है। आप पार्टी की बात बनाना चाहते हैं। इसे लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप पार्टी हित से ऊपर उठ कर बात कीजिए।....*(व्यवधान)* इस मुद्दे पर आपकी सारी असलियत सामने आ गई है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यह प्राइम मिनिस्टर को बीच में लाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत शर्म की बात है। बजाए इसके कि उनके साथ सहानुभूति रखें, उनकी भावना की कद्र करें, आप उनका राजनीतिकरण करना चाहते हैं।

श्री बलबीर सिंह : महोदय, श्री बराड़ ने जो कुछ कहा है, उससे मैं स्वयं को संबद्ध करता हूं। कल यहां सैफरनाइजेशन ऑफ एजूकेशन पर बहस हुई। उसके ऊपर मैंने पहले भी एन. सी. ई. आर. टी. का मामला उठाया था और जोशी जी ने उसके जवाब में उसे जस्टीफाई किया। ...*(व्यवधान)* यह बहुत शर्म की बात है कि आज स्पोर्टस का भी सैफरनाइजेशन कर रहे हैं।

यह बड़े शर्म की बात है। वस्तुतः बराड़ जी, ने जो कुछ कहा है, उससे समस्त सभा को स्वयं संबद्ध करना चाहिए। यह सच्चाई है। उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। हिन्दुस्तान में कोई भी व्यक्ति अब तक उनका रिकार्ड नहीं तोड सका। आप आज चालीस साल के बाद उनको अर्जुन ऐवार्ड देते है।। यह जगमीत सिंह बराड़ ने खुद नहीं कहा, मिल्खा सिंह ने अपनी प्रेम कौन्फ्रैंस में कहा है कि पी. एम. ओ. ने इन्फ्लुऐंस किया है, अर्जुन ऐवार्ड देने में पी. एम. ओ. इंटरफियर करता है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरा अनुरोध है कि आप और समस्त सभा बराड़ जी की बात से स्वयं को संबद्ध करें।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, हिन्दुस्तान के पैट्रोल और डीजल ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत, आप थोड़ा सुनने की कृपा करें। अभी–अभी मिनिस्टर साहब ने स्टेटमैंट दिया है।

[अनुवाद]

मैं आपको यह बात बताना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करता, आपने बोलना शुरू कर दिया है?

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, आपको माननीय सदस्य को बधाई देनी चाहिए कि अभी उन्होंने इस बात का उल्लेख भी नहीं किया था कि मंत्री जी ने कह दिया कि इसे वापस ले लिया गया है। इसलिए, इसका पूरा श्रेय माननीय सदस्य को जाना चाहिए।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : महोदय, मैं सरकार और विशेष रूप से वित्त मंत्रालय का ध्यान एक काफी गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ जो दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात स्टैंडर्ड एंड पूअर तथा मूडीज द्वारा एकाएक भारत की निवेश रेटिंग कम करने के कारण उत्पन्न हुई है। महोदय, इसका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले निवेश पर प्रभाव पड़ेगा। महोदय, मुझे आशंका है कि इस मामले में मंत्रालय ने काफी लापरवाही बरती है। सामान्यतया कुछ चर्चा और परामर्श करने के बाद ही रेटिंग में इस प्रकार की कमी की जाती है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय से सलाह ली गई थी। यदि हां, तो वित्त मंत्रालय ने भारत में आर्थिक सुधारों के प्रति में गंभीरता में कमी और वित्तीय घाटे को रोकने के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए कार्यवाही की? वास्तव में उन्होंने क्या किया क्योंकि यह अचानक नहीं हो सकता?

दूसरे, वित्त मंत्रालय का इस मामले में वास्तविक दृष्टिकोण क्या है? एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि ऐसे मामलों पर कार्यवाही की जाये जिन्हें रेटिंग में कमी का कारण बताया गया है। दूसरा दृष्टिकोण यह हो सकता है कि इसकी उपेक्षा की जाये जैसा कि हमने 1998 में किया। पोखरण परीक्षण के बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया था लेकिन हमने यह दृष्टिकोण अपनाया कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत का आधार बहुत मजबूत है। यह स्टेट बैंक द्वारा समूचे विश्व में जारी किए गए रिसर्जेंट बॉंडस की सफलता से स्पष्ट हो गया है। जिनकी निर्धारित संख्या से कई गुनी बिक्री हुई थी, यह रेटिंग कम करने का शानदार जवाब था। अतः प्रश्न यह है कि अब हम कह सकते हैं कि हम इतनी परवाह नहीं करते सच्चाई यह है कि 1991 से पहले जब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई

एम एफ) के पास गये, तो हमने कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग की परवाह नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं?

डा. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय इस संबंध में ठोस और जोरदार कार्यवाही करके या तो उनके कथन का, खंडन करे या फिर उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि छवि खराब करना तो बहुत आसान है लेकिन उसे सुधारना मुश्किल है। उसी प्रकार से अच्छी छवि बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसे खराब करना बहुत आसान है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : यहां राज्य मंत्री बैठे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इनको कुछ कहना चाहिए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बैसीमुथियारी जी, आपका विशेषाधिकार मामले से संबंधित पत्र गृह मंत्रालय को सत्यापन हेतु भेज दिया गया है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, कल भी आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी। क्या आप आज भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका पत्र, आपके परिवार के सदस्यों पर पुलिस के कथित अत्याचारों से संबंधित है। पत्र की एक प्रति सत्यापन के लिए भेज दी गई है।

श्री सानछुमा खुंगर बैसीमुथियारी : महोदय, 8 अगस्त 2001, को उग्रवादियों को पकड़ने के नाम पर मेरे गांव गोयबाटी में छापे के दौरान हमारे निवास पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुछ कर्मियों ने मेरे बड़े भाई की सबसे छोटी पुत्री और एक अतिथि लड़की के कपड़े पूरी तरह उतार दिए। तत्पश्चात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा असम पुलिस कमांडो बल के कुछ कर्मियों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने का असफल प्रयास किया। भाग्यवश वे बच गईं ....*(व्यवधान)* पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा। मेरे बड़े भाई की बड़ी पुत्री को भी गंभीर रूप से उत्पीड़ित किया गया। गोसाईगांव सब डिवीजन में सेना कर्मियों ने कुछ निर्दोष बोडो लोगों की भी हत्या की है। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यहां आप लोगों द्वारा जब द्रोपदी के कपड़े खोलने की बात कही जाती है।

[अनुवाद]

तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किंतु जब निर्दोष जनजातिय और बोडो लड़कियों और औरतों की इज्जत का प्रश्न आता है तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। क्या भारत ऐसा है? क्या यह स्वतंत्र देश है जहां हमें कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

असम सरकार और भारत सरकार दोनों द्वारा दर्शाए गए इस प्रकार के सौतेले व्यवहार की मैं कड़ी निंदा करता हूं। भारत सरकार ने, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना कर्मियों को यह निर्देश क्यों नहीं दिया कि वे इस प्रकार के अपराधों में शामिल न हों?

[हिन्दी]

आतंकवादियों को पकड़ने का बहाना बनाकर क्या वे हमारी लड़कियों पर, हमारी महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न चलाते रहेंगे, बलात्कार करने का भी प्रयास करेंगे और निर्दोषों को आतंकवादी बनाकर मार डालेंगे?

[अनुवाद]

बोडोलैंड आंदोलन के दौरान 2000 से अधिक निर्दोष लोगों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा कुत्तों की तरह मार दिया गया था। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना कर्मियों द्वारा अभी भी इस प्रकार के जघन्य अपराध और अत्याचार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आर्मी को कंट्रोल करने की, सी. आर. पी. एफ. को कंट्रोल करने की और पुलिस को कंट्रोल करने की पावर किसके हाथ में हैं?

[अनुवाद]

जब तक बोडोलैंड नहीं बन जाता, तब तक हमें भारत में किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इसलिए बोडोलैण्ड का सृजन आवश्यक हो गया है। बिना कोई और विलंब किए हुए, झारखंड उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इसका भी सृजन किया जाना चाहिए।

भारत सरकार के निर्देशों पर पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व

पुलिस बल के दोषी अधिकारियों को तुरंत पकडा जाना चाहिए और निर्दोष बोडो लोगों पर अत्याचार और इनकी हत्याओं और निर्दोष लड़कियों और महिलाओं के कपड़े उतारने व उनके साथ छेड़छाड़ करने के जिम्मेदार अधिकारियों को फांसी दी जानी चाहिए।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हमारे बड़े भाई की छोटी लड़की को नंगा किया, मारा पीटा और बलात्कार करने की भी कोशिश की थी। लेकिन सौभाग्य से बच गई। एक मेहमान लड़की थी, उसको भी नंगा कर दिया गया और उसके साथ भी बलात्कार करने की कोशिश की थी। सौभाग्य से उसके सतीत्व को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, यह एक गंभीर मामला है इसलिए मंत्री जी को इस मुद्दे पर वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, मैं इनसे पहले ही कह चुका हूं कि इनके पत्र की एक प्रति सत्यापन के लिए भेज दी गई है। उसके बाद ही यह मुद्दा विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकेगा, इसीलिए मैंने इन्हें सूचित किया है।

....(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ऐसे जघन्य अपराधों में संलिप्त दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिए....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम लोगों के ट्राइबल होने की वजह से हमारा इश्यू इम्पोर्टेंट नहीं है?

[अनुवाद]

महोदय, मैं भारत सरकार से हस्तक्षेप करने और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल व सेना द्वारा किए जा रहे जघन्य अपराधों व निर्दोष लोगों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के निर्देश देने का अनुरोध करता हूँ....*(व्यवधान)*

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : महोदय, छः साल पहले भारत और रूस के बीच सुखोई–30 विमान की आपूर्ति लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तत्कालीन प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री ने राष्ट्र को यह आश्वासन दिया था कि हमारी सेना के लिए अतिआधुनिक सुखोई – 30 विमान खरीदे जाएंगे। विश्वसनीय सूत्रों से यह भी पता चला है कि इन विमानों की खरीद के लिए भारत ने रूस को 3000 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। अब छः साल बीत चुके हैं लेकिन देश को अंधेरे में रखा गया है। इस गंभीर मुद्दे पर केन्द्र संपूर्ण राष्ट्र को इसका स्पष्टीकरण दे। यहां तक कि रूस भी इन विमानों का उपयोग नहीं कर रहा है। क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

ऐसी परिस्थितियों में भारत, सुखोई–30 विमान कैसे प्राप्त कर सकता है? हमारे देश में समय–समय पर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। जिनमें पायलेट भी मारे जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे जो विमान उड़ाते हैं, वे लगभग काफी पुराने हैं। अतः यह भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह इस सम्मानीय सभा को सुखोई–30 विमान की खरीद से संबंधित पूरे प्रकरण की जानकारी दे। हमारे वायुसेना बेड़े को मजबूत करने और हमारे पायलेटों के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार को तुरंत वैज्ञानिक और भरोसेमंद विमानों की खरीद करनी चाहिए।

मैं मांग करता हूं कि यह सरकार बिना और विलम्ब किए, इस पूरे सौदे के बारे में एक श्वेत पत्र जारी करें।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.08 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.08 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए)*

ऊर्जा संरक्षण विधेयक* - जारी

सभापति महोदय : अब सभा में मद संख्या 10 पर विचार–विमर्श किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय सभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक का मूल उद्देश्य सीमित ऊर्जा का संरक्षण करना है। यह विधेयक ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति को भेजा गया था। समिति ने इसकी संवीक्षा कर कई सुझाव दिए। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति द्वारा दिए गए लगभग सभी सुझाव स्वीकार कर लिए हैं। विधेयक में इन सभी सुझावों को सम्मिलित करने के लिए वे संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 17.8.2001 में प्रकाशित

हम ऊर्जा, संकट का सामना कर रहे हैं। यह विधेयक पुराना है। ऊर्जा संरक्षण के लिए कई देश इसी प्रकार के विधान के अधिनियमित कर चुके हैं। ऊर्जा का अर्थ केवल विद्युत ऊर्जा से ही नहीं है, ऊर्जा में – ईंधन, जीवाश्म, पेट्रोलियम और गैर–परंपरागत ऊर्जा भी सम्मिलित है। समय की मांग यही है कि हमारे पास जो भी उर्जा है, हम उसका संरक्षण करें। लगभग 60 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

औद्योगिक क्षेत्र में, हमारे पास काफी पुराने उद्योग हैं और इनमें जो मशीनें और उपकरण प्रयोग हो रहे हैं उन सभी में ऊर्जा की अधिक खपत होती है। इसलिए उन्हें बदलने और उनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। वस्त्र उद्योग का ही उदाहरण लीजिए। अधिक कपड़ा मिलों, विशेषकर राष्ट्रीय वस्त्र निगम में जिन मशीनों का प्रयोग हो रहा है वे काफी पुरानी हैं। उन मशीनों में ऊर्जा की खपत अधिक होती है और इन मशीनों को ऐसी मशीनों से बदलने की जरूरत है जिन मशीनों में ऊर्जा की खपत कम होती है।

महोदय, मूल विधेयक में रेलवे को सम्मिलित नहीं किया गया था किंतु स्थाई समिति ने रेलवे को भी इस विधेयक में शामिल करने का सुझाव दिया है क्योंकि रेलवे में भी बिजली और डीजल दोनों का उपयोग होता है। रेलवे का अपना अनुसंधान व विकास संगठन है। हालांकि रेलवे ने ईंधन की बचत करने वाले डीज़ल इंजनों का विकास किया है, किंतु फिर भी रेलवे 60 प्रतिशत आयतित डीजल का उपयोग करती है। क्योंकि अब तक 20 प्रतिशत रेल मार्गों का ही विद्युतीकरण किया जा सका है। किंतु, रेलवे को डीजल को संरक्षित करना ही होगा।

महोदय, जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तो देश में ऊर्जा संरक्षण की देखरेख करने के लिए एक ऊर्जा बचत ब्यूरो एनर्जी एफीशिऐंसी ब्यूरो बनाया जाएगा। हमारी देश में समस्या यह है कि हम अनुसंधान और विकास पर बहुत कम खर्च करते हैं। मानदण्ड तो यह है कि कुल कारोबार का पांच प्रतिशत अनुसंधान और विकास पर खर्च किया जाना चाहिए। किंतु हम इस पर बहुत कम खर्च करते हैं और इसके परिणामस्वरूप, हम कई क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत नहीं कर पाते हैं।

हम लगभग 1,00,000 मे. वा. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। किंतु 1960 और 1970 में प्रारंभ हुए अधिकतर विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। यदि हम मानकों का कठोरता से पालन करें तो हम देखेंगे कि अधिकतर विद्युत संयंत्र ईंधन की बचत नहीं करते हैं। इन प्लांटों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए हमें काफी अधिक निवेश की आवश्यकता है। इन संयंत्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से हम न केवल उन्हें इंधन की बचत करने वाले प्लांट बना सकेंगे बल्कि इसमें हम अपने विद्युत उत्पादन में भी वृद्धि कर पाएंगे। हमें अधिक विद्युत की आवश्यकता है। व्यस्ततम और गैर–व्यस्त अवधि में काफी अंतर है।

इस अंतर को समाप्त करने के लिए न केवल नए विद्युत प्लांटों की आवश्यकता है बल्कि पुराने प्लांटों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है इसके लिए निवेश की जरूरत है। मशीनें बदलने के लिए निवेश की आवश्यकता है।

इन सबकी देखरेख के लिए हम एक ब्यूरो भी बनायेंगे और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लिए इसमें दण्ड देने का भी प्रावधान है हालांकि स्थाई समिति ने दण्ड कम करने के सुझाव दिए है। ये सुझाव मंत्री जी ने स्वीकार कर लिए है। किंतु समस्या यह है कि लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक बनाया जाए।

हमारे यहां टीएण्डडी (संप्रेषण एवं वितरण) हानि लगभग 27 प्रतिशत है। कुछ राज्यों में यह 40 प्रतिशत से भी ज्यादा है। यदि हम संप्रेषण एवं वितरण हानि को 10 प्रतिशत से कम कर लें तो हम एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत करने में सक्षम हो जाएंगे तथा इसके लिए हमारी संप्रेषण प्रणाली के पुनरूद्धार और नवीनीकरण की आवश्यकता है। विद्युत उत्पादन और संप्रेषण एवं वितरण के लिए पूंजीनिवेश में भी विसंगति है।

महोदय, आदर्श प्रतिमान यह है कि यदि आप तापीय ऊर्जा के उत्पादन पर एक रुपया खर्च करते हैं तो संप्रेषण एवं बितरण के लिए भी एक रुपया खर्च करना होगा। ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश में संप्रेषण एवं वितरण में होने वाली हानि 27 प्रतिशत है। इसलिए प्रश्न यह है हम इसे कैसे बचा सकते हैं और हम लोगों को संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने में कैसे सक्षम होंगे।

हमारे पास जीवाश्म ईंधन का पर्याप्त भंडार है, परंतु हम इसका समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र थे। कोयले का उपयोग यूरिया के निर्माण के लिए किया जाता था। परंतु कोयला आधारित सभी

[श्री बसुदेव आचार्य]

उर्वरक संयंत्र जो हमारे पास थे, बंद कर दिए गए हैं। उर्वरक निर्माण के लिए अब पुनः कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें कोयले का उपयोग फीड स्टाक के रूप किया जाएगा।

तत्पश्चात् लोगों का शिक्षण भी अपेक्षित हैं। मैं इस विधेयक में कोई ऐसा उपबंध देख रहा हूं जो लोगों के शिक्षण से संबंधित है। इसमें केवल दण्ड तथा एक ब्यूरो का प्रावधान है। इसके अनुसार एक निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी तथा हमें इंस्पेक्टर राज देखना पड़ेगा–जो पहले भी था। यह पुनः नहीं होना चाहिए।

उसके बाद ऊर्जा की लेखा परीक्षा की बात आती है। यदि इसे अनिवार्य बना दिया जाए तो हम काफी हद तक अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे।

अब शत प्रतिशत मीटर व्यवस्था की योजना है। यहां भी खासी है। हम इसे हासिल करने में कितना सफल रहे हैं?

कृषि को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कृषि क्षेत्र में भी ऊर्जा की अच्छी खासी प्रतिशत खपत होती है। कृषि को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि उर्वरक कारखाने को शामिल किया गया है तथा रेलवे जो मूल विधेयक में नहीं था। शामिल किया गया है। कपड़ा भी इस विधेयक में उल्लिखित है। हमें ईधन की कम खपत करने वाली मशीनरी का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? यह बात भी ध्यान में रखनी होगी।

ऊर्जा का संरक्षण किये जाने की आवश्यकता है तथा यदि !हम संरक्षण कर सकें तो हम तापीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम होंगे। हमारे पास जल विद्युत की काफी संभावनाएं है। जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। हमारे पास 70,000 मेगावाट से ज्यादा अधिक की क्षमता है। हमारा लक्ष्य 2012 तक अतिरिक्त एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने का है। हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे यदि उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। हम इस लक्ष्य को केवल ब्यूरो की स्थापना के जरिए नहीं प्राप्त कर सकते बल्कि इसके लिए हमें अनुसंधान और विकास के प्रयोजन से खर्च करने के लिए लोगों को जागरूक भी बनाना होगा। कपड़ा, पटसन, इंजीनियरी और लघु इस्पात संयंत्र जैसे पुराने उद्योग हैं पहले आर्क इस्पात संयंत्र थे। आर्क इस्पात संयंत्र में बिजली की बहुत अधिक खपत होती थी। इसलिए हमें नई प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा, तथा इसके लिए पूंजीनिवेश अपेक्षित है। हम अनुसंधान और विकास के लिए बहुत धन नहीं लगा रहे हैं। अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए। हमें प्रौद्योगिकी भी बदलनी होगी अथवा पुरानी मशीनों को बदलना होगा, जिसमें ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है। हम इसे कैसे बदलेंगे? इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इस विधेयक में निहित भावना सराहनीय है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परंतु कुछ निश्चित उपाय करने होंगे ताकि हम अपनी बहुमूल्य ऊर्जा का संरक्षण कर सकें तथा अपेक्षित ऊर्जा का समुचित ढंग से उपयोग किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति (सेलम) : माननीय सभापति महोदय, आरम्भ में मैं आपको इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति देने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं।

यद्यपि जहां तक ऊर्जा के संरक्षण का प्रश्न है कुछ सीमा तक यह विधेयक प्रशंसनीय है। किन्तु कई दूसरी समस्याओं के संबंध में विभाग को समग्र रवैया अपनाने की आवश्यकता है। महोदय, जिस देश में ऊर्जा की बहुत मांग है, ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग हमेशा बढ़ती ही रहती है, हमें ऊर्जा संरक्षण की नीति की भी आवश्यकता है। केवल वही कमी को पूरा करने का एकमात्र तरीका नहीं है।

नौवीं योजना में 40,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता संवर्धन का लक्ष्य था। परंतु क्या इसे हासिल कर लिया गया हैं? अनुमान लगाया गया था कि कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष क्षमता में 6500 मेगावाट का संवर्धन किया जायेगा। इसलिए उत्पादन भी उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरह हम ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। इसलिए मंत्रालय के पास ऊर्जा के उत्पादन तथा संप्रेक्षण एवं वितरण के कारण होने वाली हानि के संदर्भ में एक समग्र नीति होनी चाहिए। विशेषकर इसलिए कि कुछ राज्यों में संप्रेषण एवं वितरण के कारण हानि लगभग 30 प्रतिशत है। आपने क्या नीति बनायी है? कुछ राज्यों में यह 30 प्रतिशत से भी ज्यादा है। यह लगभग 40 प्रतिशत है। यदि इस दिशा में हम व्यापक नीति नहीं अपनाते हैं, मैं नहीं समझता कि हम बढ़ती हुई मांग को पूरा कर पाएंगे। चोरी के संबंध में सरकार की क्या नीति है? विद्युत मंत्रालय की चिंता का यह दूसरा क्षेत्र है तथा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

विधेयक के निश्चित खंडों की समग्र संवीक्षा की आवश्यकता है। जहां तक खंड 15 (घ) का प्रश्न है। यह किसी एजेंसी

अथवा नामनिर्दिष्ट एजेंसी को नाम निर्देशित करता है कि वे इस अधिनियम के उपबंधों का समन्वय करें विनियमन करें और उन्हें लागू करें। यह राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित क्यों नहीं किया गया है? चूंकि विद्युत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, क्या वे निश्चित उपबंध राज्य सरकारों को दिए गए तथा इस विधेयक के संबंध में उनके विचार मांगे गए? मुझे संदेह है कि संयुक्त संसदीय समिति, जिसने ब्यौरों का अध्ययन किया को छोड़कर ऐसा कोई परामर्श लिया गया है। समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इसलिए हमारी मांग इन्हें लागू करने से संबंधित है। यह विषय राज्य सरकार के लिए छोड़ दिया जाए।

जुर्माने के संबंध में उपबन्ध यह है कि प्राधिकारी एक रुपए से एक लाख रुपए का जुर्माना लगा सकता है। लोग एक लाख रुपए जुर्माना देकर बच सकते हैं। इसलिए वसूली नीति के संबंध में मंत्री महोदय पुनर्विचार करें। जहाँ तक राजस्व वसूली का प्रश्न है हम सभी जानते हैं कि यह कैसे किया जाता है। यदि कोई करोड़ों रुपए की हेराफेरी करता है तो आप एक लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे लोग आसानी से इससे छूट जाएंगे। यदि राजस्व वसूली के लिए एक पृथक निकाय न हो तो मैं सोचता हूं कि यह संभव नहीं है। इससे तो विलंब ही होगा।

ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहां मंत्रालय अधिक ध्यान केन्द्रित कर सकता है। मैं तमिलनाडु राज्य के दो मुद्दे उठाना चाहता हूं जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि विद्युत उत्पादन के मामले में हम कैसे संवेदनाहीन हैं। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि तमिलनाडु की सरकार ने चेन्नई के निकट एलोर में एलएनजी आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 6,500 करोड़ रुपए है। मूलतः इस परियोजना में एलएनजी का आयात किया जाता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : मैं समझता हूं कि मैंने केवल दो मिनट का समय लिया है।

सभापति महोदय : आज हमारे पास गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य भी है।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : परंतु वह 3 बजे अपराह्न शुरू होता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाऊंगा परंतु मैंने अभी केवल एक मुद्दे का उल्लेख किया है।

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : यह मुद्दा ऊर्जा संरक्षण विधेयक से संबंधित नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो वे मेरे पास आकर चर्चा कर सकते हैं।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : यह परोक्ष रुप से इस विधेयक से संबंधित है क्योंकि सामान्यतः यह आखिरी उपाय नहीं होने जा रहा है। आपको उत्पादन पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा।

श्री सुरेश प्रभु : इस प्रकार हमें सम्पूर्ण ऊर्जा नीति पर महती चर्चा की आवश्यकता होगी। अभी हम लोग केवल ऊर्जा के संरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : इस अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू पर मुझे यह बात पूरी करने दें।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने दौरे के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने समापन गारंटी खण्ड पर हस्ताक्षर नहीं किए तथा तरलता गारंटी प्रदान की...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : क्या आप विधेयक का उल्लेख कर रहे हैं?

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : यह विधेयक से संबंधित है।

आप ऊर्जा का संरक्षण चाहते हैं परंतु ऊर्जा का उत्पादन करना नहीं चाहते हैं। मुझे यही कहना है। एल एन जी आधारित परियोजना में प्रतियूनिट लागत केवल दो रुपए है तथा इस पर सरकार ने लगभग छह महीने का विलंब कर दिया है। हमें यह समझौता मार्च 2001 में कार्यन्वित करना था जबकि हम एनरॉन से समझौता कर रहे हैं जहां प्रति यूनिट बिजली की लागत 6 रुपए है। इस दोहरे मानदण्ड का अनुसरण क्यों किया जा रहा है? यह सौतेला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है?

यदि आप समग्र रवैया नहीं अपनाते हैं तो केवल ऊर्जा संरक्षण विधेयक पारित करने से इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पहलू की ओर ध्यान दें तथा सुनिश्चित करें कि यह भी पारित किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, ऊर्जा की उपलब्ध मात्रा और देश में उसकी जरूरत में जबरदस्त अंतर है

[श्री पवन कुमार बंसल]

और इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता। ऊर्जा की उपलब्ध मात्रा निश्चित रूप से देश की प्रगति का मापक है।

उस दिन यहां प्रश्न उठा था जिससे हमें इस सच्चाई का पता चला कि सरकार ने ऊर्जा उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य 48,000 मे. वा. से हटाकर 28,000 मे. वा. और फिर 20,000 मे. वा. कर दिया था। हो सकता है हम यह लक्ष्य भी प्राप्त न कर पाएं। इस स्थिति में निश्चित रूप से समय की मांग यही है कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय किए जाएं। मैं यह महसूस करता हूं कि यह विधेयक, इस दिशा में एक अच्छा प्रयास साबित होगा। यह जरूरी है कि हम उपलब्ध ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करें।

विगत में किए गए, हमारे प्रयासों के बावजूद प्लांट लोड घटक नीचे गिरता जा रहा है। जैसे कि पहले भी कहा गया कि पारेशन और वितरण से होने वाली हानि भी बढ रही है। हर स्थान पर ऊर्जा की बर्बादी होती है। इसलिए इस हानि को रोकने के उपाय करने की आवश्यकता है। हमने अधिकतर यह देखा है कि इस देश में काफी उद्योगों में जो मशीनें हैं, वे अप्रचलित और पुरानी हैं और उन्हें प्रयोग करने पर उन पर नई मशीनों की अपेक्षा कहीं अधिक ऊर्जा की खपत होती है। इन कारणों से हम यह आशा करते हैं कि माननीय मंत्री द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशिऐंसी काफी उपयोगी होगा। ऊर्जा के उत्पादन, पारेशन और वितरण हेतु निगमों की स्थापना करने के लिए कदम पहले ही उठाए लिए गए हैं। इन सभी प्रयासों से ऊर्जा मोर्चे पर हमारे समक्ष आई विकट समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी।

मुझे विधेयक से यह पता चला है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत की मात्रा या उसकी तीव्रता को देखते हुए उसे निर्दिष्ट ग्राहक के रूप में मनोनीत करने के लिए इसमें उपबंध हैं और कुछ जिम्मेदारियां और दायित्व भी उस पर डाल दिए जाते हैं। ये सब करना तो ठीक है किंतु मेरे विचार से इसमें पर्याप्त दिशा निर्देश नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि, किसी की एक निर्दिष्ट ग्राहक वर्ग में मनोनीत करने के लिए और उसके विरुद्ध कुछ खास शर्तें लगाने के लिए नियमों व विनियमों के माध्यम से दिशा निर्देश उपलब्ध कराए जाएं।

महोदय, ऊर्जा लेखा परीक्षा उपलब्ध कराने के कदम का, मैं स्वागत करता हूं किंतु जब आपके पास इस उद्देश्य के लिए विस्तृत उपबंध हैं, तो भी आप अपनी पुरानी औपनिवेशिक विरासत से चिपटे हुए हैं, आप अभी भी चाहते हैं कि कुछ निरीक्षक वहां जाएं और उन लोगों को एक बार फिर से बार-बार तंग करना शुरू कर दें। यदि आप ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए संबंधित व्यक्ति को निर्देश देते हैं और आप, उन उपबंधों का उल्लंघन करने पर भारी आर्थिक दण्ड भी लगा सकते हैं तो, फिर आपने निरीक्षकों का वह उपबंध क्यों रखा? देश के किसी भी क्षेत्र में गतिविधियों के प्रति हमारा यह अनुभव रहा है कि जहां भी कहीं किसी मामले में निरीक्षक को महत्व दिया जाता है, वहां अराजकता ही देखने को मिलती है। मैं चाहता हूं कि इस उदार अर्थव्यवस्था में हम जब भी नए अधिनियम न लाएं तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत प्रयास करना चाहिए कि यह 'दारोगा राज' जिसका सभी लोग अक्सर रोना रोते हैं। वह समाप्त हो जाए।

जब मैंने यह विधेयक देखा, तो जिस चीज ने मुझे बोलने के लिए मजबूर किया वह थी कि जब सरकार ऊर्जा संरक्षित करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहती है तो हमें सरकार ऊर्जा बचाने के लिए कोई प्रयास करती नहीं दिखती, यहां तक कि छोटी-छोटी जगहों पर भी वह ऊर्जा नहीं बचाती जो थोड़ा थोड़ा करके भी हो जाती है। उदाहरण के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि सरकार की तरफ से आपको यह प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि जनता से बिजली की बचत करने को कहें सरकार की जिस एक नीति की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है- निम्नतम प्रभारों को लागू करने से संबंधित उपबंध। मैं यही मुद्दा उठाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सजैश्यन दे दीजिए। उसके अनुसार मंत्री जी देख लेंगे।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं और समय नहीं लूंगा। मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

आपके पास निम्नतम प्रभारों को लागू करने के लिए उपबंध हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उपभोक्ता ने विद्युत का उपभोग किया या नहीं। मैं समझ सकता हूं, जब आपने उद्योग के मामले में ऐसा ही उपबंध किया था किंतु फिर आप उसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू कर रहे हैं। आपने उसे घरेलू उपभोक्ताओं पर भी लागू किया। ठीक है, यदि आपने उसे उन पर भी लागू किया। आपने आधारभूत संरचना के सृजन के लिए कुछ व्यय वहन किए और उसके लिए आप न्यूनतम प्रभार की वसूली करना चाहते हैं। यह ठीक है। किंतु आप असल में कर क्या रहे हैं? सरकार हर बार यह राशि बढ़ा देती है, मेरे विचार से वे संभवतः सारा राजस्व मात्र न्यूनतम प्रभारों की वसूली से ही कमाना चाहते हैं।

मैं ऐसे मामलों को भी जानता हूँ, जहां लोग जब कमरे से बाहर जाते हैं, तो लाईट का स्विच बंद कर देते हैं और जब

कमरे में आते हैं तो लाईट जलाते हैं। वे बिजली की हर यूनिट को बचाना चाहते हैं किंतु यदि दो महीनों के बाद आप उन पर एक भारी बिल डाल देंगे तो उनके द्वारा बचाई गई बिजली का फायदा ही क्या है? क्या इस प्रकार हम बिजली की बर्बादी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जनता के प्रतिनिधियों की बैठक इस तथ्य के बावजूद भी बुलाएं कि आप विनियामक प्राधिकरणों का गठन कर रहे हैं। वहां राज्य सरकारें भी हैं। मैं एक संघराज्य क्षेत्र से आया हूं जहां लोकतंत्र की सत्ता कभी नहीं है और जब भी उनके दिमाग में कुछ भी आता है जिससे वे अपनी अकुशलता व अपनी असफलता ढक सकें–वे केवल न्यूनतम प्रभारों में ही वृद्धि कर पाते हैं जिसके कारण लोगों को उसका भुगतान करना ही पड़ता है। .

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस दिशा में एक पहल करें क्योंकि यदि आप वास्तव में ऊर्जा की बचत करना चाहते हैं तो यही बिंदू है जहां से आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपको, ऊर्जा बचाने वाले लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए न कि उसकी बचत करने पर उन पर दण्ड लगाना चाहिए जैसा कि ऊर्जा के उपभोग प्रभार में बार–बार बढ़ोत्तरी करने के मामले में किया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का, एक अच्छे प्रयास के रुप में समर्थन करता हूँ किंतु इसके साथ–साथ आप मेरे सुझावों पर भी कृपया कुछ प्रावधान करें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय, जवाब देंगे।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : सर, मेरा नाम बोलने वालों की लिस्ट में है। कृपया मुझे एक–दो मिनट का समय दे दीजिए।

सभापति महोदय : लेकिन, समय तो समाप्त हो गया है।

श्रीमती मार्गेट आल्वा : इसके लिए दो घंटे हैं और अभी डेढ़ घंटा ही हुआ है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के श्री पवन कुमार बंसल बोल चुके हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : वह श्री राजो सिंह के बदले में बोले हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं क्योंकि इस विषय में मेरी रुचि है। जिस पर मेरे विचार से पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए नौकरशाह विनियामक निकायों के अतिरिक्त कुछ और भी करने की आवश्यकता है। पारेषण हानि, पुराने उपकरण, दोषपूर्ण मीटर के साथ छेड़छाड़ गैर–कानूनी कनैक्शन और अनेक अन्य समस्याओं के कारण लगभग 30 प्रतिशत की हानि होती है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगी कि क्या वे विश्वास करते हैं कि मात्र इन निकायों के गठन से यह समस्या हल हो जाएगी कल यह मुद्दा किसी नौकरशाह ने नहीं बल्कि तकनीकविद ने उठाया था।

महोदय, जब हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो हम बिजली के बारे में बात नहीं करते। पूरे विश्व में वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत्र का पता लगाने के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि जो सुविधाएं आज उपलब्ध हैं, उसमें कोई निवेश या कोई प्रयास किया जा रहा है। ताकि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। आज विश्व के अधिकतर भागों में सौर ऊर्जा, बिजली का स्थान ले रही है। निवेश कर,–ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

दूसरी चीज, जो मैं उनसे जानना चाहूंगी वह है बायोगैस के उपयोग का प्रश्न। दरअसल, एक समय में पटना की सड़कों पर रोशनी, शहर के कूड़े से होती थी। मुझे नहीं पता कि अब वह काम करती है या नहीं–श्री सिन्हा जानते होंगे–किंतु एक समय ये शहर के कचरे से पटना शहर की सड़कों पर रोशनी होती थी। किसी और दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया।

मैं यह कहना चाहती हूं कि सार्वजनिक उपयोग तथा सरकारी कार्यालयों में बिजली की बर्बादी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कई बार हम यह पाते हैं कि दिन के समय में भी सड़कों पर बिजली जली रहती है। सरकार की ओर से ही हमें बिजली की बर्बादी कई प्रकार से दिखाई देती है। वे नागरिकों सामान्य उपभोक्ता पर जोर डालना चाहते हैं किंतु वे स्वयं अपने संस्थानों में ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं? कई जगह विद्युत बोर्डों द्वारा अपने कर्मचारियों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि उनके मंत्रियों में से एक मंत्री, संपूर्ण दूरसंचार व्यवस्था के कर्मचारियों को मुफ्त टेलीफोन दे रहा है। कई बिजली बोर्ड ऐसे हैं जो अपने कर्मचारियों को असीमित बिजली मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। व्यवस्था में व्याप्त इस प्रकार के कदाचार को नियंत्रित करने के लिए वे क्या कर रहे हैं। तब, मैं कहूंगी कि शादी–ब्याह जैसे अवसरों पर बिजली की बर्बादी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मैं अभी पांच मिनट भी नहीं बोली हूं। आप मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं अपराह्न में हमेशा पीठासीन होती हूं किंतु मुझे कभी बोलने का मौका नहीं मिला।

मैं जानना चाहती हूं कि वे शादी–ब्याह जैसे अवसरों पर और पूरे देश में बेकार हो रही बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय विद्युत शुल्क के मामले में स्लैब प्रणाली लागू करने पर विचार कर रहे हैं। ताकि जो लोग कम बिजली खर्च करते हैं उन्हें कम दर पर बिजली उपलब्ध हो सके और जो लोग अधिक बिजली की खपत करते हैं उन्हें अधिक शुल्क अदा करना पड़े। इससे कम खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा स्लैब व्यवस्था के अंतर्गत यदि उपभोक्ता निश्चित बिंदू से अधिक बिजली का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें भुगतान उच्च दरों से करना होगा। ऐसा कई राज्यों में है और मेरे विचार से इसे एक विकल्प के तौर पर लिया जाना चाहिए।

महोदय, जन चेतना अभियान में लोगों को सचेत करने के लिए स्कूली छात्रों को विशेष रुप से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इस अभियान में उनका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। समितियों के गठन के समय महिलाओं को इन समितियों में शामिल करने पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की सहायता व समर्थन मिलने पर वे कुछ कर पाएगें। इन नियामक निकायों में उनके पास हर प्रकार के लोग हैं किंतु ऐसा कोई नहीं है जो इस मामले में उनकी सहायता कर सके।

मैं कहना चाहूंगी कि नौकरशाही निकाय नहीं होना चाहिए, बल्कि इन निकायों में तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए और उन लोगों को शामिल करना चाहिए जो अपना उपयुक्त योगदान दे सकते हैं।

जैसा कि हमने कल कहा, दिल्ली में कार्यालय कम करने चाहिए और विनियामक निकाओं को भी दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाए। कई सालों पहले, मंत्रिमण्डल ने एक निर्णय लिया था कि सभी सरकारी कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। इस विनियामक निकाय को दक्षिण में विशेषकर बंगलौर या किसी ऐसे ही स्थान पर हस्तांतरित करने पर कृपया विचार करिए।

महोदय, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अपने विद्युत बोर्डों में सुधार करने का है। मुझे पता है इससे वास्तविक समस्या उत्पन्न होगी, परंतु जब तक बिजली के वितरण का निजीकरण नहीं किया जाएगा और इसे उन हाथों में नहीं सौंपा जाएगा जो अधिक अनुशासन ला सकते हैं। तब तक वे जो कुछ भी कर रहे हैं उससे बिजली की खपत पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे।

महोदय, मैं जानता हूं कि आप बहुत जल्दी में हैं, परंतु मुद्दा यह है कि हमें भी इसमें अपना योगदान देने का मौका मिलना चाहिए। मंत्री जी तो हमेशा ही बोलते रहते हैं। हमें कुछ महत्वपूर्ण मुददों को उठाने का मौका नहीं मिलता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इससे सरकार पर बोझ बढ़ेगा। सरकार एक और निकाय का गठन कर रही है। सरकार यह कह रही है कि वह कर्मचारियों की संख्या घटा रही है परंतु यह उसे किसी और स्थान पर बढ़ा रही है। सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा और इस तरह के उपाय से खपत में कमी नहीं होने वाली है। मैं यही कहना चाहता हूं।

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए सभी मुददों पर चर्चा करुँगा। सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों को इस विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

एक यूनिट बचाई गयी बिजली तीन यूनिट बिजली के उत्पादन के बराबर होती है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता है। इस का अर्थ यह नहीं है कि हम विद्युत उत्पादन की अपनी प्राथमिकता से भाग रहे हैं। परंतु, यदि हम ऊर्जा का उत्पादन इसके संरक्षण के प्रयासों के बिना करते रहेंगे तो हमारे सभी प्रयासों के परिणाम हमारे पहले से ही सीमित संसाधनों की बर्बादी के रूप में होगा। प्रति मेगावाट ऊर्जा क्षमता में वृद्धि पर कम से कम 4 करोड़ रु. व्यय होते हैं। यदि हम एक मेगावाट भी ऊर्जा की बचत करें तो हम 4 करोड़ रु. बचा लेंगे। देश में ऊर्जा बचत की संभावना 25 प्रतिशत तक है। यदि हम करीब 25,000 मेगावाट ऊर्जा की बचत करने का प्रयास करेंगे तो हम एक लाख करोड़ रुपये की बचत कर लेंगे। इस एक लाख करोड़ रुपये की धनराशि को कई परियोजनाओं में निवेश किया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि गठित निकाय में कम से कम नौकरशाह हों और इंस्पेक्टर राज न हो मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एक स्वनियामक तंत्र का गठन करेंगे। हम ऐसे संगठनों का गठन नही करेंगे जो मीटर

रीडिंग के लिए परिसरों में जायें। हम स्वनियामक तंत्र का गठन करेंगे इससे सख्त जांच अधिकारियों को लोगों और उद्योगों के दरवाजों पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

कई माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि महा निदेशक प्रशासनिक अधिकारी नहीं होना चाहिए। हमने स्थायी समिति की सिफारिशें मान ली हैं। खंड 9 (1) में यह कहा गया है कि महा निदेशक के लिए आवश्यक नहीं कि वह प्रशासनिक अधिकारी हो। उसके अंदर कुछ निश्चित योग्यताएं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में ये योग्यताएं होंगी उसका ही इस पद के लिए चयन किया जाएगा। इसलिए हमने स्थायी समिति द्वारा की गई इस अति महत्वपूर्ण सिफारिश को पहले ही मान लिया है। सच तो यह है कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को बिना किसी अपवाद के मान लिया है। हमने ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों को भी शामिल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने उनकी तरफ अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया है, हमने उन पर भी ध्यान दिया है। उन्हें भी ऊर्जा के प्रति अपनी संवेदनहीनता को कम करना पड़ेगा। इसमें हमने रेलवे को भी शामिल किया है।

चूंकि यह पहले से ही अनुसूची में है–इसके अतिरिक्त स्थायी समिति ने भी इसकी सिफारिश की है–इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि और अधिक वित्तीय छूट दी जानी चाहिए। चूंकि वित्त मंत्री महोदय इस मुद्दे पर मेरे विचार सुनने के लिए यहां आए हैं इसलिए मुझ विश्वास है कि वे ऊर्जा बचत उपकरणों पर कतिपय छूट देकर इस तरफ निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

इस ओर भी इशारा किया गया था कि यह जरूरी नहीं कि इसका मुख्यालय दिल्ली में ही हो। मैं भी इससे सहमत हूं। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इसका मुख्यालय दिल्ली में निश्चित ही नहीं होगा। श्री मोहाले इस मामले मे बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि इसका मुख्यालय शायद उनके अपने राज्य महाराष्ट्र में ही कहीं होगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : इसका कारण यह है कि आप भी महाराष्ट्र के हैं।

श्री सुरेश प्रभु : चूंकि वे बोल नहीं पाए इसलिए हमें कुछ तो उन्हें इसके बदले देना चाहिए।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : ऐसे अनेक सदस्य हैं जो बोल नहीं पाए हैं। आपने उनके राज्य में इसकी स्थापना की घोषणा क्यों नहीं की?

श्री सुरेश प्रभु : श्री मोहाले जनता दल (सेकुलर) के एक मात्र सदस्य हैं। चूंकि हम धर्मनिरपेक्षता का सचमुच आदर करते हैं। इसलिए जनता दल (सेकुलर) की इच्छाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अलग–अलग तारीखें निर्धारित की गई है। एक सदस्य ने इसका कारण पूछा है। इसका एक निश्चित कारण है। विभिन्न उद्योगों को विभिन्न समय पर कानून के विभिन्न प्रावधानों के नियंत्रण में लाया जाएगा। इसलिए, इस प्रकार निर्धारित किया गया है। किसी भी तरह विभिन्न प्रावधानों को समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि इस ब्यूरो में हम वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को भी शामिल करें। इस ब्यूरो में तकनीकी और अनुसंधान विभाग के छः सदस्य, पांच सदस्य तकनीकी कार्मिक; और चार सदस्य उद्योगों, उपकरणों के निर्माताओं और उपभोक्ताओं के होंगे। इसमें इन सभी लोगों को शामिल किया जाएगा।

सच तो यह है कि इस समिति में मनोमीत होने वाले सदस्यों में तकनीशियनों, वैज्ञानिकों और व्यवसायिकों की संख्या सरकारी कर्मचारियों से अधिक होगी।

महोदय, मैं श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा का आदर करता हूं। वे सरकार की समस्याओं को जानती है। उन्होंने कहा है कि वे जानती हैं कि सभी सरकारी कार्यालय हमेशा अपना कार्य कैसे करते रहते हैं। वे डी ओ पी टी की प्रभारी रही हैं। वे अन्य लोगों की अपेक्षा इसके बारे में बेहतर जानती हैं। इसलिए हम इस मुद्दे पर भी ध्यान देंगे।

इसके अतिरिक्त, मैं उनको यह भी आश्वासन दे सकता हूं कि इस समिति में हम पुरूषों से अधिक महिलाओं को शामिल करेंगे।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रुप में मनाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूं कि उस समिति में एक–तिहाई महिलाओं को शामिल किया जाए।

श्री सुरेश प्रभु : सच तो यह है मैं तो इससे भी अधिक महिलाओं को शामिल करने की सोच रहा था। परंतु वे संख्या घटाना चाहती है। ठीक है....*(व्यवधान)*

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : वे इनका अनुपात 50:50 कर सकते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, यह पहले ही कहा गया है कि हमें अनुसंधान और विकास के कार्य को बढावा देना चाहिए। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि करीब छः माह पहले, पहली बार हमने विद्युत विभाग के लिए अनुसंधान और विकास समिति का गठन किया है। इस समिति में जाने–माने वैज्ञानिकों को जो विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं, शामिल किया गया है।

हमने अब तक जितनी भी प्रक्रियाओं का विकास किया है उनमें से कई प्रक्रियाएं अन्य विभागों से संबंधित है। परंतु विद्युत क्षेत्र में मूल अनुसंधान उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। इसलिए अनुसंधान और विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

इसमें ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा, जैसा कि श्री बसुदेव आचार्य चाहते थे।

इसलिए हम विद्यमान विद्युत संयंत्रों के अनुसंधान और आधुनिकीकरण के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता 15,000 मे.वा. है। सत्य तो यह है कि इस संबंध में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीए) कार्यक्रम शुरु किया गया है। जिसके अंतर्गत विद्यमान विद्युत संयंत्रों के अनुसंधान और आधुनिकीकरण के लिए नियत धनराशि खर्च की जाएगी। हम इस पर भी ध्यान देंगे।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या आप ने उद्योगों के लिए रक्षित विद्युत संयंत्रों पर भी विचार किया है? उद्योगों को रक्षित विद्युत संयंत्रों में निवेश करने दीजिए।

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी मामलों पर गौर किया गया है। परंतु ये मुद्दे इस विधेयक के अंग नहीं हैं। इस विधेयक का अभिप्राय कुछ और है। सच तो यह है कि हम इस विधेयक में विद्युत क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों को शामिल नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक अलग विधेयक संसद में पुरः स्थापित करने वाले हैं, जिसमें जो कुछ आप जानना चाहते हैं, अर्थात् पुनः प्रयोज्य ऊर्जा को इसमें क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं जैसे सभी मामलों को शामिल करेंगे। इस विधेयक का अभिप्रायः इस मामले से नहीं है। पुनः प्रयोज्य ऊर्जा रक्षित ऊर्जा उत्पादन, पनबिजली उत्पादन इत्यादि सभी मामले विद्युत उत्पादन से संबंधित है। इस विधेयक का लक्ष्य मांग पक्ष की ओर से ऊर्जा संरक्षण करना है। इसलिए, इस मामले को इस विधान द्वारा नहीं निपटाया जा सकता...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आप इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभु : यह स्पष्ट है कि हम इस पर विचार करेंगे। परंतु इस पर विचार इस विधेयक में नहीं हो सकता क्योंकि यह इस विधेयक के दायरे में नहीं आता है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : परंतु हमें आशा है कि जब आप ऊर्जा से संबंधित मामलों पर ध्यान देंगे तो आप इन मुद्दों पर जरूर विचार करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : वह यह पहले ही कह चुके हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : उन्हें इन सभी मामलों पर विचार करना चाहिए। उद्योगों को रक्षित विद्युत संयंत्रों में निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री, कृपया आप अपनी बात जारी रखें।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, इसलिए मैं सोचता हूं कि यह विधेयक सभा द्वारा ध्वनिमत से पारित किया जाना चाहिए। तथा मैं कह सकता हूं कि इस विधेयक का समर्थन सभी सदस्यों ने किया है क्योंकि स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। निस्संदेह मुझे आशा है कि सभा इसे ध्वनिमत से पारित करेगी।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : सभापति महोदय, मंत्री महोदय, कृषि से संबंधित एक महत्वपूर्ण मद का उल्लेख करना भूल गए हैं। कल हस्तक्षेप के दौरान मंत्री महोदय ने बताया था कि कृषि क्षेत्र भी इस विधेयक में शामिल किया गया है।

सभापति महोदय : श्री टी. एस. सेल्वागनपति। आप पहले ही बोल चुके हैं।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मद है। कुछ राज्य किसानों को मुफ्त बिजली देते हैं। ...*(व्यवधान)* यदि यह कृषि क्षेत्र में कार्यान्वित हो जाता है तो कृषि संबंधी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। वे रातोंरात पंपसेट नहीं बदल सकते। समय सीमा क्या है? क्या नीति अपनायी जा रही है?

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, वास्तव में हम हर प्रकार के उद्योगों के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्षमता मानदण्ड नियत कर रहे

हैं। पंप सेट का विनिर्माण कृषि के लिए किया जाता है। उनका उपयोग केवल कृषि में किया जाता है। परंतु पंपों का निर्माण, विनिर्माण क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तब हम उनके लिए नए ऊर्जा संरक्षण मानदंड नियत करने का प्रयास कर रहे हैं। मानदंड एक बार नियत किए जाने के बाद उनके द्वारा उसका पालन किया जाएगा। इससे कृषि को लाभ होगा। कृषि संबंधी पंपों के माध्यम से जो बिजली कृषि क्षेत्र में उपयोग की जाती है। वह विनिर्माण के स्तर पर निर्धारित होती है। इसलिए इसे नियत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने शुल्क के बारे में जानना चाहा। शुल्क संबंधी सभी मुद्दे अब विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

इसलिए वस्तुतः विनियामक आयोगों को इन मुददों का समाधान करना होगा। इसलिए इस विधेयक के पारित कराने के लिए हमें सभा के समर्थन की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी, नहीं। अपराह्न तीन बजे से हमें गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करना है।

...(व्यवधान)

श्री जे. एस. बराड़ : सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि देश के कुछ राज्य निःशुल्क बिजली दे रहे हैं। चुनाव अभियान के दौरान यह आम नारा होता था। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की नीति क्या है। वह इसे बढ़ावा देती है अथवा सचमुच इसे हतोत्साहित करती है? यह अत्यंत सरल प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : निस्सन्देह यह इस विधेयक का अंग नहीं है। ....*(व्यवधान)* निश्चित रूप से मैं इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त समय पर दूंगा। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग तथा उसके संरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 - परिभाषाएं

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 *के पश्चात्* निम्नलिखित *अंतः स्थापित* किया जाये,–

"(कक) "अपील अधिकरण" से धारा 30 के अधीन स्थापित ऊर्जा संरक्षण अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(कख) "भवन" से धारा 15 के खंड (क) या धारा 41 की उपधारा (2) के खंड (ठ) के अधीन ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता से संबंधित नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् ऐसी कोई संरचना या परिनिर्माण अथवा किसी संरचना या परिनिर्माण का भाग, जिसमें 500 किलोवाट का संयोजित भार हो या 600 के वी ए की मांग संविदा हो और उपर्युक्त का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हो;"। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 12 में, "जलविद्युत" *के स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाये:––

"न्यूक्लीयर पदार्थों या सामग्री, जलविद्युत"। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 15 और 16 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाये:–,

'(छ) "ऊर्जा संपरीक्षा" से ऊर्जा के उपयोग का सत्यापन, मानीटरी और विश्लेषण अभिप्रेत है जिसमें ऊर्जा दक्षता के सुधार के लिए सिफारिशें और लागत सुविधा विश्लेषण और ऊर्जा खपत में कमी लाने पर कार्य योजना युक्त तकनीकी रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण सम्मिलित है:' (5)

पृष्ठ, –

पंक्ति 29 से 37 का लोप किया जाए। (6)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 - ब्यूरो का प्रबंध

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 3, पंक्ति 28 में "दस" *के स्थान पर* "बीस" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 28 में "चौदह" *के स्थान पर* "छब्बीस" प्रतिस्थापित किया जाये।

पृष्ठ 3, पंक्ति 31 और 32 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाये। –

"(क) मंत्री जो विद्युत से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक हैं

.... पदेन अध्यक्ष;

(कक) भारत सरकार का ऐसा सचिव जो विद्युत से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है (9)

..... पदेन सदस्य;"।

पृष्ठ 4, पंक्ति 4 से 11 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाये,–

"(ङ) सचिव, भारत सरकार जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है

..... पदेन सदस्य;

(च) सचिव, भारत सरकार जो उपभोक्ता मामलों से संबधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है

..... पदेन सदस्य;

1948 का 54 (छ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष ..... पदेन सदस्य;

1960 का कर्नाटक अधिनियम सं. 17 (ज) कर्नाटक सोसायटीज ऐक्ट, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान का महानिदेशक

..... पदेन सदस्य;

1860 का 21 (झ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी कंजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन का कार्यपालक निदेशक

..... पदेन सदस्य;

1956 का 1 (ञ) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

..... पदेन सदस्य;

1986 का 63 (ट) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक

..... पदेन सदस्य;

(ठ) महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण गृह, प्रदाय विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कोलकाता ..... पदेन सदस्य;

1956 का 1 (ड) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक

पदेन सदस्य;

(ढ) पांच विद्युत क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक सदस्य जो उक्त क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ..... सदस्य;

(ण) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से जो पांच विद्युत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो केन्द्रीय सरकार की राय में उद्योग, उपस्कर और साधित्र विनिर्माता, वास्तुविद और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं, सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले चार से अनधिक उतने व्यक्ति जो विहित किए जाएं।

..... सदस्य;

(त) दो से अनधिक उनती संख्या में व्यक्ति जो शासी परिषद् द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाएं ..... सदस्य;

(थ) महानिदेशक, ब्यूरो

.....पदेन सदस्य सचिव।"। (10)

पृष्ठ 4, पंक्ति 14 में "खंड (च)" *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाये,–

"खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (त)" (11)

पृष्ठ 4, पंक्ति 16 में "खंड (च)" *के स्थान पर* "खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (त)" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (12)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप, में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 7 - सदस्य को पद से हटाया जाना

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 4, पंक्ति 38 में "खंड (च) *के स्थान पर* "खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (त)" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (13)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 - सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 5, पंक्ति 11 और 12 में "ब्यूरो, समय–समय पर और जब भी वह आवश्यक समझे" *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाये–

"ब्यूरो, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर"। (14)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 - ब्यूरो महानिदेशक

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 5, पंक्ति 20 से 28 तक *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाये–

"9. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे योग्य और ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से जिन्हें ऊर्जा उत्पादन, प्रदाय और ऊर्जा प्रबंध, मानकीकरण और ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण से संबंधित विषयों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो, महानिदेशक नियुक्त करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न व्यक्ति को ब्यूरो के सचिव के रूप में नियुक्त करेगी।" (15)

पृष्ठ 5, पंक्ति 32 से 33 *के स्थान पर* निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"(4) महानिदेशक को संदेय वेतन और भत्ते और उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा ब्यूरो के सचिव के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं"। (16)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अपराह्न 3.00 बजे

खण्ड 13 - ब्यूरो की शक्तियां और कृत्य

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 5, पंक्ति 18 और 19, –

"उसके द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की गहनता और मात्रा को ध्यान में रखते हुए" का लोप किया जाए। (17)

पृष्ठ 8, पंक्ति 11 में "अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा नियुक्त किए जाने वाले" के *स्थान पर* "अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा अभिहित या नियुक्त किए जानेवाले *प्रतिस्थापित* किया जाए। (18)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 - ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और उसके संरक्षण को सुकर बनाने और प्रवर्तित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 8, पंक्ति 30 और 31 में "विनिर्माण या विक्रय अथवा क्रय" *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"विनिर्माण या विक्रय या क्रय या आयात"। (19)

पृष्ठ 8, पंक्ति 32 *के पश्चात्* निम्नलिखित *अंतः स्थापित* किया जाए:–

"परंतु इस धारा के खंड (क) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के भीतर उपस्कर या साधित्र के विनिर्माण या विक्रय या क्रय या आयात का प्रतिषेध करने वाली कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।"। (20)

पृष्ठ 8, पंक्ति 36 से 38 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:–

"(ङ) उपभोग की गई ऊर्जा की गहनता या मात्रा को और ऊर्जा दक्ष उपस्करों के प्रयोग में बदलने में अपेक्षित विनिधान की रकम और उसमें विनिधान करने की उद्योग की क्षमता और उद्योग द्वारा अपेक्षित ऊर्जा दक्ष मशीनरी और उपस्कर की उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऊर्जा के किसी उपयोक्ता या उपयोक्ताओं के वर्ग को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।"। (21)

पृष्ठ 9, पंक्ति 23 और 24 में "ऊर्जा प्रबंधक नियुक्त करें" *के स्थान पर* "ऊर्जा प्रबंधक अभिहित या नियुक्त करें" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (22)

पृष्ठ 9, पंक्ति 27 में, –"नियुक्त किए जाने वाले" *के स्थान पर* "अभिहित या नियुक्त किए जाने वाले" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (23)

पृष्ठ 9, पंक्ति 31 से 33 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"(ण) किसी ऐसे अभिहित उपभोक्ता को, जो खंड (छ) में विहित ऊर्जा खपत सन्नियम और मानकों को पूरा न करता हो, ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और उसके संरक्षण के लिए एक स्कीम तैयार करने और ऐसी स्कीम को, विनिधान की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कार्यान्वित करने के लिए निदेश दे सकेगी।" (24)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 15 और 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 17 - निरीक्षण की शक्ति

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 11, पंक्ति 21 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए....

"17. (1) अभिहित अभिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर, उतने निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।" (25)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 से 25 विधेयक में जोड दिए गए।

खण्ड 26 - शास्ति

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 14, पंक्ति 11 में "एक लाख रुपए" *के स्थान पर* "दस हजार रुपए" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (26)

पृष्ठ 14, पंक्ति 13 में "दस हजार रुपए" *के स्थान पर* "एक हजार रुपए" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (27)

पृष्ठ 14, पंक्ति 14 *के पश्चात्* निम्नलिखित *अंतः स्थापित* किया जाए–

"परंतु कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष के भीतर शास्ति देने का भागी होगा।" (28)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 27 और 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 29 - सिविल न्यायालय को अधिकारिता न होना।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 15, पंक्ति 3 और 4 में "इस अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी" *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"इस अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील अधिकरण"। (29)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महादेय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। –

खण्ड 29, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 30 - अपील अधिकरण की स्थापना।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 15,पंक्ति 9 से 18, खण्ड 30 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"अध्याय 8 क

ऊर्जा संरक्षण अपील अधिकरण

अपील अधिकारी की स्थापना

30. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन न्याय निर्णयन अधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपील अधिकरण स्थापित करेगी जो ऊर्जा संरक्षण अपील अधिकरण के रूप में ज्ञात होगा। 30

अपील अधिकारण की अपील

30 क. (1) किसी न्याय निर्णयन अधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऊर्जा संरक्षण अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा: 30 क

परंतु न्याय निर्णयन अधिकारी के शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरूद्ध अपील करने वाला कोई व्यक्ति, अपील फाइल करते समय शास्ति की रकम जमा कराएगा;

परन्तु यह और कि जहां किसी विशेष मामले में, अपील अधिकरण की यह राय हो कि ऐसी शास्ति का निक्षेप ऐसे व्यक्ति के लिए असम्यक् कठिनाई पैदा करेगा वहां अपील अधिकरण, ऐसे निक्षेप से अभिमुक्ति दे सकेगा जो कि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो वह शास्ति की वसूली को सुरक्षित करने के लिए आधिरोपित करना ठीक समझे।

(2) उपधारा (1)के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से जिसको न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रति व्यथित द्वारा प्राप्त की जाती है, 45 दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में, ऐसे रूप में सत्यापित और ऐसी फीस के साथ होगी जो विहित की जाए:

परन्तु अपील अधिकरण, उक्त 45 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि उस अवधि के भीतर फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(3) अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्त पर अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी पुष्टि करते हुए, उपांतरित करते हुए या अपास्त करते हुए जैसा वह ठीक समझे, आदेश पारित कर सकेगा।

(4) अपील अधिकरण अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों को और संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी को भेजेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील यथासंभव शीघ्रता से निपटाई जाएगी और अपील की प्राप्ति की तारीख से 180 दिन के भीतर अपील को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा;

परन्तु जहां कोई अपील 180 दिन की उक्त अवधि के भीतर निपटाई न जा सके वहां अपील अधिकरण उक्त अपील को उक्त अवधि के भीतर न निपटाने के लिए कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(6) अपील अधिकरण, इस् अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, न्याय निर्णयन अधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश की, किसी कार्यवाही के संबंध में वैधता, औचित्य या शुद्धता की परीक्षा के प्रयोजनार्थ स्वप्रेरणा से या अन्यथा ऐसी कार्रवाईयों के अभिलेख मंगवाएगा और मामले में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे।

अपील अधिकारी की संरचना

30 ख. (1) अपील अधिकरण में एक अध्यक्ष और चार से अनधिक उतने सदस्य होंगे जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन होते हुए –

(क) अपील अधिकरण की न्याधिकारिता उसकी न्यायपीठों द्वारा प्रयोग की जाएगी;

(ख) अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अपील अधिकरण के दो या अधिक सदस्यों को मिलाकर एक न्यायपीठ गठित की जा सकेगी जैसा अपील अधिकरण का अध्यक्ष ठीक समझे:

परन्तु इस खंड के अधीन गठित प्रत्येक न्यायपीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होगा;

(ग) अपील अधिकरण की न्यायपीठें साधारणतया नई दिल्ली में और ऐसे अन्य स्थानों में आसीन होंगी जो केन्द्रीय सरकार अपील अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से अधिसूचित करे;

(घ) केन्द्रीय सरकार वे क्षेत्र अधिसूचित करेगी जिनके संबंध में अपील अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ न्याधिकारिता का प्रयोग करेगी।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपील अधिकरण का अध्यक्ष, अपील अधिकरण के किसी सदस्य को एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में अंतरित ककर सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए –

(i) "न्यायिक सदस्य" से अभिप्रेत है अपील अधिकरण का ऐसा सदस्य जो धारा 30ग की उपधारा (1) के खंड (ख) की मद (i) या मद (ii) के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया हो और इसमें अपील अधिकरण का अध्यक्ष सम्मिलित है;

(ii) "तकनीकी सदस्य" से अभ्रिप्रेत है अपील अधिकरण का ऐसा सदस्य जो धारा 30ग की उपधारा (1) के खंड (ख) की मद (iii) या मद (iv) या मद (v) या मद (vi) के अधीन नियुक्त किया गया हो।

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं।

30ग. (1) कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नही होगा जब तक कि वह– 30 ग

(क) अपील अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो; और

(ख) अपील अधिकरण के सदस्य की दशा में,—

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो या होने के लिए अर्हित हो; या

(ii) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और उस सेवा में कम से कम तीन वर्ष के लिए श्रेणी–। में पद धारण किया हो; या

(iii) केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय विभाग जो विद्युत या कोयला या पैट्रोलियम या परमाणु ऊर्जा में व्यवहार करता हो, में कम से कम एक वर्ष के लिए सचिव है या रहा है; या

(iv) कम से कम एक वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष है या रहा है; या

(v) कम से कम तीन वर्ष के लिए ब्यूरो के महानिदेशक या केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान का महानिदेशक या भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक हो या रहा हो या कम से कम तीन वर्ष के लिए समतुल्य पद धारण किया हो; या

(vi) योग्य और ख्यातिप्राप्त ऐसा व्यक्ति हो या रहा हो जिसे ऊर्जा उत्पादन, प्रदाय और ऊर्जा प्रबंध, ऊर्जा और उसके संरक्षण के मानकीकरण और दक्ष उपयोग से संबंधित मामलों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो और जिसने इंजीनियरी, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि या प्रबंध से संबंधित समस्याओं को निपटाने में क्षमता दर्शित की हो।

30घ. अपील अधिकरण का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पदभार ग्रहण करता है, 5 वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में अपना पद धारण करेगा; 30 घ

परन्तु अपील अधिकरण का कोई अध्यक्ष या सदस्य निम्नलिखित के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा, –

(क) अपील अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में 72 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर;

(ख) अपील अधिकरण के किसी सदस्य की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर।

30ङ अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगे जो विहित किए जाएं; 30 ङ

परन्तु अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के न तो वेतन और भत्तों और न अन्य निबंधनों और शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकर कोई परिवर्तन किया जाएगा।

30च. यदि अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के पद में रिक्ति होती है तो केन्द्रीय सरकार उक्त रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी और अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम में जारी रहेंगी जिससे वह रिक्ति भरी गई थी। 30 च

30छ. (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा: 30 छ

परन्तु अपील अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जब तक कि केन्द्रीय सरकार उसे अपने पद का त्याग शीघ्रतर करने के लिए अनुज्ञात, न करे, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यकृतः नियुक्त व्यक्ति के अपना पद संभालने तक उसकी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी शीघ्रतम हो, अपना पद धारण करता रहेगा।

(2) अपील अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की गई जांच, जिसके संबंध में अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को उसके विरूद्ध आरोपों के संबंध में सूचित किया गया हो और ऐसे आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, के पश्चात् साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर कोई आदेश न करे।

30ज. (1) अपील अधिकरण के अध्यक्ष पद में उसकी मृत्यु, पद त्याग या अन्यथा किसी कारण से कोई रिक्ति होने की दशा में, अपील अधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य, अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। 30 ज

(2) जहां अपील अधिकरण का अध्यक्ष, अनुपस्थिति रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो वहां अपील अधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य, अपील अधिकरण के अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन उस तारीख तक करेगा जब तक कि अपील अधिकरण का अध्यक्ष अपना कर्तव्य भार न संभाल ले।

30झ. (1) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण के लिए उतने अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जितने वह ठीक समझे। 30 झ.

(2) अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, यथास्थिति अधिकरण के अध्यक्ष के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

30ञ. (1) अपील अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1980 द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा वरन् नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्ग–दर्शित होगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन होगा। अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। 1908 का 5 30ञ

(2) अपील अधिकरण के पास निम्नलिखित विषय से संबंधित किसी वाद का विचारण करते समय, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1980 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:– 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करवाना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) भारती साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना; 1872 का 1

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) किसी अभ्यावेदन को त्रुटि के कारण खारिज करना या उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना;

(ज) किसी अभ्यावेदन को खारिज करने के किसी आदेश को या व्यतिक्रम के किसी अभ्यावेदन को या अपने द्वारा एक–पक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना;

(झ) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) अपील अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश अपील अधिग्रहण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा और इस प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को स्थानीय अधिकारिता

रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को प्रेषित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस आदेश को ऐसे निष्पादित करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा की गई डिक्री हो।

(5) अपील अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

30ट. जहां न्यायपीठों का गठन किया जाता है वहां अपील अधिकरण का अध्यक्ष, समय–समय पर अधिसूचना द्वारा न्यायपीठों में अपील अधिकरण के कारबार के वितरण के संबंध में उपबंध करेगा और ऐसे विषयों का भी उपबंध करेगा जिनका निपटान प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा। 30 ट

अध्यक्ष की मामलों को स्थानान्तरित करने की शक्ति।

30ठ. किसी भी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर और पक्षकारों को सूचना देकर तथा उनकी जो ऐसी वांछा करे, सुनवाई के पश्चात् या स्वप्रेरणा से ऐसी सूचना दिए बिना अपील अधिकरण का अध्यक्ष किसी एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटान के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को स्थानांतरित कर सकेगा। 30 ठ

विनिश्चय का बहुमत से होना।

30ड यदि किसी न्यायपीठ जिसमें दो सदस्य हैं, के सदस्यों की राय किसी बिंदु पर भिन्न हो तो वे उस बिन्दु या बिन्दुओं जिन पर उनकी राय भिन्न है, का कथन करते हुए अपील अधिकरण के अध्यक्ष को निर्देश करेगा, जो या तो उन बिन्दु या बिन्दुओं की स्वयं सुनवाई करेगा या उस मामले को उक्त बिन्दु या बिन्दुओं की सुनवाई के लिए अपील अधिकरण के एक या अधिक सदस्यों को निर्देशित करेगा और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं का विनिश्चय अपील अधिकरण के उन सदस्यों जिन्होंने उसकी सुनवाई की है, जिसमें वे भी सम्मिलित है जिन्होंने उसे पहले सुना था, के बहुमत के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा। 30 ड

अपीलार्थी का विधि व्यवसायी या प्रत्यायित संपरीक्षक की सहायता लेने और सरकार के प्रस्तुतीकरण अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार।

30ढ (1) इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण को अपील करने वाला कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपनी पसंद के यथास्थिति किसी विविध व्यवसायी या प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक की सहायता ले सकता है। 30ढ

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार एक या अधिक विधि व्यवसायियों या अपने किसी अधिकारियों को प्रस्तुतीकरण अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और उस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील की बाबत मामले का प्रस्तुतीकरण कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय को अपील।

30ण. अपील अधिकरण के विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको अपील अधिकरण के विनिश्चय या आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा; 30 ण

1908 का 5

परन्तु उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणवश निवारित हुआ था, 60 दिन से अनधिक और अवधि के भीतर अपील फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।" (30)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि खण्ड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 32 - अपील अधिकरण की संरचना।

संशोधन किया गया :-

पृष्ठ 16, पंक्ति 4, –

"खंड (च) *के स्थान पर,* "खंड (ढ),

खंड (ण) और खंड (त) "*प्रतिस्थापित* किया जाए। (31)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि खण्ड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 33 से 37 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 38 - कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 17, – पंक्ति 29 *के पश्चात्* निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए–

"परन्तु यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, किसी अभिहित उपभोक्ता या अभिहित उपभोक्ताओं के वर्ग को पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए छूट नहीं देगी:

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसी छूट देने से पूर्व ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करेगी।"। (32)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 39 - अपील अधिकरण का कर्मचारिवृंद

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 17, – पंक्ति 30 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"39. अपील अधिकरण का अध्यक्ष या अपील अधिकरण के सदस्य या अपील अधिकरण के अधिकारी अथवा कर्मचारी या राज्य आयोग के सदस्य या ब्यूरो के सदस्य, महानिदेशक, सचिव अधिकारी।"। (33)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 41 - न्यायपीठों में कारबार का वितरण

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 18, पंक्ति 2, – "खंड (च)" *के स्थान पर* "खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (त)" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (34)

(श्री सुरेश प्रभु)

पृष्ठ 18, पंक्ति 6 और 7 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"(ग) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक को संदेय वेतन और भत्ते और उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा ब्यूरो के सचिव की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। (35)

(श्री सुरेश प्रभु)

पृष्ठ 18, पंक्ति 32,*के पश्चात्* निम्नलिखित *अंतः स्थापित* किया जाए–

"(थक) धारा 30क की उपधारा(2) के अधीन ऐसी अपील फाइल करने के लिए प्ररूप और फीस;

(थख) धारा 30ङ के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अपील अधिकरण के सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(थग) धारा 30झ की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें

(थघ) वे अतिरिक्त विषय, जिनकी बाबत अपील अधिकरण धारा 30ञ की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;"। (36)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 41, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 41, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 42 से 45 विधेयक में जोड़ दिये गये।

नियम 80 का निलंबन

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से संगत होगा, ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 की सरकारी संशोधन संख्या 37 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से संगत होगा, ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 की सरकारी संशोधन संख्या 37 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 45क – अधिनियम के उपबंधों का कतिपय दशाओं में लागू न होना

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 20, पंक्ति 17, *के पश्चात्* निम्नलिखित *अंतः स्थापित* किया जाए :–

"45क. इस अधिनियम के उपबंध रक्षा, परमाणु ऊर्जा से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या ऐसे ही अन्य मंत्रालयों या विभागों या ऐसे मंत्रालयों या विभागों के नियंत्रणाधीन उपक्रमों या बोर्डों या संस्थाओं को लागू नहीं होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।" (37)

"अधिनियम के उपबंधों का कतिपय दशाओं में लागू न होना।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 45क विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 45क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 20, पंक्ति 28 से 38 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

ऊर्जा गहन उद्योगों और अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट अन्य संस्थापनों की सूची

1. अल्यूमिनियम;
2. उर्वरक;
3. लौह और इस्पात;
4. सीमेंट;
5. गूदा और कागज;
6. क्लोर अल्कली;
7. चीनी;
8. वस्त्र;
9. रसायन;
10. रेल;
11. पत्तन न्यास;
12. परिवहन सेक्टर (उद्योग और सेवाएं)
13. पेट्रो–रसायन, गैस क्रैकर, नैप्था क्रैकर और पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं;
14. तापीय विद्युत केन्द्र, जल – विद्युत केन्द्र, विद्युत पारेषण कंपनियां और वितरण कंपनियां;
15. वाणिज्यिक भवन या स्थापन।" (38)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

" कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 में "2000" के स्थान पर "2001" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "इक्यावनवें वर्ष" *के स्थान पर* "**बावनवें वर्ष**" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (1)

(श्री सुरेश प्रभु)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री सुरेश प्रभु : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप मे, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.14 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य - जारी

[हिन्दी]

(दो) पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल में जमुई स्टेशन पर मुजफ्फरपुर-सियालदाह यात्री रेलगाड़ी की मालगाड़ी के डिब्बों के साथ हुई टक्कर

रेल मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : सभापति जी, मुझे इस सदन को एक दुर्भाग्यपूर्ण टक्कर के बारे में सूचित करते हुए अत्यंत खेद है, इस टक्कर में 132 डाउन मुजफ्फरपुर – सियालदह पैसेंजर और गिद्धौर स्टेशन से लुढ़के एक विभागीय गाड़ी के 11 मालडिब्बों के बीच टक्कर हो गई, यह दुर्घटना 16.8.2001 को पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल के झाझा–किऊल खंड के जमुई स्टेशन पर 20.12 बजे हुई।

132 डाउन मुजफ्फरपुर – सियालदह पैसेंजर गाड़ी 19.48 बजे चौरा ब्लाक हट स्टेशन पर पहुंची और यथानिर्धारित ठहर गई। उसी समय 15 आठ–पहिया मालडिब्बों वाली विभागीय मालगाड़ी, जिसमें गिट्टी लदी थीं, को निकटवर्ती गिद्धौर स्टेशन पर खडा किया जा रहा था, गिद्धौर, दोहरी लाइन खंड पर चार लाइन वाला एक स्टेशन है, जहां एक मुख्य लाइन और एक लूप लाइन अप दिशा में और एक मुख्य और एक लूप लाइन डाउन दिशा में है। अप लूप लाइन पर ऊंचा प्लेटफॉर्म है और डालन लूप लाइन पर नीचा प्लेटफॉर्म है। दोनों प्लेटफॉर्म एक ऊपरी पैदल पुल द्वारा जुड़े हुए हैं।

गिट्टी को अगले ब्लॉक खंड में उतारा जाना था और विभागीय गाड़ी को स्टेबल करने का विनिश्चय किया गया था, स्टेबलिंग के दौरान पोर्टर ने यह सोच कर मालडिब्बों के कपलिंग खोल दिए कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बन जाएगा। इसके तत्काल बाद, जब मालडिब्बों के कपलिंग खोल दिए गए थे, गिद्धौर से 11 माल डिब्बे चौरा ब्लॉक हट की ओर लुढ़कने शुरू हो गए, यह सूचना प्राप्त होते ही टक्कर रोकने के उद्देश्य से 132 डाउन पैसेंजर गाड़ी को जुमई स्टेशन की तरफ पीछे की और से बैक किया गया। जब यह गाडी जमुई स्टेशन पर डाउन मेन लाइन पर ली जा रही थी, लुढके हुए मालडिब्बे जमुई स्टेशन पर 132 डाउन पैसेंजर गाड़ी के इंजन के साथ टकरा गए। इस दुर्घटना के कारण गाड़ी के इंजन से तीसरे और चौथे दो सवारीडिब्बे एक –दूसरे पर चढ गए, इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के परिणमास्वरूप 10 लोग मारे गए, 5 गंभीर रूप से घायल हुए और 10 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को जमुई के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि के रूप में 1,00,000 रुपए, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 25,000 रुपए और जिन्हें मामूली चोटें आई हैं, उन्हें 5,000 रुपए का भुगतान किया जा रहा हैं। मुआवजे की यह राशि रेल दावा अधिकरण के निर्णय के बाद दी जाएगी। घायलों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि 32,000 रुपए और मृत्यु के मामले में 4 लाख रुपए तक भिन्न–भिन्न हो सकती है। फंसे हुए यात्रियों को दुर्घटना स्थल से निकाल दिया गया है और गाडियों का चालान बहाल कर दिया गया है।

घायल यात्रियों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए झाझा तथा दानापुर से दुर्घटना राहत मेडिकल वैन दुर्घटना स्थल पर भेज दिए हैं। सूचना प्राप्त होते ही दानापुर के मंडल रेल प्रबंधक शाखा अधिकारियों के साथ राहत कार्यों का निरीक्षण करने के लिए तत्काल दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो गए और वे 17.8.2001 को 01.25 बजे वहां पहुंच गए, पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक भी मुख्यालय के अधिकारियों के एक दल के साथ कोलकाता से दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं, 140 टन की दो क्रेनें, एक आसनसोल से तथा दूसरी मुगलसराय से, भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई हैं, झाझा – मोकामा खंड पर रूलिंग ग्रेडिएंट 200 में 1 का है, गिद्धौर स्टेशन के स्टेशन खंड से ही 300 में 1 का फालिंग ग्रेडिएंट भी शुरू होता है। प्रथम दृष्ट्या इस दुर्घटना का कारण गिद्धौर स्टेशन से मालडिब्बों का लुढकना प्रतीत होता है, सामग्री गाड़ी के गार्ड, ड्राइवर तथा गिद्धौर स्टेशन मास्टर, पोर्टर को निलंबित कर दिया गया है। पूर्व सर्किल के रेलवे संरक्षा आयुक्त इस दुर्घटना की जांच करेंगे।

रेलवे तथा अपनी ओर से मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवदेना तथा घायलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं, मुझे विश्वास है कि पूरा सदन शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवदेना व्यक्त करने में मेरे साथ है, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अपराह्न 3.18 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन का आबंटन - वापस लिया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब हम प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस लेंगे। अरूण शौरी जी अपना भाषण जारी करेंगे।

[अनुवाद]

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : महोदय, मैं कुछ मिनट का समय लूंगा क्योंकि अनेक सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है। श्री रामानन्द सिंह ने अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने से संबंधित जो मुद्दा उठाया है और सरकार को उनमें से किसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, यह काफी महत्वपूर्ण बात है।

उनका पहला प्रस्ताव यह था कि एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो मुख्यतः क्रियान्वयन में तेजी लाने से संबंधित हो; दूसरा, इस प्रयोजनार्थ धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए और तीसरा, नई योजनाएं केवल तभी आरंभ की जायें जब उनके लिए धन की व्यवस्था हो जाये। बहस के दौरान अनेक सदस्यों ने ऐसी अनेक ह्रदय विदारक बातें बतायी। जिनके कारण परियोजनाएं पूरी न हो सकीं और जिनके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के निवासियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

श्री स्वाइं, श्री साहू तथा अन्य सदस्यों द्वारा बताए गए अपने अपने अनुभवों के आधार पर कई महत्पूर्ण सुझाव दिए गए हैं। माननीय सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिये। श्रीमती श्यामा सिंह ने ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया जिनसे हम इन परियोजनाओं को अविलंब पूरा कर पायेंगे।

ऐसा कहा गया था कि हमें परियोजनाओं का वास्तविक सत्यापन उससे अधिक करना चाहिए जितना कि हम अब करते हैं और अपूर्ण परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक समिति होनी चाहिए क्षेत्र अप्रयुक्त धनराशि को विर्निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था इनमें से कुछेक कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक के हैं। नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से हमें पता चलता है कि यह एजेंसी अपूर्ण पड़ी परियोजनाओं पर वास्तव में ध्यान देती है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों को बढ़ाने के लिए अनेक टिप्पणियां की गई हैं।

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : अप्रयुक्त धनराशि के सम्बंध में आपने बताया कि यह कार्य नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का है। परन्तु ऐसा अनेक वर्ष गुजरने के उपरांत होता है। हम यह चाहते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि खर्च की गई है अथवा नहीं कुछ निरीक्षण तत्काल किया जाना चाहिए और आपके मंत्रालय को तत्संबंधी निर्देश अवश्य देने चाहिए।

श्री अरूण शौरी : यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। परियोजनाओं की निगरानी के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है। महोदय, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 461 परियोजनाओं की निरंतर निगरानी कर रहा है। मैंने पिछली बार सभा का ध्यान तिमाही रिपोर्ट की ओर दिलाया था, जो इन 461 परियोजनाओं के सम्बन्ध में तैयार की गई है। उस रिपोर्ट में उसकी उपलब्धियों, स्वीकृत धनराशि, अब तक व्यय धनराशि, उसमें हुआ विलंब और लागत – अतिरेक इत्यादि अनेक पहलुओं को शामिल किया गया है और मंत्रिमंडलीय सचिवालय सहित प्रधानमंत्री कार्यालय तक के स्तरों पर इसकी समीक्षा की जाती है। हरके तिमाही की रिपोर्ट निर्धारित समय पर ग्रंथालय में रखी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि संसद सदस्य भी इस विस्तृत निगरानी रिपोर्ट को देख लेंगे। उससे केवल केन्द्रीय मंत्रालयों और परियोजना प्राधिकारियों पर ही नहीं अपितु संबंध अधिकारियों पर भी दबाव डालने में मदद मिलेगी। श्री के. पी. सिंह देव बता रहे थे कि किस प्रकार स्थानीय अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण परियोजनाओं में विलंब होता है। भूमि अधिग्रहण जैसी समस्यायें उत्पन्न होती हैं और परियोजनाओं में विलंब होता है। अतः मैं सभी सदस्यों से यह रिपोर्ट देखने का अनुरोध करता हूं और आपको पता चलेगा कि हमारे संयुक्त सहयोग से, हम परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करने में कामयाब हो पायेंगे।

श्री रामानन्द सिंह ने सुझाव दिया है कि इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष कोष से धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वास्तव में, इन परियोजनाओं को पूर्ण करने में वास्तविक अड़चन धनराशि नहीं है। मैंने लगभग 207 परियोजनाओं का इस दृष्टि से व्यक्तिगत रूप में अध्ययन किया है और मैंने यह पाया कि केवल 48 परियोजनाओं में ही धनराशि संबंधी अड़चन की विलंब के कारक के रूप में उल्लेख किया गया था। हमारी निगरानी के अंतर्गत 461 परियोजनाओं में से 85 परियाजनाओं को कब शुरू किया गया है, इसका उल्लेख नहीं है। उनको बस शामिल कर लिया गया है। इन 85 परियोजनाओं में से 61 रेलवे की हैं। श्री रामानन्द सिंह जी जो कुछ करने का अनुरोध कर रहे थे उसे न मानने की हमें अपनी जिम्मेदारी

निर्धारित करनी चाहिए। हर बार जब भी रेलवे बजट पेश किया जाता है, हम रेल–मंत्री से यह अथवा उपरोक्त विशेष रेल लाइन अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बजट में शामिल करने का अनुरोध करते हैं। इस प्रकार ये लाइनें उसमें शामिल की जाती हैं। एक दो लाख रुपये जितनी आंशिक धनराशि आकारित कर दी जाती है और फिर वे परियोजनाएँ भविष्य की अपूर्ण परियोजनाओं का रूप ले लेती हैं। हमें कुछ आत्मानुशासन पर भी ध्यान देना चाहिए। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की तात्कालिक मांगों को पूरा करने की अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं के बावजूद भी हमें यह अनुरोध नहीं करना चाहिए कि धनराशि न होने पर भी ऐसी परियोजनाओं को शुरू किया जाये। यदि हम रेलवे की उन 41 परियोजनाओं को समाप्त कर दें तो केवल 166 परियोजनाएं ऐसी रह जायेंगी जिन्हें परियोजना–अधिकारियों ने धनराशि की कमी के कारण विलंब का दोषी ठहराया है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं, वे कब पूरी होंगी, उनमें कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उनकी जानकारी दिये बिना, तैयारी किये बिना जिन्हें शामिल कर दिया गया है, उनके बारे में आपका क्या कहना है। वे तो पूरी नहीं हो सकतीं।

श्री अरूण शौरी : जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि 85 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और उनमें से 61 प्रोजेक्ट्स सिर्फ रेलवे लाइन्स के हैं, जो हमारे आग्रह पर ही सक्सैसिव रेलवे मिनिस्टरज ने बजट के बीच में डाले हैं। उनके पूरा होने में 30 साल लगेंगे, जैसा रेलवे मिनिस्टर ने कहा था। इसलिए हम भी कोई ऐसा आग्रह न करें और मिनिस्टर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए न इनक्लड करें। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं।

दूसरी चीज मैं आपसें अर्ज कराना चाहता हूं कि इनकम्पलीट प्रोजेक्ट्स में मनी लॉक हो जाता है। इसलिए फाइनेन्स मिनिस्ट्री द्वारा 1996–97 से स्पेशल एलोकेशन की जा रही है।

[अनुवाद]

ऐसा उन परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने और उन्हें पूरा करने के लिए किया गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन करते समय इस पर मुख्य रूप से ध्यान देती है। यदि यही अंतिम उपाय है तो मैं सरकार से तत्काल धनराशि देने का अनुरोध करता हूं।

दूसरा प्रश्न यह है कि इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री ने त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के लिए जो 1500 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं वह विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए हैं। जो भी अपूर्ण परियोजनाएं हैं, हम उनके लिए 1500 करोड़ रुपये देते है। ताकि उन्हें तत्काल पूरा किया जा सके। इस प्रकार से उस क्षेत्र में तत्काल अपेक्षित विद्युत लाई जा सकती है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में भी ऐसा ही किया जाता है। मैं विशेष रूप से इसका उल्लेख करूंगा क्योंकि लगभग प्रत्येक सदस्य जो इस मामले पर बोले हैं, सिंचाई से उदाहरण दिया है। वर्ष 1996–97 से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लगभग 5,500 करोड़ रुपये इस कार्यक्रम पर खर्च हो चुके हैं। इस कार्य के लिए धनराशि दी गई है। सिंचाई नहर या अन्य किसी काम का जो भी उद्देश्य रहा हो, मैं सरकार से उस पर विचार करने और पूरा करने का अनुरोध करता हूं। इसी वर्ष वित्त मंत्री महादेय इस उद्देश्य के लिए लगभग 1712 करोड़ रुपये दे चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण कारक है। राज्यों की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा के कारण, अनेक राज्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में तदनुरूप अंशदान नहीं कर पाये हैं। अतः, पहले जबकि केन्द्रीय सहायता 1:1 के अनुपात में दी जाती थी अर्थात राज्य और केन्द्र दोनों ने क्रमशः एक एक करोड़ रुपये दिए। परन्तु अब स्थिति में परिवर्तन आ गया है। किसी विशेष परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रत्येक एक करोड़ रुपये पर केन्द्र सरकार दो करोड़ रूपये देती है। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए, जिनके बारे में अत्यधिक चिंता व्यक्त की गई है। इस अनुपात को 3:1 तक बढ़ा दिया गया है। अतः धनराशि उसी कार्य के लिए दी जा रही है, जिसके लिए माननीय सदस्य उसे दिलवाना चाहते थे।

श्री रामानन्द सिंह ने मध्य प्रदेश के कई उदाहरण दिए हैं। वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश के मामले में, मैं स्वयं वर्ष 1996–97 से आंकड़े देख रहा हूं। अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के लिए लगभग 260 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। अतः मेरे विचार से, धनराशि की कमी– जो संकल्प की मुख्य बातों में से एक था परियाजनाओं को पूरा करने में रूकावट उत्पन्न नहीं कर रहा। इसके अन्य कारण हैं, जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है।

मैं मात्र दो मिनट में इस सभा को सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों के बारे में बताऊंगा ताकि श्री रामानन्द इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि यह सरकार उनकी भावनाओं का सम्मान

[श्री अरुण शौरी]

करती है। पहले, सभी अधिकारियों और परियोजनाओं अधिकारियों को बता दिया गया है कि वे सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी मिलने के उपरांत भूमि अधिग्रहण की और कार्यस्थल पर आधारभूत सुविधाओं जैसे पानी विद्युत इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्हें संपूर्ण धनराशि को स्वीकृति प्राप्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे विशेष परियोजनाओं को "सैद्धान्तिक" मंजूरी मिलने के उपरांत आरंभिक कार्य शुरू कर सकते हैं।

इसी प्रकार श्री खारबेल स्वाइं ने सुझाव दिया था कि एक अधिकार प्रापत समिति, एक अंर्तमंर्डलीय समिति हो, जो नियमित रूप से बैठक करे ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान् उत्पन्न सभी समस्याओं का तत्काल निपटान हो सके। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने उनकी सलाह मान ली है। प्रत्येक मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही किसी परियोजना के मामले में उत्पन्न सभी समस्याओं के समाधान के लिए उक्त मंत्रालय में अब अधिकार प्राप्त समिति है।

जैसाकि मैंने बताया है, मासिक, त्रैमासिक समीक्षाएं तैयार की जाती हैं। मुख्य समस्या यह है कि वास्तव में किसी विलंब अथवा अतिरिक्त लागत के लिए सरकार का कोई भी व्यक्ति जवाबदेह नहीं होता। इस कार्य हेतु 22 मंत्रालयों में स्थायी समितियां बनाई गई हैं। ताकि वे वास्तव में जिम्मेदारी तय कर सकें। मैं इन रिपोर्टों को पढ़ रहा था। मेरे विचार से मैंने किसी गुप्त बात का खुलासा नहीं किया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस बारे में सख्ती बरती जानी चाहिए। अब स्थायी समिति की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर रिपोर्ट देना आवश्यक कर दिया गया है।

जब किसी विशेष परियोजना के लिए आप आबंटन बढ़ाने हेतु आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के पास जाते हैं, तो उसमें लगे अधिक समय और लागत के मामले पर जवाब देहिता निर्धारित करने के लिए स्थायी समिति की रिपोर्ट मंत्रीमंडल के विचारार्थ देनी पड़ती है। प्रत्येक का कथन है कि यह प्रक्रिया उतनी त्रुटिहीन नहीं है। जितनी इसे होना चाहिए। अक्सर हम पाते हैं कि लोगों की पहचान नहीं की जाती अथवा जिन लोगों की पहचान की जाती है, वे सेवानिवृत्त हो चुके होते है। और उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। जो कार्यवाही की जाती है, वह दूसरों के लिए सबक होनी चाहिए।

ऐसे उपाय करने के परिणामों में एक उत्साहजनक बात यह है कि अतिरिक्त लागत में अब कमी आ गई है। वर्ष 1988 में अतिरेक लागत मूल लागत का लगभग 66 प्रतिशत थी। वर्ष 2000 में यह घटकर मूल लागत को 36 प्रतिशत हो गई है। हमने इन 461 परियोजनाओं का विश्लेषण किया है। इनमें से केवल 28 परियोजनायें 85% अतिरिक्त लागत के लिए जिम्मेदार हैं। अतः हम इन 28 परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने और यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें पूरा करने में किस प्रकार तेजी लाई जाये और वस्तु स्थिति बेहतर हो सके। मात्र दस परियोजनाओं में दो–तिहाई राशि व्यय की जा रही है। दुल हस्ती जैसी दो तीन परियोजनाएं और कुछ अन्य परियोजनाएं आतंकवाद प्रभावी क्षेत्रों में हैं। उनका कोई आसान समाधान नहीं है। परन्तु उन दस परियोजनाओं के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस रिजॉल्यूशन का जो समय निर्धारित किया गया था, वह 3.32 बजे समाप्त हो गया है। यदि सदन सहमत हो तो 15 मिनट और इसका समय बढ़ा दिया जाए ताकि मूवर का रिप्लाई भी हो जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : सदन सहमत है, अतः इस रिजॉल्यूशन का समय 15 मिनट के लिए बढाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : श्री के. पी. सिंह देव ने एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया था कि पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने नाल्को के 1,350 विस्थापित लोगों का उदाहरण दिया है। वर्षों से जिनकी समस्याओं को हल नहीं किया गया है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास दोनों कार्यों के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है और भूमि अधिग्रहण कानूनों तथा पुनर्वास प्रक्रिया कानूनों में संशोधन करने के लिए इस सभा में प्रस्ताव प्राप्त किए जायेंगे ताकि इनमें तेजी लायी जा सके।

[अनुवाद]

मुझे आशा है कि न्यायालय नर्मदा मामले में भी ऐसा ही करेगा। मैंने गणना की थी कि न्यायालय के स्थगन आदेश, स्थगन के कारण मामले की सुनवाई पूरी होने तथा निर्णय देने के बीच विलंब और परियोजना में लगाई गई धनराशि पर ब्याज 4,000 करोड़ रुपये था। मुझे आशा है कि न्यायालय इन बातों को भी ध्यान में रखेगी।

एक और बात का पता चला कि मानकीकृत निविदा

दस्तावेज को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और मुझे यह जानकर धक्का लगा कि इन निविदा दस्तावेजों के मानकीकरण पर सरकारी कर्मचारी पिछले 35 सालों से कार्य कर रहे हैं। पिछले चार महीनों में, हमने इस दिशा में कार्य किया और हमने इन दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया है। इसे सचिवों की समिति को सौंप दिया गया है। जिससे कि इसे सभी अपना सकें।

इसलिए अंत में मैं श्री रामानंदसिंह द्वारा उठाए गये विषय की महत्ता से पूर्णतः सहमत हूं। बिजली उत्पादन और अन्य परियोजनाओं समेत व्यक्तिगत परियोजनाओं पर दिए गये सुझावों से मैं संबंधित मंत्रियों को अवगत करा दूंगा।

मैं महसूस करता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि सरकार को उन मामलों पर संकल्प देकर बाध्य किया जाए जिसके बारे में वह पहले से ही सचेत है। महोदय, अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रथमतः लोगों को परियोजनाओं की नींव डाल कर गुमराह नहीं करना चाहिए। सदस्यों और मंत्रियों को किसी परियोजनाओं की आधारशिला नही रखनी चाहिए। उन्हें भी सिर्फ परियोजना समाप्ति पर उसका उद्घाटन करना चाहिए। यदि हम इतना सा भी स्व–अनुशासन दिखांए तो हम सभी परियोजनाओं के त्वरित पूरा होने को सुनिश्चित कर सकेंगे।

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : माननीय, सभापति महोदय, माननीय मंत्री "एम पी लैड्स" के बारे में भी कुछ कहना चाहते थे परंतु उनको एक माननीय सदस्य ने कहने नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....(व्यवधान)

श्री अरूण शौरी : महोदय, "एमपीलैड्स" के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि धनराशि बढाए जाने के रास्ते में मैं ही एक बाधा हूं और भी पूछा था कि मैं यह क्यों नहीं समझता हूं कि इससे मेरे इस सम्मान को ठेस पहुंचेगी। कई प्रसंगों से मेरी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है और मुझे इसकी आदत पड़ गई है। परंतु मेरे बचाव के लिए वित्त मंत्री यहां बैठे हुए हैं। इसलिए मैं यह उत्तरदायित्व उन पर डाल दूंगा।

श्री के. ए. सांगतम : महोदय, चूंकि मैं एक छोटे से राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए मैं एक विशिष्ट समस्या का विश्लेषण करना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों को आकार छोटा है और उनका प्रतिनिधित्व संसद के दो एक सदस्य द्वारा किया जाता है। मेरे जैसे ही अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ..*(व्यवधान)* महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब कार्यक्रम कार्यान्वयन और वित्त मंत्री दोनों यहां बैठे हुए हैं? तो मुझे यह मुद्दा उठाने का मौका कभी नहीं मिला। मेरे विचार से, यहां विचारणीय बात यह है कि जब अन्य राज्यों को "एमपीलैड्स" के माध्यम से धनराशि मिलती है तो प्रत्येक संसद सदस्य एक विशेष क्षेत्र को देखता है। परंतु हमारे जैसे छोटे राज्यों में हम पूरे राज्य को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं कर सकते। जबकि दूसरे राज्यों में केवल एक जिले या एक विशेष क्षेत्र को शामिल करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कम से कम छोटे राज्यों के मामले में प्रत्येक संसद सदस्य को मंजूर होने वाली राशि को बढ़ाया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सर, यह छोटी बात है, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आप बड़ी स्टेट से आते हैं इसलिए आपको यह छोटी बात लग रही है, लेकिन हम छोटी स्टेट से आते हैं अतः हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : सभापति महोदय, आज वित्त मंत्री भी यहां मौजूद हैं। मेरा आग्रह है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की धनराशि बढ़ाने की घोषणा आज ही करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए मैं ये कैसे कह सकता हूं।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : माननीय, सभापति महोदय, यह उचित नहीं है। मैं महिला हूं इसलिए कृपया मुझे बोलने का मौका दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्रीमती सिन्हा, जब इस रिजोल्यूशन पर बोलने वालों के नाम मांगे गये, तब तो आपने अपना नाम नहीं दिया था। इसलिए आपका नाम बोलने वालों की सूची में नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री का ध्यान सिर्फ एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय वित्त मंत्री बिहार राज्य के है। नई परियोजनाएं शुरू करने से पहले, वे ये क्यों नहीं सुनिश्चित करते कि पुरानी योजनाएं पूरी हों? इसके अलावा वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि कई अनेक परियोजनाएं ऐसी हैं कि जो पिछले 20 सालों से लंबित हैं वे किसी न किसी कारण से अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। जिससे बिहार को बाढ़ और सूखा दोनों का सामना करना पड़ रहा है। यदि पहले इन 20 सालों से लंबित परियाजनाओं को किसी अन्य स्थान पर नई विद्युत परियोजना को आरंभ करने से पहले समय पर पूरा कर दिया जाएगा तो इन दोनों स्थितियों पर रोक लगाई जा सकती है।

श्री अरूण शौरी : महोदय, उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी एक महत्वपूर्ण पारियोजना का जिक्र किया था। जैसी कि मैंने उनको वचन दिया है कि मैं उस विशेष परियोजना की ओर विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करें कि इसके बदले किसी और परियोजना को क्यों प्रतिख्यापित किया जा रहा है। इसका कारण शायद सरकार या मंत्रियों का बदलना हो सकता है। इस सन्दर्भ में मैं एक बात सभा को बताना चाहता हूं जो मुझे नियंत्रक – महालेखा परीक्षक भारत ने बताई है उन्होंने बताया कि इस बात का पता लगा कि बहुधा जब परियोजना पूरी होने वाली होती है तो इसे सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाता क्योंकि एक बार जब ये परियोजनाएं पूरी हो जाएगी तो उन्हें वेतन, रखरखाव इत्यादि इत्यादि पर धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। परतु यदि वह अधूरी रहेगी तो श्री यशवन्त सिंहा निधि देते रहेंगे। यही हथकंडे अपनाए जाते हैं।

श्री. एम. मास्टर मथान : इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी नई योजना नहीं बनाई जाएगी।

श्री अरूण शौरी : इसलिए यदि इस मामले में सभा सभी राज्य सरकारों को अनुशासित करे आपके मामले में तब तक नई योजना नहीं शुरू होगी जब तक कि पुरानी योजना पूरी नहीं हो जाती तो हमें बहुत खुश होगी।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सताना) : सभापति महोदय, पिछले बजट सत्र में 2 मार्च को मैंने यह सकंल्प प्रस्तुत किया था और पिछले 4 अगस्त को इस पर चर्चा में मेरे अलावा अनेक सदस्यों ने भाग लेते हुए इस संकल्प का एक स्वर से समर्थन किया था। प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी सदस्य, श्री अनादि साहू से लेकर, कांग्रेस, डी.एम.के. के जो भी सदस्य बोले, सब ने इसका समर्थन किया कि जो परियोजनाएं देश में पहली पंचवर्षीय योजना से अभी तक अधूरी पड़ी हैं, भारत सरकार उन परियोजनाओं को प्राथमिकता से साथ पूरा करे और नई परियोजनाएं तभी हाथ में ले, जब पर्याप्त धनराशि हो। हमने माननीय मंत्री जी का उत्तर सुना है। निश्चित रूप से बहुत ही जिम्मेदारी और गंभीरता से उन्होंने उत्तर दिया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समस्त परियोजनाओं को विभागवार सूचीबद्ध कर रहे हैं कि कौन–कौन से प्रोजैक्ट्स कब से पैंडिंग हैं और उनकी निगरानी करके देखेंगे।

लेकिन फिर भी मंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चूंकि सभी दलों के सदस्यों, मोटे तौर पर लगभग पूरे सदन की इसमें सहमति है, इसलिए सरकार को इसे किसी प्रतिष्ठा का विषय का नहीं बनाना चाहिए। इस संकल्प को सर्वसम्मति से इस सदन पारित हो जाने देना चाहिए ताकि लोक सभा की एक जवाबदारी हो जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से दसवीं योजना के बीच में जितने प्रोजैक्ट्स अधूरे पड़े हैं, जिनमें अरबों, खरबों रुपये की लागत लग चुकी है और वह लगातार बढ़ती जा रही है, जिन लोगों की जमीन ली गई है, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, पुनर्वास भी नहीं किया गया क्योंकि उन योजनाओं के कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, देश की समृद्धि और विकास रुक रहा है। हम विकास योजनाओं के नाम पर विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज ले रहे हैं और उस कर्जे का भी कुछ हिस्सा ऐडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कर रहे हैं। विकास योजनाओं के नाम पर कर्ज लेकर उसे प्रशासनिक खर्चे में डालना किसी भी सरकार के लिए बहुत ही लज्जास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

मैं जानता हूं कि जैसे विलियम वर्डसवर्थ ने कहा है – मनुष्य आते–जाते हैं, परंतु प्रकृति हमेशा यथावत रहती है। उसी तरह सरकारें आती–जाती रहती हैं परन्तु राष्ट्र कायम रहता है।

उसी तरह राष्ट्र को रहना है, इस राष्ट्र का योजनाबद्ध विकास होना चाहिए। पिछली सरकार ने किया, फिर दूसरी सरकार घोषणा दर घोषणा करती जा रही है। मंत्री जी, हर मंत्री से जानकारी मंगवाइए कि मंत्रियों ने सिंचाई की कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया है और उनको प्रॉयरिटी दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि बीस–बीस साल पहले शिलान्यास की योजना अधूरी पड़ी हैं और कुछ में तो काम ही शुरू नहीं हुआ। जनता चुने हुए प्रतिनिधियों और मंत्रियों पर क्या विश्वास करेगी? हम शिलान्यास कर देते हैं और फिर उस योजना को भूल जाते हैं। फिर सरकार बदलती है, नई योजनाएं ले लेती हैं और पिछली योजनाओं को पूरी नहीं करती । यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प, मैंने इसे काफी सोच–समझ कर इस सदन में प्रस्तुत किया था। माननीय लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी हमने चर्चा की थी और उसके बाद संकल्प प्रस्तुत किया। मंत्री जी, हम चाहेंगे कि आप सारी योजनाओं को विभागवार सूचीबद्ध कराएं। मुझे खुशी है कि उस दिन जब हम बोल रहे थे तो मंत्री जी हमारी बात को ध्यान से सुन रहे थे आज वित्त मंत्री जी बैठे हैं, अच्छा होता यदि रेल मंत्री भी यहां होते और बताते कि उनके कितने प्रौजेक्ट बकाया हैं। ललितपुर–सिंगरौली रेलवे लाइन का 1977 में श्री मोरारजी ने सर्वे करवाया जिसका श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 1998 में शिलान्यास हुआ।यह 950 करोड रुपये का प्रोजैक्ट है।

इसमें एक करोड़ रुपया दिया गया। अगर एक वर्ष 950 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट में एक करोड़ रुपया देंगे तो आप ऐसे प्रोजैक्ट्स क्यों हाथ में लेते हैं। आप तय करिये कि जो भी आप प्रोजैक्ट लेंगे, उसके लिए 10–15 वर्ष कुछ तय करिये तो उसके अन्दर यह प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। आज बिजली के, सिंचाई के और सूचना–प्रसारण के कितने बड़े प्रोजैक्ट इस देश में कई विभागों के पैडिंग पड़े हैं। वर्षो से अधूरे पड़े हैं।

मैंने बताया था कि भांडेय सिंचाई योजना पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने की 1952 का प्रोजैक्ट आज भी अधूरा है। यह पिछली सरकार के लिए और इस सरकार के लिए भी अफसोस की बात है। हम यह कब तक करते रहेंगे। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मंत्री जी चूंकि ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए मैं कुछ और बात कहना चाहूंगा। आपने यह आश्वासन दिया है कि इन योजनाओं को हम विभाग में, शासन के अन्य विभागों में और इम्प्लीमेंटेशन विभाग में सूचीबद्ध करा रहे हैं और हमें आशा है कि इन शिलान्यास वाली अधूरी योजनाओं की सूची तैयार करा दी जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि प्रौजैक्ट्स की कास्ट कैसे बढ़ती है। बाणसागर 600 करोड़ रुपये का प्रौजेक्ट था और पिछली बार मेरे लोक सभा प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि अब इसकी कीमत बढ़कर 18 वर्ष के अन्दर 3600 करोड़ रुपये हो गई। इसी तरह ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन वन संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने जो बनाया, शौरी जी, आप वन और पर्यावरणीय मंत्री हैं....*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : मंत्री जी, यमुना के ऊपर पुल बनाया जाये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप तो संकल्प के मूवर हैं, अब आप समाप्त करिये, बढ़ा हुआ समय समाप्त होने जा रहा है।

श्री रामानन्द सिंह : मैं देश की बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूं। मैं दो मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। वन संरक्षण अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 250 सिंचाई योजनाएं, जिनमें मध्य प्रदेश सरकार का करोड़ों रुपया लग गया है, इन्होंने रोक लगा दी। मैं उदाहरण दे रहा हूं, पटना जलाशय योजना में एक करोड़ रुपया खर्च हो गया, लेकिन वन और पर्यावरण विभाग ने उसको रोक दिया। उसमें केवल 15 लाख रुपये और लगने हैं। उससे आदिवासी जो अपनी तरफ से नहर निकालकर सींच लेते थे, वह भी बन्द हो गया।...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : ये जो इर्रीगेशन वर्क्स की बात कर रहे हैं, वे स्टेट स्कीम्स हैं, वे स्टेट प्रोजैक्ट्स हैं। वे शुरू कर रहे हैं, वे पूरा नहीं कर रहे हैं, उसमें सैण्ट्रल का उतना दखल नहीं होता, जितना कि आपने मैगा प्रौजैक्ट्स का 950 करोड़ का कहा। उसमें तो आपकी बात ठीक थी।

श्री रामानन्द सिंह : नहीं, ये वन और पर्यावरण विभाग के रोकने से रूके हैं।....*(व्यवधान)* मेरा अनुरोध यह है कि केन्द्र ने रोक लगा दी है...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री रामानन्द सिंह : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। इसी तरह बरगी डैम नर्मदा पर 20 वर्ष से उसकी नहर पेंडिंग है। आप आप कहेंगे कि राज्य का विषय है तो हमारे राज्य की आप आर्थिक मदद केन्द्र से करिये ताकि वह पूरी हो जाये, जिससे सूखे वाला इलाका सतना, रीवा और सीधा जिले की जमीन की भी सिंचाई हो। मंत्री जी, मेरी यह प्रार्थना है कि इसको आप मुझे वापस लेने के लिए दबाव न डालें और इस संकल्प को आप पूरे सदन से पारित हो जाने दें। यह देश के हित में संकल्प है, इसलिए इसको सरकार की नाक का विषय न बनायें। वैसे यह जरूरी है कि आपने जो एश्योरेंस दिया है,

[श्री रामानन्द सिंह]

उस पर मुझे भरोसा है, फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि टाइम बाउंड प्रोग्राम हर प्रोजैक्ट के लिए एक इंजीनियर जवाबदार होना चाहिए। इंजीनियर बदल जाते हैं, इसमें सारी लापरवाही हो रही है। फिर दूसरा इंजीनियर आ गया, फिर तीसरा आ गया। इससे केवल प्रोजेक्ट के पैसे का दुरूपयोग होता है। आपको यह भी निश्चित करना चाहिए और इसकी समय–समय पर निगरानी, पुनरीक्षण करना चाहिए। अभी आपने कहा कि 22 मंत्रियों की कमेटी करेगी, तीन मंत्री तो इकट्ठे कभी बैठ नहीं पाते तो 22 मंत्री बैठकर क्या करेंगे, तमाशा करेंगे? 22 मंत्रियों के बैठने से फैसला कब तक हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : माननीय सभापति महोदय, दो तीन मुद्दे हैं।

[हिन्दी]

जैसे इन्होंने सुझाव दिये हैं, वे एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इंजीनियर या आफिसर इंचार्ज चेंज होते रहते हैं, इसीलिए जैसा मैंने पिछली बार अर्ज किया था, हर एक प्रोजैक्ट के लिए एक नोडल आफिसर बनाया जाता है, जो कि उस प्रोजैक्ट के दौरान चेंज नहीं किया जाता। दूसरी चीज, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद परसों ही ऐलान किया है कि अगले साल सारी गवर्नमेंट का एम्फेसिस प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन पर ही होगा। उन्होंने अभी एनाउंस किया कि वह वर्ष कार्यान्वयन का वर्ष होगा।

सभापति महोदय : आप मैम्बर से क्या कहना चाहते हैं?

श्री अरूण शौरी : दूसरा, नाक की तो कोई बात ही नहीं है।

[अनुवाद]

हम सब इससे सहमत हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बाध्यकारी संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सारा कार्य पहले से ही हो रहा है। मैं केवल उसी दृष्टिकोण से बोल रहा हूं। परन्तु जिस विशेष परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है उसके संबंध में मैं निश्चित ही प्रत्येक के रिकार्ड की जांच के द्वारा एक एक को देखूंगा। मेरा इसलिए निवेदन है कि संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया इसे वापस ले लीजिए। आप जब भी चाहोगे इस मामले में जो भी नए कदम उठाए गये हैं मैं उसकी सूचना आपको दूंगा। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह : मैं मंत्री जी चाहूंगा कि वे स्पष्ट आश्वासन दें। मैं संतुष्ट नहीं हूं।

सभापति महोदय : उन्होंने दे दिया है। अब आप सदन के सामने संकल्प रखें, क्योंकि यह सदन की प्रापर्टी है।

श्री रामानन्द सिंह : जो प्रोजेक्ट दस साल से पेंडिंग है, उनको शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन मंत्री जी दें।

श्री अरूण शौरी : मैं समय नहीं लेना चाहता। आपने कहा कि सैंकड़ों प्रोजेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मानीटर पर 15 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो 1995 से पहले के हैं। उनमें चार बिहार में हैं, चार वैस्ट बंगाल में हैं, एक दुलहस्ती प्रोजेक्ट है, एक कोलकारों योजना है, यह शुरू नहीं हुई है। एक जे. पी. रेल लाइन बोकारो में है, जिसमें टाउनशिप बीच में आ रही है। हरके चीज का विश्लेषण हो रहा है। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि 15 प्रोजेक्ट्स पर

[अनुवाद]

हम इस का विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री रामानन्द सिंह : चूंकि सदन में मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और आशा है कि वे सभी मंत्रियों की बैठक करके इन प्रोजैक्ट्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे इसलिए मैं संकल्प को वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री रामानन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 3.53 बजे

[अनुवाद]

(दो) मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के निर्णय की समीक्षा-विचाराधीन

सभापति महोदय : अब सभा में श्री सुनील खां द्वारा

प्रस्तुत मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के निर्णय के बारे में समीक्षा संबंधी संकल्प पर विचार–विमर्श किया जाएगा।

इससे पहले की हम संकल्प पर चर्चा आरंभ करें, हमें इस संकल्प के लिए समय नियत करना है। क्या हम इसके लिए दो घंटे निर्धारित करें? क्या सभा इससे सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह पहली बार हो रहा है। यदि सभा की इच्छा है तो हम बाद में समय को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"चूंकि 1 अप्रैल, 2001 के मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग बंद हो जाएंगे और अत्यधिक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, अतः यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह अपने निर्णय की समीक्षा करे और औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र की रक्षा करने के लिए व्यापार तथा टैरिफ संबंधी सामान्य करार की शर्तों के बारे में पुनः बातचीत शुरू करे।"

महोदय, मैं मंत्रिमडल और साथ ही सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गरीब और विकासशील देशों को विकसित देश जैसे अमरीका और औपनिवेशिक पश्चिमी अमीर देश लूट रहे हैं। जिस प्रणाली के आधार पर वे हमें लूटते हैं उसे 'डब्लूटीओ' कहा जाता है। 'व्यापार तथा टैरिफ संबंधी' सामान्य करार के अनुसार, वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ के साथ ब्रिटेन बूडो में इस पर चर्चा हुई थी। भारत में 1944 में पहला मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। भारत 1948 में इसका सदस्य बना। इसका मुख्य उद्देश्य एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का विनियम करना था। 'गैट' का उद्देश्य इस प्रणाली को आसान बनाना था जाने–माने अर्थशास्त्री डा. अनिल क्रूगर ने मात्रात्मक प्रतिबंधों, लाइसेंस और प्रतिबंधों को किराया देने वाली गतिविधि की संज्ञा दी है जो कोटा धारकों को अप्रत्याशित लाभ के रूप में एक मोटी रकम देती है।

इसलिए, भारत के कुछ विश्लेषकों ने 'क्यूआरएस' को कोटा राज कहा है जिससे भ्रष्टाचार और अकार्यकुशलता फैलाती है।

कृषि संबंधी समझौता बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौरे का एक अंग है, जिस पर सदस्य देशों ने अप्रैल 1994 में मराकश मोरक्को में हस्ताक्षर किए थे और यह जनवरी, 1995 से प्रभावी हुआ। विकासशील देशों के लिए 10 वर्ष की कार्यान्वयन अवधि 1995 से 2004 तक रखी गई है। यहां यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हालांकि कार्यान्वयन की अवधि 2004 नियत है लेकिन हमारे माननीय मंत्री ने पहले ही 1 अप्रैल 2001 से मात्रात्मक प्रतिबंध पर से रोक उठा ली है। उन्होंने 1 अप्रैल, 2001 से मदों पर मात्रात्मक प्रतिबंध क्यों हटा लिया है जबकि भारत के पास इस समझौते को लागू करने के लिए दो वर्ष का समय बचा है? इसका कारण यह है कि डब्ल्यूटीओ पर अमरीका सरकार का दबाव है।

मैं 'वर्किंग क्लास' नाम पुस्तक से उद्धृत करता हूं जिसे श्री मुरासोली मारन ने कहा था। हमारे माननीय केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन ने कैरो में जी–15 देशों के व्यापार और अर्थव्यवस्था मंत्रियों के बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कहा था, "हमने घुटने टेक दिए हैं, दबाव में आ गये हैं और चिन्हित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।" हम सभी को सीटल मंत्रीमंडलीय सम्मेलन की असफलता के कारणों का पता है। हमें इस मामले की जड़ तक जाना चाहिए। एक कहावत है कि ऊंट के झुकने पर बोझ लादा जाता है।

अपराह्न 3.58 बजे

(डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

कृषि संबंधी समझौता बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर का अंग है इस पर मराकश, मोरक्को में अप्रैल 1994 को सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गये और यह 1 जनवरी, 1995 को प्रभावी हुआ जैसा कि मैंने पहले कहा है। कृषि संबंधी डब्लूटीओ समझौत में मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों कृषि और व्यापार नीति, बाजार उपलब्धता और घरेलू समर्थन और निर्यात् राज सहायता को शामिल किया गया है। 1.4.1997 तक भारत ने 825 कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया गया था। जो भुगतान संतुलन के पहलुओं को न्यायसंगत ठहराता है। 1 अप्रैल 2001 से 1,429 मदों में से 715 मदों पर मात्रात्मक प्रतिबंध को पहले ही हटा लिया गया है और बाकी बचे मदों पर से 1 अप्रैल, 2001 से प्रतिबंध हटा दिया गया है। कई कृषि उत्पादों से मात्रात्मक प्रतिबंध तथाकथित भुगतान संतुलन के आधार पर हटा दिया गया किंतु यह वास्तविकता नहीं है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति अस्थिर है। यह व्यापार अधिशेष पर आधारित नहीं है। इसके मुख्य घटक

[श्री सुनील खां]

हैं–विदेशी ऋण व सहायता और अनिवासी भारतीयों का हस्तांतरण। विदेशी संस्थागत निवेशक भी पैसा लगा रहे हैं क्योंकि निवेश पर प्रतिफल की हमारी दर पश्चिम से अधिक है। जब तक भारत में व्यापार अधिशेष की स्थिति नहीं बन जाती तब तक भारत की कृषि उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंध बनाए रखने के ही प्रयास करने चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, मात्रात्मक प्रतिबंध व्यापार अधिशेष से संबंधित होने चाहिए न कि तथाकथित भुगतान संतुलन की समग्र बेहतर स्थिति से। हमें विश्व व्यापार संगठन के करार में परिवर्तन करने हेतु विकासशील देशों को एकजुट करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में भी विकास दर बहुत कम हुई है। वर्ष 2000–2001 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों की विकास दर वर्ष 1998–99 की 7.1 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2000–2001 में 0.9 प्रतिशत रह गई है। पिछले वर्ष की तुलना मे वर्ष 2000–2001 में खाद्यान्न उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की कमी आई है। 1998 से कृषि क्षेत्र के विकास और खाद्यान्न उत्पाद में निरंतर कमी आई है।

माननीय वित्त मंत्री ने देश में खाद्य अर्थव्यवस्था की समस्या अतिरिक्त भंडार के प्रबंधन के रूप में रखी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कई अन्य स्थानों पर भुखमरी के मामले प्रकाश में आने से खाद्य अधिशेष के बारे में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी की पोल खुल गई है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों में जबर्दस्त वृद्धि करी है। भारतीय खाद्य निगम के भरे हुए अनाज भण्डारों के बावजूद गरीबी रेखा से ऊपर व उसके आस पास के खाद्यान्न को वास्तविक प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आई है। हमें सभी घरेलू उपायों जैसे ग्रीन बॉक्स उपाय, ब्लू बॉक्स उपाय व अम्बर बॉक्स उपायों इत्यादि को एक साथ लाने की मांग करनी चाहिए।

माराकेस में राजसहायता में कमी पर स्वीकृति प्रतिशत आधार पर की गई थी। यह मात्र एक धोखा था क्योंकि विकसित देशों द्वारा पहले ही दी गई राजसहायता इतनी अधिक है कि कुछ प्रतिशत कम करने पर भी यह बहुत ही अधिक है। हमें यह कहना चाहिए कि राजसहायता कुछ निश्चित स्तरों पर या प्रति व्यक्ति आधार पर मात्रात्मक रूप से निर्धारित करनी चाहिए। विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन उपायों पर खर्च की जाने वाली धनराशि को, सहायता के कुल उपायों की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

इसे लागू करने के लिए पृथक खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और विकास पर विचार किया जाना चाहिए। कृषि संबंधी करार में मात्र 25 देशों को अपने कृषि उत्पादों पर निर्यात राजसहायता प्रदान करने की अनुमति दी गई है। इससे विकासशील देशों के कृषि उत्पादों के प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत हमें निर्यात राजसहायता समाप्त करने के लिए कहना चाहिए।

मैं अपने गांवों से संबंधित एक मार्मिक पहलू का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारी गरीब, ग्रामीण महिलाएं जो विधवा है, जो छोटे–छोटे बच्चों की माताएं हैं, वे परंपरागत रूप से मुरमुरे का उत्पादन कर रही है। हिन्दी में हम इसे 'मूरी' कहते हैं और मुम्बई में इसे 'वेल' कहा जाता है। माननीय रेल मंत्री द्वारा कोयले के वहन प्रभार में दो प्रतिशत बढ़ोतरी करने पर और उर्वरकों से राजसहायता हटाने के कारण इस मुरमुरे की उत्पादन लागत बढ गई है। मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटाने का अब क्या हो रहा है? अमरीका और ग्रुप–7 के अन्य देश 50 प्रतिशत राजसहायता प्राप्त होने पर इस मुरमुरे का उत्पादन कर रहे हैं और वे इसे लेमिनेटिड पैकेटों में पैक कर रहे हैं और ये पैकेट भारत आएंगे। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत की गरीब ग्रामीण महिलाएं अमरीका या ग्रुप– 7 के देशों से प्रतिस्पर्द्धा पकर पाएंगी।

यह हाल है हमारे परंपरागत उत्पादकों का, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। उन्हें इस बारे में सोचना होगा। महोदय, मैं पहले ही पृथक खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और इसी चीजों को लागू करने के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं।

कृषि संबंधी करार के अन्तगत केवल 25 देशों को उनके कृषि उत्पादों के लिए निर्यात राजसहायता उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। इससे विकासशील देशों के कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धा प्रभावित होती है। इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।

अब हम बात करते हैं, देश में औद्योगिक मन्दी की। आज 17.8.2001 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 370 के उत्तर में जारी वक्तव्य के अनुसार पिछले वर्ष की पहली तिमाही के दौरान दर्ज औद्योगिक विकास की 6.1 प्रतिशत दर की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में इसी अवधि की औद्योगिक विकास की दर 2.1 प्रतिशत दर्ज की गयी है। विनिर्माण क्षेत्र की दर गिरकर

5.2 प्रतिशत और विद्युत उत्पादन गिरकर 4 प्रतिशत पर आ गया जबकि 1999–2000 में यह क्रमशः 7.1 प्रतिशत व 4 प्रतिशत था। ये आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हैं। सेवा क्षेत्र में 1995–96 में 10.5 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के पश्चात् परवर्ती वर्षों में यह आठ से नौ प्रतिशत के आस पास रही है। हर क्षेत्र में, यहां तक कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी मन्दी है।

महोदय, निवेश के स्तर में कमी के लिए एफ आई सी सी आई और सी आई आई दोनों ने बैंक ऋणों के उच्च ब्याज दर को दोषी ठहराया है किंतु वे इस तथ्य को बड़ी सफाई से छिप गए कि अर्थव्यवस्था में व्यापक मन्दी के बावजूद बड़ी–बडी निगमित संस्थाओं ने अपने पास में बड़ी मात्रा में अद्रव्य अधिशेष दर्शाकर अपने नकद भण्डार में काफी बढ़ोतरी की है। 30.7.2001 के बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में उन्होंने टाटा स्टील, रिलायंस, इन्फोसिस, ग्रासिम, लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान लीवर, विप्रो, सत्यम कम्प्यूटर और कई दूसरी कम्पनियों को शामिल किया है। इससे यह पता चलता है कि औद्योगिक लॉबी ऐसी वास्तविक अर्थव्यवस्था में निवेश करने हेतु अपनी धनराशि लगाने से कतराती है जिसके द्वारा उत्पादन और रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। वे उत्पादन के क्षेत्र में धन लगाने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सस्ते दरों पर ऋण लेते हैं जिसे उनकी सुविधानुसार गैर–निष्पादनकारी आस्तियों में परिवर्तित किया जा सकता है। आज प्रश्न काल के दौरान, लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री यह पहले ही बता चुकें हैं कि इस समय निष्पादनकारी अस्तियों का मूल्य 70,000 करोड़ रुपये से लेकर 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। पहले यह आंकड़ा 56,000 करोड़ रुपये था।

महोदय, इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री जी ने आयात से 2,000 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। और लगभग 3,200 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क लगा दिया है। इसके परिणामस्वरूप, मेरे विचार से आठ लाख लघु केन्द्र या तो रूग्ण हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। यह उत्पाद शुल्क लगाने के कारण संपूर्ण देश में, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में करीब 40 प्रतिशत लघु औद्योगिक इकाइयां या तो रूग्ण हो जाएगी या बंद हो जाएंगी। सस्ते आयात के कारण, सभी विदेशी वस्तुएं हमारी बाजार में सस्ती दरों पर आ रही हैं और जब हम अपने उत्पादों का विपणन करते हैं तो यह कठिन हो जाता है।

खनन क्षेत्र में 'नाल्को' सबसे बड़ी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। 1999–2000 में करों का भुगतान करने के पश्चात उन्होंने 500 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इस संबंध में मैंने लोक सभा में एक प्रश्न भी उठाया था। संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में जब मैं नाल्को गया तो मैंने वहां के अधिकारियों से नाल्को में उत्पादन लागत और विश्व में एल्यूनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश – आस्ट्रेलिया में उत्पादन लागत के बारे में एक सवाल पूछा। जब हमने उत्पादन लागत दरों की तुलना की तो हमने पाया कि आस्ट्रेलिया की अपेक्षा, हम कहीं अधिक सस्ती लागत पर एल्यूनियम का उत्पादन करते हैं। तथापि बाजार में उत्पाद शुल्क के कारण हमारे एल्यूमिनियम का मूल्य आस्ट्रेलिया के एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक है। इसलिए,छोटे–छोटे क्षेत्रोंसहित सभी लाभ–अर्जित करने वाली कंपनियां कठिनाई में हैं।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे एक देशभक्त नागरिक बनें। हम सभी जानते हैं कि खुदीराम, बाघा और जतिन जैसे लोगों ने स्वतंत्रता, आजादी की खातिर अपनी जान की आहुति दे दी।

सभापति महोदय : मेरी बात सुनिए। आप 20 मिनट से भी अधिक समय ले चुके हैं। आप अभी और कितना समय लेंगे?

श्री सुनील खां : कृपया मुझे आधे घण्टे का समय दीजिए। मैं मुद्दे पर आता हूं।

सोलह प्रतिशत उत्पाद शुल्क के कारण सिले सिलाए कपडों की इकाईयां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मानव–निर्मित आपदा से देश सबसे बुरी तरह तब प्रभावित हुआ हैं जब सिले–सिलाए वस्त्रों का निर्माण करने वाले मध्यम दर्ज के 58,000 एककों में से 25 प्रतिशत से भी ज्यादा एकक बंद हो गए हैं। जिनका मूल्य 5,400 करोड़ रुपए है। लागू होने वाले करों की यदि गणना करें तो इससे केन्द्र और राज्य सरकारों को 1,350 करोड़ रुपये–रुपये से अधिक के राजस्व की हानि होती है। 70,000 करोड़ के सिले–सिलाए वस्त्रों के उद्योग का एक बड़ा भाग 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। संगठित क्षेत्र आढ़तियों और ठेकेदारों के लिए असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है जो कई प्रकार की प्रक्रियाओं में शामिल है। देश में तैयार कपड़े का 40 प्रतिशत भाग दो लाख पचास हजार वस्त्र इकाइयों में इस्तेमाल हो जाता है।

महोदय, अमरीका और ग्रुप–7 के देश अमेरिकी नियमों को लागू करके जापानी नियमों और फ्रांसीसी नियमों को लागू करके अपने बाजारों का बचाव कर रहे हैं। हम अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए भारतीय नियम क्यूं नहीं बना रहे हैं?

[श्री सुनील खां]

भारी उद्योगों के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। दस महीनों में यदि आप आई. आई. एस. सी. ओ. में 150 करोड़ रुपये का निवेश करें तो कुल निवेश 510 करोड़ रुपये आता है। 1888 में भारत में स्थापित यह पहला उद्योग था। जब भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया तो इसमें कोई निवेश नहीं किया गया। वे पूरा लाभ वित्त विभाग को दे चुके हैं।

महोदय, यहां दो करोड़ रुपये के मूल्य की परिसंपत्तियां हैं। यहां तीन रक्षित लौह अयस्क खानें हैं। चिरिया अयस्क खान, जिसे हम सभी जानते हैं। वहां दो बिलियन मिट्रिक टन का भंडार है। चिरिया लोह अयस्क खानों के भण्डारों का मूल्यांकन क्या है? यह अनुमानित रूप से 1,16,000 करोड़ रुपये है। इस खान से प्रति वर्ष बीस मीट्रिक टन लौह अयस्क निकाला जा सकता है। किंतु फिर भी इसके भण्डार जल्दी समाप्त नहीं होंगे। यहां विश्व में सबसे अधिक लौह अयस्क भण्डार हैं। अन्य तीन कोयला खानों के मामले में चस्नाला कोयला खान का भण्डार है जिसका अनुमानित मूल्य 45,000 करोड़ रुपये हैं। अतः इस्को का पुनरूद्धार किया जाना चाहिए।

महोदय, सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंध से रोक हटा ली है। ये मात्रात्मक प्रतिबंध 1995–2004 तक, दस वर्षों की अवधि के लिए थे। यह प्रतिबंध समय से पहले क्यों हटाए गए? जल्दबाजी क्या थी? निर्धारित समय सूची की समाप्ति से पहले मात्रात्मक प्रतिबंध पर रोक हटाने के क्या कारण थे? कारण अमेरिका का दबाव है। लगभग 200 वर्ष पहले हमने श्वेत लोगों को अपने क्षेत्र में व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया था और आज हम अपने देश में फिर लाल चमड़ी वाले लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं यह हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए चिंता का विषय हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि यदि वे अपने देश को प्यार करते हैं तो कृपया इसे वापस ले अन्यथा इस देश के नागरिक उन्हें माफ नहीं करेंगे।

महोदय, मैंने इस संकल्प का प्रस्ताव किया है तथा मेरा विश्वास है कि हर कोई चाहें वह सरकारी पक्ष का है। अथवा विपक्ष का, इस संकल्प का समर्थन करेगा ताकि भारत आत्मनिर्भर हो सके और अमरीकी हमारे देश में प्रवेश नहीं करें। हमें लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए क्योंकि यह एक लोकतंत्र है जहां मार्गदर्शक सिद्धांत है, 'जनता द्वारा' जनता को और जनता के लिए' है।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

"चूंकि 1 अप्रैल, 2001 से मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग बंद हो जाएंगे और अत्यधिक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, अतः यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह अपने निर्णय की समीक्षा करें और औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र की रक्षा करने के लिए व्यापार तथा टैरिफ संबंधी सामान्य करार की शर्तों के बारे में पुनः बातचीत शुरू करे।"

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, श्री सुनील खां ने मूलतः दो बातों पर जोर दिया है। उन्होंने घरेलू उद्योगों के बंद होने तथा गंभीर बेराजगारी की स्थिति उत्पन्न होने पर जोर दिया है। वह चाहते हैं कि यह सभा सरकार से आग्रह करें कि वह आपके निर्णय की समीक्षा करें तथा व्यापार और प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौते की शर्तों के बारे में पुनः बातचीत करें। ताकि औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र को बचाया जा सके।

महोदय, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि केवल अमरीकी दबाव के कारण ही मात्रात्मक प्रतिबन्ध पर रोक को हटाया गया है। वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन को संस्थापक सदस्य होने के कारण भारत सरकार के लिए ऐसा करना आवश्यक है तथा भारत ऐसा अमरीकी दबाव में नहीं कर रहा है।

महोदय, मैं एक मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं। चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। जैसा कि इस संकल्प के प्रस्तावक ने सुझाव दिया है, चीन एक साम्यवादी और लोक कल्याण प्रेरित राष्ट्र हैं। परंतु आज चीन विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश पाने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रतीक्षासूची में इसका स्थान 48वां है। वह बड़ी उत्सुकता से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने का इंतजार कर रहा है। ऐसा क्यों है?

श्री हन्नान मल्लाह (उलूबेरिया) : वह अपने बलबूते पर विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन रहा है, न कि हाथ जोड़कर...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : हमोर बाजार में विदेशी वस्तुओं की भरमार है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने आपका भाषण धैर्यपूर्वक सुना है।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, वे मेरा समय बर्बाद कर रहे है। कृपया इस समय को मेरे समय से मत गिनें।

भारत सरकार ने जुलाई माह में एक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजा था। मैं उस प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य था। प्रतिनिधि ।मंडल में 12 संसद सदस्य, कुछ उद्योगपति तथा मजदूर संघों के कुछ नेता शामिल थे।

श्री सुनील खां : मैंने उस कागजात को भी पढ़ा है।

श्री खारबेल स्वाइं : कम्यूनिस्ट लोगों को भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए कहा गया था परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वे चीन जाने और स्वयं को यह जानने से डरे हुए थे कि उनके 'गुरू' ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। तथापि उन लोगों कने कहा कि वे उद्योगपतियों के साथ जाना नहीं चाहते।...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : जब हम जाते हैं, हम अकेले जाते हैं। हम उद्योगपतियों के धन से नहीं जाएंगे। हम उद्योगपतियों द्वारा दिए गए टिकट पर नहीं जाएंगे।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, हम उद्योगपतियों के धन से नहीं गए। भारत सरकार ने हमें भेजा था। उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महोदया नजमा हेपतुल्ला, राज्यसभा की उपसभापति कर रही थी। किसी भाजपा नेता ने उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नहीं किया था। उस प्रतिनिधिमंडल में तीन मजदूर संघों आई एन टी यू सी, एच एम एस और बी एम एस के नेता थे। वे सभी गए परंतु कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता नहीं गए।

जब हम यह कहते हैं कि हम भारत को महान बनाना चाहते हैं, कैसे हम भारत को महान बनाने जा रहे हैं?... *(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : कृपया हमें बताएं कि आपने चीन में क्या देखा है।

श्री सुनील खां : महोदय, आपने मुझे अपना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी है। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री खां, आपको उत्तर देने का अधिकार होगा। आप उस समय इन मामलों साथ को स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री खां, कृपया बैठ जाइए। आपको उत्तर देने का अधिकार होगा। आप इन मुददों पर बाद में जवाब दे सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : कांग्रेस दल के माननीय सदस्य श्री सुन्दर लाल तिवारी, जो अभी यहां बैठे हैं, भी हमारे साथ गए थे।

श्री ए. सी. जोस : आप हमें बताएं कि आपने चीन में क्या देखा है।

श्री खारबेल स्वाइं : भारत को महान कैसे बनाए? क्या महज उद्योगों को संरक्षण देकर हम भारत को महान बनाने जा रहे हैं?

जब हम बीजींग हवाईअड्डे पर उतरे तब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक क्षण के लिए मैं यह निर्णय नहीं कर सका कि मैं चीन में हूँ अथवा मैं अमेरिका में उतरा हूं। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी कम्पनियां पूरे चीन में फैली हुई हैं। हम सभी ने सीमेन्स मॉट्रोला, जनरल मोटर्स, केन्टकी फ्रायड चिकन जैसी बड़ी कम्पनियों की तख्तियां पूरे चीन में देखी। यह एक ऐसे देश की स्थिति है जो विश्व में एकमात्र कम्यूनिस्ट देश माना जाता है।

ऐसा नहीं है कि इस देश में केवल उद्योगपतियों और मजदूर संघों का अपना दृष्टिकोण है। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में उपभोक्ताओं का भी एक दृष्टिकोण है। उपभोक्ता के रूप में क्या मैं अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद को प्राप्त करने का हकदार नहीं हूं? क्या मैं कम लागत वाली सामग्रियों को प्राप्त करने का हकदार नहीं हूं? क्या मैं भारत में उत्पादित उच्च लागत वाली परंतु निम्न गुणवत्ता वाली ही वस्तुएं प्राप्त करूं? यदि उच्च गुणवत्ता वाली कोई विदेशी उत्पाद कम मूल्य पर भारत में उपलब्ध है तो भारतीय उत्पादक उसी लागत पर उसी गुणवत्ता की वस्तुएं क्यों उत्पादित नहीं कर सकते हैं? यदि हम भारत को महान बनाना चाहते हैं तो भारत के लघु उद्योगों, उद्योगपतियों को अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वे न्यूनतम लागत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुएओं का उत्पादन कर सके।

भारतीयों ने विदेश जाकर अपनी क्षमता सिद्ध की है। भारत के प्रधानमंत्री अपने घुटने का ऑपरेशन कराना चाहते थे। विश्व में सर्वश्रेष्ठ सर्जन की तलाश में वह अनरीका गए। वह अमरीका गए और विश्व के सर्वश्रेष्ठ सर्जन से मिले। वह सर्जन एक भारतीय है।

भारत के पास क्षमता है। भारत इसे यहां भी कर सकता है। पहले भी भारत ने ऐसा किया है।

[श्री खारबेल स्वाइं]

महोदय, मैं सभा का बहुत समय नहीं लूंगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव दूंगा कि कैसे भारत कृषि क्षेत्र सहित अपने उद्योगों की रक्षा कर सकता है।

सर्वप्रथम, भारत में धन उधार लेने की लागत बहुत ज्यादा है। यदि कोई उद्योग स्थापित करने के प्रयोजन से ऋण लेने के लिए बैंक जाता है, तो उस पर देय ब्याज की दर 12 प्रतिशत है। परंतु चीन और दूसरे विकासशील देशों में, इसी उद्देश्य के लिए ब्याज की दर केवल 4.5 प्रतिशत है। यही कारण है कि भारत में उत्पादन की लागत ज्यादा है।

दूसरा, भारत में बिजली की लागत बहुत ज्यादा है। चीन और दूसरे विकासशील देशों में यह केवल 2 रुपए प्रति यूनिट है जबकि भारत में यह 5 रुपये प्रति यूनिट है।

कम्यूनिस्ट नेताओं ने मजदूरों को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। वे हमेशा यह सोचते हैं कि कैसे वे आंदोलन तालाबंदी अर्थात् लॉक आऊट आदि पर जा सकते हैं। चीन में मजदूरों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। कोई भी श्री तिवारी जी से पूछ सकता है तथा वह बताएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है।

महोदय, चीन में हमने कई मजदूर संघ के नेताओं से बात की। उन लोगों ने बताया कि आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। जब मैंने एक मजदूर संघ से पूछा कि यदि किसी मजदूर के साथ कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा, मैंने पूछा कि यदि सरकार मजदूरों को अपेक्षित वेतन नहीं दे तो क्या होगा। उन लोगों ने जवाब दिया कि वहां एक माध्यस्थम न्यायाधिकरण है जहां न्यायपालिका, सरकार और मजदूर–संघ का एक – एक सदस्य बैठता है। निर्णय वहां लिए जाएंगे। जो कुछ भी निर्णय वहां लिया जाएगा वह अंतिम निर्णय होगा।

महोदय, उनके साथ हुई परस्पर वार्तालाप के दौरान उन लोगो को यह भी बताया है कि वे राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, जिसे हम सरकारी क्षेत्र के उद्यम कहते हैं, का निजीकरण कर रहे हैं। उनमें हटाए गए कामगारों को केवल दो वर्षों के लिए गुजारा–भत्ता दिया जाता है। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि इन दो वर्षों के भीतर वे समुचित रूप से प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है इसका कारण उन्होंने यह बताया कि वे जो कुछ कर रहे हैं, वह उनके राष्ट्र के हित में है।

महोदय, इनके अतिरिक्त चीन का कामगार भारत के कामगार की तुलना में तीन गुना अधिक लाभप्रद है। इसलिए अन्य देशों में उत्पादन लागत काफी कम है।

महोदय, माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें देखना चाहिए कि इंस्पेक्टर राज समाप्त हो। पचास निरीक्षक उसी उद्योग में जायेंगे और प्रत्येक व्यक्ति धनराशि की मांग करेगा। हमारे देश में अत्यधिक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो चीन में भी है। परन्तु चीन में भ्रष्टाचार कम से कम सकारात्मक कार्यों के लिए है। वे किसी काम को करवाने के लिए धनराशि की मांग करते हैं। परन्तु यहां के इंस्पेक्टर कहते हैं, कि या तो मुझे पैसा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा उद्योग बन्द कर दूंगा।

अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इंस्पेक्टर राज को समाप्त करे।

महोदय, मेरा अगला प्रश्न कच्चे माल के बारे में है। छोटे उद्योगों को वहनीय दर पर कच्चा माल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसे वहनीय दर पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो हमारी बढ़ती हुई उत्पादन लागत के कारणों में से एक है।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में है। माननीय वाणिज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कृषि क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति क्यों नहीं देते। यह नितांत आवश्यक है। भारत में कुछ कृषि उत्पादों का उत्पादन बहुत कम है। एक हेक्टेयर भूमि में गेहूं का उत्पादन यूक्रेन के मुकाबले एक–तिहाई है। हम इस संबंध में यूक्रेन के मानकों का पालन क्यों नहीं करते। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए।

सीमान्त लघु और अर्ध–मध्यम आकार के जोतों के बड़े–बड़े भाग पर बड़ी संख्या में भूमिहीन कामगारों का बोझ है। और उत्पादन बहुत ही कम है। जोतों और अत्यधिक संकेद्रित खाद्योन्मुखी कृषि प्रणाली को विश्व व्यापार आयोग की वचनबद्धताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में आंतरिक और बाह्य गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

भारत तथा विश्व में हर स्थान पर लघु उद्योग तैयार वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। मूलतः वे आनुषंगिक उद्योग है। आप गुडगाव का मामला लीजिए जहां मारूति उद्योग स्थित है और इसके आसपास 1,500 लघु अथवा आनुषांगिक उद्योग हैं। वे मुख्य कारखाने अर्थात् मारूति कंपनी को सहारा देते हैं। अतः निर्मित माल के उत्पादन के स्थान पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लघु उद्योग छोटी– छोटी चीजों का और अधिक उत्पादन करें जो बड़े उद्योगों के लिए मददगार साबित हों।

अंततः मैं यह कहना चाहूंगा कि हम अमरीका से ही नहीं अपितु फिलीपीन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया वियतनाम और कोरिया जैसे छोटे देशों से भयभीत हैं। एक समय ऐसा था जब हम यह कहते थे कि विदेशी वस्तुएं देश में आयात हो रही हैं यह माल केवल अमरीका का ही होता था। परन्तु अब ऐसा नहीं है। जब हम देश में विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता की चर्चा करते हैं तो हम चीनी गुड़िया अथवा चीनी साइकिलों इत्यादि की बात करते हैं। ऐसा क्यों है। चीन की भी हमारी तरह समस्यायें हैं।

मैं केवल दो वाक्य बोलकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। कृषि के सम्बन्ध में हमें, क्षेत्र–विशेष–कृषि आयोजना और विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए और इस सम्बन्ध में कृषि विश्वविद्यालयों का सहयोग लेना चाहिए। हमें सरकार के कृषि विभाग पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वह कुछ नहीं करेगा। हमें कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकियाँ विकसित करनी चाहिए। हमें ग्रामीण आधारभूत संरचना जैसे सैंकड़ों, शीत–भंडार, विद्युत आपूर्ति और इसी प्रकार की चीजों का भी विकास करना चाहिए। हम खाद्य–प्रसंस्करण उद्योगों का भी संवर्द्धन चाहते हैं।

अतः, मैं यह करना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन इस देश के हितों के विरूद्ध नहीं है; विश्व व्यापार संगठन ने भारत को विश्व के किसी भी देश का मुकाबला करने और अपने आपको बेहतरीन सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया है। ताकि भारत 21वीं शताब्दी में महाशक्ति बन सके।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, धन्यवाद।

मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने से संपूर्ण देश में अफरातफरी मची है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है विश्व व्यापार संगठन प्रतिकूल स्थिति से निपटने का तंत्र है। इसका अस्तित्व द्वितीय विश्व युद्ध के समय से है जबकि भारत की स्थिति ठीक थी। परंतु रक्षित कोष में कटने पर और उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने पर एक बारगी फिर भारत ने मात्रात्मक प्रतिबंधों का आश्रय लिया।

हम यहां इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हम चीन अथवा अमरीका अथवा किसी अन्य देश का अनुसरण कैसे करें। भारत में अपने मूल्यों और अपनी संस्कृति के बल बूते अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता है। परंतु वास्तविकता यह है कि मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने का आमतौर पर लघु उद्योग क्षेत्र और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कृषि क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पादन खाद्य सुरक्षा और अन्य मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं।

महोदय, पिछली बार 715 मदों पर से हटाए गये प्रतिबंधों में से 145 मदें कृषि और घरेलू क्षेत्र से संबंधित हैं। एक ओर, भारत के पास अतिरिक्त खाद्यान्न गोदामों में सड रहा है अथवा भरा पड़ा है तो दूसरी ओर, कालाहांडी, बोलंगीर और के. वी. के जिलों में गरीब लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार यह विरोधाभास की स्थिति यह है। बहुतायत में खाद्यान्न के बावजूद भी गरीबी की स्थिति है। ये फ्रांस की क्रांति के लक्षण है। जब महारानी को यह बताया गया कि लोग भूखे से मर रहे हैं और उनके पास खाने को रोटी नहीं है तो उसने कहा कि वे केक तो खा सकते हैं। इस प्रकार, हमारी भी यह स्थिति है।

महोदय, माननीय मंत्री जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन में हमारा प्रतिनिधित्व किया है, ने विकसित अथवा ओ.ई.सी.डी. देशों के भेदभाव के विरूद्ध साहसिक लड़ाई लड़ी। ऐसी स्थिति में अनेक प्रश्न उभरकर सामने आये हैं। जहाँ तक बीज का संबंध है, हमारी कृषि मूलतः परंपरागत तरीकों अथवा बीज बचाकर रखने संबंधी तकनीकों पर आश्रित है। परंतु अब प्रतिबंधों को हटाये जाने का फायदा उठाकर विकसित देशों की बीज कंपनियां विशेषतः टर्मिनोटिड बीजों अथवा संकर बीजों के साथ हमारे देश में घुसपैठ कर रही हैं। भारत अपने वर्तमान आधारभूत ढांचे के साथ इन बीज कंपनियों का सामना किस प्रकार कर सकता है? एक बार किसान द्वारा टर्मिनेटेड बीज का प्रयोग कर लेने पर, उसे पुनः वह बीज खरीदना पड़ेगा। इस प्रकार धीरे–धीरे वह किसान इन कंपनियों पर निर्भर हो जायेगा।

दूसरे, आनुवांशिक रूप से विकसित (जी.ई.) खाद्य और बीज के विरूद्ध विश्व–व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। आनुवांशिक रूप से परिष्कृत और विकसित बीज अब विवाद का विषय हो गए हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के पास उन बीजों की जांच के लिए आधारभूत ढांचा है क्योंकि इन बीजों से हमारे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। अतः, इनको अलग रखने की नीति अपनानी होगी। मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह आनुवांशिक रुप से विकसित बीजों अथवा खाद्य की बढ़त पर रोक लगा सकेगी। हमारे यहां पहले से ही अधमरे जानवर का मांस, मुर्गी पालन इत्यादि पर रोक है। क्या आपने इस स्वास्थ्य संबंधी खतरों और खाद्य प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोक ने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग बनाया है अथवा सुसज्जित जोखिम निवारण उपाय किए हैं?

[श्री अधीर चौधरी]

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि फिलीपीन्स जैसे ऐशियाई देशों में भी आनुवांशिक रूप से विकासित बीजों पर रोक लगाने के उपाय किए जा रहे हैं। जहां तक मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने का सम्बन्ध है, उसका काफी प्रभाव पड़ता है। महोदय, 28 सितम्बर, 1999 को भारत सरकार ने अमरीका के साथ एक गुप्त सौदा किया था तथापि इस सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों से यह वायदा किया था कि वर्ष 2003 तक सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। कंधार प्रकरण के समय जबकि सारे देश में दोषपूर्ण माहौल था, तब सरकार ने उचित समय देखकर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के लिए अमरीका के साथ द्विपक्षीय समझौता किया था। इस प्रकार, प्रतिबंधित श्रेणी से 1429 प्रतिबंधित मदें मदें दी गई।

महोदय, आप जानते हैं कि भारत में 70 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं। जहां तक रोजगार के अवसर और नियमित आय का सम्बंध है इस मामले में पशुधन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। महोदय, जहां तक दूध का सम्बन्ध है, भारत में श्वेत क्रांति हो चुकी है। अब भारत, विश्व का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। कुल उत्पादन लगभग 80 मिलियन टन है। महोदय, अब उन दुग्ध–उत्पादकों को यह आशंका हो रही है कि मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने से हमारे देश में डेयरी उत्पादों का आयात शुरू हो जायेगा जिसका इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महोदय, इसलिए माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अनिवार्य शुल्क और सीमाशुल्क में उचित सामंजस्य बनाये रखें ताकि कम से इस देश के गरीब लोग जीवित रहे सके। यदि आप किसी नवजात शिशु से दौड़ने के लिए कहे तो वह ऐसा नहीं कर सकेगा। ऐसा इसलिए है कि उसे स्थिति के अनुकूल खाना होगा, सबसे पहले उसे परिस्थितियों के अनुरूप ठालना होगा। इसलिए उसे एक परिपक्वता अवधि की आवश्यकता होती है। किसी प्रकार के आमूल चूल परिवर्तन से गरीब लोगों का भला नहीं होने वाला है। महोदय, डेयरी उत्पादों पर सीमा शुल्क 35 प्रतिशत है और कुल शुल्क–सीमा 40 प्रतिशत है। मक्खन–वसा और दूध तथा पनीर से निकाली गई वसा पर अनिवार्य शुल्क 40 प्रतिशत है और मूल सीमा शुल्क 35 प्रतिशत है। महोदय, एक बात का ध्यान रखें। दुग्ध–क्रीम और अन्य मीठे उत्पादों पर अनिवार्य शुल्क–सीमा शून्य प्रतिशत है। तथापि, केन्द्रित दुग्ध पर सीमा शुल्क 35 से 60 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

मुझे मालूम है कि हमारे मंत्री जी एक सक्षम और सुशिक्षित व्यक्ति हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन उपायों से वह गरीब दुग्ध–उत्पादकों को बचा सकेंगे। श्वेत क्रांति के दौर में सारे देश में अमूल की नकल का प्रचार किया गया था। अब, भारत में दुग्ध–उत्पादन सहकारी समितियों के 1.8 मिलियन सदस्य हैं। अतः आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिससे इस क्षेत्र को जो इतने लंबे समय से शीर्ष स्थान प्राप्त था उससे गिरे।

अंत में, मैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और परिस्थितकीय शोध संस्थान (रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नॉलॉजी एण्ड इकोलॉजी) की कुछ पंक्तियां उद्धत करता हूं:

"तथापि भारत द्वारा कृषि संबंधी समझौते पर डब्ल्यूटीओ को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, 1993 में ओईसीडी देशों द्वारा प्रदत्त औसत शुल्क गेहूं पर 214% जौ पर 197% और मक्के पर 154% थे। कतिपय वस्तुओं पर शुल्क अपने शिखर 300% और उससे अधिक पर पहुंच गया था। यूरोपियन यूनियन में केले पर कोटा से अधिक शुल्क 180% है और जापान में सूखे, बीन्स, मटर और दलहनों पर शुल्क 460% और 600% के बीच है, अमरिका में मूंगफली पर शुल्क 164% है। हाल ही में जापान ने अपने घरेलू चावल उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए चावल पर लगाया 1000% के करीब टैरिफ शुल्क लगाया है। हालांकि भारत ने कृषि संबंधी समझौते पर चल रही समीक्षा में यह मांग करते हुए प्रस्ताव रखा है कि विशेष और असाधारण उपायों के रूप में विकासशील देशों के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रचलित सारी विकृतियों और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित स्तर के शुल्क नियंत्रण करे बरकरार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, फिर भी 2001–2002 के वित्तीय बजट ने घरेलू उत्पादों को विकसित देशों के अत्यधिक राजसहायता प्राप्त और कृषि उत्पादों के आयात से संरक्षण देने के लिए रक्षोपाय के रूप में कुछ या मुश्किल से सस्ते आधा दर्जन मदों पर कुछ शुल्क बढ़ाने के लिए ही प्रयास किए जो बहुत कम हैं।

इसलिए, मेरा आप से निवदन है कि यह देखे कि भारत को विकसित देश अपने फालतू सामान का डंपिग क्षेत्र न बनाए। आपको इस प्रकार की योजना बनानी होगी जिससे गरीब लोग अपनी आजीविका कमा सके और दोनों वक्त अपना पेट भर सकें।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : माननीय, सभापति महोदय, जब मैं श्री सुनील खां द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने

के लिए खड़ा हूं, मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने भारत की दार्शनिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति की निराशाजनक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। एक वामपंथी विचारधारा के होने के कारण उनके लिए यह स्वाभाविक है कि वह हमारी समस्याओं के नकारात्मक पक्ष को ही देखेंगे। यह अच्छा होता यदि वह इन बातों के सकारात्मक पहलुओं को भी देखते। जो भी हो, यह बात विषय से हट कर है।

जब हम पीछे मुड़ कर 1947 से 1994 और 1994 से 2001 को देखते हैं तो हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है और हमने विश्व व्यापार संगठन को अंतिम रूप दे दिया है और हमने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब हम सब कुछ अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते। स्थितियों को उनकी समग्रता में ही बनाना होगा। यही आज की आवश्यकता है। एक बार जब हम डब्ल्यूटीओ की शर्तों को मान गये हैं तो हमें इसकी पाबंदियों को भी मानना पड़ेगा। यह स्वाभाविक बात है कि यह विश्व बहुत छोटा हो गया है, जैसा कि आप केन्द्रीय कक्ष के बाहर पंचतंत्र से उद्धृत स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई पंक्तियों को देखते हैं।

अयं निजः परो वेति।
गणना लघुचेतसाम्।।
उदार चरितानाम् तुं।
वसुधैव कुटुम्बकम्।।

यह विश्व संचार सूचना प्रौद्योगिकी, विचारों के आदान–प्रदान और अन्य कई कारणों से एक छोटा परिवार बन गया है। हम सिकुड़ कर छोटे हो गए हैं और हम इसको रोक नहीं सकते हैं। एक बार हम छोटे बन गये हैं तो यह बेहतर होगा कि हम वक्त की प्रचलित प्रणाली को अपनाएं। जैसा कि श्री खां, श्री स्वाइं और श्री अधीर चौधरी ने भी कहा है, 1429 मदों पर एक समयावधि में मात्रात्मक प्रतिबंध यह देखने के लिए हटाया है कि हम इस परिवर्तन के चरण में आने वाली मुश्किलों या इससे हमें जो भी धक्का लगेगा उसके हम अभ्यस्त हो जाए और स्वयं को परिस्थितिनुसार ढाल लें। परंतु इस मामले को हमे विशेष रूप से श्री खां और आम तौर पर माननीय सदस्यों को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि सभी प्रकार की पाबंदी हटाने या मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने का अर्थ यह नहीं होगा कि कोई प्रतिबंध रहेगा ही नहीं। मैं एक पत्रिका से एक पैरा उद्धत करता हूं। इसमें लिखा है।

"विश्व में कोई भी देश वास्तव में एक मुक्त व्यापार नहीं करता है। प्रत्येक देश अपने संवेदनशील हितों को डब्ल्यटीओ के दृढ़ उपायों के माध्यम से संरक्षण प्रदान करता है। भारत भी ऐसा ही करता है। जबकि मात्रात्मक प्रतिबंध, जिसे विश्व गलत समझौता था का समय बीता गया है, परंतु अब आयात शुल्क, डंपिग–रोधी शुल्क और सुरक्षोपाय, पशु और पौद्यों के संरक्षण की नीति, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा नियमन और गुणवत्ता मानकर जैसी बातें आ गई है।

मैं सर्वप्रथम इन बातों पर चर्चा करूंगा। हमने हाल ही में पशुधन आयात विधेयक पारित किया है जिसमें हमने यह सूचित किया था कि यदि किसी बीमारी का पता चलता है या भारत में पशु उत्पादों को प्राप्त करने के लिए यदि किसी बीमारी की रोकथाम में कोई कठिनाई आती है तो जैसा कि यहां सूचना दी गई हैं तो प्रतिबंध उत्पाद का आयात कर रहे हैं। यदि किसी अनाज या खाद्यान्नों के लगाया जाएगा। हम यह मान कर चलेंगे कि हम कृषि उत्पाद का आयात कर रहे हैं। यदि किसी अनाज या खाद्यानों के उत्पादन के दौरान किसी विशेष प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है तो हम इस उत्पाद को कभी नहीं लेंगे। इस प्रकार कई प्रतिबंध हैं यदि मैं इस पर बोलना जारी रखूं तो कई मिनट तक या घंटों तक बोलता रहूंगा। इसी कारण हमें इस मामले के सकारात्मक पहलू को ध्यान में रखना होगा। हम कभी भी विभिन्न वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

श्री चौधरी डंपिग–रोधी शुल्क और अन्य कई विषयों पर बोल रहे थे। एक तरह से मैं इससे सहमत हूं कि शुरूवाती दौर में वस्तुनिर्माण उद्योग पक्ष पर हमें थोड़ा धक्का लग सकता है। लघु उद्योगों को कई प्रकार की राजसहायता दी गई है। लघु उद्योग में भी आप पाएंगे कि वित्त मंत्री ने उत्पाद शुल्क को कम कर दिया है और टैरिफ शुल्क दर भी इस प्रकार रखी है कि उस तरह की आयातित वस्तु के साथ हम बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकते।

श्री खां नाल्को के संबंध में कह रहे थे। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। वे अधिक निधि ले रहे है और हमारी आवश्यकता के समान का उत्पादन किफायती दरों पर नहीं कर रहे थे। इसीलिए, आज के समय लोग विनिवेश के बारे में सोच रहे हैं। यह विनिवेश नहीं है। इसका निजीकरण किया जाना चाहिए। एक समान्तर व्यवस्था होनी चाहिए। हमें प्रतिस्पर्धा के बारे में सोचना चाहिए। यदि वस्तुएं बाहर से आती हैं तो, हमें यह पता करना चाहिए कि क्या निर्यातक देश उस वस्तु की कीमत को कम रखने के लिए कहीं राजसहायता तो

[श्री अनादि साहू]

नहीं दे रही है। यदि वह उस हद तक राजसहायता देती हैं कि हम उस वस्तु की प्रतिस्पर्धा न कर पाएं तो उस हालत में उस पर डंपिग–रोधी शुल्क लगाया जाएगा। हमें इन बातों को देखना होगा। इसीलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाहर से आने वाली वस्तुएं हमें नुकसान न दें भारत सरकार ने दो निदेशालयों का सृजन किया है। ऐसी कई व्यवस्थायें की गयी हैं ताकि हम अन्य देशों के समकक्ष रहें।

1947 और 1997 के मध्य हमने यह निर्णय लिया है कि भुगतान स्थिति के सही न होने के कारण हम वस्तुओं को आयात नहीं करेंगे। परंतु एक बार जब हमारे भुगतान की स्थिति सुधर जाएगी तो हम अन्य देशों को हमारे यहां आकर व्यापार करने के अवसर और हमें अन्य देशों में जाकर व्यापार करने के अवसर से इंकार नहीं करेंगे। अमरिका का जिक्र किया गया था। हम सभी जानते हैं कि टी आर आई पी एस के अंतर्गत, हमारे कई व्यावसायिक अमरिका जा रहे हैं और उनकी स्थिति वहां बहुत बेहतर है। यदि हमने अमरिका के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं किया होता तो क्या यह हमारे लिए संभव होता कि हम अपने व्यावसायियों को अमरिका भेजते? यही कारण है कि हमें 2001 तक मात्रात्मक प्रतिबंध हटा देना है। हमें सिर्फ एक ही पहलू पर नहीं सोचना है। यदि एक ग्लास आधा भरा है, तो आप यह तो कह सकते हैं कि ग्लास आधा भरा है या कह सकते हैं कि आधा खाली है। यदि आप कहते है कि आधा भरा है तो आपकी सोच साकारात्मक है और यदि कहते हैं कि ग्लास आधा खाली है तो आपकी सोच नाकारात्मक है। ग्लास के आधे भरे पहलू की ओर देखना चाहिए। इसी के बारे में सोचना चाहिए। जब भी हम मात्रात्मक प्रतिबंध हटाते है तो दो प्रकार के प्रतिबंध और लगा दिए जाते हैं। पहले प्रकार के प्रतिबंध हैं, गैर–आटोमेटिक लाइसेंस, कैलाइड मड एजेन्सियों के माध्यम से आयात, विशेष लाइसेंस लागू करना इत्यादि। दूसरे प्रकार में हमारे सामने अनेक कारण आते हैं, जो हमें यह देखने में सहायता करते हैं कि हमें कोई भी हानि की स्थिति में न हो। मैं श्री मुरासोली मारन के हाल ही के वक्तव्य पर श्री सुनील खां का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि वे डब्ल्यूटीओ यह देखने के लिए जा रहे है कि हम इस संबंध में बेहतर प्राप्त कर सकें। मैं उनके भाषण से केवल एक भाग पढ़ना चाहूंगा। वे कहते हैं :–

"विकासशील देशों की कार्यान्वयन से संबंधित चिंताओं के बारे में डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा विशेष विचार किया जाना चाहिए जैसा कि यह मांग 1994 में समाप्त यूरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान उठी थी।"

मेरे विचार से वे एक महीने के अंदर यह देखने के लिए जा रहे हैं कि इस मुद्दे पर पुनः चर्चा की जाए ताकि समस्याओं को सुलझाया जा सके। हमारे देश में, विनिर्माण क्षेत्र की कीमतें बहुत ऊंची हैं। यदि हम आयात कर सकते हैं, तो हम अपने लोगों को सस्ती और अच्छी वस्तुएं प्राप्त मुहैया करवाकर लाभ भी पहुंचा सकते हैं उन्हें विभिन्न किस्म का सामान मुहैया कराया जा सकता है। इसीलिए, यह देखने के लिए कि कुछ बेहतर हो सके 2001 – 2002 के बजट में उन उद्यमियों जो परिवहन और खाद्यान्नों के भंडारण का एकीकृत व्यापार करते है। को पांच साल तक करों में छूट दी गई है और उनकी आय अगले पांच साल तक लाभांश की 30 प्रतिशत राशि काट लेने की घोषणा की गई है। श्री खारबेल स्वाइं ने इस का हल्का फुल्का उल्लेख किया है। हमें कई लाभ मिले है। यदि हम उत्पादकों को लाभ दे सकें तो सेवाओं में विस्तार और बेहतर अनुसंधान किया जा सकेगा। यदि हम ऐसा कर पाएं तो, हम हमारे कृषकों को उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य दे सकते हैं; हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं और इसी के साथ–साथ हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोग जो बाहर से वस्तु लाते हैं हमें हानि न पहुंचायें। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार इन समस्याओं पर ध्यान दे रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों के हितों का संरक्षण हो सभी प्रकार के सुरक्षोपाय प्रदान कर रही है।

महोदय, चूंकि आपने घंटी बजा दी हैं। मैं यजुर्वेद से एक श्लोक के उद्धरण के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हू। तीसरे अध्याय में यह पचासवां श्लोक है।

"देहि में ददामि ते, नीभे देहिनितादधे,
निहारं च हराशि में, निहारं मि हराणी ते खाद्यः"

अपराह्न 5.00 बजे

इसका अंग्रेजी अनुवाद है। मैं इसका अंग्रेजी अनुवाद दे रहा हूं क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि मेरे वामपंथी साथी संस्कृत के जानकार नहीं है। इसलिए मुझे इसका अंग्रेजी अनुवाद देना पड़ेगा...(व्यवधान)

श्री सुनील खां : यह गलत है, यह आप कैसे कह सकते हैं?...(व्यवधान)

प्रो. ए. के प्रेमाजम (बड़ागरा) : यह गलत है। इसका क्या सबूत है?

श्री अनादि साहू : महोदया, आप मुझसे असहमत हो

सकते हैं। परंतु मेरी भावनाएं यही हैं...*(व्यवधान)* आपके मुझसे मतभेद हो सकते हैं परंतु यह मेरे विचार हैं।

अब इसका मैं अंग्रेजी अनुवाद देता हूं।

"गिव मी, आई गिव दी गीफ्ट्स।
बीस्टो ऑन मी एण्ड आई बीस्टो ऑन दी।
टू मी प्रेजेंट दा मर्कनडायज एण्ड आई, ट ही विल
गिव माई वेयर्स्।"

यह कहावत है कि आप अपना माल मुझे दे दें और मैं अपना धन आपको दूंगा। यह पारस्परिक विनिमय की पद्धति है। और इस पर करीब 5000 वर्ष पहले सोचा गया था। डब्ल्यूटीओ एक ऐसी व्यापार पद्धति ला सकता है। जिसमें माल को एक देश से दूसरे देश ले जाया जाएगा।

इसी के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। यह संकल्प, जैसा कि यह दिखता है, बहुत ही सरल है। भारत और चीन में क्या हो रहा है, हमें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं हैं जब हमने संकल्प का विश्लेषण किया तब किसी तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि संकल्प में अन्तर्निहित इस मूलभूत मुद्दे पर कोई विवाद करेगा। यह संकल्प दोहा सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण और सुसंगत है

विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन दोहा में हो रहा है। विश्व में बातें हो रही हैं। यहां तक कि अमरीकी प्रशासन की भी यह राय है कि विश्व व्यापार संगठन के करार की पुनरीक्षा लेनी चाहिए। इस पहलू पर इसमें विवाद नहीं है। हमने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि विश्व व्यापार संगठन करार के संबंध में कतिपय पुनरीक्षा होनी चाहिए।

महोदय, आज भी समाचार पत्रों में यही बात छपी है कि इस मुद्दे पर भारत अकेला नहीं है। अतः हमें स्थिति का बेहतरीन उपयोग करना होगा। मेरे विचार से हम पर कोई भी विवाद नहीं करेगा कि भारतीय उद्योगों का विकास पिछड़ रहा है। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां बुनियादी ढांचे का विकास काफी कम हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कारण हमारे नियंत्रण से बाहर है। अतः प्रतिस्पर्द्धा पूर्ण वातावरण में भारतीय उद्योग के लिए स्थिति का सामना करने में बहुत ही कठिनाई होगी। हमें कुछ समय चाहिए। जहां तक मूलभूत भारतीय उद्योगों का संबंध है, हमें कुछ आधारभूत संरचना का विकास करना चाहिए।

हम जानते हैं कि हमारे पास सार्वजनिक उपक्रम थे। उस समय हम प्रतिस्पर्द्धात्मक विश्व में नहीं थे। उस संकट को दूर करने के लिए, हमें संरक्षण चाहिए। हमें इसी की आवश्यकता है।

कृषि में भी यही हाल है। विश्व व्यापार संगठन ने भारतीय कृषि उत्पादों को तबाह कर दिया है। मैं केरल राज्य से आ रहा हूं। हम जानते हैं कि नारियल केरल की मुख्य फसल है। वहां नारियल परंपरागत ढंग से उगाया जाता है। नारियल की खेती में हमने किसी बुनियादी ढांचे का विकास नहीं किया है। इस बारे में हम सभी जानते हैं। नारियल में अनेक प्रकार की बीमारियां भी लग जाती हैं। नारियल की 'माइट' नामक बिमारी से नारियल की फसल चौपट हो जाती है। जहां तक नारियल की फसल का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि पत्तों का सूखना भी इसका एक असाध्य रोग है। नारियल के पत्तों को सूखने से बचाने के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, इसका एकमात्र उपाय यही है कि बीस–तीस साल पुराने पेड़ को काट दिया जाए। ऐसा करने से उसका विकास रूक जाता है।

न केवल केरल बल्कि समूचे देश के कृषि उत्पादन में निहित विद्यमान, खामियों के कारण हम अन्य देशों से प्रतिस्पर्द्धा के सामने नहीं ठहर सकते। इसलिए हम विश्व व्यापार संगठन करार में कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन चाहते हैं। यह साम्यवादी नहीं है, यह मार्क्सवाद का अनुभव नहीं है। बल्कि यह केरल के लोगों का व्यावाहारिक अनुभव है। वे संकट का सामना कर रहे हैं। नारियल, जो कि मुख्य रूप से एक कृषि उत्पाद है किंतु विश्व व्यापार संगठन के करार के नियमों ने इसे एक व्यावसायिक उत्पाद बना दिया है। व्यापार प्रतिबंधों के हटने से भारत का नारियल उत्पादन चौपट हो गया है। इसलिए हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे नारियल को पुनः कृषि उत्पाद का दर्जा दिलाएं और इससे होने वाले लाभों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

महोदय, अब मैं रबड़ के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा जो केरल का मुख्य कृषि उत्पाद है। जहां तक रबड़ का प्रश्न है इसके हम ही एकमात्र उत्पादक हैं–या यूं कहिए इसके उत्पादन पर हमारा एकाधिकार है। केरल राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था रबड के उत्पादन पर आधारित हैं। लेकिन कई वर्षों से यह संकट का सामना कर रहा है। अब, रबड के उत्पाद बिना किसी प्रतिबंध के आयात किए जा रहे हैं। यहां तक कि प्रयोग में लाए

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

गए अर्थात पुराने टायर भी भारत में आयात किए जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि केरल के रबड़ उत्पादक भूखों मर रहे हैं। वे छोटे उत्पादक हैं और उनका उत्पादन का तरीका बहुत पुराना है। बाढ़ और सूखे के कारण रबड़ के उत्पादन में कुछ खामियां भी हैं जो मानव के नियंत्रण से बाहर हैं। अतः कुछ ऐसी विपरीत स्थितियां भी हैं जिससे उद्योग का विकास प्रभावित होगा। इसलिए, हमें संरक्षण चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि रबड़ को व्यावसायिक उत्पाद मान लिया गया है। हम चाहते हैं कि सरकार इसे कृषि उत्पाद की श्रेणी में रखे और इसके लाभों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने से भारत के ये दो मुख्य कृषि उत्पाद बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं और इसका लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए मैं अपने प्रिय मित्र से अनुरोध करूंगा कि वे दोहा सम्मेलन में इस मामले को उठाएं। वहां हम अकेले नहीं हैं। अन्य देश भी वहां हमारा समर्थन करेंगे।

महोदय, हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों के आधार पर निर्णय ले रहा है। चीन का ही उदाहरण लीजिए। कई लोग यह तर्क दे रहे थे कि चीन ने कई वस्तुओं का विकास कर लिया है। किंतु हम जानते हैं कि भले ही अमरीकी प्रशासन यह कहे कि चीन में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं हो रही हैं किंतु फिर भी उन्होंने वाणिज्यिक दृष्टि से चीन को परम अनुगृहीत राष्ट्र का दर्जा दे रखा है। अन्तराष्ट्रीय बाजार में अमेरिका चीन परम अनुगृहीत राष्ट्र मानता है। इसका कारण यह है क्योंकि अमरिका के उद्योगपतियों को अपनी वस्तुएं बेचने के लिए चीन एक उत्तम बाजार के रूप में मिल गया है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अमरीका में सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वे भी संकट का सामना कर रहे हैं। अमरिकी प्रशासन भी संकट का सामना कर रहा हैं। यहां तक कि ग्रुप–8 के देशों को भी अपनी विसंगतियां हैं। उनकी अपनी समस्याएं हैं। व्यापार के मुद्दे पर अमरिकी प्रशासन और यूरोपीय संघ के बीच मतभेद व विसंगतियां हैं। यह स्वाभाविक है कि विकसित देशों के बीच अपने–अपने हितों को साधने के लिए परस्पर विवाद–प्रतिवाद होंगे। भारत एक विकासशील देश है। इसलिए, दोहा सम्मेलन में सभी विकासशील देशों को एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। अपने किसानों और अपने उद्योगें की सहायता के लिए विश्व व्यापार संगठन करार की पुनरीक्षा करने में कोई हानि नहीं है। यह उपभोक्ताओं के जोखिम पर नहीं किया जा रहा है। मेरे मित्र यह तर्क दे रहे थे कि उपभोक्ताओं के समक्ष विकल्प होंगे। निश्चित रूप से अनेक समक्ष विकल्प होंगे। किंतु राष्ट्र के जोखिम पर नहीं।

हमारे आधारभूत उद्योग संकट का सामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें, पूर्ण विकसित आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में वे दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कैसे कर सकते हैं? इसलिए, हमारी विशेष प्रकार की समस्याओं व प्राथमिकताओं को देखते हुए, दोहा सम्मेलन में यह मुद्दा उठाने का हमारे पास एक अच्छा कारण है। मेरे विचार से न्याय की ही जीत होगी और इससे सभी सहमत होंगे।

यदि आप देखें तो हाल ही में अमेरिका ने भारत सेआयात की जाने वाली वस्तुओं से कुछ प्रतिबंध हटा लिया है किंतु औषधीय और कृषि उत्पादों पर अभी भी प्रतिबन्ध जारी है। एक दलील यह भी दी जा रही है कि भारत ने इस मामले में पेटेंट संरक्षण हासिल नहीं किया। अतः उनका यह कहना है कि हमने अमरिकी प्रशासन के पेटेंट अधिकारों के बचाव के पर्याप्त उपाय नहीं किए। उन्होंने, अमरीका द्वारा आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। यह उनके हित में था। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि जब वाणिज्य मंत्री दोहा जायें तो नारियल और रबड़ उत्पादकों के बारे में उनके दिमाग में स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए।

केवल यही नहीं, मानवता के इतिहास में कॉफी उद्योग ने भी कभी इतना बड़ा संकट नहीं झेला। लंदन के बाजार में कॉफी की जरूरत नहीं है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी को भी कॉफी की जरूरत नहीं है। किंतु जहां तक भारत का संबंध है, वह कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राष्ट्रों में से एक है। किंतु उसका परिणाम क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। चाय के मामले में भी हम काफी प्रभावित हुए हैं। मेरे ख्याल से माननीय मंत्री भी चाय पीते हैं और वे समस्या को समझते हैं और उन्हें कॉफी की स्थिति की भी जानकारी है। भारत में ये सभी उत्पाद संकट का सामना कर रहे हैं।

मैं यह नहीं कहता कि यह व्यापार करार इत्यादि के कारण है। कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि यह व्यापार करार के कारण है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि निर्णय की पुनरीक्षा के लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए, जो हम एक विशेष मामले में ले चुके हैं। आर्थिक परिदृश्य बदल चुका है। इसलिए, इस परिवर्तित आर्थिक परिवेश में हम निश्चित रूप से कतिपय अनुच्छेद की पुनरीक्षा का तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। भले ही हम मात्रात्मक प्रतिबंध हटा चुके हैं।

इस संबंध में, मैं दोहा सम्मेलन तक ही सीमित हूं।

संकल्प भी इसी मुद्दे पर आधारित है। इसलिए जब वे दोहा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करें तो उनके विभाग में नारियल उत्पादकों, कॉफी उत्पादकों, चाय और रबड़ उत्पादकों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। वे हमारे देश क अभिन्न अंग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि संरक्षणात्मक कदम उठाए जाए।

क्या यह सच नहीं है कि अमरीकियों ने इस संबंध में कदम उठा लिए हैं? उन्होंने अपने किसानों के बचाव के लिए कदम उठाए हैं। आस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने गेहूं के लिए संरक्षणात्मक उपाय किए हैं। यहां तक कि अमरीका सहित कई विकसित देशों ने भी संरक्षणात्मक कदम उठाए हैं। सोयाबीन के मामले में उन्होंने संरक्षणात्मक कदम उठाए हैं। सोयाबीन उत्पादकों के मामले में अमरिका के प्रशासन ने संरक्षणात्मक कदम उठाए हैं। हाल ही में, आस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने गेहूं उत्पादकों के बचाव के उपाय किए हैं। क्यों? क्योंकि यह उनके राष्ट्र के हित में है। इसलिए, हमें इन सभी पहलूओं को राष्ट्रीय हित में सोचना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस करार को यथासंभव इस हद तक पुनरीक्षित किया जाए। ताकि हमारे राष्ट्रीय हितों का संरक्षण हो सके।

मैं आशा करता हूं कि वे एक साहसिक कदम उठाएंगे और निश्चित रूप से उन्हें सभी विकासशील देशों का समर्थन प्राप्त होगा। निसन्देह हमें विकसित देशों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। अफ्रीका के देश, मलेशियां और दूसरे देश हमारी सहायता करेंगे। हम एक उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं और ये आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय दोहा सम्मेलन में एक साहसिक कदम उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस संकल्प की भावनाएं कार्यान्वित हों।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं श्री सुनील खां जी द्वारा प्रस्तुत मात्रात्मक प्रतिबंधों को उठाने के निर्णय की समीक्षा संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं। समय का यह तकाजा है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेसी मित्र मनमोहन जी की नीतियों को भूल गए जो उन्होंने 1991 में लागू थीं और माननीय नरसिंह राव जी जब प्रधान मंत्री थे उस समय प्रणव मुखर्जी को डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा था। हम डब्ल्यूटीओ की बातों को मानने के लिए बाध्य हैं। आज वहीं कांग्रेसी मित्र कम्युनिस्टों के स्वर में स्वर मिला रहे हैं।

निकले हैं कहां जाने के लिए, पहुंचेंगे कहां यह मालूम नहीं,
इन राह में भटकने वालों को मंजिल की दिशा मालूम नहीं।

जब हमने मंजिल तय कर ली है कि हमें कौन सी मंजिल में पहुंचना है, जब हमने गैट पर हस्ताक्षर कर दिए, उब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर कर दिए 141 देश सदस्य बन गए तो अब कहा जा रहा है कि पुनः समीक्षा की जाए। अब आगे बढ़ने का समय है। जब पग आगे बढ़ा दिए तो हमें भविष्य की तरफ देखना है और भूतकाल को भूल जाना है। राष्ट्र हित किस में है, यह देखने की बात है। क्या हमारा किसान किसी से कम है? भारत का किसान किसी प्रकार से कम नहीं है। इसलिए हमने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान की बात कही। ऐसे में किसानों में पूरा विश्वास आना चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 50 साल तक कांग्रेस की जो नीतियां रहीं उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। आजादी के समय जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 54.96 परसैंट थी लेकिन वह घटते–घटते 27. 87 परसैंट रह गई जबकि लेबर फोर्स कृषि में उतनी ही है। इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हमें जमाने के अनुसार बदलना होगा। यहां वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री आदि सब बैठे हैं।

लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना,
मर्द वह है जो जमाने को बदल दे।

जब हमने उदारीकरण की तरफ कदम बढ़ा दिया, ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े और डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर कर दिए तो हमें इस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत एक प्रतिष्ठित देश बन गया है। तो हम प्रतिबद्ध हैं कि उनके नियमों के आधार पर हस्ताक्षर करें इसलिए इनसे पीछे हटने का प्रश्न नहीं है। हमने 21वी सदी में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समय में कहा जा रहा है कि इस पर पुनः समीक्षा हो। ऐसा मालूम होता है कि हमारे साम्यवादी बंधु प्रगति पथ में रोड़े अटकाना चाहते हैं। वे प्रतिगामी बन कर और प्रतिक्रियावादी बन कर देश को वापस पुरातन स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सोवियत रूस की आज क्या स्थिति है? रशिया जो दुनियां की सबसे बड़ी ताकत था लेकिन प्रतिस्पर्धा न होने के कारण आज वहां की स्थिति क्या हो गई है? चाइना समय रहते संभल गया। वह आज अमेरिका की सहायता ले रहा है। परिणामस्वरूप आज वहां खुलापन भी है। आज चीन तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम राष्ट्र हितों को सर्वोपरि मान कर आगे बढ़ने का प्रयास करें या तो इस पार या उस

[प्रो. रासासिंह रावत]

पार। जब हमने आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया है तो हमें उस तरफ आगे बढ़ना होगा। कृषि व्यापार को मार्किट ओरियंटिड, बाजार केन्द्रित और अच्छा बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें निराशावादी दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता नहीं है। हम इस क्षेत्र में क्या करें, कैसे करें, कैसे प्रतियोगिता में उतरें, इस पर चिंतन करें। हमारा देश किसी से कम नहीं है। कहा जाता है कि:

अयं निजः परोवेति, गणना लघुचेतसाम,
उदारचरितानां तु वसुधै कुटुम्बकम।

हमने सारे संसार को एक परिवार कह दिया। आज ट्रेड कॉमर्स की दृष्टि से एक हो गए।

भारत अछूता नहीं रह सकता है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, या उद्योग का क्षेत्र हो। ठीक है, हमारे लघु उद्योगों की सुरक्षा होनी चाहिये। उन्हें संरक्षण मिलना चाहिये और प्रतिस्पर्द्धा की भावना पैदा होनी चाहिये। अच्छी नस्ल तैयार करके खूब मेहनत करनी चाहिए। यह नहीं कि 'चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हों'। कामरेडों ने यह बात कह कहकर देश को रसातल में पहुंचा दिया। आज पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की क्या स्थिति है? सभापति महोदय, आज सारी रूग्ण ईकाइयां, सारे पब्लिक अंडरटेकिंग सफेद हाथी सिद्ध हो रहे हैं। इन सब का क्या कारण है? काम कुछ करना नहीं, काम में रोड़े अटकाना और प्रतिस्पर्द्धा को मौका नहीं देना है। ऐसी बात नही होनी चाहिये बल्कि यह होना चाहिये कि देश के लिये काम करेंगे और काम के बदले दाम पूरे लेंगे। हम यह बात कहते हैं कि भारत का कृषि उत्पाद विश्व के कृषि उत्पाद के साथ होड़ लगाने वाला होना चाहिये और अच्छा उत्पादन करने का मुकाबला करने वाला होना चाहिये। जैसा हमारे यहां नारियल पैदा होता तो हमें इसकी उपज बढ़ाकर, अच्छी नस्ल पैदा करके विश्व व्यापार में भेजने का कष्ट करना चाहिये। इससे निश्चित रूप से हमारी आमदनी बढ़ेगी।

सभापति महोदय, भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। चूंकि हमारी प्रतिबद्ता है, इसलिये कृषि के बारें में जो सुझाव गये हैं, उन्हें कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता है। मैं निम्नलिखित कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा।

सबसे पहले कमिटमेंट आफ मार्किट एक्सैस अर्थात् बाजार के संबंध में जो कमिटमेंट है, उसे पूरा करना है। यदि धन की आवश्यकता है तो घरेलू उत्पाद को सपोर्ट प्रदान करना। एक्सपोर्ट करने के लिये हमें यदि सबसिडी देनी पड़े तो उसे थोड़े समय में करेंगे। लेकिन 31 दिसम्बर, 2004 तक टैरिफ मैजर्स तय करेंगे और वे करने पड़ेंगे। इसमें समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते रहना चाहिये।

सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन डब्ल्यू. टी. ओ. के बारे में हुआ थाः विश्व व्यापार संगठन कृषि और खाद्य प्रबंधन संबंधी करार पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मैं उसके बाद दो तीन पंक्तियों पढ़कर अपना कथन समाप्त कर दूंगा।

[अनुवाद]

"यह सम्मेलन पिछले तीन सालों में हुए सफलतम और रचनात्मक मुख्य मंत्री सम्मेलनों में से यह एक है। भागीदारी की प्रकृति और उसकी गइराई यह दर्शाती है कि हम सभी कृषि संबंधी समस्याओं पर अपनी–अपनी राजनैतिक हदों को पार कर एक आम राय कायम कर सकते हैं"।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं श्री सुनील खान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें कामन अप्रोच की आवश्यकता है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जो कामन अप्रोच थी, वह सारे देश में पहुंच चुकी है, सारे देश के प्रतिनिधि पहुंच गये हैं। इसलिये हमें उसमें सुधार करना चाहिये। एकांगी दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं और न अमरीका को दोष देने से काम चलेगा। हिन्दुस्तान को अमरीका के मुकाबले कैसे खड़ा किया जा सकता है, इस बात के लिये सोचना चाहिये।

[अनुवाद]

"इस सम्मेलन में भविष्य में एक प्रभावी कार्य योजना पर राष्ट्रीय सहमति तैयार करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। कृषि राज्य का विषय है। भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियों व अवसरों ने केन्द्र व राज्यों के बीच संतत आधार पर यथासंभव समीप समन्वय अनिवार्य बना दिया है।"

[हिन्दी]

अंत में जो खास बात है अर्थात् जो कन्क्लूजन है वह यह है :

[अनुवाद]

"विश्व व्यापार संगठन की संबंध में, मैं मानता हूं कि हमें इस पर और चर्चा नहीं करनी चाहिए कि पहले क्या हुआ था।

हमें विश्वास और दृढ़ संकल्प होकर, भविष्य को देखना चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता यह है कि हम एक केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर विचार–विमर्श करने और नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकाधिक संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञों को शामिल करे। अपनी बाजार अधिसूचना व्यवस्था की मजबूती के लिए भी यह आवश्यक है। एक दूसरी अत्यंत आवश्यकता है–अधिकांश जनता और अपने किसानों तक विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि के मुख्य पहलूओं को पहुंचाना।''

[हिन्दी]

भारत ने किसानों के हित में डब्ल्यू. टी. ओ. में हस्ताक्षर करने के बाद जो उसकी विशेषता है और महत्व है, उन सब को प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचाने के लिये तैयार करना पड़ेगा और किसानों में अवेयरनैस पैदा करनी है।

[अनुवाद]

इसमें यह कहा गया है:

''समुचित संप्रेषण के अभाव में' बहुत सी गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं। जो चुनौतियों का सामना करने की हमारी सामर्थ्य में किसी प्रकार सहायक नहीं होती।''

[हिन्दी]

चुनौतियों को स्वीकार करने में हमारी कमी रह जायेगी, अगर हम किसानों के अंदर जागरूकता और चेतना पैदा नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

''सबसे पहले, मैं चाहता हूं कि वाणिज्य और कृषि मंत्रालयों से राज्य सरकारों के सहयोग से सभी राज्यों की राजधानियों में जागरूकता उत्पन्न करने वाली बैठकें आयोजित करें। इसी प्रकार से, केन्द्र को राज्यों द्वारा विकसित विशेषज्ञता का फायदा उठाना चाहिए।''

[हिन्दी]

इसलिए केन्द्र और राज्य मिलकर किसानों के अंदर ऐसी जागरूकता और चेतना पैदा करें कि डब्ल्यू. टी. ओ. में हस्ताक्षर करने के बाद हमारी कृषि और लघु उद्योग–धंधों को कैसे विकसित किया जाए, कैसे आगे बढाया जाए, कैसे उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाए। कैसे देश को आत्म–निर्भर बनाया जाए। कैसे उनसे अधिकाधिक धन कमाया जाए और उनसे लाभ कमाया जाए। देश के जीवन के अंदर इन सबका स्तर कैसे बढाया जाए, इन सब बातों पर मतैक्य करके आज इन सब चीजों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे पास मित्र श्री सुनील खान द्वारा क्वान्टीटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का जो प्रस्ताव सदन में लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे ख्याल में मेरे परम मित्र श्री रासासिंह रावत थोडा भटक गये हैं। वे इस बात से भटक गये हैं कि यहां मुद्दा डब्ल्यू. टी. ओ. या साथ ही इसको विदड्रा करने का या इसका विरोध करने का नहीं है। मुद्दा यह है कि किस तैयारी से हम दोहा में अगले राउंड ऑफ टाक्स में शामिल होंगे और भारतवर्ष की जो आम जनता, गरीब किसान और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनका पक्ष हमारे ऑनरेबल मंत्री महोदय श्री मुरासोली मारन जी किस इफैक्टिवनैस से पेश करें, मुद्दा यह है।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि पंजाब एक कृषि प्रधान सूबा है और इस क्वान्टीटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को उठाने और विदड्रा करने के बाद इंडस्ट्रीज के संबंध में जो चिंताएं प्रकट की गई हैं, मैं यहां ग्राउंड रियलिटीज की बात करूंगा। क्योंकि ये वही चिंताएं हैं जो कभी देश के बहुत महान किसानों के लीडर चौधरी चरण सिंह जी ने व्यक्त की थीं। हमारे एक बहुत पुरातन धरती से जुड़े हुए पंजाबी के एक शायर ने किसानों की व्यथा व्यक्त करते हुए यह बात कही थी और आज वही बात इस रिजोल्यूशन पर लागू होती है। उन्होंने कहा था–गाय बेचके घोड़ी ल्यान्दी, दुध पीण गये लिद चकनी पई; 'मैंने गाय बेचकर घोड़ी खरीद ली।' किसान ने कहा कि दूध तो मेरे बच्चे पीने से गये और उसकी लीद उठानी पड़ी। यही हालत आज देश के सबसे कृषि प्रधान सूबे की हो गई है।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इंडस्ट्रीज पर आना चाहता हूं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया लुधियाना को कहा गया है। वहां टोटल साइकिल इंडस्ट्रीज बंद हैं। टोटल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बंद है। बटाला में हमारे उद्योग धंधे बंद हैं। गोविन्दगढ़ में स्टील प्लान्ट बंद हैं राजपुरा में हमारे सारे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज तथा बड़े इंडस्ट्रीज बंद हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे बहुत से मित्रों ने

[श्री जे. एस. बराड़]

यहां आंकड़ों का जिक्र किया है। लेकिन इतनी बड़ी तबाही, इतना बड़ा अनइम्पलॉयमैन्ट ये सारी की सारी तस्वीर इस बात का सबूत है कि पूरी तैयारियों को किये बिना दस्तखत के बाद जो विकसित देश हैं, उन्हें लाभ हुआ है। इसका सही मायने में यह निचोड़ है कि विकासशील देशों को इसमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। इसकी तैयारी आगरा समिट की तरह से न हो, हम नाकाबालियत से फेल हो जाएं। दोहा में आपकी सदारत के तले हम आपको सपोर्ट करते हैं। यह मुल्क का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। आपको किस तैयारी से वहां जाना है इसके बारे में मैं दो–तीन टिप्पणियां करना चाहता हूं।

पिछले दिनों अखबारों में छपा कि एन. डी. ए. सरकार ने हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े किसान लीडर शरद जोशी की सदारत में एक कमेअी बनाई और उस कमेटी ने समीक्षा करनी थी कि विश्व व्यापार संगठन का कृषि पर और किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहा जा रहा है कि 15 सूबों में मेहनत करके नतीजा निकाला गया कि कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का क्या असर पड़ना है लेकिन उस कमेटी को ही खत्म कर दिया गया और उनकी जो तहकीकात है, वह सारी की सारी बर्बाद हो गई। मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री माननीय अजित सिंह जी जब अगले रेजॉल्यूशन पर बोलें तो इस बारे में जरूरत बताएं।

सभापति महोदय, मैं दो–तीन बातें और कहना चाहता हूं। जिन सूबों में सबसे ज्यादा पर कैपिटा कंजम्शन फर्टिलाइजर का है, उनका ख्याल माननीय मंत्री महोदय को रखना है। 16000 करोड़ रुपये का अनाज पंजाब के गोदामों में पड़ा है, उसका मूवमेंट कर नहीं पा रहे हैं। बाहर की स्टेटों में वह माल रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं है। हमने पूरा जोर लगाया कि ज्यादा उत्पादन करे। अब विदेशों में जो माल जाना है और जिसके हमें बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में किसान का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में किसान का क्या हाल है, केरल में कॉफी, चाय और रबड़ का जिक्र हो रहा था कि वहां किसान की क्या हालत है। आज से 20 वर्षों पहले से कॉटन की प्राइस मार्केट में थी 1500 रुपये प्रति क्विंटल, रोजमर्रा की कीमतें बढ़ने के बावजूद आज किसान को उसका मूल्य 1800 रुपये मिल रहा है और किसान के बेटे को अगर ऐडमिशन लेना है तो 35 लाख और 20 लाख रुपये चाहिए। यह सारा करने के लिए उसको कितना कुछ करना पड़ रहा है, ये सारी बातें आपके सम्मुख हैं, इनपर आपको विचार करना चाहिए।

सभापति जी, दो बातें और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 440 लाख टन फूडग्रेन्स हमारे पास स्टॉक है और 40 परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों और उनके लिए इंतजाम करने में हम असमर्थ रहे हैं और अब हम कह रहे हैं कि इन एग्रीकल्चरल ग्रीमेंटों और अन्य ऐग्रीमेंटों से हमें लाभ होने वाला है, इस बारे में आपको पुनर्विचार करना चाहिए। सुनील खान जी ने ठीक कहा कि पुनर्विचार करो, समीक्षा मत करो, अगर किसानी को नुकसान हो रहा है। किसान परेशानी में है और वह महसूस कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के समझौते से हमें नुकसान हो रहा है और हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में समीक्षा ही न करें तो ठीक नहीं होगा। मैं अपने परम मित्र से कहना चाहूंगा जो लोगों के बड़े हितैषी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि यह बात जिक्र करने के काबिल नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बराडजी, हमने इस गैर–सरकारी संकल्प पर अपराह्न 3.15 बजे चर्चा शुरू की है। हमें आधा घंटे की चर्चा भी करनी है। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए?

श्री जे. एस. बराड़ : जी, हां, महोदय। मैं अपनी बात पूरी करने के लिए केवल दो मिनट और लूंगा।

[हिन्दी]

मैं कह रहा था कि एक तरफ कंपीटीटिव वर्ल्ड में देश के किसानों में यह भावनाएं हैं कि पंजाब में लोगों की बडी लैन्ड होल्डिंग्स हैं पंजाब में औसतन प्रति व्यक्ति भूमि जोत 2.5 हेक्टेयर है। अब आप ही हमें बताइए कि यह अमरीका और अन्य देशों के किसानों से किस प्रकार प्रतिस्पर्धा करेंगे?

अपराह्न 5.34 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

जिनके पास 20000 एकड़ जमीन है उनका मुकाबला करने के लिए कहा जा रहा है। इसका ध्यान इस दोहा के अगले राउंड में माननीय मंत्री जी रखें यह मैं कहना चाहता हूं और यह समझौता लागू होने से पहले या बाद में जो सबसे जरूरी बात है, ठीक है कि लैन्ड रिफॉर्म्स की बात देश में बनी हुई है, कई सूबों में वह लागू भी नहीं हुई है, लेकिन कंपीट अगर इंटरनेशनल मार्केट में करना है तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं कि एक तरफ देश में लैन्ड सीलिंग लागू कर

दें और दूसरी तरफ कहें कि 2000 एकड़ वाले किसान के साथ जो अमेरिका में हैं, उसके साथ मुकाबला करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से कहना चाहता हूं कि इन सब बातों पर उन्हें विचार करना चाहिए। सबसिडी का अखबारों में बहुत जिक्र होता है। जापान, फ्रास, यू.के. और अमरीका में किसानों को कितनी सबसिडी मिलती है और उसकी तुलना में हमारे देश के किसानों को बैंकों से ऋण लेने के लिए भी अपने बच्चों के मुंह की रोटी छीनकर ऋण लेने पर 20 प्रतिशत रिश्वत देनी पड़ती है और इंटरैस्ट के ऊपर इंटरैस्ट दिया जाता है। मेरे केरल के मित्र श्री राधाकृष्णन जी ने अभी कहा और अन्य माननीय सदस्यों ने सदन में जो विचार प्रकट किए मैं सबकी बातों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे देश में 8 लाख ट्रैक्टर हैं और यहां सबसे ज्यादा मंडियां ट्रैक्टर बेचने की लगती है। ट्रैक्टर किसान ने बैंक से लोन लेकर ले तो लिया, लेकिन किस्त चुकाने का उसके पास कोई साधन नहीं है। इसलिए उन्हें अपने ट्रैक्टर बेचने पड रहे हैं। किसानों द्वारा खुदखुशी किए जाने की चर्चा करने का तो समय नहीं है, वरना मैं उनके बारे में बताता कि आज किसान की कितनी दुर्दशा है। मेरा कहना है कि विकासशील देशों को अपना पूरा लोहा लेकर डब्ल्यू टी. ओ. का विरोध करना चाहिए।

महोदय, रासा सिंह जी रावत जी ने जिस शेर का जिक्रि किया, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे टाइम में भी यह मामला उठा था। जब यहां पी.वी. नरसिंहराव प्रधान मंत्री थे, तब मैं कांग्रेस का सांसद था।

"वो पत्थर हैं जो गिर जाते हैं टुकड़े होकर,
कभी हौंसले भी मुसमार हुआ करते हैं

मंजिल की तरफ बढ़ना ही तौहफा है आदम,
रास्ते तो सभी दुश्वार हुआ करते हैं।"

यह पार्टी का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा पूरे देश का है। श्री सुनील खान ने जो यह मुद्दा इस सदन में पेश किया है जिसका समर्थन चौधरी साहब ने किया है, राधाकृष्णन जी ने किया है, लेकिन रासा सिंह रावत जी ने सहमति व्यक्त नहीं की है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लोक सभा में जब किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तो किसी पार्टी के एक भी सदस्य ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुद्दे का समर्थन नहीं किया। उन सभी ने यही कहा कि यह किसानों और इस देश के आम लोगों के खिलाफ है और हमें अपने देश की जड़ों से अलग करने वाला है। इस बात की पुष्टि इसी बात से होती है कि डब्ल्यू. टी. ओ. की एग्रीकल्चर कमेटी ने खुद ही यह रिपोर्ट दी है कि पांच वर्षों में जो विकासशील देश हैं, उनकी तबाही हुई है, उसके कारणों की समीक्षा की जाए और सुधार किया जाए।

सभापति महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी, बहुत काबिल मंत्री हैं, वे सभी बातों का लेखा–जोखा करेंगे। प्रजातंत्र में कई प्रकार की बातें होती हैं। वे इस बात को जानते हैं कि उनके प्रदेश के लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। सारे देश के किसानों का विरोध है। कृषि मंत्री जी की सारे देश में इज्जत है, मान हैं, वे संवदेनशील व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि वे दोहा में उठने वाले इस मुद्दे के ऊपर बहुत इफैक्टिव तैयारी करेंगे और हमारे देश की कृषि और इंडस्ट्री को तबाही के कगार पर नहीं पहुंचने देंगे।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं, कि आपने मुझे श्री सुनील खां संसद सदस्य द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है उस पर बोलने के लिए समय दिया। मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, दो–तीन प्रकार की गुलामियां होती हैं। एक आर्थिक गुलामी, दूसरी सामाजिक गुलामी और तीसरी राजकीय गुलामी। हमारे देश में धीरे–धीरे सामाजिक गुलामी कम हो गई है। भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराकर राजनीतिक गुलामी भी समाप्त कर दी, लेकिन आर्थिक गुलामी नहीं गई। आर्थिक गुलामी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आर्थिक गुलामी ही सामाजिक और राजनीतिक गुलामी का कारण बनती है। डब्ल्यू. टी. ओ. आर्थिक गुलामी का एक रास्ता है।

इसे कांग्रेस लाई, कांग्रेस लाई, वर्तमान सरकार में बैठे हुए सदस्य भी ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बार–बार किसी के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है। हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए। इसे देखने की जरूरत है। कृषि मंत्री जी कृषि के तर्क में बोलते हैं श्री मारन को मैं बहुत दिनों से पहचानता हूं। आज किसान और कामगार लोगों की क्या हालत है। मुर्गी पालन के धंधे में तीन करोड़ लोग काम करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग में पांच लाख लोग काम करते हैं। मुम्बई में सूत उद्योग में पांच लाख लोग काम करते थे। वह उद्योग खत्म हो गया और वे लोग बेकार हो गए। जिन लोगों ने जमीन ली थी, उनको तो बहुत पैसा मिला लेकिन फैक्ट्री बंद होने से जो लोग बेकार हो गए, उनके बारे

[श्री हरीभाऊ शंकर महाले]

में सोचना जरूरी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग–धंधे बहुत अच्छी तरह बढ़ रहे थे लेकिन डब्ल्यू.टी.ओ. के आने से वहां बेकारी बढ़ गई । इस पर विचार करने की जरूरत है भारत की भूमि अलग है। अमरीका की नीति चाणक्य की तरह है। वह जानता है कि भारत की आबादी सौ करोड़ है जिसमें से 25 प्रतिशत लोग तगड़े हैं, दो सौ रुपये का एक कप चाय पीने वाले हैं। अमरीका के लोगों की नजर इस पर है। डब्ल्यूटी ओ के आने से पहले किसानों को अमरीका के कितनी सब्सिडी दी? डब्ल्यू.टी.ओ. का करार होने से सब्सिडी दुगनी कर दी। आपके ऊपर दबाव डाला जाता है कि सबसिडी नहीं देनी, यह नहीं करना, वह नहीं करना।

मोरारजी भाई पंथ प्रधान थे। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि भारत दुबला, पतला देश नहीं है, यह स्वयंभू देश रहेगा, कभी किसी की परवाह नहीं करेगा। यदि कांग्रेस ने ऐसा किया तो आप गडबड़ क्यों करते हैं, जोर से बोलिए, भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कीजिए। डब्ल्यू.टी.ओ. को फेंक दें, यही मेरी विनती है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। श्री सुनील खान द्वारा लाया गया सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सवाल है, किसानों के बारे में है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, मैं 'गैट' की शर्तों की समीक्षा की मांग करता हूं क्योंकि हमारा अनुभव बहुत ही खराब रहा है। हरेक क्षेत्र में हम गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र, लघु क्षेत्र और भारी उद्योग क्षेत्र में गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। यदि 'गैट' पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार होता, तो हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करते परन्तु इसके परिणाम बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहे हैं।

मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं अपितु केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सेंट्रल स्टेटटिक्स ऑर्गनाइजेशन) के हैं जो गैट की शर्तों और मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने की समीक्षा को निश्चित रूप से न्यायोचित ठहरायेंगे। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं और मेरे विचार से यह सभा 'गैट' की शर्तों की समीक्षा करने के लिए सहमत होगी।

महोदय, इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास की दर काफी कम हो गई थी। उत्पादन क्षेत्र परेशानियों का सामना कर रहा है और लघु क्षेत्र बन्द होने के कगार पर हैं। मैं इसके बारे में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं।

महोदय, गत वर्ष की 5.9 प्रतिशत औद्योगिक विकास दर की तुलना में इस वर्ष अप्रैल से जून के मध्य औद्योगिक विकास दर 1.5 तक गिर गई। इससे क्या साबित होता है? गत वर्ष ऊर्जा के क्षेत्र में पांच प्रतिशत थी। जो इस वर्ष घटकर 1.4 प्रतिशत हो गई है। खनन क्षेत्र में 4.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस वर्ष यह कम होकर 3 प्रतिशत रह गई है। वर्तमान में उपभोक्ता वस्तु के क्षेत्र में विकास दर 4.7 प्रतिशत है। गत वर्ष 8.9 प्रतिशत थी। पूंजीगत क्षेत्र में भी विकास दर गत वर्ष के 7.6 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में विकास दर गत वर्ष की 24% की तुलना में घटकर 8 प्रतिशत रह गई। देश में इस वर्ष वित्तीय विकास दर गत वर्ष की 22.7 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल से जून की अवधि के दौरान घटकर 7.5 प्रतिशत रह गई है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में मंदी का दौर शुरू हो गया है। बेरोजगारी बढ रही है। योजना आयोग द्वारा दिए गए आंकडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग 27% हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के 54 वर्षों के पश्चात् भी हमारे देश में निरक्षरता की दर काफी अधिक है। गैट के माध्यम से हमें क्या मिला? इस गैट के कारण क्या हुआ? प्रौद्योगिकी प्राप्त विकसित देश विभिन्न कृषि उत्पादों और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के उत्पादन में अपनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें हमारे देश में भेज रहे हैं जिसके कारण उनके उद्योग फल–फूल रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री लक्ष्मण सेठ। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब सभा में आधे–घंटे की चर्चा शुरू होगी।

अपराह्न 5.45 बजे

आधे घंटे की चर्चा

जनजातियों का कल्याण

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : महोदय, जनजातियों के कल्याण के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सहयोगी, श्री भृत्तुहरि मेहताब को भी 7 अगस्त, 2001 को इस मुद्दे पर

तारांकित प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर व्यक्ति गत रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति जी, हमें कब समय मिलेगा?

सभापति महोदय : आपको नैक्स्ट टाइम समय मिलेगा, जब यह आगे सदन में आयेगा। अभी हाफ एन ऑवर डिस्कशन हो रहा है। इसे टाइम 5.47 बजे फिक्स टाइम पर शुरू होना था। यह क्वैश्चन था, इस पर हाफ एन ऑवर डिस्कशन हो रहा है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हम कब बोलेंगे?

सभापति महोदय : ऐसा नही होता है। सदन का समय समाप्त हो गया, आपको आगे समय मिलेगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कब मिलेगा?

सभापति महोदय : जब भी समय आयेगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : समय तो हर साल आयेगा तो हम अगले साल बोलेंगे क्या?

सभापति महोदय : सदन का जो एलाटेड टाइम था, वह समाप्त हो गया, इसलिए जब आगे समय आयेगा, उस समय आप बोलेंगे। अभी यह विषय कंटीन्यू कर रहा हैं। सदन तो रूल्स के अनुसार चलेगा।

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है । वह संतोषजनक नहीं है। आदिवासियों की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 8.1 प्रतिशत है। यह काफी बड़ी संख्या है। यह सरकार इस व्यापक जनसंख्या का ध्यान नहीं रख रही है। इस संबंध में मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 4 अगस्त, 2001 को राष्ट्र को दिए गए अपने भाषण में कहीं गई बातों की याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता और न्याय में संतुलन रखना अनिवार्य है। यह शत प्रतिशत सत्य है और जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, उसके संदर्भ में पूर्ण रूप से तर्कसंगत है।

राजग सरकार के सत्ताकाल में धनी और निर्धन वर्ग के बीच अन्तर बढ़ रहा है। समाज के असंतुलन को दूर करने की सरकार की कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति अथवा वचनबद्धता नहीं है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, लड़कियों के लिए हॉस्टलों के निर्माण के लिए सरकार ने 2000–2001 में 32 लाख रुपये जारी किए हैं। लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए केवल 32 लाख रुपये दिए गए। आश्रम–स्कूलों के लिए 5.32 करोड़ रुपये जारी किए गए परन्तु एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि देश के आदिवासी लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने में इस सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति और वचनबद्धता का अभाव है। यदि सरकार आदिवासी लोगों के प्रति अपनी नीति की पुनरीक्षा करने में असफल रहती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जब एक वर्ग सुविधा संपन्न होगा और दूसरा विपन्न।

दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों की स्थिति बदतर होती जा रही है। मैंने इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान इस आशा से आकर्षित कराया था कि सरकार देश में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए कोई विशेष योजना बनायेगी और समाज के असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेगी।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में भी कहा था कि निर्धन लोगों का धैर्य समाप्त हो रहा है और मैं भी यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों का धैर्य टूटता जा रहा है। वे दयनीय जीवन जी रहे हैं। हम सभी ने आदिवासियों के भूख से मरने की घटनाएं सुनी हैं। अभी तक कर्नाटक के पर्वतीय क्षेत्रों में आदिम जाति के लोग चावल पकाने के लिए बांस का प्रयोग करते आ रहें हैं। यहां तक कि आज भी कुछ लोग अपनी आजीविका के लिए शिकार पर निर्भर हैं। उड़ीसा और उत्तर–पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक है। आदिमजातीय लोगों के विकास के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए बजट–आबंटन में बहुत कम वृद्धि की गई है। वर्ष 1999–2000 के दौरान आदिवासी उपयोजना के लिए मात्र 400 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मंजूर की गई थी।

वर्ष 2000–01 के दौरान भी उतनी ही धनराशि दी गई। परंतु इस विशेष योजना के लिए बिल्कुल धनराशि नहीं दी गई। वास्तव में, मैं माननीय मंत्री से पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय आबटन के अन्तर्गत अनुदानों में कोई वृद्धि क्यों नहीं की गई।

मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं कि क्या यह

[श्री जी. पुट्टास्वामी]

सुनिश्चित करने के लिए मंत्री महोदय ने कोई निगरानी तंत्र बनाया है कि जारी की गई धनराशि जरूरत मंद लोगों तक पहुंचे महोदय, अन्यथा जैसाकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी कहा था, कि जारी की गई कुल धनराशि में से केवल दस प्रतिशत ही जरूरत मंद लोगों तक पहुंचेगा।

एक दूसरे पर आरोप लगाने का प्रश्न नहीं है। हम सभी को आत्मावलोकन करना चाहिए। नए मंत्रालय का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। निगरानी अधिक महत्वपूर्ण है देश भर के आदिवासियों को दलालों और बाहरी बेइमानों के बजाय सरकारी तंत्र से सचेत करना चाहिए। शोषण के विरुद्ध उनकी सुरक्षा और उत्थान के लिए केन्द्र द्वारा दी गई धनराशि के एक बडे भाग का अधिकारियों द्वारा खुलेआम दुरूपयोग किया गया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि धनराशि अक्सर वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ही जारी की जाती है। यदि ऐसा है तो क्या माननीय मंत्री इस प्रवृत्ति में बदलाव लायेंगे।

मेरा तीसरा प्रश्न राज्य और केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में आरक्षित स्थानों के बकाया पदों (बैंकलॉग) के बारे में है। क्या यह सच है कि यह बैकलॉग वर्ष–दर–वर्ष बढ रहा है? यदि हां, तो इस बैकलॉग को निपटाने के लिए माननीय मंत्री का क्या उपाय करने का विचार है?

मेरा चौथा प्रश्न धनराशि के आबंटन के बारे में है। वर्ष 2001–2002 के लिए प्राचीन जनजाति समूहों के विकास हेतु 1,250 लाख रुपये आबंटित किए गये हैं। आज तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उन्होंने 1,250 लाख रुपये आबंटित किए हैं। परन्तु इसे भी समुचित रूप से खर्च नही किया गया है।

महोदय, मेरा पांचवां प्रश्न रिहायशी स्कूल खोलने के बारे में है। नौंवी योजना के दौरान केन्द्र ने 'नवोदय विद्यालयों' की तर्ज पर आदिवासी विशेष योजना (टी. एस. पी.) के अंतर्गत 100 रिहायशी स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा था। देश में, विशेष रूप से कर्नाटक में आज तक ऐसे कितने स्कूल खोले गए हैं?

महोदय, मेरा छठा और अंतिम प्रश्न जागरूकता कार्यक्रम के बारे में है। आदिवासियों तथा बंजारों जैसी घुमक्कड़ आदिवासियों और आदिम युगीन आदिवासियों के बारे में सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठन स्तर पर सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, भारत की कुल आबादी लगभग 8.6 प्रतिशत लगभग 9 प्रतिशत आदिवासियों की जनसंख्या है। पिछले अनेक वर्षों में आदिवासियों में अनुसूचित जनजाति की सुविधा के लिए, उनके अच्छे सुधार के लिए या उन्हें अनेक प्रकार से सुविधाएं देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किये गये, उनमें या तो पूरी तरह से उन्हें लाभ नही मिला या मिला भी तो किंचित मात्र लाभ मिला और चाहे हम किसी भी प्रदेश को लें, चाहें मेघालय, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अन्य भाग या दक्षिण भारत के कुछ भाग हों जिनमें आदिवासी बहुल जनसंख्या है, मैं माननीय मंत्री जी से दो चार प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी या जनजाति के लोग जो वर्षों से ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दो–चार नहीं, एक ही प्रश्न मे पूछिए।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : एक ही प्रश्न पूछूंगा। मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि जनजाति के लोग जो अनेक वर्षों से पहाड़ों में या जंगलों में रहते हैं जिनको वन्य ग्राम कहा जाता है, उन वन्य ग्रामों को राज्य ग्रामों में परिवर्तित कर उनकी आजीविका का साधन जुटाने के लिए क्योंकि वर्षों से वे खेत जोतते आ रहे हैं, आज उन्हें बेदखल किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, ऐसे जनजाति के लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है।

सायं 6.00 बजे

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है–आदिवासियों के लिए देश भर में अनेक योजनाएं चलाई गई, अनेक योजनाओं को शामिल किया गया, उन योजनाओं का क्या हुआ? इसके साथ ही पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं पर कितनी राशि खर्च हुई? प्रश्न का तीसरा भाग है–जनजाति छात्र–छात्राओं की शिक्षा की दृष्टि अनेक शिक्षण संस्थायें खोली गई हैं, और आदिवासियों के छात्रावास खोले गए हैं, लेकिन छात्रावासों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। वहां पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है और उनके लिए

भोजन की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मैंनें स्वयं छात्रावासों का निरीक्षण किया है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मैंने स्वयं छात्रावासों का निरीक्षण किया है और देखा है कि उनको मिलने वाली खाद्य सामग्री अत्यन्त ही निकृष्टतम खाद्य सामग्री है। इस दिशा में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? प्रश्न का अंतिम भाग है– आदिवासियों को मिलने वाली चिकित्सा पर करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है। मैंने स्वयं देखा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में आदिवासी के कल्याण के लिए जो योजनायें चलाई जानी थी, वे अभी तक शुरू नहीं हुई है। जहां पर तालाब बनाए जाने थे, मैंने स्वयं जाकर देखा है, वहां गड्ढा भी नहीं है, पानी तो बहुत दूर की बात है। आजादी के 54 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जातियों की दशा में सुधार नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इन कल्याण योजनाओं के बारे में, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, समीक्षा करके तथ्यात्मक बात निकाले, जिससे वहां का कल्याण हो सके। आदिवासी लोगों को चिकित्सा मिले, शिक्षा मिले, सामाजिक उद्धार हो। आदिवासी लोग जो जंगलों से निकाले जा रहे हैं, उनके निकाले जाने पर रोक लगाई जाए। वनग्रामों को राजस्वग्राम में परिवर्तित करने और भूमि आबंटित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

प्रो. रासासिंह रावत : सभापति महोदय, जैसा कि अभी कहा गया, आजादी के 54 वर्षों के बाद भी आदिवासियों की स्थिति में आर्थिक या शैक्षिक या सामाजिक दृष्टि से जो सुधार होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। करोड़ों रुपयों की नाना पकार की योजनायें बनाने के पश्चात् भी उन योजनाओं का लाभ आदिवासियों को नहीं पहुंच पाया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, सरकार ने आदियासियों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए और आदिवासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए अब तक जो प्रयास किए हैं, उनमें अपेक्षित सफलता सरकार को क्यों नहीं मिली है? वन्य प्रदेशों में आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। ये खेती का सहारा लेकर अपना भरण–पोषण करते हैं। इन लोगों को खेती का मालिकाना हक देने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। वन सम्पदा पर ही उनका जीवन निर्भर है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई विशेष योजना है? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है – राजस्थान में 7.5 प्रतिशत आदिवासी आबादी है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, उदयपुर, चितौड़गढ़ जिलों में आदिवासी लोगों का बाहुल्य है। इन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आश्रम खोले जाने के बाद, स्पेशल कम्पोनेंट स्कीम होने के बाद भी इन लोगों का विकास नहीं हो रहा है। राजस्थान में मीणा एक ट्राइब जनजाति है, लेकिन इस जाति का हर तीसरा मीणा व्यक्ति आई ए एस बन गया है। दूसरी तरफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चितौड़गढ़ जिलों में जो भील मीणा जाति के लोग हैं, उनकी स्थिति वैसी की वैसी है। इन लोगों में एक प्रतिशत अधिकारी तो बहुत दूर की बात है, छोटे अधिकारी भी नहीं बन पाए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस डिसपैरिटी की ओर सरकार का ध्यान गया है? यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? ....*(व्यवधान)*

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दे रहा हूं और उनका आभार प्रकट कर रहा हूं। मुझे आधे घंटे की चर्चा पर बोलने के लिए एलाऊ किया है। हम लोगों को भी मिनिस्ट्री की और से माननीय सदन को बताने के लिए जो चांस दिया है, इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। पहले प्लान के चौथे प्लान तक, सरकार का जैसे जनरल प्लान है ऐसे ही विकास के लिए काम किया गया। पांचवे फाइव ईयर प्लान में सोचा गया कि अगर ट्राइबल का ऐसे ही विकास किया जाएगा, जिस दर से बाकी लोगों को किया जाएगा, ऐसा करने से इन लोगों का बाकी लोगों के बराबर आना संभव नहीं हैं। इसलिए फाइव ईयर प्लान में से एक टीएसपी एप्रोच, ट्राइबल सब– प्लान प्रोजैक्ट एप्रोच एडोप्ट किया गया। इस प्लान के अंदर एक और प्लान ट्राइबल लोगों के लिए चलाया जाएगा। उसे चलाने के लिए देश भर मे 194 आईटीडीए या आईटीडीपी, इंटीग्रेटेड, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजैक्ट या एजेंसी गठित की गई। उसे चिन्हित करके मार्क किया गया। जो ट्राइबल पापुलेटेड ऐरिया है उसके साथ 259 (माडा) मोडीफाईड ऐरिया डेवलपमेंट एजेंसी के नाम पर कुछ यूनिट बनाए गए, जो कि एक ब्लाक के अंदर हो सकते हैं। पांच हजार से ज्यादा पापुलेशन, 50 प्रतिशत से ज्यादा पापुलेशन ट्राइबल का हो और उसके साथ 82 कलस्टर ग्रुप, जो छोटे–छोटे पॉकेट में रहते हैं, उनके लिए भी चिन्हित किए गए और लास्ट में प्रीमिटिव ट्राइब ग्रुप। माननीय सदस्य जो 75 की संख्या बता रहे थे, जो कि प्री–एग्रीकल्चर स्टेज में है, भूखे–नंगे हैं, बाकि लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं और दूरदराज के इलाकों में हैं, उन सब का विकास करने के लिए किया गया।

महोदय, पहले प्लान में एक प्रतिशत पैसा ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए खर्च हुआ। दूसरे प्लान में एक प्रतिशत से कम हुआ।

[श्री जुएल उराम]

आप पांचवें फाइव ईयर प्लान में देखेंगे कि तीन प्रतिशत से ज्यादा पैसा खर्च हुआ और आठवें प्लान में 9.47 प्रतिशत पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए पैसा तो सफिशिएंट जाना चाहिए। उसका जो आउटफ्लो होना चाहिए, वह एंश्योर किया गया और उसमें से हो रहा है। बाकी जो ट्राइबल इंडीकेटर्स हैं, उसमें भी आप लिट्रसी रेट देखेंगे, मैं एक ही इंडीकेटर आपके सामने रखना चाहता हूं। 1961 में ऑल इंडिया लिटेसी रेट 24 प्रतिशत ऑल इंडिया का था। उस समय ट्राइबल का 8.5 था। 1971 में, दस साल के बाद ऑल इंडिया लिट्रसी रेट 29.4 प्रतिशत हुआ। उसमें ट्राइबल का 11.3 प्रतिशत हुआ। 1991 के सेंसस में 52.2 प्रतिशत लिट्रसी रेट हुआ तो ट्राइबल का भी 29.6 प्रतिशत हुआ। इसकी तुलना ऐसे की जा सकती है, इन तीस सालों में जनरल ऑल इंडिया एजुकेशन का 24 से 52 प्रतिशत लिट्रसी रेट होता है। करीब दो गुना से ढाई गुना से आस-पास पढ़ते हैं, लेकिन ट्राइबल का लिट्रसी रेट 8.5 से 29.6 प्रतिशत हुआ, इनकी तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ोत्तरी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उसके लिए उतना पर्याप्त ध्यान नहीं हो पाया। इसलिए एनडीए सरकार के आने के बाद एक स्वतंत्र ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई गई। तीन साल में कितना पैसा खर्च हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में प्रश्न हुआ है। जब मैंने इस मिनस्ट्री का दायित्व लिया तो 630 करोड़ का बजट था। हमने उसे एक साल में बढ़ा कर 810 करोड़ किया। अब इस साल के बजट में 1049 करोड़ हुआ है। हम जो शेडयूल ऐरियाज हैं उसके बाहर जो ट्राइबल रहते हैं उन्हें भी कुछ लाभ देना चाहते है। इसलिए हम एक नेशनल ट्राइबल डवलपमेंट फाइनेंशियल कार्पोरेशन, जो एससी, एसटी फाइनेंशियल कार्पोरेशन था, उसे हमने अलग करके किया है। एक्सपेंडीचर में भी हम 85 प्रतिशत से ज्यादा करते जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाए हैं, उन्होंने कहा कि गर्ल्स होस्टल के बारे में आपका बजटेड अमाउंट बहुत ज्यादा था, लेकिन आपने 32 लाख खर्च किया है।

लड़कों के होस्टल के बारे में बजटरी एमाउंट बहुत ज्यादा था, लेकिन उसमें भी आपने 32 लाख खर्च किया है। आश्रम स्कूल के लिए बजटरी एमाउंट है लेकिन उसमें निल-एक्सपेंडिचर आप दिखा रहे हैं। यह काम कुछ सेंट्रली सेक्टर स्कीम में है और कुछ सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम में है। उसमें 50 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लड़कों के होस्टल में भी 50-50 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। राज्य अगर 50 प्रतिशत हिस्सेदारी नहीं करेंगे तो हम कैसे पैसा देंगे? ट्राइबल्स का जो डैवलेपमैंट होगा उसको 100 प्रतिशत सेंट्रली स्पोन्सर्ड न करके सेंट्रली सेक्टर स्कीम कर दीजिए, यह विचाराधीन बात है। लोग सजेशन दे रहे हैं लेकिन एक विचार है कि इसमें भी स्टेट अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं चाहता। ऐसा ही लड़कों के स्कूल और आश्रम स्कूल का हाल है। आज बहुत सारे प्रदेश आश्रम स्कूल खोलने में हिचकिचा रहें हैं क्योंकि खोलने के बाद 50-50 का प्रावधान करना है। खोलने के बाद उसमें मास्टर लाएंगे, उसमें छात्र-छात्राएं आयेंगी, स्टाईफंड देना पड़ेगा और उनको रहने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इसलिए वे नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आप लोग भी ध्यान दें तो उसमें पहल हो सकती है। इसमें एक नयी पहल इस सरकार के आने के बाद हुई है। लड़कों के होस्टल, गर्ल्स होस्टल और आश्रम स्कूल, ये तीन स्कीम जो हैं इनमें 50 प्रतिशत राज्य सरकारों को और 50 प्रतिशत केन्द्र को देना चाहिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स चूंकि इसमें आगे नहीं आ रही है तो हमारी एमपीलैड में बात करके प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से इसमें बात हुई है कि अगर वह 50 प्रतिशत का जो मैचिंग है वह अगर राज्य सरकारें नहीं दे पा रही हैं तो मान्यवर सांसद अपने एमपीलैड फंड में से 50 प्रतिशत देंगे तो हम उसको मानेंगे। ऐसा सर्कुलर गया है और माननीय सदस्यों को इसके लिए भी पत्र मिल चुका है। एमपीलैड की ओर से भी मिला है और हमने भी दिया है।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : केन्द्र सरकार को शत-प्रतिशत धनराशि देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम : वह तो पांचवे प्लॉन से आज तक चल रहा था। इसमें आगे डिसाइड होगा तो हो भी सकता है। लेकिन अभी तक तो ऐसी स्थिति ही है।

बैक-लॉग को क्लीयर करने के लिए हम बीच-बीच में रिक्रूटमेंट टाइप स्पेशल ड्राइव करते हैं। अभी तक स्पेशल ड्राइव नहीं हुई, आप दृष्टि में लाए हैं लेकिन राज्यों का बैक-लॉग पाना बहुत मुश्किल काम है। उनको बताने के लिए बार-बार कहा है। एससीएसटी कमीशन के चेयरमैन मान्यवर भूरिया जी उसको देखते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं तो बैक-लॉग पूरा होता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि बैक-लॉग क्या कोई टाइम बाऊंड है?

श्री जुएल उराम : बैंक–लॉग का भी टाइम बाऊंड है। उसमें नो–लॉस होना चाहिए, ऐसा भी हमारा आग्रह है और उसमें बैक–लाग नहीं रहना चाहिए तथा वह एक–दो साल में कम्प्लीट होना चाहिए। लेकिन इसका हिसाब लेना मुश्किल होता है। आर्गेनाइजेशन टू आर्गेनाइजेशन कम्पाइल करना मुश्किल होता है। ट्राइबल्स के लिए अगर वैकेन्सीज हैं तो उनको शीघ्र भरने के लिए बोला गया है लेकिन जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से काम लेट होता है।

दूसरा, स्टाइफंड के बारे में पोस्ट–मैट्रिक स्कॉलरशिप इस देश में 19 लाख से ज्यादा है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : बैक–लॉग को पूरा करने के लिए स्पेशल ड्राइव निकालिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री जी उत्तर दे रहे है।।

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम : वन–ग्राम के बारे मेंमान्यवर पांडे जी ने बताया है कि इस सरकार के आने के बाद तीन–दिन का सेमिनार एससीएसटी एमपीज का हुआ था तथा जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया था और उस समय के लॉ–मिनिस्टर माननीय राम जेठमलानी जी और हम लोग उसमें थे। विचार–विमर्श के बाद हर राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि 1980 से पहले यानी फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट आने से पहले जो भी ट्राइबल्स किसी भी तरह की जमीन पर चाहे फॉरेस्ट लैंड हो, रिजर्व फॉरेस्ट लैंड हो, खसरा जंगल हो या कहीं भी बसा हुआ है। उसे वन ग्राम से हटाकर विलेज ग्राम डिक्लेयर करिए और सब सुविधाएं दीजिए, इसके लिए डायरैक्शन दिया गया है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री जुएल उराम : यह राज्य सरकार का विषय है और इसे इम्पलीमैंट करना राज्य सरकार का काम है। हम डायरैक्शन दे चुके हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य की यह भावना है कि कोई मॉनिटरिंग सैल या नैटवर्क है या नहीं? क्या राज्य सरकार समय–समय पर कोऑर्डिनेट करती है?

श्री जुएल उराम : मॉनिटरिंग होता है। हम किसी स्टेट के टूर पर जाते हैं तो वहां के मंत्री और सचिव को बुलाते हैं। एक प्रावींजन है कि फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए, लैंड एक्ट में एलिनेशन नहीं होना चाहिए। यह प्रावीजन लागू हो रहा है या नहीं, इसके बारे में हम रिव्यू करते हैं। बहुत सी सरकारों ने वन ग्राम को रेवेन्यू विलेज में परिवर्तित करने के लिए उसे चिन्हित करने का काम किया है। उड़ीसा के बारे में हम कह सकते हैं कि वहां कुछ काम शुरु हुआ है।

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : मध्य प्रदेश आपकी डायरैक्शन्स को फॉलो नहीं कर रहा है।

श्री जुएल उराम : रावत जी ने कहा कि ट्राइबल कल्चरल के लिए क्या कर रहे हैं? वह एक रिच कल्चर है। उसे बढ़ावा देने के लिए ट्राइसेम संस्था है। हमने उसके थ्रू तीन–चार प्रदेशों का सात दिन का एग्जीविशन कम सेल का मेला 9 महादेव रोड में किया था। वहां ट्राइबल्स शो हुआ था। वहां माननीय मंत्रियों को बुला कर उद्घाटन करके सभी को दिखाया। एक हमने बनवासी सदस्य मेला किया था जैसा प्रगति मैदान में एक दिन ऐसा मेला लगता है। उसमें जोरदार पार्टिसिपेशन हुआ था। हर प्रदेश के ट्राइबल ग्रुप्स उसमें आए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : आप बनवासी न कहिए। उसे आदिम जाति कहिए।

श्री जुएल उराम : हमने जनजातियों के लिए प्रोग्राम किए। मैं स्पेशल ड्राइव के बारे में बता चुका हूं। बजट एलोकेशन में बढ़ोत्तरी किया जा रहा है। हम इसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। ईटिंग हैबिट्स के बारे में यहां बताया गया। लोग बांस जैसी चीजें खा रहे हैं। ट्राइबल्स जंगली चीजों को खाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि वे उसका आचार बना कर उसे खाते है। इसका जिन लोगों को प्रोसीजर मालूम है उसे खाने पर वह हार्मफुल नहीं है। उसे प्रॉपरली न बनाने से वह कभी–कभी हार्मफुल होता है।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : पेपर में आया था कि उसे खाने से उड़ीसा में कई लोग मर गए।

श्री जुएल उराम : इस सरकार की मंशा बहुत क्लीयर है। यदि वह नहीं होती तो वह इस मिनिस्ट्री को अलग से नहीं बनाती। यह मिनिस्ट्री 53 साल बाद बनी है। आप सोच सकते हैं कि इसके बार में क्या थिंकिंग है? सरकार की इस बारे में

[श्री जुएल उराम]

क्या थिकिंग है? सरकार की इस बारे में क्या ओपन थिकिंग है और इस क्षेत्र में बिल्कुल कन्सन्ट्रेट वर्क हो रहा है। इनका उत्थान हो और समयबद्ध हो इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री के. ए. सांगतम (नागालैण्ड) : मुझे भी इस पर बोलने का समय दिया जाए।

सभापति महोदय : आप पहले नोटिस नहीं देते हैं और सचेत नहीं रहते हैं।

[अनुवाद]

मैं आपको अनुमति कैसे दे सकता हूं।

श्री के. ए. सांगतम : महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछ सकता हूं?

[हिन्दी]

आपने ट्राइबल्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। उसमें 50 परसैंट शेयर सैंटर का और 50 परसैंट स्टेट का शेयर होता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वहां इकोनॉमिकल डैवलपमैंट नहीं है। 50 परसैंट की बजाय 25 परसैंट शेयर स्टेट का कर दें और 75 परसैंट सैंटर का कर दें–इस प्रोसीजर को आप सिम्पल बना दें – नहीं तो यह कागजों में ही रह जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.19 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 20 अगस्त, 2001/29 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अं
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।